नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994

(1994 का अधिनियम संख्यांक 44)

[14 जुलाई, 1994]

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की स्थापना
और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक
विषयों का उपबन्ध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 है ।

(2) इसका विस्तार नई दिल्ली पर है ।

(3) यह 25 मई, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "प्रशासक" से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;

(2) "अपील अधिकरण" से धारा 253 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(3) "बजट-अनुदान" से बजट प्राक्कलन के व्यय खाते में किसी मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत प्रविष्टि और परिषद् द्वारा अंगीकृत कुल राशि अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अनुसार किन्हीं अन्य शीर्षों से या उनमें अन्तरण करके ऐसे बजट-अनुदान में बढ़ाई गई या कम की गई राशि भी है ;

(4) "भवन" से कोई गृह, उपगृह, अस्तबल, शौचालय, मूत्रालय, शैड, झोंपड़ी, दीवाल (सीमा दीवाल से भिन्न) या कोई अन्य संरचना भले ही वह पत्थर की हो, ईंटों की हो, लकड़ी की हो, मिट्टी की हो, धातु की हो या किसी अन्य पदार्थ से बनी हो, अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत अन्य संवहनीय आश्रय स्थल नहीं है ;

(5) "उपविधि" से इस अधिनियम के अधीन, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, बनाई गई उपविधि अभिप्रेत है ;

(6) "आकस्मिक रिक्ति" से वह रिक्ति अभिप्रेत है जो परिषद् के किसी सदस्य के पद में पदावधि समाप्त हो जाने से भिन्न किसी कारण से हुई है ;

(7) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(8) "निगम" से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) के अधीन स्थापित दिल्ली नगर निगम अभिप्रेत है ;

(9) "परिषद्" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अभिप्रेत है ;

(10) "खतरनाक रोग" से निम्नलिखित रोग अभिप्रेत हैं, अर्थात्—

(क) हैजा, प्लेग, छोटी माता, चेचक, यक्ष्मा, कोढ़, आंत्र ज्वर, मस्तिष्कमेरु तानिकाशोथ और रोहिणी ; और

(ख) कोई अन्य महामारी, स्थानिक या संक्रामक रोग, जिसे अध्यक्ष राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खतरनाक रोग घोषित करे ;

(11) "दिल्ली" से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 2 के खंड (11) में परिभाषित नई दिल्ली और दिल्ली छावनी के सिवाय, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का समस्त क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(12) "नाली" के अन्तर्गत सीवर, मोरी, किसी अन्य प्रकार की नाली, सुरंग, पुलिया, खाई और जलसरणी तथा मल, घृणोत्पादक पदार्थ, दूषि जल, बेकार जल, वर्षा जल या अवमृदा जल के निकास के लिए कोई अन्य युक्ति भी है ;

(13) "मनोरंजन" के अन्तर्गत ऐसी प्रदर्शनी, अभिनय, विनोद, खेल या क्रीड़ा भी है जिसमें व्यक्ति सामान्यतया पैसे देकर ही प्रवेश कर सकते हैं ;

(14) "कारखाना" से कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में परिभाषित कारखाना अभिप्रेत है ;

(15) "गन्दगी" के अन्तर्गत घृणोत्पादक पदार्थ और मल हैं ;

(16) "माल" के अन्तर्गत जीव जन्तु भी है ;

(17) "सरकार" से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अभिप्रेत है ;

(18) "सफाई गली" से ऐसा रास्ता या भूमि का टुकड़ा अभिप्रेत है जो नाली के रूप में प्रयुक्त किए जाने या नाली निकालने के लिए अथवा शौचालय, मूत्रालय, मलकुंड तक या गन्दगी या अन्य दूषित पदार्थ के लिए अन्य पात्र तक, उसकी सफाई के लिए या उसमें से ऐसे पदार्थ को हटाने के लिए नियोजित नगरपालिक कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के आने-जाने के प्रयोजन के लिए बनाया गया है, पृथक् रखा गया है या प्रयोग में लाया जाता है ;

(19) "झोंपड़ी" से ऐसा कोई निर्माण अभिप्रेत है जो मुख्यतः लकड़ी, बांस, मिट्टी, पत्तियों, घास, कपड़े या फूस से निर्मित है और इसके अन्तर्गत किसी भी सामग्री से निर्मित ऐसी संरचना भी है जिसे परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए झोंपड़ी घोषित करे ;

(20) नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, "निवासी" के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहां मामूली तौर से निवास कर रहा है या कारबार कर रहा है या जिसके स्वामित्व या अधिभोग में स्थावर संपत्ति है और किसी विवाद की दशा में, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा निवासी घोषित किया जाए ;

(21) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे, भू-बद्ध चीजें या भू-बद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें और किसी पथ पर वे अधिकार हैं जो विधि द्वारा सृजित हैं ;

(22) "अनुज्ञप्त इंजीनियर" और "अनुज्ञप्त नलसाज" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो क्रमश: इंजीनियर और नलजसाज के रूप में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्त है ;

(23) "बाजार" के अन्तर्गत ऐसा स्थान है, जहां इस बात के होते हुए भी कि क्रेताओं और विक्रेताओं के इकट्ठे होने के लिए कोई सामान्य विनियम नहीं है और चाहे वह उस स्थान के स्वामी द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा बाजार के कारबार पर या वहां आने-जाने वाले लोगों पर कोई नियन्त्रण रखा जाता हो या नहीं, मांस, मछली, फल, सब्जी, मानव उपयोग के लिए आशयित जीव-जन्तु या मानव के भोजन के किन्हीं भी अन्य चीजों के विक्रय के लिए, या विक्रय के लिए अभिदर्शित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे स्थान के स्वामी की सम्मति से या उसके बिना ही लोग इकट्ठे होते हैं ;

(24) परिषद् के सम्बन्ध में, "सदस्य" से परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है ;

(25) "नगरपालिका बाजार" से ऐसा बाजार अभिप्रेत है जो परिषद् में निहित है या जिसका प्रबन्ध परिषद् के हाथ में है ;

(26) "नगरपालिका जल संकर्म" से ऐसे जल संकर्म अभिप्रेत हैं जो परिषद् में निहित हैं ;

(27) "नई दिल्ली" से पहली अनुसूची में वर्णित सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(28) "न्यूसेंस" के अन्तर्गत ऐसा कोई कार्य, लोप, स्थान, जीव-जन्तु या चीज है जिससे दृष्टि इन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय को क्षति, खतरा, क्षोभ या संताप होता है या होना सम्भाव्य है अथवा जिससे आराम या निद्रा में विघ्न पड़ता है या विघ्न पड़ना संभाव्य है अथवा जो जीवन के लिए खतरनाक है या खतरनाक हो सकती है या स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए क्षतिकर है या क्षतिकर हो सकती है ;

(29) "अधिभोगी" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वामी को तत्समय उस भूमि या भवन का भाटक या भाटक का कोई भाग दे रहा है या देने का जिम्मेदार है, जिसकी बाबत ऐसा भाटक दिया जाता है या देय है ;

(ख) वह स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोग करता है या अन्यथा उसका प्रयोग करता है ;

(ग) किसी भूमि या भवन का भाटकमुक्त अभिधारी ;

(घ) किसी भूमि या भवन का अधिभोग करने वाला अनुज्ञप्तिधारी ; और

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के प्रयोग और अधिभोग के लिए उसके स्वामी को नुकसानी देने का जिम्मेदार है ;

(30) "घृणोत्पादक पदार्थ" के अन्तर्गत जीव-जन्तु के पिंजर, रसोई या अस्तबल का कचरा, पशुविष्ठा, गंदगी और मल से भिन्न सड़े-गले या सड़ रहे पदार्थ हैं ;

(31) "राजपत्र" से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का राजपत्र अभिप्रेत है ;

(32) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो तत्समय किसी भूमि या भवन का भाटक चाहे अपने ही निमित्त या अपने और अन्य व्यक्तियों के निमित्त या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है या जो, यदि भूमि या भवन या उसका भाग किसी अभिधारी को पट्टे पर दे दिया जाए तो, इस प्रकार भाटक प्राप्त करेगा, या प्राप्त करने का हकदार होगा और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :—

(क) ऐसी निष्क्रांत संपत्ति के सम्बन्ध में निष्क्रांत सम्पत्ति अभिरक्षक जो निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) के अधीन उसमें निहित हैं ; और

(ख) अपने-अपने नियंत्रणाधीन सम्पत्ति के सम्बन्ध में भारत सरकार का सम्पदा अधिकारी, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के अधीन गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण का सचिव, किसी रेल का महाप्रबन्धक और किसी सरकारी विभाग का विभागाध्यक्ष ;

(33) "परिसर" से कोई भूमि या भवन या किसी भवन का भाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :—

(क) भवन से या भवन के भाग से यदि कोई उद्यान, मैदान और उपगृह अनुलग्न है तो वह उद्यान, मैदान या उपगृह ; और

(ख) ऐसे भवन के या भवन के भाग के अधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए उसमें लगे हुए फिटिंग ;

(34) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(35) "प्राइवेट बाजार" से ऐसा बाजार अभिप्रेत है जो नगरपालिका बाजार नहीं है ;

(36) "प्राइवेट पथ" से ऐसा कोई पथ अभिप्रेत है जो सार्वजनिक पथ नहीं है और इसके अंतर्गत एक ही या विभिन्न स्वामियों के दो या अधिक स्थानों तक पहुंच के लिए कोई रास्ता भी है ;

(37) "सार्वजनिक स्थान" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जो जनता के प्रयोग और उपयोग के लिए खुला है, चाहे उसका जनता द्वारा वास्तव में प्रयोग और उपयोग किया जाता है या नहीं ;

(38) "लोक प्रतिभूति" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत कोई प्रतिभूति अथवा इस अधिनियम के अधीन पुरोधृत कोई प्रतिभूति या मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास नगर निगम द्वारा पुरोधृत कोई डिबेंचर अभिप्रेत है ;

(39) "सार्वजनिक पथ" से कोई ऐसा पथ अभिप्रेत है जो सार्वजनिक पथ के रूप में परिषद् में निहित है या जिसके तल के नीचे की मृदा परिषद् में निहित है या जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सार्वजनिक पथ बन जाता है या घोषित कर दिया जाता है ;

(40) "रेल प्रशासन" का वही अर्थ है जो रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) में है ;

(41) "रेटदाता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन कोई रेट, कर, उपकर या अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए जिम्मेदार है ;

(42) "रेट-मूल्य" से किसी भूमि या भवन का वह मूल्य अभिप्रेत है जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति करों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नियत किया जाता है ;

(43) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बनाया गया विनियम अभिप्रेत है :

(44) "निवास करना"—

(क) किसी व्यक्ति के बारे में कि वह किसी निवासगृह में निवास करता है, तब समझा जाएगा जब वह उसका या उसके किसी भाग का किसी समय, भले ही लगातार न सही, शयन कक्ष के रूप में प्रयोग करता है ; और

(ख) केवल इस कारण कि वह ऐसे निवासगृह से अनुपस्थित है या उसका अन्यत्र कोई अन्य ऐसा निवासगृह है जिसमें वह निवास करता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने ऐसे किसी निवासगृह में निवास करना छोड़ दिया है यदि वह उसमें लौटने के लिए स्वतंत्र है और उसमें लौटने के आशय का उसने परित्याग नहीं किया है ;

(45) "कूड़ा" के अन्तर्गत राख, टूटी ईंटें, गारा, टूटा शीशा, धूल, मलबा, गारा और सभी प्रकार का कचरा है जो गन्दगी नहीं है ;

(46) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बनाया गया नियम अभिप्रेत है ;

(47) "अनुसूचित जाति" से ऐसी जातियां, मूल वंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जाति समझे गए हैं ;

(48) "सफाई रास्ता" या "गली" या "उप-गली" से ऐसा रास्ता या भूमि का टुकड़ा अभिप्रेत है जो किसी नाली के रूप में प्रयुक्त किए जाने या नाली निकालने या विद्युत केबल (भूमिगत या शिरोपरि) और किसी विद्युत तथा अन्य सहबद्ध संस्थापनों के ले जाने या नगरपालिक कर्मचारियों अथवा उसकी सेवा में नियोजित अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य नागरिक सेवा करने के प्रयोजन के लिए बनाया गया है, पृथक् रखा गया है या प्रयोग में लाया जाता है ;

(49) "मल" से विष्ठा तथा शौचालयों, मूत्रालय, मलकुंडों या नालियों की अन्य अन्तर्वस्तुएं, और सिंकों, स्नानागारों, अस्तबलों, पशु शैडों और अन्य वैसे ही स्थानों का दूषित जल अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत व्यापार बहि:स्राव तथा सभी प्रकार के कारखानों का निस्सारण भी है ;

(50) "शैड" से छांव या आश्रय के लिए मामूली या अस्थायी संरचना अभिप्रेत है ;

(51) "पथ" के अन्तर्गत ऐसा कोई मार्ग, सड़क, गली, चौक, प्रांगण, वीथि गली, रास्ता है जिस पर सर्वसाधारण को मार्गाधिकार है, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं और चाहे वह निर्मित हो या नहीं तथा इसके अन्तर्गत किसी पुल या सेतु के ऊपर से सड़क मार्ग या पैदल मार्ग भी है ;

(52) "व्यापार बहि:स्राव" से ऐसा कोई द्रव अभिप्रेत है जो किसी व्यापार परिसर में चलाए जा रहे किसी व्यापार या उद्योग के दौरान पूर्णत: या भागत: पैदा होता है भले ही उस द्रव में पदार्थ के कण हों या न हों, और किसी व्यापार परिसर के संबंध में व्यापार बहि:स्राव से पूर्वोक्त जैसा कोई द्रव अभिप्रेत है जो उन परिसरों में चलाए जा रहे किसी व्यापार या उद्योग के अनुक्रम में इस प्रकार पैदा होता है, किन्तु इसके अन्तर्गत घरेलू मल नहीं है ;

(53) "व्यापार परिसर" से ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसका प्रयोग किसी व्यापार या उद्योग को चलाने के लिए किया जाता है या जो ऐसे प्रयोग के लिए आशयित है ;

(54) "व्यापार कचरा" से किसी व्यापार या उद्योग का कचरा अभिप्रेत है ;

(55) "यान" के अन्तर्गत गाड़ी, बैलगाड़ी, वैन, ठेला, ट्रक, हथठेला, बाइसिकल, ट्राईसिकल, साइकल रिक्शा, आटो रिक्शा, मोटर यान और प्रत्येक पहिएदार प्रवहण भी है जो पथ पर प्रयोग किया जाता है या जो वहां प्रयोग किए जाने योग्य हैं ;

(56) "जलसरणी" के अन्तर्गत कोई नदी, सरिता या सरणी है चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम ;

(57) "जल संकर्म" के अन्तर्गत सभी झीलें, तालाब, सरिताएं, कोई नदी, हौज, चश्मे, पम्प, कुएं, जलाशय, जलसेतु, पानी वाले ट्रक, जलद्वार, मुख्य प्रणाल (मेन), पाइपें, पुलिया, बम्बा (हाइड्रेंट), सार्वजनिक नल और नलिकाएं, तथा जल प्रदाय के लिए प्रयुक्त या उस प्रयोजन के लिए आशयित सभी भूमि, भवन, मशीनें और चीजें हैं ;

(58) "कर्मशाला" से किसी कारखाने से भिन्न कोई ऐसा परिसर (जिसके अन्तर्गत उसकी प्रसीमाएं भी हैं) अभिप्रेत है जिसमें कोई औद्योगिक प्रक्रिया चलाई जाती है ;

(59) "वर्ष" से 1 अप्रैल को प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

परिषद्

परिषद् का गठन

3. परिषद् की स्थापना—(1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् की स्थापना की जाएगी और नई दिल्ली का नगरपालिका शासन उसके भारसाधन में होगा ।

(2) परिषद् पूर्वोक्त नाम वाला एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का अर्जन करने, उसे धारण करने और उसका व्ययन करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

4. परिषद् की संरचना—(1) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारियों में से होगा, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति का या उससे ऊपर की पंक्ति का होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) [1][दो सदस्य], जो दिल्ली की विधान सभा के होंगे जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनमें पूर्णत: या भागत: नई दिल्ली का क्षेत्र समाविष्ट है ;

(ग) पांच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार या सरकार या उनके उपक्रमों के अधिकारियों में से होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ; और

(घ) [2][चार सदस्य] जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के परामर्श से, वकीलों, डाक्टरों, चार्टर्ड एकाउन्टेंटों, इंजीनियरों, कारबार और वित्तीय परामर्शदाताओं, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, श्रमिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनके अंतर्गत समाज वैज्ञानिक, कलाकार, मीडिया व्यक्ति, खेलकूद से संबंधित व्यक्ति और किसी अन्य वर्ग के ऐसे व्यक्ति हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित किया जाएगा ।

[3][(ङ) उस निर्वाचन-क्षेत्र का, जिसमें पूर्णत: या भागत: नई दिल्ली क्षेत्र समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाला संसद्-सदस्य ;]

[4]* * * * * * *

[1][(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट तेरह सदस्यों में से कम से कम,—

(क) तीन सदस्य स्त्रियां होंगी ;

(ख) दो सदस्य अनुसूचित जाति के होंगे, जिनमें से एक सदस्य उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से होगा ।]

(4) केन्द्रीय सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री के परामर्श से, उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से उपाध्यक्ष को नामनिर्देशित करेगी ।

5. परिषद् की अवधि—(1) परिषद्, यदि धारा 398 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक चालू रहेगी, इससे अधिक नहीं ।

(2) परिषद्,—

(क) जहां वह खंड (1) के अधीन अपनी अवधि की समाप्ति के पूर्व विघटित हो जाती है, वहां ऐसे विघटन के छह मास की अवधि के भीतर पुनर्गठित की जाएगी ; और

(ख) जहां वह अपनी अवधि की समाप्ति के पश्चात् विघटित होती है, वहां ऐसी समाप्ति के पूर्व पुनर्गठित की जाएगी ।

6. परिषद् की सदस्यता के लिए निरर्हताएं—(1) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति इस आधार पर परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किए जाने के लिए निरर्हित नहीं होगा कि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए कोई लाभ का पद धारण करता है ।

(2) यदि परिषद् में कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि वह परिषद् की सदस्यता के लिए अर्हित नहीं है या निरर्हित कर दिया गया है, सदस्य के रूप में उपस्थित रहता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए, जब वह इस प्रकार उपस्थित रहता है या मत देता है, तीन सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।

सदस्य

7. शपथ या प्रतिज्ञान—(1) प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व परिषद् के अधिवेशन में निम्नलिखित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, और उस पर हस्ताक्षर करेगा, अर्थात् :—

"मैं, ... अमुक ..... जो दिल्ली परिषद् का सदस्य नामनिर्देशित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 5 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2012 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2012 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।

कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा।"

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले सदस्य के रूप में उपस्थित रहता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार, यथास्थिति, उपस्थित रहता है या मत देता है, तीन सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

8. स्थानों का रिक्त हो जाना—(1) यदि कोई सदस्य अध्यक्ष को संबोधित और उसको परिदत्त अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है, तो ऐसा करने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

(2) यदि कोई सदस्य परिषद् की अनुज्ञा के बिना, क्रमवर्ती तीन मास के दौरान परिषद् के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो परिषद् केन्द्रीय सरकार को यह सिफारिश कर सकेगी कि ऐसे सदस्य का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाए।

परिषद् की समितियां

9. समितियों का गठन—(1) परिषद् उतनी समितियां, जितनी वह किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग या किसी ऐसे कृत्य के निर्वहन के लिए, जो परिषद् संकल्प द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित करे या किसी ऐसे मामले पर, जो परिषद् उन्हें निर्देशित करे, जांच करने, रिपोर्ट करने या सलाह देने के लिए ठीक समझे, गठित कर सकेगी।

(2) किसी ऐसी समिति में केवल परिषद् के सदस्य होंगे :

परन्तु किसी समिति में, परिषद् की मंजूरी से, दो से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित किया जा सकेगा जो परिषद् के सदस्य नहीं हैं किन्तु जिनके पास परिषद् की राय में, ऐसी समितियों में कार्य करने के लिए विशेष अर्हताएं हैं।

(3) इस धारा के अधीन गठित प्रत्येक समिति की अध्यक्षता परिषद् के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(4) इस धारा के अधीन गठित किसी समिति से संबंधित कोई विषय, जो इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं है, इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा उपबंधित किया जा सकेगा।

अध्याय 3

परिषद् के कृत्य

10. परिषद् की साधारण शक्तियां—(1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नई दिल्ली का नगरपालिका शासन परिषद् में निहित होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राप्तियों और संवितरणों के सभी नियतकालिक विवरणों और सभी प्रगति रिपोर्टों पर विचार करे और उन पर ऐसे संकल्प पारित करे जो वह ठीक समझती है।

(3) परिषद्, किसी भी समय, अध्यक्ष से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह,—

(क) कोई ऐसा अभिलेख, पत्राचार, योजना या अन्य दस्तावेज, जो उसके कब्जे में है या अध्यक्ष के रूप में उसके नियंत्रण में है या जो उसके कार्यालय में या उसके अधीनस्थ किसी अन्य नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी के कार्यालय में अभिलिखित या फाइल किया गया है, प्रस्तुत करे ;

(ख) इस अधिनियम के प्रशासन या नई दिल्ली के नगरपालिका शासन से संबंधित किसी मामले से वास्ता रखने वाली या संबद्ध कोई विवरणी, योजना प्राक्कलन, विवरण, लेखा या आंकड़े पेश करे ;

(ग) इस अधिनियम के प्रशासन या नई दिल्ली के नगरपालिका शासन से वास्ता रखने वाले या संबद्ध किसी विषय पर स्वयं रिपोर्ट पेश करे या अपने अधीनस्थ किसी विभाग के प्रधान से रिपोर्ट अभिप्राप्त करके, उस पर अपनी टिप्पणियां सहित, पेश करे।

(4) ऐसी प्रत्येक अध्यपेक्षा का अध्यक्ष द्वारा कोई अनुचित विलम्ब किए बिना अनुपालन किया जाएगा और प्रत्येक नगरपालिक अधिकारी तथा अन्य नगरपालिक कर्मचारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अध्यक्ष द्वारा किसी ऐसी अध्यपेक्षा के अनुसरण में किए गए किसी आदेश का पालन करे :

परन्तु अध्यक्ष किसी ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध नहीं होगा यदि वह प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से यह कथन करता है कि ऐसे अनुपालन से लोक हित पर या परिषद् के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

11. परिषद् के बाध्यकारी कृत्य—इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिषद् के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक के लिए पर्याप्त व्यवस्था ऐसे किन्हीं साधनों या उपायों द्वारा करे जिन्हें वह विधिपूर्वक प्रयोग में ला सकती है या अपना सकती है, अर्थात् :—

(क) नालियों और जल निकास संकर्मों का तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और वैसी ही सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई ;

(ख) सार्वजनिक और प्राइवेट प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय की व्यवस्था करने के लिए संकर्मों और साधनों का निर्माण और अनुरक्षण ;

(ग) गन्दगी, कूड़े और अन्य घृणाजनक या प्रदूषित पदार्थों की सफाई, उनको हटाना और उनका व्ययन ;

(घ) (i) जनता को विद्युत के प्रदाय और वितरण के लिए ;

(ii) शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद जल के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था करने के लिए,

निर्माण या क्रय, अनुरक्षण, विस्तार और प्रबंध ;

(ङ) अस्वास्थ्यकर स्थलों का पुनरुद्धार, हानिकर, घासपात को हटाना और साधारणतया सभी न्यूसेंसों का उपशमन ;

(च) मृतकों की अन्तिम क्रिया के लिए स्थानों का विनियमन और उक्त प्रयोजन के लिए स्थानों की व्यवस्था और अनुरक्षण ;

(छ) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण ;

(ज) सार्वजनिक रूप में वैक्सीन-टीके और टीके लगाना ;

(झ) खतरनाक रोगों का निवारण और रोकथाम के उपाय ;

(ञ) अस्पतालों, औषधालयों और प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण तथा सार्वजनिक चिकित्सा सहायता के लिए आवश्यक अन्य उपायों का कार्यान्वयन ;

(ट) नगरपालिका बाजारों का निर्माण और अनुरक्षण और सभी बाजारों का विनियमन ;

(ठ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियमन और उपशमन ;

(ड) खतरनाक भवनों और स्थानों की सुरक्षा या उनको हटाना ;

(ढ) सार्वजनिक पथों, पुलों, पुलियाओं, सेतुओं और ऐसी ही अन्य चीजों का निर्माण, अनुरक्षण और उनमें परिवर्तन तथा सुधार ;

(ण) सार्वजनिक पथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी करना, जल छिड़कना और सफाई ;

(त) पथों, पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में से बाधाओं और निकले हुए भागों को हटाना ;

(थ) पथों और परिसरों का नामकरण और संख्यांकन ;

(द) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित अनुदानों के अधीन रहते हुए, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना, अनुरक्षण और सहायता ;

(ध) नगरपालिका कार्यालयों का अनुरक्षण ;

(न) सार्वजनिक पार्क, उद्यान या आमोद-प्रमोद के स्थल बनाना और उनका अनुरक्षण ;

(प) ऐसे स्मारकों और संस्मारकों का अनुरक्षण जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व नई दिल्ली के किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित हों या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् परिषद् में निहित किए जाएं ;

(फ) परिषद् में निहित या प्रबन्ध के लिए उसको न्यस्त सभी सम्पत्तियों के मूल्य को बनाए रखना और उनका विकास ;

(ब) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी ;

(भ) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान अस्पतालों का अनुरक्षण जिसके अंतर्गत प्रसुविधाओं का विस्तार और उन्नयन भी है ;

(म) भवनों के निर्माण या पुन:निर्माण की मंजूरी या इंकार ; और

(य) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किसी अन्य बाध्यता को पूरा करना ।

12. परिषद् के वैवेकिक कृत्य—समय-समय पर सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, परिषद् निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए या तो पूर्णत: या भागत: स्वविवेकानुसार व्यवस्था कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) प्राथभिक शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना, अनुरक्षण और सहायता से भिन्न उपायों द्वारा शिक्षा को अग्रसर करना, जिसके अन्तर्गत सांस्कृतिक और शारीरिक शिक्षा भी है ;

(ख) पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, वनस्पति विज्ञान या प्राणिविज्ञान संबंधी संग्रहालयों की स्थापना, अनुरक्षण और सहायता ;

(ग) स्टेडियमों, व्यायामशालाओं, अखाड़ों तथा क्रीड़ा और खेलों की स्थानों के स्थापना, अनुरक्षण और सहायता ;

(घ) सड़क के किनारों पर और अन्यत्र वृक्षारोपण और उनकी देख-रेख ;

(ङ) भवनों और भूमियों का सर्वेक्षण ;

(च) विवाह रजिस्ट्रीकरण ;

(छ) जनगणना ;

(ज) किसी क्षेत्र के निवासियों के लिए या निवासियों के किसी वर्ग के लिए आवास-स्थान की व्यवस्था ;

(झ) सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक समागम के स्थानों में संगीत या अन्य मनोरंजनों की व्यवस्था तथा थिएटरों और सिनेमाओं की स्थापना ;

(ञ) मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन और प्रबन्ध ;

(ट) पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन, जिसके अन्तर्गत ऐसे प्रयोजनों के लिए आवश्यक भवनों के सन्निर्माण या उनको उपयोगी बनाने के लिए उनसे संबंधित अनुसंधानों, सर्वेक्षणों या परीक्षणों के खर्च का संदाय भी है ;

(ठ) निम्नलिखित का निर्माण और अनुरक्षण, अर्थात् :—

(i) विश्राम गृह,

(ii) अनाथाश्रम,

(iii) जीर्ण रोगीशाला,

(iv) बाल गृह,

(v) मूक और बधिरों तथा नि:शक्त और असुविधाग्रस्त बालकों के लिए आश्रम,

(vi) निराश्रितों और नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आश्रम,

(vii) विकृतचित्त व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थान,

(ड) कांजी हाऊसों का निर्माण और अनुरक्षण ;

(ढ) नगरपालिक अधिकारियों और अन्य नगरपालिक कर्मचारियों के लिए निवासगृहों का निर्माण या क्रय और अनुरक्षण ;

(ण) नगरपालिक अधिकारियों और अन्य नगरपालिक कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग के कल्याण के लिए उपाय, जिनके अन्तर्गत ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों या उनके किसी वर्ग को गृहों के निर्माण और यानों के क्रय के लिए उधार की मंजूरी भी है ;

(त) रोगों का पता चलाने या लोक स्वास्थ्य या चिकित्सीय सहायता से संबंधित अनुसंधान के लिए जल, भोजन और ओषधियों के परीक्षण या विश्लेषण के लिए रासायनिक या जीवणु विज्ञान प्रयोगशालाओं का संगठन या प्रबन्ध ;

(थ) निराश्रितों और नि:शक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए व्यवस्था ;

(द) पशुओं के अस्पतालों की स्थापना और अनुरक्षण ;

(ध) तरणतालों, धोबी घाटों, स्नानघरों और लोक स्वास्थ्य के सुधार के लिए परिकल्पित अन्य संस्थाओं का संगठन, निर्माण, अनुरक्षण और प्रबन्ध ;

(न) नई दिल्ली के निवासियों के फायदे के लिए दूध और दूध के उत्पादों के प्रदाय, वितरण और प्रसंस्करण के लिए नई दिल्ली के भीतर या बाहर फार्मों और दुग्ध-उद्योगों का संगठन और प्रबन्ध ;

(प) कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प केन्द्रों और विक्रय केन्द्रों का संगठन और प्रबन्ध ;

(फ) भांडागारों और गोदामों का निर्माण और अनुरक्षण ;

(ब) यानों और पशु शवयानों के लिए गैराजों, शैडों और स्टैंडों का निर्माण और अनुरक्षण ;

(भ) बिना छने जल के प्रदाय की व्यवस्था ;

(म) परिषद् द्वारा अनुमोदित विकास स्कीमों के अनुसार नई दिल्ली का विकास ;

(य) कोई ऐसा उपाय करना जिसका इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्टतया उल्लेख नहीं किया गया, जिससे लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा या साधारण कल्याण का उन्नयन संभव है ।

अध्याय 4

अध्यक्ष

13. अध्यक्ष की नियुक्ति, आदि—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसार किसी उपयुक्त व्यक्ति को परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी ।

(2) इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष प्रथमत: पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु उसकी नियुक्ति समय-समय पर एक बार में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी :

परन्तु यह और कि जहां अध्यक्ष का केन्द्रीय सरकार या सरकार के अधीन किसी सेवा में धारणाधिकार है, वहां केन्द्रीय सरकार परिषद् को युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात् किसी समय उसकी सेवाएं संबद्ध सरकार को अन्तरित कर सकेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष को किसी भी समय पद से हटा सकेगी यदि उस सरकार को यह प्रतीत होता है कि वह अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसी उपेक्षा या अवचार का दोषी पाया गया है जिसके कारण उसका हटाया जाना समीचीन है ।

(4) अध्यक्ष अपने पद से असंबद्ध किसी कार्य का भार केन्द्रीय सरकार की और परिषद् की मंजूरी के बिना अपने ऊपर नहीं लेगा ।

14. अध्यक्ष की अनुपस्थिति छुट्टी—(1) अध्यक्ष को प्रशासक द्वारा छुट्टी मंजूर की जा सकेगी ।

(2) जब कभी अध्यक्ष को ऐसी छुट्टी मंजूर की जाती है तब केन्द्रीय सरकार उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में कार्य वहन करने के लिए नियुक्त करेगी ।

15. अध्यक्ष की मृत्यु, उसके त्यागपत्र या हटाए जाने की दशा में स्थानापन्न अध्यक्ष की नियुक्ति—यदि अध्यक्ष की मृत्यु, उसके त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण उसके पद में कोई रिक्ति होती है तो केन्द्रीय सरकार, धारा 13 के अधीन अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में कार्य वहन करने के लिए दो मास से अनधिक की अवधि के लिए नियुक्त करेगी ।

16. अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते—(1) अध्यक्ष को धारा 44 के अधीन गठित नई दिल्ली नगरपालिका निधि में से उतना मासिक वेतन और उतने मासिक भत्ते, यदि कोई हों, संदत्त किए जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं और उसे निवास-स्थान, सवारी तथा तत्समान ऐसी सुविधाएं, यदि कोई हों, दी जाएंगी जो उस सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाएं :

परन्तु अध्यक्ष के वेतन में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(2) सदस्य परिषद् और उसकी समितियों में से किसी के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए ऐसी दर से, जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

17. सदस्यों के सेवा विनियम—यदि कोई सदस्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सेवा में का अधिकारी है तो परिषद् उसके छुट्टी-भत्ते, पेंशन और भविष्य-निधि मद्धे उतना अंशदान करेगी जितना सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीन उसकी सेवा शर्तों के अनुसार, यथास्थिति, उसके द्वारा या उसकी ओर से संदत्त किया जाना अपेक्षित है ।

18. अध्यक्ष के कृत्य—इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के, जो परिषद् को कोई शक्ति प्रदान करता है या उस पर कोई कर्तव्य अधिरोपित करता है, उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए समस्त कार्यपालिका शक्ति, अध्यक्ष में निहित होगी, जो—

(क) इस अधिनियम द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसे विनिर्दिष्ट रूप से प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित सभी कर्तव्यों का पालन करेगा ;

(ख) सभी नगरपालिक अधिकारियों और अन्य नगरपालिक कर्मचारियों के कर्तव्यों को विहित करेगा और उनके कार्यों और कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण करेगा तथा उन पर नियंत्रण रखेगा और ऐसे किसी विनियम के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाया जाए, उक्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा और उनके वेतन, विशेषाधिकारों, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित सभी प्रश्नों को निपटाएगा ;

(ग) किसी आकस्मिक दुर्घटना या किसी अकल्पित घटना या प्राकृतिक विपत्ति के होने पर या होने की आशंका होने पर, जिसके कारण परिषद् की किसी संपत्ति का व्यापक नुकसान होता है या होने की संभावना है या मानव जीवन को खतरा है या होने की संभावना है, तुरन्त ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और जो कार्रवाई उसने की है उसकी रिपोर्ट, ऐसा करने के कारणों सहित तथा ऐसी कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप उपगत या उपगत किए जाने के लिए संभावित खर्चे की रकम का, यदि कोई हो, जो बजट-अनुदान के अन्तर्गत नहीं आती है, उल्लेख करते हुए तुरन्त परिषद् और प्रशासक को देगा ; और

(घ) किसी ऐसे विनियम के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाया जाए, सभी नगरपालिक अधिकारियों और अन्य नगरपालिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुशासनिक प्राधिकारी होगा ।

19. अध्यक्ष का परिषद् के साथ की गई किसी संविदा, आदि में हितबद्ध न होना—(1) ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा, जिसका, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष से भिन्न रूप में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या किसी भागीदार या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से परिषद् के साथ की गई किसी संविदा में या परिषद् के लिए किए जा रहे किसी कार्य में कोई अंश या हित है ।

(2) यदि अध्यक्ष उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संविदा या कार्य में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने भागीदार या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई अंश या हित अर्जित कर लेता है तो वह, जब तक केन्द्रीय सरकार किसी विशिष्ट मामले में अन्यथा विनिश्चय नहीं करती, ऐसे प्राधिकारी के आदेश से, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसे हटाने के लिए सक्षम हैं, अपने पद से हटाए जाने के दायित्वाधीन होगा :

परन्तु हटाए जाने का आदेश करने से पूर्व, अध्यक्ष को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर दिया जाएगा ।

20. शक्तियों का प्रयोग मंजूरी के अधीन होना—इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन परिषद् को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग या उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन, जिसके कारण कोई व्यय उपगत करना पड़े निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) जहां तक ऐसा व्यय उस वर्ष में किया जाना है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का पालन किया जाता है वहां तक उसका उपबंध चालू बजट-अनुदानों के अधीन किया जाएगा ; और

(ख) यदि ऐसी शक्ति के प्रयोग या ऐसे कर्तव्य के पालन में उक्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी अवधि के लिए अथवा किसी समय कोई व्यय होता है या उसका होना सम्भावित है तो ऐसा व्यय परिषद् की मंजूरी के बिना उपगत नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 5

प्रक्रिया

परिषद् द्वारा कारबार का संव्यवहार

21. अधिवेशन—(1) परिषद् कारबार के संव्यवहार के लिए सामान्यत: प्रत्येक मास में कम से कम एक अधिवेशन करेगा ।

(2) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष परिषद् का विशेष अधिवेशन, जब कभी वह ठीक समझे, बुला सकेगा और कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा लिखित रूप में की गई अध्यपेक्षा पर विशेष अधिवेशन बुलाएगा ।

(3) कोई अधिवेशन अगली तारीख को या किसी पश्चात्वर्ती तारीख तक स्थगित किया जा सकेगा और स्थगित अधिवेशन वैसी ही रीति से और आगे स्थगित किया जा सकेगा ।

22. परिषद् का प्रथम अधिवेशन—परिषद् का प्रथम अधिवेशन यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाएगा और प्रशासक द्वारा बुलाया जाएगा ।

23. अधिवेशनों और कारबार की सूचना—स्थगित अधिवेशन के सिवाय प्रत्येक अधिवेशन में जिस कारबार का संव्यवहार किया जाना है उस कारबार की सूची ऐसे अधिवेशन के लिए नियत समय से कम से कम बहत्तर घण्टे पूर्व प्रत्येक सदस्य के पते पर भेजी जाएगी और किसी भी अधिवेशन में उस कारबार से भिन्न, जिसकी सूचना दी गई है, कोई कारबार सिवाय उस दशा के, जहां अध्यक्ष अन्यथा निदेशित करता है, न तो रखा जाएगा और न उसका संव्यवहार किया जाएगा :

परन्तु कोई सदस्य ऐसे अधिवेशन की दी गई सूचना में उल्लिखित विषयों से परे किसी संकल्प की सूचना सचिव को इस प्रकार भेज या परिदत्त कर सकेगा कि वह उसके पास अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व पहुंच जाए और सचिव यथा संभव शीघ्रता से ऐसे संकल्प को ऐसी रीति से प्रत्येक सदस्य को परिचालित करने के लिए कार्रवाई करेगा जो वह ठीक समझे ।

24. गणपूर्ति—(1) परिषद् के अधिवेशन में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएगी ।

(2) यदि परिषद् के अधिवेशन के दौरान किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह या तो अधिवेशन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाए ।

(3) जहां अधिवेशन उपधारा (2) के अधीन स्थगित कर दिया गया हो वहां स्थगित अधिवेशन के समक्ष उसी कारबार का, जो मूल अधिवेशन में गणपूर्ति हो जाने की दशा में लाया जाता, संव्यवहार किया जा सकेगा, चाहे गणपूर्ति हो या नहीं ।

25. अध्यक्षता करने वाला अधिकारी—[1][(1) परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता निम्नलिखित क्रम में निम्नलिखित के द्वारा की जाएगी,—

(क) दिल्ली का मुख्यमंत्री, यदि वह ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का, जिसमें पूर्णत: या भागत: नई दिल्ली क्षेत्र समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाला दिल्ली विधान सभा का सदस्य है और धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिषद् के सदस्य के रूप में अधिवेशन में भाग लेता है ; या

(ख) संघ का मंत्री, यदि वह ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का, जिसमें पूर्णत: या भागत: नई दिल्ली क्षेत्र समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाला संसद्-सदस्य है और धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन परिषद् के सदस्य के रूप में अधिवेशन में भाग लेता है ; या

(ग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंत्री, यदि वह ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का, जिसमें पूर्णत: या भागत: नई दिल्ली क्षेत्र समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाला दिल्ली विधान सभा का सदस्य है और धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिषद् के सदस्य के रूप में अधिवेशन में भाग लेता है ; या

(घ) ऐसा संसद्-सदस्य, जो ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का, जिसमें पूर्णत: या भागत: नई दिल्ली क्षेत्र समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाला संघ का मंत्री नहीं है, और धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन परिषद् के सदस्य के रूप में अधिवेशन में भाग लेता है ; या

(ङ) परिषद् का अध्यक्ष ।]

(2) मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

26. प्रश्नों के विनिश्चय की पद्धति—(1) इस अधिवेशन में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, वे सभी विषय, जिनके विनिश्चय की अपेक्षा परिषद् से की जाती है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे ।

(2) मतदान हाथ उठाकर होगा किन्तु परिषद्, उन विनियमों के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा बनाए जाएं, यह संकल्प कर सकेगी कि कोई प्रश्न या किसी वर्ग के प्रश्नों का मतपत्र द्वारा विनिश्चय किया जाएगा ।

27. सदस्य उन मामलों में मत नहीं देंगे जिनमें वे हितबद्ध हैं—कोई सदस्य परिषद् या उसकी किसी समिति के अधिवेशन में अपने आचरण से संबंधित किसी प्रश्न पर मतदान नहीं करेगा या (नई दिल्ली के निवासियों को साधारणत: प्रभावित करने वाले विषय से भिन्न) ऐसे किसी विषय पर न तो मत देगा और न उसकी चर्चा में भाग लेगा जो उसके धन-संबंधी हित को अथवा ऐसी किसी संपत्ति को, जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध है, या किसी ऐसी संपत्ति को, जिसका या जिसके लिए वह प्रबन्धक या अभिकर्ता है, प्रभावित करता है ।

28. परिषद् और उसकी समितियों, आदि के अधिवेशनों में उपस्थित होने का अधिकार और नई दिल्ली नगरपालिका शासन के संबंध में सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने का अधिकार—(1) अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई नगरपालिक अधिकारी, परिषद् या उसकी समितियों में से किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित हो सकेगा, बोल सकेगा, या उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले सकेगा किन्तु इसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति इस उपधारा के आधार पर किसी ऐसे अधिवेशन में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(2) सदस्य, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नई दिल्ली नगरपालिका शासन या इस अधिनियम के प्रशासन से संबंधित किसी विषय पर परिषद् के किसी अधिवेशन में अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकेगा ।

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) प्रश्न पूछने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों द्वारा शासित होगा, अर्थात् :—

(क) प्रश्न को विनिर्दिष्ट करते हुए कम से कम पूरे सात दिन की लिखित सूचना सचिव को दी जाएगी ;

(ख) किसी भी प्रश्न में,—

(i) तब तक किसी का नाम या विवरण नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह प्रश्न को बोधगम्य बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक न हो ;

(ii) कोई तर्क, वक्रोक्ति, लांक्षन, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं नहीं होगा ;

(iii) राय प्रकट करने या किसी काल्पनिक प्रतिपादन का समाधान बताने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;

(iv) किसी व्यक्ति की पदीय या सार्वजनिक हैसियत के सिवाय, उसके चरित्र या आचरण के बारे में नहीं पूछा जाएगा ;

(v) किसी ऐसे विषय को नहीं जोड़ा जाएगा जो परिषद् से मूलत: संबंधित नहीं है ;

(vi) कोई वैयक्तिक शील का आरोप प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नहीं लगाया जाएगा ;

(vii) नीति संबंधी कोई ऐसा व्यापक प्रश्न नहीं उठाया जाएगा जिसका प्रश्न के उत्तर की सीमाओं के भीतर रह कर उत्तर नहीं दिया जा सकता है ;

(viii) ऐसे प्रश्नों को सारभूत रूप से नहीं दोहराया जाएगा जिनका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है या जिनका उत्तर दिए जाने से इन्कार किया जा चुका है ;

(ix) किसी तुच्छ विषय पर जानकारी नहीं मांगी जाएगी ;

(x) पूर्व के इतिहास के विषयों पर कोई जानकारी सामान्यत: नहीं मांगी जाएगी ;

(xi) ऐसी जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो पहुंच योग्य दस्तावेजों में या निर्देश की मामूली कृतियों में उपवर्णित है ;

(xii) ऐसे निकायों या व्यक्तियों के, जो परिषद् के प्रतिमूलत: उत्तरदायी नहीं हैं, नियंत्रण के अधीन आने वाले विषय नहीं उठाए जाएंगे ;

(xiii) ऐसे विषय पर कोई जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो न्यायालय के न्यायनिर्णयाधीन है ।

(4) अध्यक्ष प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा यदि उसमें ऐसी जानकारी मांगी गई है जो उसे गुप्त रूप में संसूचित की गई है अथवा यदि अध्यक्ष की राय में ऐसा उत्तर लोकहित पर या परिषद् के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नहीं दिया जा सकता ।

(5) परिषद् अपने अधिवेशन में कारबार के संव्यवहार के लिए विनियम बना सकेगी :

परन्तु धारा 4 के अधीन परिषद् का गठन होने के पश्चात्, उसके प्रथम अधिवेशन का समय, स्थान और उसकी प्रक्रिया प्रशासक द्वारा अवधारित की जाएगी ।

29. कार्यवृत्तों और कार्यवाहियों को रखे रहना—परिषद् और धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक अन्य समिति के प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के नाम और अधिवेशन की कार्यवाहियां कार्यवृत्त में अभिलिखित की जाएंगी और उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक में लिखी और अभिलिखित की जाएंगी और कार्यवृत्त को, यथास्थिति, परिषद् के या ऐसी समिति के आगामी अधिवेशन में रखा जाएगा और उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

30. कार्यवृत्तों का परिचालन तथा कार्यवृत्तों का और कार्यवाहियों की रिपोर्टों का निरीक्षण—(1) परिषद् के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सभी सदस्यों में परिचालित किए जाएंगे और किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा दो रुपए की फीस दिए जाने पर, सभी युक्तियुक्त समयों पर, नगरपालिका कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे ।

(2) इसी प्रकार ऐसी कार्यवाहियों की पूर्ण रिपोर्ट, यदि कोई हो, परिषद् के किसी सदस्य द्वारा बिना फीस के और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दो रुपए की फीस दिए जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी ।

31. कार्यवृत्तों और कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रशासक का भेजा जाना—(1) सचिव परिषद् के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की एक प्रति उस तारीख से, जिसको ऐसे अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त पर, धारा 29 के अधीन हस्ताक्षर किए गए थे, दस दिन के भीतर प्रशासक को भेजेगा ।

(2) प्रशासक किसी भी मामले में परिषद् या उसकी किसी समिति के समक्ष रखे गए किसी कागजपत्र या सभी कागजपत्रों की प्रति की मांग कर सकेगा और सचिव ऐसे कागजपत्र या कागजपत्रों की प्रति प्रशासक को भेजेगा ।

(3) सचिव उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र, परिषद् के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों की पूर्ण रिपोर्ट भी, यदि ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार की जाती है तो, प्रशासक को भेजेगा।

विधिमान्यकरण

32. कार्यवाहियों आदि का विधिमान्यकरण—(1) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि—

(क) किसी सदस्य का स्थान किसी कारण से बिना भरा रह गया है ;

(ख) परिषद् या उसकी किसी समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ;

(ग) किसी सदस्य ने धारा 27 के उल्लंघन में किन्हीं कार्यवाहियों में मत दिया है या भाग लिया है ;

(घ) कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती।

(2) परिषद् या उसकी किसी समिति के प्रत्येक अधिवेशन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सम्यक् रूप से संयोजित हुआ था और सभी त्रुटियों और नियमितताओं से मुक्त था यदि उसकी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सम्यक् रूप से तैयार किए गए और उन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अध्याय 6

नगरपालिक अधिकारी और अन्य नगरपालिक कर्मचारी

33. कतिपय अधिकारियों की नियुक्ति—(1) परिषद् ऐसे मासिक वेतन और ऐसे भत्तों पर, यदि कोई हों, जो परिषद् द्वारा नियत किए जाएं, उपयुक्त व्यक्तियों को परिषद् का सचिव तथा मुख्य लेखापरीक्षक और ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों के रूप में नियुक्त करेगी, जो परिषद् ठीक समझे :

परन्तु मुख्य लेखापरीक्षक, इस पद को धारण कर चुकने के पश्चात् परिषद् के अधीन कोई अन्य पद धारण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) सचिव और मुख्य लेखापरीक्षक की नियुक्ति प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।

34. स्थायी पदों की अनुसूची और अस्थायी पदों का सृजन—(1) अध्यक्ष धारा 33 में विनिर्दिष्ट सचिव और मुख्य लेखापरीक्षक के पद से भिन्न प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' के पदों की समय-समय पर अनुसूची तैयार करेगा और परिषद् के समक्ष रखेगा। उस अनुसूची में ऐसे नगरपालिक अधिकारियों और अन्य नगरपालिक कर्मचारियों के, जो परिषद् की सेवा में स्थायी रूप से रखे जाने चाहिएं, पदनामों और श्रेणियों का तथा ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को दिए जाने के लिए प्रस्थापित वेतनों, फीसों और भत्तों का उल्लेख किया जाएगा।

(2) परिषद् संबंधित अनुसूची को या तो बिना किसी उपांतर के या ऐसे उपांतरों सहित जो वह ठीक समझती है, अनुमोदित करेगी और मंजूरी देगी अथवा स्वप्रेरणा से या अन्यथा उसमें संशोधन कर सकेगी।

(3) अध्यक्ष किसी प्रवर्ग 'ख' या प्रवर्ग 'ग' या प्रवर्ग 'घ' पद का और छह मास से अनधिक अवधि के लिए किसी प्रवर्ग 'क' पद का सृजन कर सकेगा :

परन्तु कोई ऐसा प्रवर्ग 'क' पद परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त अवधि से अधिक के लिए नहीं होगा।

(4) इस धारा में और धारा 36 में—

(i) "प्रवर्ग 'क' पद" से अभिप्रेत है कोई पद जो, यदि ऐसा पद केन्द्रीय सरकार में होता तो, उस सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, उसके वेतनमान या उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह 'क' पद के रूप में वर्गीकृत किया जाता ;

(ii) "प्रवर्ग 'ख' पद" से अभिप्रेत है कोई ऐसा पद जो, यदि ऐसा पद केन्द्रीय सरकार में होता तो, उस सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, उसके वेतनमान या उपलब्धियों को ध्यान मे रखते हुए, केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह 'ख' पद के रूप में वर्गीकृत किया जाता ;

(iii) "प्रवर्ग 'ग' पद" से अभिप्रेत है कोई ऐसा पद, जो यदि ऐसा पद केंद्रीय सरकार में होता तो समय-समय पर उस सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार उसके वेतनमान या उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार के अधीन समूह 'ग' पद के रूप में वर्गीकृत किया जाता ;

(iv) "प्रवर्ग 'घ' पद" से अभिप्रेत है प्रवर्ग 'क' या प्रवर्ग 'ख' या प्रवर्ग 'ग' पद से भिन्न कोई पद।

35. स्थायी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के नियोजन पर निर्बन्धन—कोई स्थायी अधिकारी या अन्य कर्मचारी नगरपालिका प्रशासन के किसी विभाग में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसकी नियुक्ति धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन न

की गई हो या जब तक कि उसका पद और उपलब्धियां धारा 34 के अधीन तैयार की गई और मंजूर की गई, तत्समय प्रवृत्त, अनुसूची में सम्मिलत न हों या वह धारा 36 के अधीन स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो ।

36. नियुक्तियां करने की शक्ति—(1) धारा 33 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नगरपालिक अधिकारियों और अन्य नगरपालिक कर्मचारियों को, चाहे अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से, नियुक्त करने की शक्ति,—

(क) प्रवर्ग 'क', प्रवर्ग 'ख' और प्रवर्ग 'ग' पदों के संबंध में, अध्यक्ष में निहित होगी ; और

(ख) प्रवर्ग 'घ' पदों के संबंध में, सचिव में निहित होगी ।

(2) नगरपालिक अधिकारियों और अन्य नगरपालिक कर्मचारियों की नियुक्तियां करने में प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के अनुरूप अनुसूचित जातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जाएगा ।

37. अधिकारी और अन्य कर्मचारी कोई बाहरी कार्य हाथ में नहीं लेगा—कोई नगरपलिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से असम्बद्ध कोई कार्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से ही हाथ में लेगा, अन्यथा नहीं ।

38. अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का परिषद् के साथ की गई किसी संविदा, आदि में हितबद्ध न होना—(1) कोई भी व्यक्ति नगरपालिक अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किए जाने के लिए निरर्हित होगा यदि उसका ऐसे अधिकारी या कर्मचारी से भिन्न रूप में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं अथवा किसी भागीदार या अन्य व्यक्ति के माध्यम से परिषद् के साथ की गई किसी संविदा में या परिषद् के लिए किए जा रहे किसी कार्य में कोई अंश है या वह उसमें हितबद्ध है ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संविदा या कार्य में कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या किसी भागीदार या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, कोई अंश या हित अर्जित कर लेता है तो वह, जब तक उसकी नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी किसी विशिष्ट मामले में अन्यथा विनिश्चय नहीं करता, ऐसे प्राधिकारी के आदेश से अपने पद से हटाए जाने के दायित्वाधीन होगा :

परन्तु हटाए जाने के आदेश देने के पूर्व, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर दिया जाएगा ।

39. नगरपालिक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए दण्ड—(1) प्रत्येक नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी किसी विभागीय विनियम या अनुशासन को भंग करने के लिए या, असावधानी, अयोग्यता, कर्तव्य की उपेक्षा या अन्य अवचार के लिए इस बात के दायित्वाधीन होगा कि ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो विनियम द्वारा विहित किया जाए, उसकी वेतन वृद्धि या प्रोन्नति रोक दी जाए या उसकी परिनिन्दा की जाए, उसकी रैंक घटा दी जाए, उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाए, या हटा दिया जाए या पदच्युत कर दिया जाए :

परन्तु पूर्वोक्त अधिकारी या अन्य कर्मचारी की रैंक घटाने, उसे अनिवार्य रूप से निवृत्त करने, हटाने या पदच्युत करने का आदेश उस प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा जिसने ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को नियुक्त किया था :

परन्तु यह और कि परिषद् विनियमों द्वारा ऐसा उपबन्ध कर सकेगी कि ऐसे वर्गों या प्रवर्गों के नगरपालिक कर्मचारी, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो उनमें विनिर्दिष्ट किया जाए, जुर्माना किए जाने के दायित्वाधीन होंगे ।

(2) ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को उपधारा (1) के अधीन तब तक दण्ड नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके बारे में किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर उसे न दे दिया गया हो :

परन्तु यह उपधारा वहां लागू नहीं होगी जहां,—

(क) किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को ऐसे आचरण के आधार पर हटाया या पदच्युत किया जाता है जिसके लिए किसी आपराधिक आरोप पर वह सिद्धदोष हुआ है ; अथवा

(ख) ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को हटाने या पदच्युत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, यह युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है कि उस व्यक्ति को हेतुक दर्शित करने का अवसर दिया जाए ।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि उपधारा (2) के अधीन किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को हेतुक दर्शित करने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य है या नहीं तो, उस पर ऐसे प्राधिकारी का विनिश्चिय अन्तिम होगा जो ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को हटाने या पदच्युत करने के लिए सशक्त है ।

(4) वह अधिकारी या अन्य कर्मचारी जिसे इस धारा के अधीन दंडित किया गया है, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए :

परन्तु अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की दशा में, अपील प्रशासक को होगी ।

40. संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श—धारा 34 की उपधारा (4) के खण्ड (i) के अर्थ में किसी प्रवर्ग 'क' पद पर कोई नियुक्ति आयोग से परामर्श करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं :

परन्तु—

(क) एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए किसी कर्मचारी या अस्थायी पद पर ; अथवा

(ख) ऐसे अनुसचिवीय पदों पर, जो परिषद् द्वारा आयोग के परामर्श से समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, तब जब उन्हें प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है ; अथवा

(ग) किसी ऐसे पद पर, जब उस पर नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति उस पर ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में किसी समूह के पद पर है ;

(घ) किसी स्थायी या अस्थायी पद पर उस दशा में जब यह सम्भावना नहीं है कि नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी या अन्य कर्मचारी उस पद को एक वर्ष से अधिक अवधि तक धारण करेगा ; या यदि यह सम्भावना है कि ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी उस पद को एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक अवधि तक धारण करेगा और आयोग सूचित करता है कि नियुक्ति आयोग से परामर्श किए बिना की जा सकती है ; अथवा

(ङ) किन्हीं ऐसे अन्य पदों पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा, आयोग से परामर्श करके, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं,

नियुक्ति के लिए चयन करने के सम्बन्ध में आयोग से कोई ऐसा परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

41. विनियम बनाने की आयोग की शक्ति और आयोग तथा परिषद् के बीच मतभेद होने की दशा में केन्द्रीय सरकार को निर्देश—(1) आयोग निम्नलिखित विषयों के लिए विनियम बना सकेगा, अर्थात् :—

(क) पदों को विज्ञापित करने, आवेदन आमन्त्रित करने, उनकी संवीक्षा करने और साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ख) नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आयोग द्वारा तथा आयोग से परामर्श करने के लिए परिषद् द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ग) कोई अन्य विषय जो आयोग से परामर्श करने के प्रयोजन के आनुषंगिक है या उसके लिए आवश्यक है।

(2) आयोग और परिषद् के बीच किसी विषय पर मतभेद होने की दशा में परिषद् उस विषय को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करेगी और उस पर उस सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

42. प्रवर्ग 'ख' और प्रवर्ग 'ग' पदों पर भर्ती—प्रवर्ग 'ख' और प्रवर्ग 'ग' पदों पर सीधी भर्ती, सरकार द्वारा ऐसे अभिकरणों के माध्यम से, जो उसके लिए विहित किया जाएं, की जा सकेगी।

43. विनियम बनाने की परिषद् की शक्ति—(1) परिषद् निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या अधिक का उपबन्ध करने के लिए विनियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) इस अध्याय के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की पदावधि, वेतन तथा भत्ते, भविष्य निधियां, पेंशन, उपदान, अनुपस्थिति छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें ;

(ख) सचिव की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य ;

(ग) धारा 33 में विनिर्दिष्ट पदों पर और धारा 34 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदों की अनुसूची में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएं तथा ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए चयन की रीति ;

(घ) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए और ऐसी शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व विभागीय जांच लम्बित रहने के दौरान निलम्बित करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसे निलम्बन का आदेश किया जा सकता है ; वह अधिकारी या प्राधिकारी जिसे उस धारा की उपधारा (4) के अधीन अपील की जाएगी ;

(ङ) परिषद् के अधीन सेवाओं और पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के प्रयोजन के आनुषंगिक या उसके लिए आवश्यक कोई अन्य विषय तथा ऐसे अन्य विषय जिसके लिए परिषद् की राय में विनियमों द्वारा उपबन्ध किए जाने चाहिएं।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन कोई विनियम आयोग से परामर्श करने के पश्चात् ही बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 7

राजस्व और व्यय

नई दिल्ली नगरपालिक निधि

44. नई दिल्ली नगरपालिक निधि का गठन—(1) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय,—

(क) वे सभी निधियां जो परिषद् की स्थापना के ठीक पूर्व नई दिल्ली नगरपालिक समिति में निहित थीं ;

(ख) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन या किसी संविदा के अधीन परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन ;

(ग) परिषद् द्वारा या उसकी ओर से सम्पत्ति के व्ययन के सभी आगम ;

(घ) परिषद् की किसी सम्पत्ति से प्रोद्भूत सभी भाटक ;

(ङ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत किसी कर, रेट या उपकर के रूप में इकट्ठा किया गया सभी धन ;

(च) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम या बनाई गई किसी उपविधि के अधीन संगृहीत सभी फीसें और उद्गृहीत सभी जुर्माने ;

(छ) सरकार या केन्द्रीय सरकार से या किसी व्यक्ति से या व्यक्तियों के संगम से अनुदान या दान या निक्षेप के रूप में परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन ;

(ज) परिषद् के किसी धन के, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन दिए गए उधार भी हैं, किसी विनिधान से या उसके संबंध में किसी संव्यवहार से उद्भूत सभी ब्याज और लाभ ; और

(झ) किसी अन्य स्रोत से परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन,

मिलकर "नई दिल्ली नगरपालिक निधि" के नाम से ज्ञात एक निधि (जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् "नई दिल्ली नगरपालिक निधि" कहा गया है) होगी ।

(2) नई दिल्ली नगरपालिक निधि को परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न्यास में धारण करेगी और परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन से संबंधित साधारण खाता रखा जाएगा ।

45. नई दिल्ली नगरपालिक निधि भारतीय स्टेट बैंक में रखी जाएगी—वे सभी धन, जो साधारण खाते में नई दिल्ली नगरपालिक निधि में जमा किए जाने हैं, अध्यक्ष द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और उक्त खाते में जो "नई दिल्ली नगरपालिक निधि साधारण खाता" के नाम से ज्ञात होगा, तुरन्त भारतीय स्टेट बैंक में जमा किए जाएंगे ।

46. खातों का चलाया जाना—(1) इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, नई दिल्ली नगरपालिक निधि में से कोई संदाय भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसे चेक पर करने के सिवाय नहीं किया जाएगा जो—

(क) वित्तीय सलाहकार या उसके अधीनस्थ ऐसा अधिकारी, जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है ; और

(ख) अध्यक्ष या सचिव या अध्यक्ष का ऐसा अधीनस्थ अधिकारी, जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है,

दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित है ।

(2) परिषद् द्वारा देय पांच सौ रुपए से अधिक की किसी राशि का संदाय उपधारा (1) के अनुसार हस्ताक्षरित चेक द्वारा किया जाएगा, किसी अन्य प्रकार से नहीं ।

(3) जो संदाय उपधारा (2) के अंतर्गत नहीं आते वे नकदी में किए जा सकते हैं ।

47. संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह बजट अनुदान के अन्तर्गत न हो—नई दिल्ली नगरपालिक निधि में से किसी राशि का संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह व्यय चालू बजट-अनुदान के अन्तर्गत न हो और, इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसे बजट-अनुदान में कोई कमी की गई है या उसका कोई अन्तरण किया गया है, उसमें पर्याप्त अतिशेष उस समय भी प्राप्त न हो :

परन्तु यह धारा निम्नलिखित वर्गों के मामलों में किए गए संदायों को लागू नहीं होगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे करों और अन्य धनों का प्रतिदाय जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत हैं ;

(ख) ऐसे धनों का प्रतिसंदाय जो ठेकेदारों या अन्य व्यक्तियों के हैं और निक्षेप के रूप में रखे गए हैं तथा ऐसे धनों का प्रतिसंदाय जो भूल से संगृहीत किए गए या नई दिल्ली नगरपालिक निधि में जमा किए गए हैं ;

(ग) निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में संदेय धनराशि, अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित कोई कार्रवाई करने में परिषद् के असफल रहने की दशा में उस सरकार के आदेशों के अधीन ; अथवा

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन ; अथवा

(iii) किसी सिविल या दण्ड न्यायालय द्वारा परिषद् के विरुद्ध पारित किसी डिक्री या आदेश के अधीन ; अथवा

(iv) किसी दावे, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में किए गए समझौते के अधीन ; अथवा

(v) परिषद् की सम्पत्ति या मानव जीवन को किसी आकस्मिक संकट की आशंका से बचाने के लिए धारा 18 के खंड (ग) के अधीन अध्यक्ष द्वारा की गई तुरन्त कार्रवाई करने में उपगत खर्चे के कारण ;

(घ) ऐसे कार्यों के लिए अस्थायी संदाय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक हित में अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित हैं ;

(ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों के अधीन प्रतिकर के रूप में संदेय धनराशि ;

(च) संक्रामक रोगों के फैलने पर किए गए विशेष उपायों पर अध्यक्ष द्वारा धारा 287 के अधीन उपगत व्यय ।

48. चेकों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य—कोई भी व्यक्ति धारा 46 के अनुसार चेक पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगा कि जिस राशि के लिए चेक लिखा गया है यह या तो—

(क) ऐसे प्रयोजन या कार्य के लिए अपेक्षित है जो उचित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्टत: मंजूर किया गया है, और चालू बजट-अनुदान के अंतर्गत आता है, अथवा

(ख) धारा 47 में निर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट किसी संदाय के लिए अपेक्षित है ।

49. बजट-अनुदान के अन्तर्गत न आने वाले धन को व्यय किए जाने की दशा में प्रक्रिया—जब कभी धारा 47 के परन्तुक के खण्ड (ग), खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन कोई राशि व्यय की जाती है तब, अध्यक्ष परिषद् को परिस्थितियों की बाबत तुरन्त संसूचित करेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में अतिरिक्त व्यय की रकम को पूरा करने के लिए संभव और समीचीन प्रतीत हो ।

50. नई दिल्ली नगरपालिक निधि का उपयोजन—(1) नई दिल्ली नगरपालिक निधि में समय-समय पर जमा किए गए धन का उपयोजन ऐसी सभी राशियों, प्रभारों और खर्चों के संदाय के लिए किया जाएगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और उपविधियों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है अथवा जिनका संदाय इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के द्वारा या उसके अधीन सम्यक् रूप से निर्दिष्ट, मंजूर किया गया है या अपेक्षित है ।

(2) नई दिल्ली नगरपालिक निधि में से ऐसे धनों का इसी प्रकार से उपयोजन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन संदेय सभी राशियों के संदाय के लिए भी किया जाएगा ।

51. लोक सेवा के लिए अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित कार्यों के लिए नई दिल्ली नगरपालिक निधि में से अस्थायी संदाय—(1) अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के सचिव द्वारा लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर, किसी भी समय, ऐसे सचिव द्वारा प्रमाणित किसी ऐसे कार्य के निष्पादन का भार अपने ऊपर ले सकता है जो लोकहित में अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित है और इस प्रयोजन के लिए वहां तक नई दिल्ली नगरपालिक निधि में से अस्थायी तौर पर संदाय कर सकता है जहां तक ऐसे संदाय परिषद् के नियमित कार्य में असम्यक् अड़चन डाले बिना किए जा सकते हैं ।

(2) इस प्रकार निष्पादित कार्य और ऐसे कार्य के निष्पादन में लगे हुए स्थापन के खर्चे केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त किए जाएंगे और नई दिल्ली नगरपालिक निधि में जमा किए जाएंगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, अध्यक्ष उसकी एक प्रति तुरन्त, उन कार्रवाइयों की रिपोर्टों के साथ, जो उसके अनुसरण में की गई हैं, परिषद् को भेजेगा ।

52. अधिशेष रकम का विनिधान—(1) नई दिल्ली नगरपालिक निधि के साधारण खाते में जमा ऐसी अधिशेष रकम को, जो तुरंत धारा 50 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विनियोजित नहीं की जा सकती है, भारतीय स्टेट बैंक या ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंकों में, जिसका या जिनका परिषद् चयन करे, जमा किया जाएगा या उसका लोक प्रतिभूतियों में विनिधान किया जाएगा ।

(2) ऐसे निक्षेप या विनिधान से होने वाली हानि, यदि कोई है, नई दिल्ली नगरपालिक निधि के साधारण खाते में से विकलित की जाएगी ।

52. वित्त आयोग का गठन—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 107क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट वित्त आयोग, परिषद् की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित के बारे में प्रशासक को सिफारिश करेगा,—

(क) ऐसे सिद्धान्त जो निम्नलिखित को शासित करें,—

(i) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र द्वारा उद्ग्रहणीय कर, शुल्क, पथकर और फीस के शुद्ध आगम का दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और परिषद् के बीच वितरण, जो उसके बीच विभाजित किया जा सकता है ;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो परिषद् को समनुदेशित की जा सकती है या परिषद् द्वारा विनियोजित की जा सकती है ;

(iii) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से परिषद् को अनुदान सहायता ;

(ख) परिषद् की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय ;

(ग) कोई अन्य विषय जो परिषद् के सुदृढ़ वित्त के हित में प्रशासक द्वारा वित्त आयोग को निर्देशित किया जाए ।

(2) प्रशासक इस धारा के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई से संबंधित स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के समक्ष रखवाएगा ।

विशेष निधियां

54. विशेष निधियों का गठन—(1) परिषद् ऐसी विशेष निधि या निधियां, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक ऐसी अन्य निधियां गठित करेगी जो इस प्रकार विहित की जाएं ।

(2) ऐसी निधियों का गठन और व्ययन विनियमों द्वारा अधिकथित रीति से किया जाएगा ।

बजट प्राक्कलन

55. बजट प्राक्कलनों का अंगीकार किया जाना—(1) परिषद्, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को या उसके पूर्व, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जो नई दिल्ली के नगरपालिक शासन मद्धे परिषद् द्वारा प्राप्त आय और उपगत खर्च का प्राक्कलन होगा ।

(2) परिषद् प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को या उसके पूर्व वे दरें अवधारित करेगी जिन पर विभिन्न नगरपालिक कर, रेट और उपकर ठीक आगामी वर्ष में उद्गृहीत किए जाएंगे और, इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस प्रकार नियत रेटों में उस वर्ष के लिए, जिसके लिए वे नियत किए गए हैं, तत्पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(3) बजट प्राक्कलन ऐसे प्ररूप में तैयार किए जाएंगे जो परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाए और ऐसी रीति से पेश तथा अंगीकृत किए जाएंगे और उनमें ऐसे सभी विषयों के लिए उपबन्ध किया जाएगा जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

56. बजट प्राक्कलन में परिवर्तन करने की परिषद् की शक्ति—(1) बजट प्राक्कलन के संबंध में अध्यक्ष की सिफारिश, पर, परिषद् वर्ष के दौरान समय-समय पर—

(i) किसी शीर्ष के अधीन बजट-अनुदान की रकम में वृद्धि कर सकेगी ;

(ii) उक्त वर्ष के दौरान किसी विशेष या अकल्पित आवश्यकता की पूर्ति के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त बजट-अनुदान कर सकेगी ;

(iii) किसी शीर्ष के अधीन बजट-अनुदान की रकम या किसी रकम के भाग को किसी अन्य शीर्ष के अधीन अंतरित कर सकेगी ; अथवा

(iv) किसी शीर्ष के अधीन बजट-अनुदान की रकम को कम कर सकेगी :

परन्तु इस अधिनियम की सभी अपेक्षाओं का सम्यक् ध्यान रखा जाएगा और बजट-अनुदान में कोई वृद्धि करने या कोई अतिरिक्त बजट-अनुदान करने में वर्ष की समाप्ति पर प्राक्कलित नकद अतिशेष एक लाख रुपए से या ऐसी उच्चतर राशि से, जो परिषद् बजट प्राक्कलन के संबंध में अवधारित करे, कम नहीं होगा ।

(2) किसी वर्ष में उपधारा (1) के अधीन बजट-अनुदान में प्रत्येक वृद्धि और किए गए प्रत्येक अतिरिक्त बजट-अनुदान को उस वर्ष के लिए अंतिम रूप से अंगीकृत किए गए बजट-प्राक्कलनों में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा ।

(3) परिषद् वर्ष के दौरान समय-समय पर—

(क) बजट-अनुदान की रकम कम कर सकेगी; अथवा

(ख) बजट-अनुदान के भीतर किसी रकम के अंतरण को मंजूरी दे सकेगी ।

(4) अध्यक्ष, वर्ष के दौरान समय-समय पर किसी लघुशीर्ष के भीतर दस हजार रुपए से अनधिक की किसी रकम के अंतरण की मंजूरी दे सकेगा यदि ऐसे अंतरण से कोई आवर्ती दायित्व अन्तर्वलित नहीं होता है :

परन्तु ऐसे प्रत्येक अंतरण की, यदि वह दस हजार रुपए से अधिक हो जाता है तो, उसकी रिपोर्ट अध्यक्ष तुरन्त परिषद् को करेगा और अध्यक्ष उसके संबंध में परिषद् द्वारा पारित किसी आदेश को कार्यान्वित करेगा ।

57. वर्ष के दौरान आय और व्यय का पुन: समायोजन करने की परिषद् की शक्ति—(1) यदि वर्ष के दौरान किसी समय परिषद् को यह प्रतीत होता है कि इस बात के होते हुए कि बजट-अनुदान में धारा 56 के अधीन कोई कमी की गई है उस वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन में मंजूर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए उस वर्ष के दौरान नई दिल्ली नगरपालिक निधि की आय पर्याप्त नहीं होगी और वर्ष के अंत में उतना नकद अतिशेष नहीं बचेगा जो धारा 56 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट है या अवधारित है तो परिषद् के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह तुरन्त किन्हीं ऐसे उपायों की मंजूरी दे जो वह उस वर्ष की आय को व्यय के साथ समायोजित करने के लिए आवश्यक समझे ।

(2) परिषद् उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए या तो वर्ष के लिए मंजूर किए गए व्यय को वहां तक कम कर सकेगा जहां तक कि इस अधिनियम की सभी अपेक्षाओं का सम्यक् ध्यान रखते हुए ऐसा करना संभव है अथवा धारा 97 के अधीन अनुपूरक कराधान का तरीका अपना सकेगा अथवा उपकरों, फीसों, यात्री भाड़ों और इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय अन्य प्रभारों में वृद्धि कर सकेगी अथवा उन सभी या किन्हीं पद्धतियों को अपना सकेगी ।

(3) यदि किसी वर्ष के लिए प्राक्कलनों में सम्मिलित कोई सम्पूर्ण बजट-अनुदान या उसका कोई भाग उस वर्ष की समाप्ति पर व्यय नहीं हो पाता है, और उसकी उस रकम को ठीक आगामी दो वर्षों में से किसी बजट प्राक्कलनों में आरंभिक अतिशेष के रूप में हिसाब में नहीं लिया गया है तो, अध्यक्ष, ऐसे बजट-अनुदान या उसके व्यय होने से शेष रह गए भाग को उस प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिसके लिए बजट अनुदान मूल रूप से किया गया था न कि किसी अन्य प्रयोजन या उद्देश्य के लिए, ठीक आगामी दो वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए मंजूर कर सकेगा ।

लेखे और लेखापरीक्षा

लेखाओं की संवीक्षा और लेखापरीक्षा

58. लेखाओं का रखा जाना—परिषद् की सभी प्राप्तियों और व्यय का साधारण खाता ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

59. लेखापरीक्षा—(1) मुख्य लेखापरीक्षक, परिषद् के लेखाओं की मासिक जांच और लेखापरीक्षा करेगा और उस पर अध्यक्ष को रिपोर्ट देगा, जो अंतिम पूर्ववर्ती मास की प्राप्तियों और व्यय का संक्षिप्तसार जिस पर उसके और मुख्य लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, मासिक तौर पर प्रकाशित करेगा ।

(2) अध्यक्ष भी, समय-समय पर और ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, परिषद् के लेखाओं की कोई जांच और लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से करेगा ।

(3) मुख्य लेखापरीक्षक की, परिषद् के लेखाओं की जांच और लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए परिषद् के सभी लेखाओं तक और उससे संबंधित सभी अभिलेखों और पत्राचार तक पहुंच होगी ।

(4) मुख्य लेखापरीक्षक परिषद् के लेखाओं की लेखापरीक्षा अपने अधीनस्थ अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सहायता से करेगा ।

(5) इस धारा के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में मुख्य लेखापरीक्षक,—

(क) परिषद् के राजस्व में से हुए व्यय, ऋण संकर्मों मद्धे और विशेष निधियों में से उपगत व्यय के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा और यह अभिनिश्चित करेगा कि उसमें दर्शित धन, जिसे संवितरित किया गया है, उस सेवा या प्रयोजन के लिए वैध रूप से उपलभ्य और उपभोज्य था जिसके लिए वह उपयोजित या प्रभारित किया गया है तथा क्या वह व्यय उस प्राधिकार के अनुरूप है जिसमें वह शासित है ;

(ख) परिषद् के ऋणों, निक्षेपों, निक्षेप निधियों, अग्रिम, उचन्त धनों और विप्रेषण संव्यवहारों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेगा और उन लेखाओं पर और उससे संबंधित अतिशेष के सत्यापन के परिणामों पर रिपोर्ट करेगा ।

(6) मुख्य लेखापरीक्षक, परिषद् के किसी विभाग में संचालित वाणिज्यिक सेवाओं से संबंधित लेखाओं के विवरण की, जिसके अंतर्गत व्यापारित, विनिर्माण और लाभ-हानि लेखा भी हैं और तुलनपत्रों की जांच और लेखापरीक्षा वहां करेगा जहां ऐसे लेखे परिषद् के आदेशों के अधीन रखे जाते हैं और इन लेखाओं को प्रमाणित करेगा तथा उनके बारे में रिपोर्ट करेगा ।

(7) मुख्य लेखापरीक्षक, अध्यक्ष के परामर्श से और परिषद् द्वारा दिए गए किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए, वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे परिषद् के लेखाओं के बारे में उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, अवधारित करेगा और उसे इन रिपोर्टों की तैयारी के लिए आवश्यक कोई जानकारी परिषद् के किसी अधिकारी से देने की अपेक्षा करने का प्राधिकार होगा।

(8) मुख्य लेखापरीक्षक, परिषद् के किन्हीं लेखाओं के संबंध में जिनकी लेखापरीक्षा करने की उससे अपेक्षा की जाती है, ऐसे प्रश्न और संप्रेक्षण कर सकेगा और ऐसे लेखाओं के संबंध में ऐसे वाउचरों, विवरणों, विवरणियों और स्पष्टीकरण की मांग कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(9) यथापूर्वोक्त प्रत्येक प्रश्न या संप्रेक्षण पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा तुरन्त विचार किया जाएगा जिसे वह संबोधित किया जाए और आवश्यक वाउचरों, दस्तावेजों या स्पष्टीकरणों के साथ मुख्य लेखापरीक्षक को अविलंब वापस किया जाएगा।

(10) परिषद् के राजस्व में से व्यय के अननुमोदन और ऐसे व्यय के प्रति आक्षेपों के निपटारे के संबंध में प्रक्रिया की बाबत मुख्य लेखापरीक्षाक की शक्ति वह होगी जो अध्यक्ष द्वारा, मुख्य लेखापरीक्षक के परामर्श से और परिषद् के अनुमोदन से, विहित की जाए।

(11) यदि मुख्य लेखापरीक्षक ऐसा करना वांछनीय समझता है कि ऐसे किन्हीं लेखाओं के, जिनकी लेखापरीक्षा करने की उससे अपेक्षा की गई है, संपूर्ण या किसी भाग की लेखापरीक्षा उन कार्यालयों में की जाएगी जिनमें वे लेखे प्रारंभ होते हैं तो वह यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे लेखे और उनसे संबंधित सभी बहियां और दस्तावेज निरीक्षण के लिए उक्त कार्यालयों में सभी सुविधानुसार समय पर उपलब्ध कराए जाएं।

(12) मुख्य लेखापरीक्षक को यह अपेक्षा करने की शक्ति होगी कि उन लेखाओं से संबंधित जिनकी लेखापरीक्षा करने की उससे अपेक्षा की जाती है किन्हीं बहियों या अन्य दस्तावेजों को उसके निरीक्षण के लिए भेजा जाए :

परन्तु यदि दस्तावेज गोपनीय हैं तो उनकी अंतर्वस्तु के प्रकटीकरण को रोकने की जिम्मेदारी उस पर होगी।

(13) मुख्य लेखापरीक्षक को, लेखापरीक्षा से संबंधित सभी विषयों पर और विशिष्टतया लेखापरीक्षा की पद्धति और उसके विस्तार तथा आक्षेप करने और उनका अनुवर्तन करने के संबंध में स्थायी आदेश बनाने और निदेश देने का प्राधिकार होगा।

(14) मुख्य लेखापरीक्षक द्वारा मंजूर किए गए व्यय की लेखापरीक्षा परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(15) मुख्य लेखापरीक्षक किसी तात्त्विक, अनौचित्य या अनियमितता की रिपोर्ट अध्यक्ष को देगा जो वह व्यय में या परिषद् को देय धन की वसूली में या परिषद् के लेखाओं में किसी समय पाए।

(16) अध्यक्ष, मुख्य लेखापरीक्षक द्वारा अध्यक्ष को की गई प्रत्येक रिपोर्ट और इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय पर मुख्य लेखापरीक्षक के विचारों के प्रत्येक कथन को परिषद् के समक्ष रखवाएगा और परिषद् पूर्वोक्त विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

(17) प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, मुख्य लेखापरीक्षक पूर्व वर्ष के परिषद् के संपूर्ण लेखाओं की रिपोर्ट परिषद् को परिदत्त करेगा।

(18) अध्यक्ष, उक्त रिपोर्ट को मुद्रित करवाएगा और मुद्रित होने के यथाशक्य शीघ्र उसकी प्रति परिषद् के प्रत्येक सदस्य को भेजेगा।

(19) अध्यक्ष, उक्त रिपोर्ट की उतनी प्रतियां जितनी सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए, उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के यदि कोई हो, संक्षिप्त कथन सहित उस सरकार को भी अविलंब भेजेगा :

परन्तु सरकार किसी भी समय, नई दिल्ली नगरपालिक निधि के साधारण खाते की विशेष लेखापरीक्षा करने और उसके बारे में सरकार को रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए लेखापरीक्षक की नियुक्ति कर सकेगा और सरकार द्वारा यथा अवधारित ऐसी लेखापरीक्षा के खर्च नई दिल्ली नगरपालिक निधि पर प्रभार्य होंगे। इस प्रकार नियुक्त किया गया लेखापरीक्षक ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो मुख्य लेखापरीक्षक कर सकता है।

अध्याय 8

कराधान

करों का उद्ग्रहण

60. परिषद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए जाने 3वाले कर—(1) परिषद्, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कर उद्गृहीत करेगी, अर्थात् :—

(क) सम्पत्ति कर ;

(ख) यान और जीव-जन्तु कर ;

(ग) थिएटर कर ;

(घ) समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर ;

(ङ) संपत्ति अंतरण पर शुल्क ; और

(च) भवन के नक्शों की मंजूरी के लिए आवेदन के साथ देय भवन कर ।

(2) परिषद् उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट करों के अतिरिक्त निम्नलिखित करों में से कोई कर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उद्गृहीत कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) शिक्षा उपकर ;

(ख) वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर ;

(ग) विद्युत के उपभोग, विक्रय या प्रदाय पर कर ;

(घ) किसी विकास या उन्नयन कार्य के निष्पादन के कारण शहरी भूमि के मूल्यों में हुई वृद्धि पर सुधार कर ;

(ङ) पथ कर ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में उल्लिखित करों का उद्ग्रहण निर्धारण और संग्रहण इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

सम्पत्ति कर

61. सम्पत्ति कर की दर—(1) इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, सम्पति कर नई दिल्ली की भूमि और भवनों पर उद्गृहीत किए जाएंगे और उसमें भूमि और भवनों के रेट-मूल्य के दस प्रतिशत से अन्यून और तीस प्रतिशत से अनधिक होंगे :

परन्तु जिस दर पर संपत्ति कर किसी वर्ष में उद्गृहीत किया जाएगा, उसे नियत करते समय परिषद् यह अवधारित कर सकेगी कि जिन भूमि और भवनों या भूमि और भवनों के भाग में किसी विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय या कारबार चलाया जाता है, उनकी बाबत उद्ग्रहणीय कर उस दर से, जो अन्य भूमि और भवनों या अन्य भूमि और भवनों के भागों की बाबत अवधारित हैं, ऐसी नियत दर के एक बटा दो से अनधिक रकम तक उच्चतर होगी :

परन्तु यह और कि यदि परिषद् इस प्रकार अवधारित करती है तो कर क्रमवर्ती दर पर उद्गृहीत किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—जहां भूमि या भवन का कोई भाग कर की उच्चतर दर के दायित्वाधीन है, वहां ऐसा भाग नगरपालिक कराधान के प्रयोजन के लिए पृथक् संपत्ति समझा जाएगा ।

(2) जिन भूमि और भवनों का रेट-मूल्य एक हजार रुपए से अधिक नहीं है, परिषद् उन्हें कर से छूट दे सकेगी ।

62. वे परिसर जिनकी बाबत सम्पत्ति कर उद्गृहीत किया जाना है—(1) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, सम्पत्ति कर केवल निम्नलिखित के सिवाय नई दिल्ली स्थित सभी भूमि और भवनों की बाबत उद्गृहीत किया जाएगा,—

(क) ऐसी भूमि और भवनों या ऐसी भूमि और भवनों के भाग, जो केवल लोक उपासना या किसी पूर्त प्रयोजन के लिए किसी सोसाइटी या निकाय के अधिभोग में हैं और उसके द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं :

परन्तु यह तब जब ऐसी सोसाइटी या निकाय पूर्णत: या भागत: स्वैच्छिक अंशदान से पोषित है, अपने लाभों को, यदि कोई हों, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों के संप्रवर्तन के लिए उपयोग करता है और अपने सदस्यों को कोई लाभांश या बोनस नहीं देता है ।

स्पष्टीकरण—"पूर्त प्रयोजन" के अंतर्गत निर्धनों की सहायता, शिक्षा और चिकित्सीय सहायता करना है किंतु उसके अंतर्गत ऐसा प्रयोजन नहीं है जो केवल धार्मिक शिक्षा से संबंधित है ;

(ख) परिषद् में निहित ऐसी भूमि और भवन, जिनके संबंध में उक्त कर, यदि उद्गृहीत किया जाए तो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मुख्यत: परिषद् पर उद्ग्रहणीय होगा ;

(ग) कृषि भूमि और भवन (जो निवास गृहों से भिन्न हैं) ।

(2) ऐसी भूमि और भवन या उनके भाग उपधारा (1) के खंड (क) के अर्थ में अनन्य रूप से लोक उपासना के लिए या पूर्त प्रयोजन के लिए अधिभोग में और प्रयोग में लाए गए नहीं समझे जाएंगे यदि ऐसी भूमि और भवनों या उनके भागों में कोई व्यापार या कारबार चलाया जाता है या यदि ऐसी भूमि और भवनों या उनके भागों की बाबत कोई भाटक प्राप्त होता है ।

(3) जहां किसी भूमि या भवन के किसी भाग को अनन्य रूप से लोक उपासना के लिए या पूर्त प्रयोजन के लिए अधिभोग में या प्रयोग में लाए जाने के कारण संपत्ति कर से छूट दी जाती है वहां ऐसा भाग नगरपालिक कराधान के प्रयोजन के लिए पृथक् संपत्ति समझा जाएगा ।

63. संपत्ति कर के लिए निर्धारणीय भूमि और भवनों के रेट-मूल्य का अवधारण—(1) किसी संपत्ति कर से निर्धारणीय किसी भूमि या भवन का रेट-मूल्य वह वार्षिक भाटक होगा जिस पर ऐसी भूमि या भवन को वर्षानुवर्ष युक्तियुक्त रूप से पट्टे पर देने की प्रत्याशा की जा सकती है जिसमें से उक्त वार्षिक भाटक के दस प्रतिशत के बराबर राशि घटा दी जाएगी जो उस भाटक का नियंत्रण करने वाले किसी राज्य में भूमि या भवन का अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक मरम्मत तथा बीमा के खर्चों और अन्य खर्च, यदि कोई हों, के लिए सभी मोक के बदले में होगी :

परन्तु जिस भूमि या भवन का मानक भाटक दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) के अधीन नियत किया गया है, उसका रेट-मूल्य ऐसे नियत मानक भाटक की वार्षिक रकम से अधिक नहीं होगा।

(2) जिस भूमि पर कोई निर्माण नहीं हुआ है किंतु जिस पर निर्माण किया जा सकता है और जिस भूमि पर भवन खड़ा किया जा रहा है उसका रेट-मूल्य ऐसी भूमि के प्राक्कलित पूंजी मूल्य का पांच प्रतिशत नियत किया जाएगा।

(3) किसी भूमि या भवन में अन्तर्विष्ट या उस पर स्थित सभी संयंत्र और मशीनरी, जो ऐसे वर्गों में से किसी वर्ग की हैं जो अध्यक्ष द्वारा परिषद् के अनुमोदन से समय-समय पर लोक सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (1) के अधीन ऐसी भूमि या भवन का रेट-मूल्य अवधारित करने के प्रयोजन के लिए उसका भाग समझी जाएंगी, किन्तु, यथापूर्वोक्त के सिवाय, ऐसी भूमि या भवन में अंतर्विष्ट या उस पर स्थित ऐसे संयंत्र या मशीनरी के मूल्य को गणना में नहीं लिया जाएगा।

64. जल प्रदाय के लिए प्रभार—(1) किसी भूमि या भवन को प्रदाय किए गए जल के लिए प्रभार मापानुसार उस दर से उद्गृहीत किया जाएगा जो परिषद् द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विहित की जाए।

(2) परिषद्, मीटर के काम नहीं करने या उसकी मरम्मत होने के दौरान, जल के प्रयोग की बाबत ऐसी शर्तें और उपभुक्त जल के लिए दिया जाने वाला ऐसा प्रभार विहित कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन विहित कोई शर्त इस अधिनियम से या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि से असंगत नहीं होगी।

(3) किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कोई ऐसी राशि, जो प्रदाय किए गए जल के लिए प्रभारित की जाती है और देय हो जाने पर संदत्त नहीं की जाती है, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन मापानुसार प्रदाय किए गए जल के लिए प्रभार विहित करने में परिषद् के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह विभिन्न वर्गों की भूमि और भवनों के लिए भिन्न-भिन्न दरें विहित करे।

65. संघ की संपत्तियों पर कराधान—(1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जो भूमि और भवन संघ की संपत्ति हैं वे धारा 61 में विनिर्दिष्ट संपत्ति कर से छूट प्राप्त होंगी या होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात परिषद् को संपत्ति कर ऐसी भूमि और भवनों पर जो 26 जनवरी, 1950 से ठीक पूर्व ऐसे कर के दायित्वाधीन थे या दायित्वाधीन माने गए थे, उद्गृहीत करने से तब तक निवारित नहीं करेगी जब तक कि परिषद् द्वारा अन्य भूमि और भवनों पर ऐसे कर का उद्ग्रहण जारी रहता है।

(2) जहां किसी भूमि या भवन का, जो संघ की संपत्ति है, कब्जा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 20 के अनुसरण में किसी विस्थापित व्यक्ति या विस्थापित व्यक्तियों के किसी संगम को, चाहे वह निगमित है या नहीं, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को [जिसे इस उपधारा में इसके पश्चात् और धारा 66 की उपधारा (1) के परन्तुक में "अंतरिती" कहा गया है] दे दिया गया है, वहां ऐसी भूमि या भवन की बाबत धारा 61 में विनिर्दिष्ट संपत्ति कर, 1958 के अप्रैल के सातवें दिन से या उस तारीख से जिसको उसका कब्जा अंतरिती को दिया गया है, दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उद्ग्रहणीय होगा और उद्ग्रहणीय समझा जाएगा, और ऐसा संपत्ति कर, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, उस दिन से या उस तारीख से वसूलीय होगा।

66. सम्पत्ति कर का भार—(1) सम्पत्ति कर प्रथमत: निम्नलिखित पर उद्ग्रहणीय होंगे, अर्थात् :—

(क) यदि भूमि या भवन पट्टे पर दिया हुआ है तो पट्टाकर्ता,

(ख) यदि भूमि या भवन उपपट्टे पर दिया हुआ है तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता ;

(ग) यदि भूमि या भवन पट्टे पर नहीं दिया हुआ है तो वह व्यक्ति जिसमें उसे पट्टे पर देने का अधिकार निहित है :

परन्तु ऐसी भूमि या भवन की बाबत जो संघ की संपत्ति है और जिसका कब्जा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 20 के अनुसरण में दे दिया गया है, संपत्ति कर प्रथमत: अंतरितों पर उद्ग्रहणीय होगा।

(2) यदि कोई भूमि किसी अभिधारी को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर दी गई है और ऐसे अभिधारी ने उस भूमि पर निर्माण किया है तो उस भूमि और उस पर निर्मित भवन की बाबत निर्धारित संपत्ति कर प्रथमत: उक्त अभिधारी पर उद्ग्रहणीय होगा, चाहे वह भूमि और भवन ऐसे अभिधारी के अधिभोग में है अथवा ऐसे अभिधारी के उप-अभिधारी के अधिभोग में है।

स्पष्टीकरण—"अभिधारी" पद के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे भूमि पर या ऐसी भूमि पर निर्मित भवन पर अभिधारी से, चाहे विधि की क्रिया द्वारा या जीवित व्यक्तियों के बीच अन्तरण द्वारा हक व्युत्पन्न हुआ है ।

(3) जिस भवन के भाग या फ्लैट या कमरे विभिन्न व्यक्तियों के अलग-अलग स्वामित्वाधीन हैं या जिनका इस प्रकार से स्वामित्वाधीन होना तात्पर्यित है, उसके विभिन्न स्वामियों का सम्पत्ति कर या उसकी किसी किस्त के संदाय का दायित्व ऐसे स्वामित्व की अवधि के दौरान संयुक्त और पृथक् होगा ।

67. सम्पत्ति कर के दायित्व का उस दशा में प्रभाजन जब परिसर पट्टे या उपपट्टे पर दिए जाते हैं—(1) यदि संपत्ति कर से निर्धारित कोई भूमि या भवन पट्टे पर दिया जाता है और उसका रेट-मूल्य भाटक की उस रकम से अधिक है जो उस भूमि या भवन की बाबत उस व्यक्ति को देय है जिस पर धारा 664 के उपबन्धों के अनुसार, उक्त कर उद्ग्रहणीय है तो वह व्यक्ति अपने अभिधारी से उतनी रकम प्राप्त करने का हकदार होगा जो उस पर उद्गृहीत संपत्ति कर की रकम तथा उस रकम के अन्तर के बराबर है जो उससे तब उद्ग्रहणीय होती जब उक्त कर उसे संदेय भाटक की रकम पर परिकलित किए जाते ।

(2) यदि भूमि या भवन उपपट्टे पर दिया जाता है और उसका रेट-मूल्य भाटक की उस रकम से अधिक है जो उस भूमि या भवन की बाबत अभिधारी को उसके उप-अभिधारी द्वारा संदेय है अथवा भाटक की उस रकम से अधिक है जो उस भूमि या भवन की बाबत किसी उप-अभिधारी को उस व्यक्ति द्वारा संदेय है जो उस भूमि या भवन की उप-अभिधारी से व्युतपन्न अधिकार के अधीन धारण करता है तो अभिधारी, यथास्थिति, अपने उप-अभिधारी से या उप-अभिधारी उस व्यक्ति से जो ऐसी भूमि या भवन को उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन धारण करता है, उतनी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो इस धारा के अधीन ऐसे अभिधारी या उप-अभिधारी से वसूल की गई राशि तथा संपत्ति कर की उस रकम के अन्तर के बराबर है जो उक्त भूमि या भवन की बाबत तब उद्ग्रहणीय होती जब उसका रेट-मूल्य ऐसे अभिधारी या उप-अभिधारी द्वारा प्राप्त किए गए भाटक की रकम और उसके द्वारा संदत्त भाटक की रकम के अन्तर के समतुल्य होता ।

(3) इस धारा के अधीन कोई राशि प्राप्त करने के हकदार किसी व्यक्ति को उसकी वसूली के लिए वैसे ही अधिकार और उपचार प्राप्त होंगे मानो ऐसी राशि ऐसा भाटक हो जो उस व्यक्ति द्वारा संदेय है जिससे वह उस राशि को प्राप्त करने का हकदार है ।

68. अधिभोगियों से सम्पत्ति कर की वसूली—(1) यदि अध्यक्ष किसी भूमि या भवन की बाबत सम्पत्ति कर मद्धे शोध्य कोई राशि उस व्यक्ति से वसूल करने में असफल रहता है जो धारा 66 के अधीन उसके लिए प्रथमत: दायी है तो वह ऐसी भूमि या ऐसे भवन के प्रत्येक अधिभोगी से कुल शोध्य राशि का उतना भाग उसके द्वारा संदेय भाटक में से धारा 108 के अनुसार कुर्की द्वारा वसूल करेगा जो ऐसे अधिभोगी द्वारा प्रतिवर्ष संदेय भाटक और उस पूरी भूमि या भवन की बाबत प्रतिवर्ष संदेय भाटक की कुल रकम के बीच के अनुपात के यथाशक्य निकटतम है ।

(2) वह अधिभोगी जिससे उपधारा (1) के अधीन कोई राशि वसूल की जाती है उस संदाय के लिए प्रथमत: दायी व्यक्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा और ऐसे अन्य उपचारों के अतिरिक्त जो उसे प्राप्त हो सकते हैं इस प्रकार उससे वसूल की गई रकम की ऐसे भाटक की रकम में से कटौती कर सकेगा जो उसके द्वारा समय-समय पर ऐसे व्यक्ति को शोध्य होती रहे ।

69. जिन परिवारों पर सपंत्ति कर निर्धारित किया जाता है, उन पर उसका प्रथम भार होना—किसी भूमि या भवन की बाबत इस अधिनियम के अधीन शोध्य संपत्ति कर परिषद् या सरकार या केन्द्रीय सरकार को देय भू-राजस्व के, यदि कोई है, पूर्व संदाय के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित पर प्रथम भार होगा, अर्थात् :—

(क) ऐसी भूमि या ऐसे भवन की दशा में, जो परिषद् या सरकार या केन्द्रीय सराकर से सीधे ली गई या लिया गया है, ऐसे कर के दायित्वाधीन व्यक्ति के ऐसी भूमि या भवन में हित पर तथा ऐसी भूमि या ऐसे भवन के भीतर या उस पर पाई गई वस्तुओं और अन्य जंगम संपत्तियों पर जो ऐसे व्यक्ति की हों ; और

(ख) किसी अन्य भूमि या भवन की दशा में, ऐसी भूमि या भवन पर तथा ऐसी भूमि या भवन के भीतर या उस पर पाई गई वस्तुओं और अन्य जंगम सम्पत्तियों पर जो ऐसे व्यक्ति की हों जो कर के दायित्वाधीन हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "संपत्ति कर" पद के बारे में यह समझा जाएगा कि इसके अन्तर्गत संपत्ति कर की वसूली के खर्चे और संदेय ऐसी शास्ति, यदि कोई हो, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट है, भी हैं ।

70. निर्धारण सूची—(1) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, परिषद्, नई दिल्ली की सभी भूमि और भवनों की एक निर्धारण सूची ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा प्रत्येक भूमि और भवन की बाबत ऐसी विशिष्टियों के साथ तैयार कराएगी जो उपविधियों द्वारा विहित की जाए ।

(2) निर्धारण सूची तैयार कर लिए जाने पर, अध्यक्ष उस सूची की और उस स्थान की, जहां उस सूची या उसकी प्रति का निरीक्षण किया जा सकता है, लोक सूचना देगा । सूची में सम्मिलित किसी भूमि या भवन के स्वामी, पट्टेदार या अभिधारी के रूप में दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तथा ऐसे व्यक्ति के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता को बिना कोई शुल्क दिए ऐसी सूची का निरीक्षण करने और उसमें से उद्धरण लेने की छूट होगी ।

(3) अध्यक्ष निर्धारण सूची में दर्ज की गई भूमियों और भवनों के रेट-मूल्यों पर विचार करने के लिए जिस तारीख को अग्रसर होगा उस तारीख को लोक सूचना देगा जो पूर्वोक्त तारीख से एक मास से पूर्वतर नहीं होगी और उन सभी मामलों में जिनमें किसी भूमि

या भवन पर निर्धारण प्रथम बार किया जाता है, या किसी भूमि या भवन का रेट-मूल्य बढ़ाया जाता है, उस भूमि या भवन के स्वामी किसी पट्टेदार या अधिभोगी को भी वह उसकी लिखित सूचना देगा।

(4) निर्धारण सूची में दर्ज किए गए रेट-मूल्य या किसी अन्य विषय पर कोई आक्षेप सूचना में नियत तारीख के पहले अध्यक्ष को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें यह कथित होगा कि रेट-मूल्य या अन्य विषय पर किस बात का विवाद है, और इस प्रकार किए गए सभी आक्षेप इस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में अभिलिखित किए जाएंगे।

(5) अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत परिषद् का कोई अधिकारी आक्षेपों की जांच और अन्वेषण करेगा और आक्षेप करने वाले व्यक्तियों को या तो स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा।

(6) जब सभी आक्षेप निपटा दिए जाएं और रेट-मूल्य का पुनरीक्षण पूरा हो जाए तब निर्धारण सूची, यथास्थिति, अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएगी, जो यह प्रमाणित करेगा कि उन मामलों के सिवाय, यदि कोई हों, जिनमें ऐसे संशोधन किए गए हैं जो उनमें दर्शित हैं, रेट-मूल्य या उक्त सूची में प्रविष्ट किसी अन्य विषय पर कोई विधिमान्य आक्षेप नहीं किया गया है।

(7) इस प्रकार अधिप्रमाणित निर्धारण सूची परिषद् के कार्यालय में जमा की जाएगी और उसमें समाविष्ट भूमि और भवनों के सभी स्वामियों, पट्टेदारों और अधिभोगियों या ऐसे व्यक्तियों के प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा कार्यालय के समय के दौरान नि:शुल्क देखी जा सकती है और इस प्रकार देखी जा सकने वाली है, ऐसी लोक सूचना, तुरन्त प्रकाशित की जाएगी।

71. निर्धारण सूची का साक्ष्यिक महत्व—ऐसे परिवर्तनों के, जो निर्धारण सूची में धारा 72 के अधीन, तत्पश्चात् किए जाएं, और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए, धारा 70 में उपबंधित रूप में अधिप्रमाणित और जमा की गई निर्धारण सूची की प्रविष्टियां इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किसी कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, ऐसी सभी भूमियों और भवनों के, जिनसे ऐसी प्रविष्टियां संबंधित हैं, रेट-मूल्य के निश्चायक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएंगी।

72. निर्धारण सूची का संशोधन—(1) अध्यक्ष निर्धारण सूची में किसी भी समय निम्नलिखित प्रकार से संशोधन कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का नाम अन्त:स्थापित करके जिसका नाम उसमें अन्त:स्थापित किया जाना चाहिए ; अथवा

(ख) उसमें किसी ऐसी भूमि या भवन को अन्त:स्थापित करके, जो उसमें से पहले छूट गया है ; अथवा

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति का नाम काटकर जो संपत्ति कर के संदाय के दायित्वाधीन नहीं है ; अथवा

(घ) रेट-मूल्य और उस पर किए गए निर्धारण की रकम समुचित कारणों से बढ़ाकर या कम करके; अथवा

(ङ) कोई ऐसी प्रविष्टि करके या उसे रद्द करके जो किसी भूमि या भवन को किसी संपत्ति कर के दायित्व से छूट देती है ; अथवा

(च) उस भूमि या भवन पर किए गए निर्धारण को परिवर्तित करके, जो कपट, भूल या आकस्मिक रूप से गलत मूल्यांकित या निर्धारित किया गया है ; अथवा

(छ) किसी ऐसे भवन के बारे में प्रविष्टि अन्त:स्थापित या परिवर्तित करके जो निर्धारण सूची के तैयार होने के पश्चात् निर्मित, पुनर्निमित, परिवर्तित या परिवर्धित किया गया है :

परन्तु कोई व्यक्ति ऐसे संशोधन के कारण उस वर्ष के, जिसमें उपधारा (2) के अधीन सूचना दी जाती है, प्रारंभ से पूर्व की किसी अवधि के संबंध में किसी कर या कर की वृद्धि का संदाय करने का दायी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन करने के पूर्व अध्यक्ष ऐसे संशोधन से प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को आशय की कम से कम एक मास की सूचना देगा कि वह संशोधन करना चाहता है तथा अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आक्षेप पर विचार करेगा।

73. नई निर्धारण सूची की तैयारी—अध्यक्ष को इस बात का विवेकाधिकार होगा कि वह संपूर्ण नई दिल्ली अथवा उसके किसी भाग के लिए प्रति वर्ष एक नई निर्धारण सूची तैयार करे या किसी वर्ष की सूची में अन्तर्विष्ट रेट-मूल्य को आगामी वर्ष के लिए रेट-मूल्य के रूप में ऐसे परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर ले जो वह किन्हीं विशिष्ट मामलों में आवश्यक समझता है, अध्यक्ष ऐसे रेट-मूल्य की लोक सूचना तथा ऐसे परिवर्तनों से प्रभावित व्यक्तियों को व्यक्तिगत सूचनाएं भी देगा मानो कोई नई निर्धारण सूची तैयार की गई हो।

74. अंतरण की सूचना—(1) जब कभी किसी भूमि या भवन पर संपत्ति कर का संदाय करने के लिए प्रथमत: दायी किसी व्यक्ति का हक अंतरित हो जाता है तब वह व्यक्ति जिसका हक अंतरित हो जाता है और वह व्यक्ति जिसे हक अंतरित हुआ है, अंतरण की लिखत के निष्पादन अथवा, यदि वह रजिस्ट्रीकृत किया जाता है तो उसके रजिस्ट्रीकरण अथवा यदि कोई लिखत निष्पादित नहीं की गई है तो अंतरण के प्रभावी होने के पश्चात् तीन मास के भीतर ऐसे अंतरण की लिखित सूचना अध्यक्ष को देगा।

(2) पूर्वोक्त रूप में प्रथमत: दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में, वह व्यक्ति, जिसे मृतक का हक न्यागत हो, ऐसे न्यागत की सूचना मृतक की मृत्यु की तारीख से छह मास के भीतर अध्यक्ष को देगा।

(3) इस धारा के अधीन दी जाने वाली सूचना ऐसे प्ररूप में होगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों द्वारा अवधारित किया जाए, और अंतरिती या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे हक न्यागत हुआ है, यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो, अंतरण या न्यागमन का साक्ष्य प्रकट करने वाले किन्हीं दस्तावेजों को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होगा।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अध्यक्ष को सूचना दिए बिना पूर्वोक्त रूप में कोई अंतरण करता है, ऐसी किसी शास्ति के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित की जा सकती है, अंतरित भूमि या भवन की बाबत समय-समय पर संदेय संपत्ति कर के संदाय के लिए तब तक दायी बना रहेगा जब तक वह ऐसी सूचना नहीं देता या ऐसे अंतरण अध्यक्ष की पुस्तक में अभिलिखित नहीं कर लिया जाता। किन्तु इस धारा की कोई बात अंतरिती के उक्त कर के संदाय के दायित्व पर प्रभाव डालने वाली नहीं मानी जाएगी।

(5) अध्यक्ष इस धारा के अधीन उसे अधिसूचित किए गए हक के प्रत्येक अन्तरण या न्यागमन को अपनी पुस्तकों में और निर्धारण सूची में अभिलिखित करेगा।

(6) अध्यक्ष द्वारा लिखित अनुरोध किए जाने पर, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त किया गया नई दिल्ली का रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार नई दिल्ली की स्थावर संपत्तियों के अंतरण की लिखतों के रजिस्ट्रीकरण की बाबत ऐसी विशिष्टियां भेजेगा जिनकी अपेक्षा अध्यक्ष समय-समय पर करे।

(7) ऐसी जानकारी अंतरण की लिखत के रजिस्ट्रीकरण हो जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र या यदि अध्यक्ष ऐसा अनुरोध करता है तो, उसके द्वारा नियत किए गए अंतरालों पर कालिक विवरणियों के रूप में दी जाएगी।

75. भवन निर्माण, आदि की सूचना—जब कोई नया भवन निर्मित किया जाए या जब कोई भवन पुनर्निर्मित या परिवर्धित किया जाए या जब कोई ऐसा भवन, जो रिक्त रहा है, पुन: अधिभोग में लिया जाए तब वह व्यक्ति, जो भवन पर निर्धारित सम्पत्ति कर देने के लिए प्रथमत: दायी है, यथास्थिति, निर्माण की समाप्ति या अधिभोग की तारीख में से जो भी पूर्वतर हो, उससे या भवन के परिवर्तन या पुन: अधिभोग में लिए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उसकी लिखित सूचना अध्यक्ष को देगा और भवन पर सम्पत्ति कर उक्त तारीख से निर्धारणीय होगा।

76. भवन तोड़ने या हटाने की सूचना—(1) यदि कोई ऐसा भवन या कोई भाग, जो संपत्ति कर के संदाय के दायित्वाधीन है, अध्यक्ष के आदेश से भिन्न किसी कारण से तोड़ा या हटाया जाता है तो वह व्यक्ति, जो उक्त कर के संदाय के लिए प्रथमत: दायी है, उसकी लिखित सूचना अध्यक्ष को देगा।

(2) जब तक ऐसी सूचना नहीं दी जाती है तब तक पूर्वोक्त व्यक्ति ऐसे सम्पत्ति कर के लिए उसी प्रकार दायी बना रहेगा जिस प्रकार वह ऐसे भवन या उसके किसी भाग के तोड़े या न हटाए जाने की दशा में संदाय के लिए दायी रहता।

77. जानकारी और विवरणियां मांगने तथा परिसरों में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की अध्यक्ष की शक्ति—(1) अध्यक्ष, किसी भूमि या भवन के रेट-मूल्य को तथा उस व्यक्ति को, जो उक्त भूमि या भवन के संबंध में उद्ग्रहणीय किसी सम्पत्ति कर के संदाय के लिए प्रथमत: दायी है, अवधारित करने में स्वयं को समर्थ करने के लिए ऐसी भूमि या भवन के या उसके किसी भाग के स्वामी या अधिभोगी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर जो अध्यक्ष इस निमित्त नियत करे, निम्नलिखित के संबंध में जानकारी या ऐसे स्वामी या अधिभोगी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित विवरणी प्रस्तुत करे, अर्थात् :—

(क) ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी अथवा दोनों के नाम और निवास-स्थान ;

(ख) ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग का माप या लंबाई-चौड़ाई तथा ऐसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग के लिए अभिप्राप्त भाटक, यदि कोई हो, और

(ग) ऐसी भूमि या भवन का वास्तविक मूल्य या उसके मूल्य के अवधारण से संबंधित अन्य विनिर्दिष्ट ब्यौरे।

(2) ऐसा प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी जिससे ऐसी अध्यपेक्षा की जाती है, उसका अनुपालन करने के लिए, अथवा अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार ठीक जानकारी या ठीक विवरणी देने के लिए आबद्ध होगा।

(3) जो कोई ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन नहीं करेगा, या अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक जानकारी या ठीक विवरणी देने में असफल रहेगा वह ऐसी किसी शास्ति के अतिरिक्त, जिसके वह दायित्वाधीन हो, ऐसी भूमि या भवन की बाबत जिसका कि वह स्वामी या अधिभोगी है अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी निर्धारण के विरुद्ध आक्षेप करने से प्रवारित किया जाएगा।

78. दो या अधिक व्यक्तियों के पृथक्तः स्वामित्वाधीन या दो या अधिक व्यक्तियों को पट्टे पर पृथक्तः दिए गए परिसर का मामूली तौर से एक ही संपत्ति के रूप में निर्धारण किया जाना—इस बात के होते हुए भी कि कोई भूमि या भवन दो या अधिक व्यक्तियों को पट्टे पर पृथक्तः दी गई है, अध्यक्ष ऐसी भूमि या भवन पर सम्पत्ति कर का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए उसे सम्पूर्ण रूप से एक सम्पत्ति मानेगा :

परन्तु अध्यक्ष, ऐसी भूमि या भवन की बाबत, जो मूलत: एक सम्पत्ति मानी गई थी किन्तु जो तत्पश्चात् अन्तरण, उत्तराधिकार या किसी अन्य रीति से दो या अधिक व्यक्तियों को संक्रांत हो जाती है और वे उसे विभिन्न भागों में विभाजित कर लेते हैं और उसका पृथक्-पृथक् रूप से अभिभोग करते हैं, ऐसे प्रत्येक पृथक् भाग को, या दो या अधिक ऐसे पृथक् भागों को, इस निमित्त बनाई गई किसी उपविधि के अधीन रहते हुए, एक पृथक् संपत्ति मान सकेगा और तद्नुसार ऐसे भाग या भागों पर संपत्ति कर निर्धारित कर सकेगा ।

79. परिसरों के समामेलन की दशा में निर्धारण—यदि किसी ऐसी भूमि या भवन को, जिस पर दो या अधिक नगरपालिका संख्यांक लगे हैं, या उसके भागों को एक या अधिक नए परिसरों में समामेलित कर लिया जाता है, तो अध्यक्ष, ऐसा समामेलन होने पर, उन्हें एक या अधिक संख्यांक समनुदेशित करेगा और तद्नुसार उन पर सम्पत्ति कर निर्धारित करेगा :

परन्तु समामेलन होने पर कुल निर्धारण, तब के सिवाय जब उक्त परिसरों में से किसी का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, विभिन्न परिसरों के पूर्वतन निर्धारण की राशि से अधिक नहीं होगा ।

80. भवनों के उपगृहों और भागों को पृथक्तः निर्धारित करने की अध्यक्ष की शक्ति—अध्यक्ष भवन से संलग्न किसी उपगृह को या भूमि या भवन के किसी भाग को, यथास्थिति, ऐसे भवन से या ऐसी भूमि या भवन के शेष भाग से स्वविवेकानुसार पृथक्तः निर्धारित कर सकेगा ।

81. मूल्यांकक नियोजित करने की अध्यक्ष की शक्ति—(1) यदि अध्यक्ष ऐसा करना ठीक समझे तो वह किसी भूमि या भवन का मूल्यांकन करने के संबंध में परामर्श या सहायता देने के लिए एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगा तथा इस प्रकार नियोजित किसी व्यक्ति को किसी ऐसी भूमि या भवन में जिसका सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने का निदेश अध्यक्ष ने दिया है, सभी युक्तियुक्त समयों पर और सम्यक् सूचना देने के पश्चात्, तथा यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो अध्यक्ष द्वारा उस निमित्त लिखित प्राधिकार पेश करने पर, प्रवेश करने, उसका सर्वेक्षण करने और मूल्यांकन करने की शक्ति होगी ।

(2) कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को इस धारा के अधीन उसकी शक्तियों में से किसी के प्रयोग में जानबूझकर विलम्ब नहीं करेगा अथवा उसे बाधा नहीं पहंचाएगा ।

यानों और जीवजंतुओं पर कर

82. कतिपय यानों और जीव-जन्तुओं पर कर और उनकी दरें—इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्णनों के यानों और जीव-जन्तुओं पर, जो नई दिल्ली के भीतर रखे जाते हैं, उक्त सूची में विनिर्दिष्ट दरों से अनधिक दरों पर कर उद्गृहीत किया जाएगा ।

83. कर किस पर उद्ग्रहणीय होगा—यानों या जीव-जन्तुओं पर कर उद्ग्रहण योग्य यानों और जीव-जन्तुओं के स्वामी पर या उस व्यक्ति पर, जिसके कब्जे या नियंत्रण में ऐसे यान या जीव-जन्तु हैं, उद्ग्रहणीय होगा :

परन्तु किसी यान को खींचने में साधारणतया उपयोग में लाए जाने वाले या लगाए जाने वाले जीव-जन्तु की दशा में, उस जीव-जन्तु की बाबत कर ऐसे यान के स्वामी पर या ऐसा यान जिस व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में है, उस पर उद्ग्रहणीय होगा, चाहे ऐसा जीव-जन्तु ऐसे स्वामी या व्यक्ति के स्वामित्वाधीन हो या नहीं :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कर निम्नलिखित पर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार या सरकार या परिषद् के यान और जीव-जन्तु जो केवल लोक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं या उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित हैं ;

(ख) केवल आहतों, रोगियों या मृतकों के नि:शुल्क वहन के लिए आशयित यान ;

(ग) बच्चों की गाड़ियां (पैरम्बुलेटर) या ट्राइसिकल ;

(घ) घरेलू उपयोग के लिए दूध दुहने के लिए रखी गई गाय या भैंस यदि ऐसी गाय या भैंस उसके स्वामी या उस पर कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा दूध दुहने के लिए रखी गई एक मात्र गाय या भैंस है और निमित्त बनाई गई उपविधियों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत की गई है, किन्तु—

(i) जहां ऐसे अनेक स्वामियों या व्यक्तियों द्वारा, जो एक ही कुटुम्ब के हैं, यथास्थिति, एक से अधिक गाय या भैंस रखी जाती हैं, वहां इस धारा के अधीन कर ऐसी सभी गायों और भैंसों की बाबत उद्ग्रहणीय होगा ;

(ii) जहां एक गाय और एक भैंस भी, किसी स्वामी या गाय और भैंस पर कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा अथवा ऐसे अनेक स्वामियों और व्यक्तियों द्वारा जो एक ही कुटुम्ब के हैं, रखी जाती हैं, वहां इस धारा के अधीन कर, उस गाय और भैंस की बाबत उद्गृहीत किया जाएगा ।

84. कर कब देय होगा—यान कर या जीव-जन्तु कर उतनी किस्तों में और ऐसी रीति से अग्रिम रूप से देय होगा जो इस निमित्त बनाई उपविधियों द्वारा अवधारित की जाए ।

85. अस्तबल के स्वामी आदि के साथ कर प्रशमित करने की अध्यक्ष की शक्ति—अध्यक्ष, परिषद् के अनुमोदन से, भाड़े के लिए यान या विक्रय अथवा भाड़े के लिए जीव-जन्तु रखने वाले किसी अस्तबल के स्वामी या अन्य व्यक्ति के साथ, एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए, उस कर के स्थान पर जो ऐसे अस्तबल के स्वामी या उन व्यक्तियों द्वारा धारा 82 के अधीन संदेय है तथा जिसके संदाय के लिए ऐसे अस्तबल का स्वामी या अन्य व्यक्ति अन्यथा दायी है, एकमुश्त राशि प्रशमित कर सकेगा ।

थिएटर कर

86. थिएटर कर—इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, प्रत्येक सिनेमा, थिएटर, सर्कस, कार्नीवाल या मनोरंजन के अन्य स्थान की बाबत, जिसमें वहां आयोजित या चलाए जाने वाले अभिनयों या प्रदर्शनों के लिए व्यक्ति मामूली तौर पर पैसे देकर ही प्रवेश कर सकते हैं, कर (जिसे इस अधिनियम में थिएटर कर कहा गया है), तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट करों से अनधिक ऐसी दरों पर उद्गृहीत किया जाएगा, जो परिषद् अवधारित करे :

परन्तु यदि अध्यक्ष का किसी अभिनय या प्रदर्शन की बाबत यह समाधान हो जाता है कि—

(क) ऐसे अभिनय या प्रदर्शन से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि लोकोपकारी, धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों में लगाई जाएगी ; अथवा

(ख) ऐसा अभिनय या प्रदर्शन पूर्णत: शैक्षिक प्रकृति का है ; अथवा

(ग) ऐसा अभिनय या प्रदर्शन किसी ऐसी सोसाइटी द्वारा, जो लाभ के लिए संचालित या स्थापित नहीं की गई है, भागत: शैक्षिक या भागत: वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किया गया है,

तो उसकी बाबत कोई थिएटर कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

87. थिएटर कर का संदाय करने का दायित्व—थिएटर, सिनेमा, सर्कस, कार्नीवाल या मनोरंजन के अन्य स्थान का स्वत्वधारी, प्रबन्धक या भारसाधक व्यक्ति थिएटर कर के संदाय के लिए दायी होगा और उसका संदाय वह अभिनयों या प्रदर्शनों के आरम्भ के पूर्व अग्रिम रूप से करेगा :

परन्तु अध्यक्ष, परिषद् के अनुमोदन से, अभिनयों या प्रदर्शनों की किन्हीं आवलियों के लिए या एक मास से अनधिक किसी अवधि के लिए ऐसे स्वत्वधारी, प्रबन्धक या व्यक्ति के साथ एकमुश्त राशि प्रशमित कर सकेगा, जो अभिनयों या प्रदर्शनों की ऐसी आवलियों के लिए या ऐसी अवधि के दौरान आयोजित या चलाए जाने वाले अभिनयों या प्रदर्शनों के लिए संदत्त की जानी हैं ।

समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर

88. विज्ञापनों पर कर—(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन पट्ट, फ्रेम, पोस्ट या संरचना में या उस पर अथवा किसी यान पर कोई विज्ञापन खड़ा करता है, प्रदर्शित करता है, लगाता है या रखता है अथवा जनता को दृष्टिगोचर होने वाला कोई विज्ञापन किसी भी रीति से इस प्रकार से संप्रदर्शित करता है कि वह किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान से दिखाई पड़े (जिसके अंतर्गत चलचित्र के द्वारा प्रदर्शित कोई विज्ञापन भी है) इस प्रकार से खड़े किए गए, प्रदर्शित किए गए, लगाए गए या रखे गए या सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर होने के लिए संप्रदर्शित किए गए प्रत्येक विज्ञापन के लिए चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से अनधिक ऐसी दरों पर संगणित कर का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी ऐसे विज्ञापन के लिए कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, जो—

(क) किसी सार्वजनिक सभा से या संसद् या दिल्ली विधान सभा के किसी निर्वाचन से, संबंधित है ; अथवा

(ख) किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किया गया है, यदि ऐसे विज्ञापन का संबंध उस भवन में चलाए जा रहे व्यापार, वृत्ति या कारबार से है ; अथवा

(ग) ऐसी भूमि या भवन के भीतर, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, चलाए जाने वाले व्यापार, वृत्ति या कारबार से अथवा ऐसी भूमि या भवन या उसमें की किसी चीजबस्त के किसी विक्रय या पट्टे पर दिए जाने से अथवा उस पर या उसमें आयोजित किए जाने वाले किसी विक्रय, मनोरंजन या सभा से संबंधित है ; अथवा

(घ) उस भूमि या भवन के नाम के संबंध में है, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है, या ऐसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी के नाम से संबंधित है ; अथवा

(ङ) रेल प्रशासन के कारबार से संबंधित है और उसका प्रदर्शन किसी रेल स्टेशन के भीतर या रेल प्रशासन की किसी दीवाल या अन्य संपत्ति पर किया गया है ; अथवा

(च) केन्द्रीय सरकार या सरकार या परिषद् के किसी क्रियाकलाप से संबंधित है ।

(2) इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय किसी विज्ञापन पर कर अग्रिम रूप से उतनी किस्तों में और ऐसी रीति से संदेय होगा जो इस निमित्त बनाई गई उपविधि द्वारा अवधारित की जाए।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा में "संरचना" के अन्तर्गत कोई ऐसा पहियों पर चलाए जाने वाला चलबोर्ड भी है जो विज्ञापन के रूप में अथवा विज्ञापन के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के अधीन विज्ञापन पर कर के संबंध में "विज्ञापन" शब्द से अभिप्रेत है कोई शब्द, अक्षर, माडल, संकेत, चिह्न, प्लेकार्ड, सूचना, युक्ति का निरूपण, चाहे वह प्रकाशयुक्त हो या नहीं, जो विज्ञापन, आख्यापन या निदेश की प्रकृति का है और इन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णत: या भागत: काम में लाया जाता है।

89. अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के बिना विज्ञापनों का प्रतिषेध—(1) नई दिल्ली के भीतर किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन पट्ट, फ़्रेम, पोस्ट या संरचना पर अथवा किसी यान पर कोई विज्ञापन इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा मंजूर की गई लिखित अनुज्ञा के बिना न खड़ा किया जाएगा, न प्रदर्शित किया जाएगा, न लगाया जाएगा, न रखा जाएगा, और न ही किसी स्थान पर किसी अन्य रीति से संप्रदर्शित किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष ऐसी अनुज्ञा मंजूर नहीं करेगा यदि—

(क) विज्ञापन इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी उपविधि का उल्लंघन करता है, अथवा

(ख) ऐसे विज्ञापन की बाबत देय कर, यदि कोई है, संदत्त नहीं किया गया है।

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष, उस विज्ञापन की दशा में जो विज्ञापन कर के दायित्वाधीन है, उतनी अवधि के लिए अनुज्ञा मंजूर करेगा जिससे कर के संदाय का संबंध है और ऐसी अनुज्ञा की बाबत कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

90. कतिपय दशाओं में अध्यक्ष की अनुज्ञा का शून्य हो जाना—धारा 89 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा निम्नलिखित दशाओं में शून्य हो जाएगी, अर्थात्—

(क) यदि विज्ञापन इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी उपविधि का उल्लंघन करता है ;

(ख) यदि विज्ञापन या उसके किसी भाग में कोई सारवान् परिवर्तन अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा के बिना किया जाता है ;

(ग) यदि विज्ञापन या उसका कोई भाग दुर्घटना से भिन्न किसी कारण से गिर जाता है ;

(घ) यदि उस भवन, दीवाल, विज्ञापन पट्ट, फ़्रेम, पोस्ट या संरचना में, जिस पर विज्ञापन खड़ा किया गया, प्रदर्शित किया गया, लगाया गया या रखा गया है, कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाता है और ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन से विज्ञापन या उसके किसी भी भाग का स्थान परिवर्तित होता है ; और

(ङ) यदि वह भवन, दीवाल, विज्ञापन पट्ट, फ़्रेम, पोस्ट या संरचना, जिस पर विज्ञापन खड़ा किया गया, प्रदर्शित किया गया, लगाया गया या रखा गया है, तोड़ डाला जाता है, या नष्ट कर दिया जाता है।

91. उल्लघंन की दशा में उपधारणा—जहां कोई विज्ञापन इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किन्हीं उपविधियों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन पट्ट, फ़्रेम, पोस्ट या संरचना पर अथवा किसी यान पर या यान में खड़ा किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है या रखा जाता है अथवा किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थानों से जनता को दृष्टिगोचर होने के लिए ही प्रदर्शित किया जाता है, वहां तब तक जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा की जाएगी कि उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों ने, जिसकी या जिनकी ओर से विज्ञापन किया गया है अथवा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के अभिकर्ता ने उल्लंघन किया है।

92. उल्लंघन की दशा में अध्यक्ष की शक्ति—यदि कोई विज्ञापन धारा 89 के उपबंधों के उल्लंघन में खड़ा किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है या रखा जाता है तो अध्यक्ष उस भूमि, भवन, दीवाल, विज्ञापन पट्ट, फ्रेम, पोस्ट या संरचना या यान के, जिस पर विज्ञापन खड़ा किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, लगाया गया है, या रखा गया है, स्वामी या अधिभोगी से ऐसे विज्ञापन को उतारने या हटाने की अपेक्षा कर सकेगा अथवा ऐसी भूमि, भवन, संपत्ति या यान में प्रवेश कर सकेगा या विज्ञापन को ध्वस्त करा सकेगा, उतरवा सकेगा या हटावा सकेगा या बिगड़वा सकेगा, विरूपित करा सकेगा या ढकवा सकेगा।

संपत्ति के अंतरण पर शुल्क

93. संपत्ति के अंतरण पर शुल्क और उसके निर्धारण की पद्धति—(1) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, परिषद् नई दिल्ली की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के अंतरण पर शुल्क इस धारा में इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उद्गृहीत करेगी।

(2) उक्त शुल्क—

(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में नीचे विनिर्दिष्ट विवरण की प्रत्येक लिखत पर तत्समय यथा प्रवृत्त स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) द्वारा अधिरोपित शुल्क पर अधिभार के रूप में उद्गृहीत किया जाएगा ; और

(ख) ऐसी लिखतों के सामने नीचे विनिर्दिष्ट रकम पर पांच प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से उद्गृहीत किया जाएगा जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए—

लिखत का वर्णन		वह रकम जिस पर शुल्क उद्गृहीत किया जाना चाहिए
(i)	स्थावर संपत्ति का विक्रय	विक्रय के लिए प्रतिफल की वह रकम या मूल्य जो लिखत में उपवर्णित है।
(ii)	स्थावर संपत्ति का विनिमय	अधिकतम मूल्य वाली संपत्ति का वह मूल्य जो लिखत में उपवर्णित है।
लिखत का वर्णन		वह रकम जिस पर शुल्क उद्गृहीत किया जाना चाहिए
(iii)	स्थावर संपत्ति का दान	संपत्ति का वह मूल्य जो लिखत में उपवर्णित है।
(iv)	स्थावर संपत्ति का कब्जे सहित बंधक	बंधक द्वारा प्रतिभूत रकम जो लिखत में उपवर्णित है।
(v)	स्थावर संपत्ति का शाश्वत पट्टा	लिखत में जैसा उपवर्णित है उसके अनुसार जो भाटक पट्टे के प्रथम पचास वर्षों की बाबत दिया जाएगा या परिदत्त किया जाएगा उसकी संपूर्ण रकम के या उसके मूल्य के छठे भाग के बराबर रकम।

94. अंतरण शुल्क के लगाए जाने पर लागू होने वाले उपबंध—संपत्ति पर अंतरण शुल्क लगाए जाने पर—

(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 27 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा मानो उसमें विनिर्दिष्टतया यह अपेक्षा की गई हो कि नई दिल्ली के भीतर और नई दिल्ली से बाहर स्थित संपत्ति की विशिष्टियों को पृथक्तः उपवर्णित किया जाए ;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 64 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा मानो उसमें परिषद् और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन दोनों के प्रति निर्देश हो।

भवन कर का भवनों के नक्शे की मंजूरी के लिए आवेदन के साथ संदेय होना

95. भवन निर्माण आवेदनों पर कर—(1) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, परिषद्, पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से अनधिक ऐसी दरों पर भवनों पर कर उद्गृहीत करेगी जो परिषद् द्वारा अवधारित की जाए।

(2) कर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर उद्ग्रहणीय होगा जो भवन निर्माण के नक्शे की मंजूरी के लिए अध्यक्ष को आवेदन करता है और आवेदन के साथ देय होगा।

आय-कर

96. अन्य करों का अधिरोपण—(1) परिषद् किसी अधिवेशन में धारा 60 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट करों में से किसी कर के उद्ग्रहण के लिए संकल्प पारित कर सकेगी, ऐसे संकल्प में ऐसे कर की, जो उद्गृहीत किया जाना है, अधिकतम दर उन व्यक्तियों के वर्ग अथवा उन वस्तुओं और संपत्तियों के विवरण, जिन पर कर लगाया जाना है, निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति और मंजूर की जाने वाली छूट, यदि कोई हो, परिनिश्चित की जाएंगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित कोई संकल्प केन्द्रीय सरकार के पास उसकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उस सरकार द्वारा मंजूर किए जाने पर ऐसी तारीख से ही प्रवृत्त हो जाएगा जो मंजूरी के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) परिषद् उपधारा (2) के अधीन किसी संकल्प के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात् एक दूसरा संकल्प पारित कर सकेगी जिसमें अधिकतम दर के अधीन रहते हुए वह वास्तविक दर अवधारित की जाएगी जिस पर कर उद्ग्रहणीय होगा, और जिस तारीख को ऐसा दूसरा संकल्प पारित किया जाता है उस तारीख के ठीक आगामी वर्ष की तिमाही के प्रथम दिन से वह कर प्रवृत्त होगा।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार कोई कर उद्गृहीत किए जाने के पश्चात् धारा 55 की उपधारा (2) के उपबंध ऐसे कर की बाबत उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित किसी कर की बाबत लागू होते हैं।

अनुपूरक कराधान

97. अनुपूरक कराधान—जब कभी परिषद् किसी वर्ष में धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन अनुपूरक कराधान का तरीका अपनाने का विनिश्चय करती है तब वह, उस तारीख से जो परिषद् अवधारित करे, उस दर में जिस पर इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कोई कर उद्गृहीत किया जा रहा है, वृद्धि करके ऐसा करेगी किन्तु ऐसी प्रत्येक वृद्धि ऐसे कर की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम दर और किसी अन्य परिसीमा के अधीन रहते हुए की जाएगी।

करों का संदाय और वसूली

98. करों के संदाय का समय और रीति—इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कोई कर ऐसी तारीखों को, उतनी किस्तों में और ऐसी रीति से संदेय होगा जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा अवधारित की जाएं।

99. बिल का प्रस्तुत किया जाना—(1) जब कोई कर देय हो जाए तब अध्यक्ष उस कर के संदाय के लिए दायी व्यक्तियों को देय रकम का एक बिल भिजवाएगा :

परन्तु—

(क) यान और जीव-जन्तु कर,

(ख) थिएटर कर, और

(ग) विज्ञापन कर,

की दशा में ऐसा बिल आवश्यक नहीं होगा।

(2) ऐसे प्रत्येक बिल में कर की विशिष्टियां और वह अवधि, जिसके लिए, वह प्रभारित किया गया है, विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

100. मांग की सूचना और सूचना फीस—(1) यदि धारा 99 के अधीन पेश किए गए बिल से संबंधित कर की रकम उसे पेश किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर संदत्त नहीं कर दी जाती अथवा यदि यान और जीव-जन्तु कर या थिएटर कर या विज्ञापन कर देय हो जाने के पश्चात् संदत्त नहीं किया जाता तो अध्यक्ष उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति पर छठी अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में एक मांग की सूचना की तामील कर सकेगा।

(2) ऐसी प्रत्येक मांग की सूचना के लिए, जो अध्यक्ष द्वारा इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति पर तामील कराई जाए, पांच रुपए से अनधिक उतनी रकम की फीस जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा अवधारित की जाए, उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय होगी तथा वसूली के खर्च में सम्मिलित कर ली जाएगी।

101. करों के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में शास्ति—(1) यदि किसी कर के संदाय के लिए दायी व्यक्ति देय राशि की धारा 100 के अधीन मांग की सूचना की तामील के तीस दिन के भीतर संदाय नहीं करता और यदि ऐसे कर के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जाती तो यह समझा जाएगा कि उसने व्यतिक्रम किया है।

(2) जब किसी कर के संदाय के लिए दायी व्यक्ति की बाबत यह समझा जाए कि उसने उपधारा (1) के अधीन व्यतिक्रम किया है तो उससे, कर की रकम की बीस प्रतिशत से अनधिक उतनी राशि जो अध्यक्ष द्वारा अवधारित की जाए, कर की रकम तथा धारा 100 की उपधारा (2) के अधीन संदेय सूचना फीस के अतिरिक्त शास्ति के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति के रूप में देय रकम इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

102. करों की वसूली—(1) यदि कर के संदाय के लिए दायी व्यक्ति मांग की सूचना की तामील के तीस दिन के भीतर देय रकम का संदाय नहीं करता है तो ऐसी राशि सभी खर्चों और उस शास्ति के साथ जो धारा 101 में उपबन्धित है, सातवीं अनुसूची में उपवर्णित रूप में जारी किए गए अधिपत्र के अधीन, व्यतिक्रमी की जंगम संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा अथवा स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा वसूल की जा सकेगी :

परन्तु अध्यक्ष ऐसी कोई राशि वसूल नहीं करेगा जिसके दायित्व का इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपील की जाने पर परिहार कर दिया जाए।

(2) इस धारा के अधीन जारी किया गया प्रत्येक अधिपत्र अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

103. करस्थम्—(1) धारा 102 के अधीन जारी किया गया अधिपत्र परिषद् के जिस अधिकारी या अन्य कर्मचारी को संबोधित है उसके लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह अधिपत्र में व्यतिक्रमी के रूप में नामित व्यक्ति की किसी जंगम संपत्ति या किसी खड़े काष्ठ, उगती फसलों या घास का, नई दिल्ली के भीतर जिस किसी स्थान में वह पाए जाएं, निम्नलिखित शर्तों, अपवादों और छूटों के अधीन रहते हुए, करस्थम् कर ले, अर्थात् :—

(क) निम्नलिखित संपत्ति का करस्थम् नहीं किया जाएगा :—

(i) व्यतिक्रमी, उसकी पत्नी और संतान के आवश्यक पहनने के वस्त्र और बिछौने तथा भोजन पकाने और खाने के बर्तन ;

(ii) शिल्पी के औजार ;

(iii) लेखा बहियां ; या

(iv) जहां व्यतिक्रमी कृषक है वहां उसकी खेती के उपकरण, बीज, अनाज और ऐसे पशु जो व्यतिक्रमी को जीविकोपार्जन में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं ;

(ख) करस्थम् अत्यधिक नहीं होगा, अर्थात् करस्थम् सम्पत्ति मूल्य में यथाशक्य उस रकम के बराबर होगा जो अधिपत्र के अधीन वसूलीय है और यदि किसी ऐसी सम्पत्ति का करस्थम् किया जाता है जिसका अध्यक्ष की राय में करस्थम् नहीं किया जाना चाहिए तो वह तुरन्त निर्मुक्त कर दी जाएगी।

(2) करस्थम् अधिपत्र के निष्पादन का भार जिस व्यक्ति पर है वह तुरन्त उस सम्पत्ति की एक तालिका बनाएगा जिसका वह अधिपत्र के अधीन अभिग्रहण करता है, और उसी समय आठवीं अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में यह लिखित सूचना कि उक्त सम्पत्ति उसमें उल्लिखित रीति से विक्रय की जाएगी उस व्यक्ति को देगा जिसके कब्जे में उक्त सम्पत्ति अभिग्रहण के समय थी।

104. करस्थम् संपत्ति का व्ययन और स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय—(1) जहां अभिगृहीत सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या जहां यह सम्भावना है कि उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय यदि वसूल की जाने वाली रकम में जोड़ा जाएगा तो उक्त व्यय उसके मूल्य से अधिक होगा वहां अध्यक्ष उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वह सम्पत्ति अभिग्रहण के समय थी, यह सूचना देगा कि वह सम्पत्ति तुरन्त विक्रय कर दी जाएगी, और यदि अधिपत्र में उल्लिखित रकम का तत्काल संदाय नहीं कर दिया जाता तो वह सम्पत्ति तद्नुसार लोक नीलाम द्वारा विक्रय कर दी जाएगी।

(2) यदि अधिपत्र इस बीच अध्यक्ष द्वारा निलम्बित नहीं कर दिया जाता है या उन्मोचित नहीं कर दिया जाता है तो अभिगृहीत सम्पत्ति धारा 103 की उपधारा (2) के अधीन तामील की गई सूचना में वर्णित अवधि के अवसान के पश्चात् अध्यक्ष के आदेश से लोक नीलाम द्वारा विक्रय कर दी जाएगी।

(3) जहां स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए अधिपत्र जारी किया जाता है वहां कुर्की ऐसे आदेश द्वारा की जाएगी जिसमें व्यतिक्रमी को सम्पत्ति किसी प्रकार से अन्तरित या भारित करने से तथा सभी व्यक्तियों को ऐसे अन्तरण या प्रभारण से कोई फायदा लेने से प्रतिषिद्ध किया जाएगा और आदेश द्वारा यह भी घोषित किया जाएगा कि यदि देय कर की रकम, वसूली के सभी खर्चों के साथ, कुर्की की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर नगरपालिका कार्यालय में संदत्त नहीं कर दी जाती है तो ऐसी सम्पत्ति का विक्रय कर दिया जाएगा।

(4) ऐसा आदेश ऐसी सम्पत्ति पर या उसके पार्श्वस्थ किसी स्थान पर डोंडी पिटवा कर या अन्य रूढ़िगत रीति से उद्घोषित किया जाएगा और ऐसे आदेश की प्रति सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर और नगरपालिका कार्यालय के किसी सशजदृश्य भाग पर तथा, जब सम्पत्ति ऐसी भूमि है जिसके लिए सरकार को राजस्व का संदाय किया जाता है, तब कलक्टर के कर्यालय में भी लगाई जाएगी।

(5) कुर्क की गई सम्पत्ति अथवा उसमें किसी हित का अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के बिना किया गया अन्तरण या प्रभारण वहां तक शून्य होगा जहां तक परिषद् के उन सभी दावों का सम्बन्ध है, जो कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय है।

(6) विक्रय आगमों का अधिशेष, यदि कोई है, सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात् तुरन्त नई दिल्ली नगरपालिक निधि में जमा कर दिया जाएगा और ऐसे जमा किए जाने की सूचना उसी समय उस व्यक्ति को जिसकी सम्पत्ति का विक्रय किया गया है अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि को दे दी जाएगी और यदि सूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर अध्यक्ष को लिखित आवेदन करके उस पर दावा किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति या प्रतिनिधि को ऐसा अधिशेष वापस कर दिया जाएगा।

(7) वह अधिशेष, जिसके लिए पूर्वोक्त रूप में एक वर्ष के भीतर दावा नहीं किया जाए, परिषद् की सम्पत्ति होगा।

(8) पूर्वगामी उपबन्धों के अनुसार दिए गए प्रत्येक करस्थम् और कुर्की के लिए उतनी रकम की फीस, जो देय कर की रकम के ढाई प्रतिशत से अनधिक हो और प्रत्येक मामले में अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए, प्रभारित की जाएगी और उक्त फीस वसूली के खर्च में सम्मिलित की जाएगी।

105. ऐसे व्यक्ति से वसूली जो नई दिल्ली या दिल्ली छोड़ने वाला है—(1) यदि अध्यक्ष के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिससे किसी कर मद्धे कोई राशि देय है या देय होने वाली है, नई दिल्ली या दिल्ली से जाने वाला है तो वह उस व्यक्ति को निदेश दे सकेगा कि वह इस प्रकार देय या देय होने वाली राशि का तुरन्त संदाय करे और उस व्यक्ति पर उस राशि के लिए मांग की सूचना की तामील कर सकेगा।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी सूचना की तामील किए जाने पर इस प्रकार देय या देय होने वाली राशि का तुरन्त संदाय नहीं करता है तो वह रकम इससे पूर्व उपबंधित रीति से करस्थम् या कुर्की और विक्रय द्वारा उद्ग्रहणीय होगी, तथा करस्थम् या कुर्की और विक्रय का अधिपत्र बिना किसी विलम्ब के जारी और निष्पादित किया जा सकेगा।

106. वसूली के लिए वाद संस्थित करने की शक्ति—व्यतिक्रमी के विरुद्ध इसमें इसके पूर्व उपबंधित रूप में करस्थम् और विक्रय की कार्यवाही करने के बजाय, या व्यतिक्रमी के विरुद्ध असफलतापूर्वक या आंशिक सफलतापूर्वक ऐसी कार्यवाही कर लेने के पश्चात्, ऐसे व्यतिक्रमी से, यथास्थिति, कर मद्धे देय कोई राशि या देय किसी राशि का अतिशेष सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में वाद लाकर वसूल किया जा सकेगा।

107. यान कर और जीव-जन्तु कर का संदाय न करने की दशा में यानों और जीव-जन्तुओं के अभिग्रहण की शक्ति—(1) यदि किसी यान कर या जीव-जन्तु कर का संदाय नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष व्यतिक्रमी के विरुद्ध इसमें इसके पूर्व उपबंधित रूप में उसकी अन्य जंगम संपत्ति के करस्थम् और विक्रय की कार्यवाही करने के बजाय, कर के देय हो जाने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे यान या जीव-जन्तु या दोनों को अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकेगा और यदि स्वामी या उनका हकदार अन्य व्यक्ति ऐसे अभिग्रहण और निरोध की तारीख से, यान के संबंध में सात दिन के भीतर और जीव-जन्तु के संबंध में दो दिन के भीतर, उसका दावा नहीं करता है और देय कर तथा अभिग्रहण और निरोध के संबंध में उपगत प्रभारों का संदाय नहीं करता है तो अध्यक्ष ऐसे यान या जीव-जन्तु का विक्रय करा सकेगा तथा विक्रय आगमों को या उतने भाग को उपयोजित कर सकेगा, जितना देय राशि और पूर्वोक्त रूप में उपगत प्रभारों के उन्मोचन के लिए अपेक्षित है।

(2) उपधारा (1) के अधीन विक्रय आगमों के उपयोजन के पश्चात् बचने वाला अधिशेष, यदि कोई है, धारा 104 की उपधारा (6) और उपधारा (7) में अधिकथित रीति से व्ययनित किया जाएगा।

108. संपत्ति कर को चुकाने के लिए भाटक का संदाय करने की अधिभोगियों से अपेक्षा जी सकती है—(1) अध्यक्ष, धारा 68 के अधीन किसी अधिभोगी से किसी संपत्ति कर की रकम वसूल करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अधिभोगी को ऐसी सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह भूमि या भवन की बाबत उसे देय या देय होने वाले किसी भाटक की उतनी रकम का परिषद् को संदाय करे जितनी उस देय रकम के किसी भाग को चुकाने के लिए आवश्यक है जिसके लिए वह उक्त धारा के अधीन दायी है।

(2) जब तक कि देय राशि का भाग संदत्त नहीं कर दिया जाता और चुका नहीं दिया जाता तब तक ऐसी सूचना उक्त भाटक की कुर्की के रूप में प्रवृत्त होगी और अधिभोगी ने ऐसी सूचना के अनुसरण में जो राशि परिषद् को संदत्त की हो उसे वह उस व्यक्ति के, जिसको ऐसा भाटक देय है, जमाखाते डालने का हकदार होगा :

परन्तु यदि वह व्यक्ति, जिसको ऐसा भाटक देय है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संपत्ति कर के संदाय के लिए प्रथमत: दायी है तो वह उस व्यक्ति से, जो ऐसे कर के संदाय के लिए प्रथमत: दायी है, ऐसी रकम वसूल करने का हकदार होगा जिसे जमाखाते डालने का पूर्वोक्त रूप में दावा किया जाता है।

(3) यदि कोई अधिभोगी पूर्वोक्त रूप में उस पर तामील की गई सूचना के अनुसरण में संदाय के लिए अपेक्षित किसी देय या देय होने वाले भाटक का परिषद् को संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसे भाटक की रकम परिषद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में उससे वसूल की जा सकती है।

परिहार और प्रतिदाय

109. भवनों का तोड़ा जाना, आदि—यदि कोई भवन पूर्णत: या भागत: तोड़ दिया या नष्ट कर दिया जाता है या अन्यथा मूल्य से वंचित कर दिया जाता है तो अध्यक्ष, स्वामी या अधिभोगी के लिखित आवेदन पर, उनके रेट-मूल्य पर निर्धारित किसी कर के उतने भाग का परिहार या प्रतिदाय कर सकेगा जितना वह ठीक समझे।

110. कर का परिहार या प्रतिदाय—(1) यदि कोई भवन और उससे संलग्न भूमि साठ या अधिक क्रमवर्ती दिनों तक रिक्त रही है और उससे कोई भाटक प्राप्त नहीं हुआ है तो अध्यक्ष उसके रेट-मूल्य पर निर्धारित संपत्ति कर के उतने भाग के दो-तिहाई का, यथास्थिति, परिहार या प्रतिदाय करेगा जितना उतने दिनों के अनुपात में है जितने दिन उक्त भवन और उससे संलग्न भूमि रिक्त रही है और उससे कोई भाटक प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) यदि कोई भूमि जो किसी भवन से संलग्न भूमि नहीं है, साठ या अधिक क्रमवर्ती दिनों तक रिक्त रही है और उससे कोई भाटक प्राप्त नहीं हुआ है तो अध्यक्ष उसके रेट-मूल्य पर निर्धारित संपत्ति कर के उतने भाग के आध का, यथास्थिति, परिहार या प्रतिदाय करेगा जितना उतने दिनों के अनुपात में है जितने दिन उक्त भूमि रिक्त रही है और उससे कोई भाटक प्राप्त नहीं हुआ है।

111. भवन के ब्यौरों की निर्धारण सूची में प्रविष्टि करने की अपेक्षा करने की शक्ति—(1) ऐसे भवन का स्वामी जिसमें पृथक्-पृथक् वासगृह हैं, कर का भागत: परिहार या प्रतिदाय अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, भवन के निर्धारण के समय अध्यक्ष से अनुरोध कर सकेगा कि वह निर्धारण सूची में संपूर्ण भवन के रेट-मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक पृथक्तः वासगृह के रेट-मूल्य के किसी ब्यौरे की बाबत टिप्पण भी दर्ज कर लें।

(2) जब कोई ऐसा वासगृह, जिसका रेट-मूल्य इस प्रकार पृथक्तः अभिलिखित किया गया है, साठ दिन या अधिक क्रमवर्ती दिनों तक रिक्त रहा है और उसका कोई भाटक प्राप्त नहीं होता है तो संपूर्ण भवन के रेट-मूल्य पर निधारित किसी कर के उतने भाग का परिहार या प्रतिदाय किया जाएगा जितने का परिहार या प्रतिदाय उस दशा में किया जाता जब वासगृह का पृथक्तः निर्धारण किया गया होता।

112. जिन परिस्थितियों में परिहार या प्रतिदाय का दावा किया जाता है उनकी सूचना देना—जब तक भूमि, भवन या वासगृह के रिक्त हो जाने और उससे कोई भाटक प्राप्त न होने के तथ्य की लिखित सूचना अध्यक्ष को न दे दी गई हो तब तक धारा 110 या धारा 111 के अधीन कोई परिहार या प्रतिदाय नहीं किया जाएगा और ऐसी सूचना के दिए जाने के पन्द्रह दिन से अधिक पूर्व आरम्भ होने वाली किसी अवधि की बाबत कोई परिहार या प्रतिदाय प्रभावी नहीं होगा।

113. कौन से भवन आदि रिक्त समझे जाएंगे—(1) धारा 110 और धारा 111 के प्रयोजनों के लिए वह भूमि, भवन या वासगृह रिक्त नहीं समझा जाएगा जो विहारस्थल या नगर या ग्राम्य आवास के रूप में रखा जाता है अथवा उसकी बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि उनसे कोई भाटक प्राप्त नहीं हो रहा है यदि वह किसी ऐसे अभिधारी को पट्टे पर दी गई है जिसका उस पर अधिभोग का सतत् अधिकार है चाहे वह वास्तव में उसका अधिभोग करता है या नहीं ।

(2) जिन तथ्यों के आधार पर कोई व्यक्ति धारा 109, धारा 110 या धारा 111 के अधीन अनुतोष पाने का दावा करने का हकदार है उन्हें साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा ।

114. रिक्त भूमि या भवन के प्रत्येक अधिभोग की सूचना का दिया जाना—जिस किसी भूमि, भवन या वासगृह की बाबत धारा 110 या धारा 111 के अधीन कर का परिहार या प्रतिदाय किया गया है उसका स्वामी ऐसी भूमि, भवन या वासगृह के पुन: अधिभोग में लिए जाने की सूचना ऐसे पुन: अधिभोग के पन्द्रह दिन के भीतर देगा ।

अपीलें

115. निर्धारण, आदि के विरुद्ध अपील—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के उद्ग्रहण या निर्धारण के विरुद्ध अपील जिला न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय को की जाएगी ।

(2) यदि इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के पूर्व या सुनवाई में किसी विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा या किसी दस्तावेज के अर्थान्वयन का प्रश्न उठता है तो जिला न्यायाधीश का न्यायालय, स्वप्रेरणा पर, मामले के तथ्यों का और इस प्रकार से उद्भूत प्रश्न का कथन तैयार कर सकेगा अथवा अपील के किसी पक्षकार के आवेदन पर तैयार करेगा और कथन को, उस प्रश्न पर अपनी राय के साथ, उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए निर्देश पर, उस मामले में पश्चात्वर्ती कार्यवाहियां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 46 में अन्तर्विष्ट उन नियमों के यथाशक्य निकटतम अनुरूप होंगी जो उच्च न्यायालय को किए जाने वाले निर्देशों से संबंधित हैं ।

(4) प्रत्येक अपील में खर्चे का आदेश न्यायालय के विवेकानुसार होगा ।

(5) इस धारा के अधीन परिषद् को अधिनिर्णीत खर्चा, परिषद् द्वारा अपीलार्थी से शोध्य कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा ।

(6) यदि परिषद् किसी अपीलार्थी को दिलवाए गए किन्हीं खर्चों का संदाय उसके संदाय के लिए आदेश की तारीख के पश्चात् दस दिन के भीतर करने में असफल रहता है तो न्यायालय अध्यक्ष को आदेश दे सकेगा कि वह अपीलार्थी को ऐसी रकम संदत्त करे ।

116. अपील के अधिकार की शर्तें—धारा 115 के अधीन कोई अपील तब तक नहीं सुनी या अवधारित की जाएगी जब तक कि—

(क) अपील, सम्पत्ति कर के मामले में, यथास्थिति, धारा 70 के अधीन निर्धारण सूची के अधिप्रमाणन की तारीख के पश्चात् (उस समय को छोड़कर जो उसमें की सुसंगत प्रविष्टियों की प्रति अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक है) अगले तीस दिन के भीतर या उस तारीख से जिसको धारा 72 के अधीन अंतिम बार संशोधन किया जाता है, तीस दिन के भीतर और किसी अन्य कर के मामले में, निर्धारण या निर्धारण में परिवर्तन की सूचना की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् अगले तीस दिन के भीतर यदि कोई सूचना नहीं दी गई है तो, यथास्थिति, प्रथम बिल के या उसके बारे में मांग की प्रथम सूचना के पेश किए जाने की तारीख के पश्चात् तीस दिन के भीतर नहीं कर दी जाती ;

(ख) अपील में विवादग्रस्त रकम, यदि कोई है, अपीलार्थी द्वारा परिषद् के कार्यालय में जमा नहीं कर दी जाती ।

117. अपील करने में विलम्ब के लिए माफी देना—धारा 116 के खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, अपील उस धारा द्वारा उसके लिए विहित अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण की जा सकती है यदि अपीलार्थी न्यायालय का समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने का उसके पास पर्याप्त हेतुक था ।

118. अपीली आदेशों की अंतिमता—न्यायालय का वह आदेश, जो किसी रेट-मूल्य या निर्धारण अथवा निर्धारण या कराधान के लिए दायित्व की बाबत किसी आदेश को पुष्ट, अपास्त या उपान्तरित करता है, अंतिम होगा :

परन्तु न्यायालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे आदेश का, जो उसने अपील में पारित किया है, पुनर्विलोकन आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा से, आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर करे ।

कराधान के संबंध में प्रकीर्ण उपबन्ध

119. रेट-मूल्य या कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए निरीक्षण करने की शक्ति—(1) अध्यक्ष—

(क) किसी भूमि या भवन के रेट-मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि या ऐसे भवन में ;

(ख) ऐसे किसी अस्तबल, गैरेज या गाड़ीघर या स्थान में, जिसकी बाबत उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वहां इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन कोई यान या जीव-जन्तु है ;

(ग) किसी ऐसे स्थान या परिसर में, जिसकी बाबत उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वह किसी से अभिनय या प्रदर्शन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है या उपयोग में लाया जाने वाला है, जिसकी बाबत थिएटर कर संदेय है या संदेय होगा ;

(घ) किसी भूमि, भवन या यान में, जिसमें या जिस पर कोई ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित किया गया है जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्वाधीन है,

कोई पूर्व सूचना दिए बिना, प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) अध्यक्ष, लिखित समन द्वारा, अपने समक्ष किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसकी बाबत उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वह किसी यान या जीव-जन्तु की बाबत कर देने के दायित्वाधीन है, या ऐसे किसी व्यक्ति के किसी सेवक की हाजिरी की अपेक्षा

कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व या कब्जे में या नियंत्रण के अधीन यानों और जीव-जन्तुओं की संख्या और वर्णन के बारे में ऐसे व्यक्ति या सेवक की परीक्षा कर सकेगा तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक सेवक अध्यक्ष के समक्ष हाजिर होने के लिए और उक्त विषयों पर अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार जानकारी देने के लिए आबद्ध होगा।

120. प्रशमन—(1) अध्यक्ष, परिषद् की पूर्व अनुज्ञा से किसी व्यक्ति को किसी कर के प्रशमन की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर के प्रशमन के कारण देय प्रत्येक राशि इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

121. वसूल न किए जा सकने वाले ऋण—(1) अध्यक्ष किसी कर या किसी कर की वसूली के खर्चे मद्धे देय किसी राशि को बट्टे खाते डाल सकेगा, यदि ऐसी राशि उसकी राय में वसूल नहीं की जा सकती :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति के पक्ष में बट्टे खाते डाली गई राशि एक हजार रुपए से अधिक है वहां परिषद् की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त की जाएगी।

(2) अध्यक्ष, परिषद् को ऐसा प्रत्येक मामला रिपोर्ट करेगा जिसमें कोई राशि उपधारा (1) के अधीन बट्टे खाते डाली गई है।

122. दायित्व प्रकट करने की बाध्यता—(1) अध्यक्ष, नई दिल्ली के किसी निवासी से ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा, लिखित सूचना द्वारा, कर सकेगा, जो निम्नलिखित को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, अर्थात् :—

(क) क्या ऐसा निवासी परिषद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर के संदाय के लिए दायी है ;

(ख) उस पर कर की कितनी रकम निर्धारित की जाए ; अथवा

(ग) जो भूमि या भवन उसके अधिभोग में है उसका रेट-मूल्य तथा उसके स्वामी या पट्टाधारी का नाम और पता।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन जानकारी देने की अपेक्षा किए जाने पर, उस अवधि के भीतर जो अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने के लिए विनिर्दिष्ट की जाती है, जानकारी देने में उपेक्षा करेगा या ऐसी जानकारी देगा जो उसकी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार सत्य नहीं है तो वह, उस शास्ति के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित की जा सकती है, कर की बाबत उतनी रकम निर्धारित किए जाने के दायित्वाधीन होगा जितनी अध्यक्ष उचित समझे, और इस प्रकार किया गया निर्धारण, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा।

123. तत्वहीन गलती में दायित्व का प्रभावित न होना—यदि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई उपविधियों में अन्तर्विष्ट निर्देशों का सारभूत और प्रभावी रूप में अनुपालन किया गया है, तो कर के संदाय के लिए दायी व्यक्ति के नाम, निवास-स्थान, कारबार या उपजीविका के स्थान में या किसी संपत्ति या वस्तु के वर्णन में कोई गलती होने या निर्धारण, प्रभार या मांग की रकम में कोई गलती होने के कारण से ही या कोई लेखन संबंधी गलती या प्ररूप की अन्य त्रुटि होने के कारण से ही कोई निर्धारण और किसी दर कर मद्धे कोई प्रभार या मांग अधिक्षिप्त नहीं की जाएगी या प्रभावित नहीं होगी तथा ऐसे किसी संपत्ति कर या ऐसे किसी कर के प्रयोजन के लिए मूल्य के किसी निर्धारण के मामले में करारोपित या निर्धारित संपत्ति का ऐसा अभिवर्णन पर्याप्त होगा जिससे कि वह साधारणत: जानी जा सके तथा उसके स्वामी या अधिभोगी का नाम देना आवश्यक नहीं होगा।

124. छूट देने की साधारण शक्ति—परिषद्, इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा, किसी वर्ग के व्यक्तियों को या किसी वर्ग की संपत्ति या माल को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर के संदाय से पूर्णत: या भागत: छूट दे सकेगी।

मनोरंजन और बाजी लगाने पर कर

125. मनोरंजन और बाजी लगाने पर करों के आगम का परिषद् को संदाय किया जाना—(1) मनोरंजन और बाजी लगाने पर करों के वे आगम जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित यूनाइटेड प्राविन्सेस एन्टरटेनमेंट एण्ड बेटिंग ऐक्ट, 1937 (1937 का यू० पी० अधिनियम 18) के उपबन्धों के अधीन नई दिल्ली में संगृहीत किए जाएं (जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की संचित निधि के भाग होंगे) उनमें से संग्रहण का उस खर्चे की कटौती करके जो सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, परिषद् को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के लिए संदत्त कर लिए जाएंगे यदि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए विनियोग द्वारा ऐसा उपबन्ध करती है।

अध्याय 9

उधार लेना

126. उधार लेने की परिषद् की शक्ति—(1) परिषद्, अपने द्वारा पारित किसी संकल्प के अनुसरण में, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत सभी करों, रेटों, उपकरों, फीसों और प्रभारों या उनमें से किसी की प्रतिभूति पर डिबेंचर के रूप में या अन्यथा ऐसी कोई धनराशि उधार ले सकेगी, जिनकी निम्नलिखित के लिए अपेक्षा की जाए, अर्थात् :—

(क) ऐसी किसी भूमि के अर्जन के लिए जिसे अर्जन करने की शक्ति उसे है;

(ख) ऐसा कोई भवन बनाने के लिए जिसका निर्माण करने की शक्ति उसे है;

(ग) ऐसे किसी स्थायी संकर्म का निष्पादन करने, ऐसे किसी संयंत्र की व्यवस्था करने या ऐसी कोई अन्य बात करने के लिए, जिसका निष्पादन या व्यवस्था करने की या जिसे करने की शक्ति उसे है यदि प्रश्नगत ऐसे प्रयोजन के कार्यान्वयन का खर्चा कई वर्षों की अवधिपर्यन्त डाला जाए;

(घ) केन्द्रीय सरकार या सरकार को देय किसी ऋण को चुकाने के लिए;

(ङ) इस अधिनियम या इससे पूर्व प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन पहले लिए गए उधार के प्रतिदाय के लिए; या

(च) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए परिषद् इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के आधार पर उधार लेने के लिए प्राधिकृत है :

परन्तु—

(i) केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना या स्थानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, 1914 (1914 का 9) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मंजूरी के लिए किए गए आवेदन के पूर्व प्रकाशन के बिना कोई उधार नहीं लिया जाएगा; और

(ii) उधार की रकम, ब्याज की दर और वे निबन्धन जिन पर उधार चालू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उसे चालू करने की तारीख भी है, प्रति-संदाय का समय और पद्धति और ऐसी ही अन्य बातें, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन होंगी।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई धनराशि उधार ली गई है तब उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए उधार ली गई किसी धनराशि का कोई भाग ऐसे अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से, जो अनन्यत: उक्त प्रयोजन को कार्यान्वित करने के संबंध में नियोजित हैं, भिन्न अन्य अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों के संदाय के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

127. धारा 126 के अधीन उधार लिए गए धन के प्रति-संदाय के लिए समय—धारा 126 के अधीन उधार लिए गए किसी धन के प्रतिसंदाय के लिए समय किसी भी दशा में साठ वर्ष से अधिक नहीं होगा और किसी पहले के उधार के उन्मोचन के प्रयोजन के लिए उधार लिए गए किसी धन के प्रतिसंदाय के लिए समय, केन्द्रीय सरकार की अभिव्यक्त मंजूरी के सिवाय, उस अवधि के अनवसित भाग से अधिक नहीं होगा जिसके लिए ऐसा पहला उधार मंजूर किया गया था।

128. डिबेंचरों का रूप और प्रभाव—इस अध्याय के अधीन पुरोधृत सभी डिबेंचर ऐसे प्ररूप में होंगे, जो परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, अवधारित करे और वे ऐसी रीति से अंतरणीय होंगे जो ऐसे डिबेंचरों में अभिव्यक्त की जाएं। ऐसे डिबेंचरों में से किसी द्वारा प्रतिभूत धन के संबंध में वाद लाने का अधिकार उसके तत्समय धारकों में निहित होगा और कतिपय डिबेंचरों के अन्य डिबेंचरों की अपेक्षा पूर्वतर तारीख का होने के कारण उन्हें कोई अधिमानता नहीं दी जाएगी।

129. संयुक्त पाने वालों के उत्तरजीवियों को संदाय—जब इस अधिनियम के अधीन पुरोधृत कोई डिबेंचर या प्रतिभूति दो या अधिक व्यक्तियों को संयुक्तत: संदेय है और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है या दोनों की मृत्यु हो जाती है तो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी, वह डिबेंचर या प्रतिभूति ऐसे व्यक्ति के उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को संदेय होगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के विरुद्ध किसी दावे पर प्रभाव नहीं डालेगी।

130. ब्याज या लाभांश के लिए संयुक्त धारकों द्वारा रसीद—जब दो या अधिक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पुरोधृत किसी डिबेंचर या प्रतिभूति के संयुक्त धारक हों तब ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक ऐसे डिबेंचर या प्रतिभूति के संबंध में संदेय किसी ब्याज या लाभांश के लिए प्रभावशील रसीद तब तक दे सकेगा जब तक ऐसे व्यक्तियों में से अन्य द्वारा परिषद् को इसके प्रतिकूल सूचना न दे दी गई हो।

131. निक्षेप निधियां रखना और उनका विनिधान—(1) परिषद् पुरोधृत डिबेंचरों पर उधार लिए गए धन के प्रतिसंदाय के लिए निक्षेप निधियां रखेगी और ऐसी निक्षेप निधियों में प्रतिवर्ष उतनी राशि का संदाय करेगी जो पुरोधृत डिबेंचरों पर उधार लिए गए सभी धनों का उधार के लिए नियत अवधि के भीतर प्रतिसंदाय करने के लिए पर्याप्त हो।

(2) अध्यक्ष निक्षेप निधियों में संदत्त सभी धनराशियों का विनिधान यथाशक्यशीघ्र लोक प्रतिभूतियों में करेगा और ऐसे प्रत्येक विनिधान की रिपोर्ट पन्द्रह दिन के भीतर परिषद् को करेगा।

(3) किसी ऐसे विनिधान की बाबत प्राप्त सभी लाभांश और अन्य राशियां, प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र निक्षेप निधियों में संदत्त की जाएंगी और उपधारा (2) में अधिकथित रीति से विहित की जाएंगी।

(4) जहां निक्षेप निधि के किसी भाग का विनिधान नई दिल्ली नगरपालिक डिबेंचरों में किया जाता है या किसी उधार के प्रतिसंदाय के लिए नियत अवधि से पहले ही उधार के किसी भाग को चुकाने में उसका उपयोजन किया जाता है वहां जो ब्याज ऐसे

डिबेंचरों पर या उधार के ऐसे भाग पर अन्यथा संदेय होता वह ब्याज निक्षेप निधि में संदत्त किया जाएगा और उपधारा (2) में अधिकथित रीति से विहित किया जाएगा।

(5) इस धारा के अधीन किए गए किसी विनिधान में, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, फेरफार या परिवर्तन किया जा सकेगा।

132. निक्षेप निधियों का उपयोजन—निक्षेप निधि या उसका कोई भाग उस उधार या उधार के भाग के उन्मोचन के लिए उपयोजित किया जाएगा जिसके लिए ऐसी निधि का सृजन किया गया था और जब तक ऐसे उधार या उसके भाग का पूर्णतया उन्मोचन नहीं हो जाता तब तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसे उपयोजित नहीं किया जाएगा :

परन्तु जब कोई उधार या उसका भाग धारा 134 के अधीन समेकित किया गया है तब अध्यक्ष मूल उधारों की निक्षेप निधियों का उतना भाग समेकित उधार की निक्षेप निधि में अंतरित कर देगा जितना समेकित उधार में सम्मिलित किए गए मूल उधारों की रकम का आनुपातिक हो।

133. अध्यक्ष द्वारा वार्षिक विवरण—(1) अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष के अन्त में परिषद् को एक विवरण देगा जिसमें निम्नलिखित बातें दर्शित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) वह रकम जो वर्ष के दौरान धारा 131 के अधीन विनिहित की गई है;

(ख) विवरण दिए जाने के पूर्व किए गए अंतिम विनिधान की तारीख;

(ग) उस समय उसके हाथ में प्रतिभूतियों की कुल रकम; और

(घ) विवरण की तारीख तक उधारों के उन्मोचन के लिए धारा 132 के अधीन उपयोजित की गई कुल रकम।

(2) ऐसा प्रत्येक विवरण राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

134. उधारों को समेकित करने की परिषद् की शक्ति—(1) इस अध्याय में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, परिषद् अपने सभी या किन्हीं उधारों को समेकित कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए नए उधार के लिए (जो "नई दिल्ली नगरपालिक परिषद् समेकित उधार 19……..." कहा जाएगा) निविदाएं आमंत्रित कर सकेगा और नगरपालिक डिबेंचरों के धारकों का उनके डिबेंचरों का ऐसे उधार के स्क्रिप में विनिमय करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा।

(2) ऐसे समेकित उधार के निबंधन और उसके स्क्रिपों का प्ररूप तथा वे दरें जिन पर ऐसे समेकित उधार में विनिमय अनुज्ञात किया जाएगा, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन होंगे।

(3) किसी ऐसे समेकित उधार के विनिमय की अवधि, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना, उस सबसे अंतिम तारीख से परे बढ़ाई नहीं जाएगी जिसके भीतर समेकित किए जाने वाले उधारों में से कोई अन्यथा प्रतिसंदेय होता।

(4) परिषद् निक्षेप निधि में धारा 132 के अधीन अंतरिम रकम को ध्यान में रखते हुए, किसी ऐसे समेकित उधार के निक्षेप निधि में से प्रतिसंदाय की व्यवस्था धारा 131 में अधिकथित रीति से करेगी।

135. अन्य संदायों की अपेक्षा ब्याज के संदाय और उधार के प्रतिसंदाय को पूर्विकता दिया जाना—(1) उधारों के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय के लिए परिषद् द्वारा देय सभी संदायों को उसके द्वारा अन्य सभी देय संदायों की अपेक्षा पूर्विकता दी जाएगी।

(2) यदि परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार या सरकार से उधार ली गई या उधार ली गई किसी राशि या उसके संबंध में देय किसी ब्याज या खर्च का उधार की शर्तों के अनुसार प्रतिसंदाय नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार या सरकार नई दिल्ली नगरपालिक निधि या उसके किसी भाग को कुर्क कर सकेगी।

(3) ऐसी कुर्की के पश्चात् कोई भी व्यक्ति, सिवाय केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी के, कुर्की की गई निधि के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करेगा; किन्तु ऐसा अधिकारी उसकी बाबत ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जो नगरपालिक प्राधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी, यदि कुर्की न की गई होती, तो करता और आगमों का उपयोजन बकाया और उसके संबंध में देय सभी ब्याज और खर्च तथा कुर्की और पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों द्वारा कारित व्ययों को चुकाने के लिए कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कुर्की किसी ऐसे ऋण को न तो विफल करेगी और न उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालेगी जिसके लिए निधि पहले विधि के अनुसार भारित की गई थी और केन्द्रीय सरकार या सरकार को देय ऋण चुकाने के लिए आगमों के किसी भाग के उपयोजन से पूर्व ऐसे सभी पूर्व प्रभार निधि के आगमों में से संदत्त किए जाएंगे।

136. विनियम बनाने की शक्ति—परिषद् इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, जिसके अंतर्गत, विशिष्टतया चोरी या विनाश द्वारा या अन्यथा डिबेंचरों के खो जाने की दशा में डिबेंचरों की दूसरी प्रति जारी करना भी है और ऐसे विनियमों द्वारा, इस निमित्त विहित फीस का संदाय किए जाने पर डिबेंचरों का नवीकरण भी है, विनियम बना सकेगी।

अध्याय 10

संपत्ति और संविदाएं

संपत्ति

137. संपत्ति का अर्जन—परिषद् को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए जंगम और स्थावर सम्पत्ति, या उसमें कोई हित अर्जित और धारण करने की शक्ति होगी।

138. करार द्वारा स्थावर संपत्ति का अर्जन—जब कभी परिषद्, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, कोई स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने का विनिश्चय करती है तब अध्यक्ष परिषद् की ओर से ऐसी सम्पत्ति को परिषद् द्वारा अनुमोदित निबन्धनों और कीमत पर करार द्वारा अर्जित करेगा।

139. जब स्थावर संपत्ति करार द्वारा अर्जित नहीं की जा सकती तब प्रक्रिया—जब कभी अध्यक्ष धारा 138 के अधीन करार द्वारा कोई स्थावर सम्पत्ति अर्जित करने में असमर्थ है तब केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष के अनुरोध पर उसका अर्जन, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के उपबन्धों के अधीन करा सकेगी और उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर तथा उस सरकार द्वारा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उपगत प्रभारों का परिषद् द्वारा संदाय किए जाने पर वह भूमि परिषद् में निहित हो जाएगी।

140. जंगम सम्पत्ति का व्ययन—(1) परिषद् की जंगम सम्पत्ति के व्ययन की बाबत अध्यक्ष, एक बार में एक हजार रुपए से अनधिक मूल्य की या ऐसी उच्चतर रकम की, जो परिषद् विहित करे, परिषद् की कोई जंगम सम्पत्ति स्वविवेकानुसार, विक्रय द्वारा या अन्यथा व्ययनित कर सकेगा या परिषद् की किसी जंगम संपत्ति को भाटक पर या अवक्रय पर या परिषद् की किसी स्थावर संपत्ति को पट्टे पर, जिसके अंतर्गत फल इकठ्ठा करने तथा लेने और उसी प्रकार का अधिकार भी है, एक समय पर अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में अध्यक्ष परिषद् की मंजूरी से परिषद् की किसी जंगम संपत्ति का पट्टा दे सकेगा, विक्रय कर सकेगा, उसे किराए पर दे सकेगा या उसका अन्यथा अंतरण कर सकेगा।

141. स्थावर संपत्ति का व्ययन—(1) अध्यक्ष, परिषद् की मंजूरी से, परिषद् की किसी स्थावर संपत्ति का पट्टा दे सकेगा, विक्रय कर सकेगा, उसे किराए पर दे सकेगा या उसका अन्यथा अंतरण कर सकेगा।

(2) वह प्रतिफल जिसके लिए किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय किया जा सकेगा, उसे पट्टे पर दिया जा सकेगा या अन्यथा अंतरित किया जा सकेगा उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर ऐसी स्थावर संपत्ति का सामान्य और उचित प्रतियोगिता में विक्रय किया जा सकता था, उसे पट्टे पर दिया जा सकता था या अन्यथा अंतरित किया जा सकता था।

(3) धारा 140 या इस धारा के अधीन परिषद् की मंजूरी साधारणतया किसी वर्ग के मामलों के लिए या विशेष रूप से किसी विशिष्ट मामले के लिए दी जा सकेगी।

(4) किन्हीं शर्तों या परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में विनिर्दिष्ट की जाएं, धारा 140 और इस धारा के पूर्वगामी उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन या उसके किसी प्रयोजन के लिए परिषद् की संपत्ति के प्रत्येक व्ययन को लागू होंगे।

(5) धारा 140 की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति के व्ययन के प्रत्येक मामले की रिपोर्ट अध्यक्ष बिना किसी विलंब के परिषद् को भेजेगा।

संविदाएं

142. परिषद् द्वारा संविदाएं—धारा 143 और धारा 144 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक कोई संविदा करने और उसका पालन करने के लिए सक्षम होगी।

143. संविदा करने की प्रक्रिया—संविदाएं करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात् :—

(क) परिषद् की ओर से प्रत्येक ऐसी संविदा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी;

(ख) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसे अध्यक्ष इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसार परिषद् के अनुमोदन या मंजूरी के बिना कार्यान्वित नहीं कर सकता, अध्यक्ष तब तक कोई संविदा नहीं करेगा जब तक कि ऐसा अनुमोदन या मंजूरी सम्यक् रूप से अभिप्राप्त न कर ली गई हो;

(ग) अध्यक्ष दस लाख रुपए या उससे अधिक उतनी रकम के, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर नियत करे, व्यय से संबंधित कोई संविदा तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका परिषद् द्वारा पूर्वानुमोदन नहीं कर दिया जाता; और

(घ) अध्यक्ष द्वारा की गई उस संविदा की, जो एक लाख रुपए से अधिक किन्तु दस लाख रुपए से अनधिक या उससे अधिक उतनी रकम के, जो खंड (ग) के अधीन नियत की जाएं, व्यय से संबंधित है, रिपोर्ट इस संविदा के किए जाने के एक मास के भीतर अध्यक्ष द्वारा परिषद् को की जाएगी।

144. संविदाओं के निष्पादन की रीति—(1) इस अधिनियम के अधीन संविदाओं के निष्पादन की रीति इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाएगी ।

(2) जो संविदा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई उपविधियों के अनुसार नहीं की जाती है वह परिषद् के लिए आबद्धकर नहीं होगी ।

अध्याय 12

जल प्रदाय, निकास और मल संग्रह

साधारण

145. परिभाषाएं—इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जल प्रदाय के सम्बन्ध में निम्नलिखित शब्दों और पदों के वे अर्थ होंगे जो नीचे दिए गए हैं, अर्थात् :—

(1) "संचार पाइप" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(क) जहां वे परिसर जिनमें जल का प्रदाय किया जाता है, उस पथ के भाग से लगे हुए हैं जिस पथ पर मुख्य प्रणाल डाला गया है और सर्विस पाइप पथ से लगे भवन की बाहरी दीवार के बीच से न जाकर अन्य प्रकार से उन परिसरों में जाता है और उसकी रोक काक (स्टाप काक) उन परिसरों के अन्दर और उस पथ की सीमा से उतनी निकट लगी है जितनी उचित रूप से साध्य है वहां सर्विस पाइप का उतना भाग जितना मुख्य प्रणाल और उस रोक काक के बीच में है;

(ख) किसी अन्य दशा में, सर्विस पाइप का उतना भाग जो मुख्य प्रणाल और उस पथ की, जिसमें मुख्य प्रणाल डाला गया है, सीमा के बीच है और इसके अन्तर्गत मुख्य प्रणाल और सर्विस पाइप के जोड़ पर लगा फैरूल भी है और :—

(i) जहां रोक काक संचार पाइप के छोर पर हो वहां वह रोक काक भी है, और

(ii) संचार पाइप के छोर और मुख्य प्रणाल के बीच संचार पाइप में लगी रोक काक भी है ।

(2) "मुख्य प्रणाल" से वह पाइप अभिप्रेत है जो परिषद् ने व्यष्टिक उपभोक्ताओं को जल प्रदाय के लिए नहीं अपितु साधारण जल प्रदाय के लिए डाला है और इसके अंतर्गत ऐसे पाइप के संबंध में प्रयुक्त कोई साधित्र भी है ।

(3) "सर्विस पाइप" से किसी परिसर को मुख्य प्रणाल से जल प्रदाय करने के लिए लगे किसी पाइप का उतना भाग अभिप्रेत है जहां तक उस मुख्य प्रणाल से जल का दबाव पहुंचता है या किसी टोंटी के बन्द न किए जाने की दशा में पहुंचता ।

(4) "प्रदाय पाइप" से किसी सर्विस पाइप का उतना भाग अभिप्रेत है जो संचार पाइप नहीं है ।

(5) "ट्रंक मुख्य प्रणाल" से ऐसा मुख्य प्रणाल अभिप्रेत है जो प्रदाय के स्रोत से फिल्टर या जलाशय तक या एक फिल्टर या जलाशय से दूसरे फिल्टर या जलाशय तक जल ले जाने के प्रयोजन के लिए या प्रदाय की सीमाओं के एक भाग से उन सीमाओं के दूसरे भाग तक थोक मात्रा में जल ले जाने के प्रयोजन के लिए या थोक मात्रा में जल प्रदाय करने या जल लेने के प्रयोजन के लिए निर्मित किया गया है ।

(6) "जल फिटिंग" के अन्तर्गत (मुख्य प्रणालों से भिन्न) पाइप, टोंटियां, काक, वाल्व, फैरूल, मीटर, हौज, कुण्ड और वैसे ही अन्य साधित्र हैं जो जल के प्रदाय और उपयोग के लिए काम में लाए जाते हैं ।

146. परिषद् सर्वेक्षण कर सकेगी और प्रस्ताव तैयार कर सकेगी—(1) परिषद्,—

(क) नई दिल्ली में जल प्रदाय के विद्यमान उपभोग और मांग तथा नई दिल्ली में उपलब्ध तथा संभाव्यत: उपलभ्य जल स्रोतों का सर्वेक्षण कर सकेगी;

(ख) नई दिल्ली की भावी जल प्रदाय संबंधी आवश्यकताओं का प्राक्कलन तैयार करा सकेगी;

(ग) मल संग्रह की विद्यमान मात्रा का सर्वेक्षण कर सकेगी; और

(घ) (i) नई दिल्ली की विद्यमान या भावी जल प्रदाय संबंधी आवश्यकताओं के बारे में प्रस्ताव बना सकेगी;

(ii) नई दिल्ली में विद्यमान या भावी मल संग्रह संबंधी आवश्यकताओं के बारे में प्रस्ताव बना सकेगी जिसके अंतर्गत उस रीति की बाबत जिससे और उस स्थान या उन स्थानों की बाबत प्रस्ताव भी है जहां मल व्ययन ले जाया जाएगा और उसका संग्रह किया जाएगा ।

(2) यदि परिषद् की यह राय है कि संकर्म या परिषद् में तत्समय निहित कोई अन्य संपत्ति इस अधिनियम के अधीन पर्याप्त जल प्रदाय या जल के पर्याप्त संग्रह के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त है तो वह प्रशासक के अनुमोदन से नई दिल्ली या नई दिल्ली से बाहर अतिरिक्त संकर्मों के सन्निर्माण और ऐसे संकर्मों के लिए अतिरिक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कदम उठा सकेगी ।

जल प्रदाय

147. जल प्रदाय संबंधी कृत्य—(1) परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) नई दिल्ली के भीतर पर्याप्त और स्वास्थ्यकर जल का प्रदाय अभिनिश्चित करने और केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी से बड़ी मात्रा में जल प्रदाय प्राप्त करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए;

(ख) नई दिल्ली के ऐसे प्रत्येक भाग में, जहां घर हैं, उनके अधिभोगियों के घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइपों में स्वास्थ्यकर जल के प्रदाय की व्यवस्था करने के लिए और ऐसे जल प्रदाय वाले पाइपों को ऐसे स्थान या स्थानों तक लगाने के लिए जहां से उन घरों को युक्तियुक्त खर्च पर पाइपों से जोड़ा जा सके, समय-समय पर कदम उठाए । किन्तु इस खंड के कारण परिषद् से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह कोई ऐसी बात करे जो युक्तियुक्त खर्च पर साध्य नहीं है या नई दिल्ली के किसी ऐसे भाग में जल प्रदाय करे जिसमें ऐसा जल प्रदाय पूर्वोक्त स्थान या स्थानों में पहले से ही उपलभ्य है;

(ग) नई दिल्ली के ऐसे प्रत्येक भाग में, जहां घर हैं, और जिन्हें युक्तियुक्त खर्च पर पाइपों द्वारा जल प्रदाय करना साध्य नहीं है और जिनमें विद्यमान प्रदाय की अपर्याप्तता या अस्वास्थ्यकारिता से स्वास्थ्य के लिए खतरा है और जिनमें सार्वजनिक प्रदाय अपेक्षित है और युक्तियुक्त खर्च पर किया जा सकता है, उनके अधिभोगियों के घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइपों द्वारा जल प्रदाय न करके किसी अन्य प्रकार से स्वास्थ्यकर जल प्रदाय की यथासम्भव व्यवस्था करने के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा प्रदाय उस भाग में के प्रत्येक घर को युक्तियुक्त दूरी पर उपलब्ध रहे, समय-समय पर कदम उठाए ।

(2) यदि उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन इस बारे में कि क्या कोई बात युक्तियुक्त खर्च पर साध्य है अथवा नहीं या उस स्थान पर या उन स्थानों के बारे में, जहां तक नलों को लगाया जाना चाहिए जिससे कि घरों को उनसे युक्तियुक्त खर्च पर जोड़ा जा सके या उक्त उपधारा के खंड (ग) के अधीन इस बारे में कि क्या सार्वजानिक जल प्रदाय की व्यवस्था युक्तियुक्त खर्च पर की जा सकती है, कोई प्रश्न उठता है तो परिषद् उस प्रश्न को अवधारित करेगी और तदुपरि वह उस अवधारण को कार्यान्वित करेगी ।

(3) उपधारा (1) के उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यक्ष, जहां तक युक्तियुक्त तौर पर साध्य हो, यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि प्रत्येक घर में घरेलू प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्यकर जल का पर्याप्त प्रदाय उपलब्ध रहे, घरों के स्वामियों से यह अपेक्षा करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन करेगा कि वे उनमें जल प्रदाय की व्यवस्था करें ।

(4) परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि परिषद् के जिन जल संकर्मों से घरेलू प्रयोजनों के लिए जल का प्रदाय किया जाता है, उनमें का जल स्वास्थ्यप्रद है ।

148. घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रदाय किए गए जल का उपयोग गैर-घरेलू प्रयोजनों के लिए न किया जाना—कोई व्यक्ति अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के बिना घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रदाय किए गए जल का उपयोग घरेलू प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए नहीं करेगा और न करने देगा ।

149. घरेलू प्रयोजनों के लिए जल के प्रदाय में कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जल के प्रदाय का सम्मिलित न होना—इस अधिनियम के अधीन जो जल प्रदाय घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है, उसमें—

(क) जो जीव-जन्तु या यान विक्रय या भाड़े के लिए रखे जाते हैं, ऐसे जीव-जन्तुओं के लिए या यानों को धोने के लिए;

(ख) किसी व्यापार, विनिर्माण या कारबार के लिए;

(ग) फव्वारों, तैरने के कुण्डों या किसी सजावटी या यांत्रिक प्रयोजन के लिए;

(घ) बागों के लिए या सिंचाई के प्रयोजनों के लिए;

(ङ) पथ बनाने या उन पर छिड़काव करने के लिए; अथवा

(च) निर्माण के प्रयोजनों के लिए ;

कोई जल प्रदाय सम्मिलित नहीं समझा जाएगा ।

150. गैर घरेलू प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय करने की शक्ति—(1) अध्यक्ष घरेलू प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए जल प्रदाय इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई उपविधियों से संगत ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो परिषद् द्वारा इस निमित्त अधिकथित की जाएं, ऐसा लिखित आवेदन प्राप्त होने पर कर सकेगा, जिसमें वह प्रयोजन जिसके लिए जल प्रदाय अपेक्षित है और वह मात्रा जिसके उपभोग की संभावना है, विनिर्दिष्ट हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर अध्यक्ष ऐसे प्रभारों और रेटों के अधीन रहते हुए, जो उक्त परिषद् द्वारा नियत किए जाएं, ऐसे आकार और किस्म के आवश्यक पाइप और जल फिटिंग जो उपविधियों द्वारा विहित की जाएं, लगा सकेगा, या लगाने की अनुज्ञा दे सकेगा और ऐसे पाइपों और फिटिंगों से जल प्रदाय की व्यवस्था कर सकेगा ।

151. आग बुझाने के लिए जल का उपयोग—जल का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है ।

152. जल प्रदाय लेने की अपेक्षा करने की शक्ति—(1) यदि अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि नई दिल्ली के किसी परिसर में घरेलू प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्यकर जल का प्रदाय नहीं हो रहा है या ऐसे परिसर का प्राय: अधिभोग करने वाले या उनमें नियोजित व्यक्तियों के लिए घरेलू प्रयोजन के लिए उपलब्ध जल का विद्यमान प्रदाय अपर्याप्त है या स्वच्छता की दृष्टि से आपत्तिजनक है तो अध्यक्ष परिसर के स्वामी से या परिसर की बाबत सम्पत्ति कर देने के लिए प्रथमत: दायी व्यक्तियों से लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे—

(क) परिसर का अधिभोग करने वाले या उनमें नियोजित व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त कनैक्शन नगरपालिक जल संकर्म से लें या ऐसा अतिरिक्त या बड़ा कनैक्शन नगरपालिक जल संकर्म से लें; और

(ख) ऐसे प्रदाय पाइप और जल फिटिंग लगाएं और ऐसा पम्प लगाएं और चालू करें और ऐसे सभी कार्य करें और ऐसे सभी उपाय करें, जो अध्यक्ष की राय में उक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना में अध्यक्ष निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) लगाए जाने वाले पाइपों और जल फिटिगों का आकार, सामग्री और क्वालिटी;

(ख) लगाए जाने वाले पाइपों और जल फिटिंगों की स्थिति;

(ग) पाइपों और जल फिटिंगों के निरीक्षण के लिए पहुंच के साधन;

(घ) किस प्रकार का पम्प लगाया जाना चाहिए और दिन की किस अवधि या अवधियों में वह चलता रहना चाहिए;

(ङ) वह अवधि जिसके भीतर सूचना में विनिर्दिष्ट कोई या सभी अध्यपेक्षाएं कार्यान्वित की जानी चाहिएं ।

153. जल प्रदाय के लिए इंतजाम न होने की दशा में नए परिसरों का अधिभोग न किया जाना—(1) नई दिल्ली के किसी ऐसे भाग में, नवनिर्मित किसी परिसर के स्वामी के लिए उसका अधिभोग करना या कराना या उसका अधिभोग किए जाने की अनुज्ञा देना तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक वह अध्यक्ष से ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता कि परिसर के भीतर या उससे उचित दूरी पर स्वास्थ्यकर जल के उतने प्रदाय की व्यवस्था कर ली गई है जितना अध्यक्ष की उन व्यक्तियों के लिए जो ऐसे परिसर का अधिभोग करेंगे या वहां नियोजित किए जाएंगे घरेलू प्रयोजनों के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है ।

154. जनता को आनुग्रहिक जल प्रदाय—(1) अध्यक्ष, परिषद् के अनुमोदन से, नई दिल्ली में जनता को स्वास्थ्यकर जल के आनुग्रहिक प्रदाय की व्यवस्था कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए सार्वजनिक नलके या अन्य सुविधाएं लगा सकेगा ।

(2) अध्यक्ष, वैसे ही अनुमोदन से, किसी सार्वजनिक नलके को या अन्य सुविधा को तब बंद कर सकेगा जब जनता की स्वास्थ्यकर जल प्रदाय के लिए उनकी आवश्यकता न रहे ।

155. मुख्य प्रणाल बिछाने की शक्ति—(1) अध्यक्ष, परिषद् की स्थानीय सीमाओं के भीतर या बाहर—

(क) किसी पथ में; और

(ख) ऐसी भूमि के, जो किसी पथ का भागरूप नहीं है, प्रत्येक स्वामी और अधिभोगी की सहमति से, उस भूमि में, उसके ऊपर होकर या उस पर, मुख्य प्रणाल बिछा सकेगा और इस भांति बिछाए गए किसी मुख्य प्रणाल का चाहे इस धारा के आधार पर या अन्यथा, समय-समय पर निरीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या नवीकरण कर सकेगा या उसे किसी समय हटा सकेगा :

परन्तु जहां इस उपधारा के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सहमति, निर्धारित कर ली जाती है वहां अध्यक्ष भूमि के उस स्वामी या अधिभोगी को ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना देने के पश्चात् उस भूमि में, उसके ऊपर होकर या उस पर ऐसी सहमति के बिना मुख्य प्रणाल बिछा सकेगा ।

(2) जहां अध्यक्ष इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसी किसी भूमि में, जो पथ का भागरूप नहीं है या उसके ऊपर होकर या उस पर मुख्य प्रणाल बिछाता है या ऐसी भूमि में, उसके ऊपर होकर या उस पर ऐसे बिछाए गए मुख्य प्रणाल का निरीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या नवीकरण करता है या उसे हटाता है वहां मुख्य प्रणाल के निरीक्षण, बिछाए जाने, मरम्मत, परिवर्तन, नवीकरण या हटाए जाने के कारण भूमि को हुए किसी नुकसान या क्षतिकारक प्रभाव के लिए वह उस भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिकर संदत्त करेगा ।

156. सर्विस पाइप, आदि बिछाने की शक्ति—(1) अध्यक्ष परिषद् की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी पथ में, रोक काक और अन्य जल फिटिंगों सहित ऐसे सर्विस पाइप बिछा सकेगा जो वह परिसरों में जल प्रदाय के लिए आवश्यक समझे और इस धारा के आधार पर या अन्यथा किसी पथ में बिछाए गए किसी सर्विस पाइप का समय-समय पर निरीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या नवीकरण कर सकेगा और उसे किसी समय हटा सकेगा ।

(2) जहां किसी ऐसी भूमि में जो पथ का भागरूप नहीं है, उसके ऊपर होकर या उस पर कोई सर्विस पाइप विधिपूर्वक बिछाया गया है वहां अध्यक्ष समय-समय पर उस भूमि में प्रवेश कर सकेगा और पाइप का निरीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या नवीकरण कर सकेगा या उसे हटा सकेगा या उसके स्थान पर नया पाइप बिछा सकेगा किन्तु वह ऐसे कार्य के दौरान किए गए किसी नुकसान के लिए प्रतिकर संदत्त करेगा ।

157. अग्निशामक नलकों की व्यवस्था—(1) अध्यक्ष ऐसे स्थानों पर जो आग लगने पर उसे बुझाने के लिए जल का प्रदाय करने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक हों, जल मुख्य प्रणालों (ट्रंक मुख्य प्रणालों से भिन्न) पर नलके लगाएगा और ऐसे नलकों को ठीक दशा में रखेगा और समय-समय पर उनका नवीकरण करेगा ।

(2) इस धारा के अधीन लगाए गए प्रत्येक नलके की स्थिति को दर्शाने के लिए ऐसे नलके के निकट किसी दीवार, भवन या अन्य संरचना पर अक्षर, चिह्न या अंक प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किए जाएंगे ।

(3) जैसे ही कोई ऐसा नलका तैयार हो जाता है, अध्यक्ष उसकी एक कुंजी ऐसे प्रत्येक स्थान पर जहां सार्वजनिक दमकल रखा जाता है, और ऐसे अन्य स्थानों पर, जहां वह ठीक समझे, रखेगा ।

(4) अध्यक्ष ऐसे पथ में या उसके निकट जहां पाइप (जो कि ट्रंक मुख्य प्रणाल नहीं है और नलका डालने के लिए पर्याप्त आकार का है) लगाया गया है किसी कारखाने, कर्मशाला, व्यापार परिसर या कारबार के स्थान के स्वामी या अधिभोगी के अनुरोध और व्यय पर, उस कारखाने, कर्मशाला, व्यापार परिसर या कारबार के स्थान के उतने निकट जितना सुविधापूर्ण हो, केवल आग बुझाने के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए पाइप पर एक या अधिक अग्निशामक नलके लगा सकेगा और वह उन्हें ठीक दशा में रखेगा और समय-समय पर उनका नवीकरण करेगा ।

(5) अध्यक्ष किसी ऐसे पाइप से, जिस पर नलका लगाया गया है, सभी व्यक्तियों को आग को बुझाने के लिए, बिना किसी संदाय के जल लेने देगा ।

158. जल प्रदाय—(1) अध्यक्ष किसी परिसर के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी को उसके घरेलू प्रयोजनों के लिए परिसर में जल प्रदाय के लिए नगरपालिक जल संकर्म से ऐसे परिसर को प्रदायी पाइपों के माध्यम से जोड़ने की अनुज्ञा धारा 159 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और इस निमित्त बनाई गई उपविधियों में अधिकथित शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन दे सकेगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक परिसर का स्वामी, जो नगरपालिक जल संकर्म से जुड़ा हुआ है, जब उससे अध्यक्ष द्वारा अपेक्षा की जाए तो, विद्युत पम्प या अन्य प्रयुक्तियां लगाएगा जिससे कि जल ऐसे परिसर की अंतिम मंजिल तक पहुंच सके ।

159. प्रदाय पाइप आदि का बिछाया जाना—(1) ऐसे परिसर के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी को, जो नगरपालिक जल संकर्म से अपने घरेलू प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय की वांछा करता है, निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, अर्थात् :—

(क) वह आवश्यक प्रदाय पाइप बिछाने के अपने आशय की सूचना, अध्यक्ष को चौदह दिन पूर्व देगा, और

(ख) वह प्रदाय पाइप अपने व्यय पर बिछाएगा और उससे पूर्व, उस भूमि के संबंध में जो पथ का भाग नहीं है, उसके स्वामियों या अधिभोगियों की सहमति अभिप्राप्त करेगा :

परन्तु जहां प्रदाय पाइप का कोई भाग पथ में डाला जाना है वहां वह स्वयं पथ को न तो खोदेगा और न पाइप का वह भाग बिछाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष आवश्यक संचार पाइप और प्रदाय पाइप का ऐसा कोई भाग जो पथ में बिछाया जाना हो, बिछाएगा और संचार पाइप को प्रदाय पाइप से जोड़ेगा ।

(3) अध्यक्ष द्वारा किसी ऐसे कार्य के निष्पादन पर उचित रूप से उपगत व्यय, जिस कार्य का निष्पादन इस धारा के अधीन उससे अपेक्षित है या जिसके लिए वह इस धारा के अधीन प्राधिकृत है, उस व्यक्ति द्वारा उसे प्रतिसंदत्त किया जाएगा जिसने उसे सूचना दी थी और ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष इस धारा के उपबन्धों के अधीन किसी प्रदाय पाइप के स्थान पर मुख्य प्रणाल बिछाता है तो ऐसे मुख्य प्रणाल बिछाए जाने पर उपगत अतिरिक्त खर्च उसी के द्वारा वहन किया जाएगा ।

(4) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष उस पर सूचना की तामील के पश्चात् उचित समय के भीतर, सूचना देने वाले व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस कार्य के खर्च को, जैसा की अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्राक्कलित किया गया हो, अग्रिम संदाय करे या उसके संदाय के लिए आयुक्त के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति दे ।

(5) यदि उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष को दिया गया कोई संदाय उन व्ययों से अधिक है जिनकी वसूली आयुक्त सूचना देने वाले व्यक्ति से करने का हकदार हो तो ऐसी अधिक रकम अध्यक्ष द्वारा प्रतिसंदत्त की जाएगी और यदि ऐसे व्ययों की पूर्ति संदाय से नहीं होती तो अध्यक्ष ऐसे अतिशेष को ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा ।

160. पृथक् सर्विस पाइपों की अपेक्षा करने की शक्ति—(1) अध्यक्ष यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे प्रत्येक परिसर में, जिसके लिए उसने जल का प्रदाय किया है या प्रदाय किया जाना है, पृथक् सर्विस पाइप की व्यवस्था की जाए।

(2) यदि अध्यक्ष किसी ऐसे परिसर की दशा में जिसमें पहले से जल का प्रदाय किया जा रहा है किन्तु जिसमें पृथक् सर्विस पाइप नहीं है परिसर के स्वामी को ऐसे पाइप की व्यवस्था करने की अपेक्षा करते हुए, सूचना देता है तो ऐसा स्वामी तीन मास के भीतर अपेक्षित पाइप का उतना भाग बिछाएगा जो प्रदाय पाइप हो सके और जो पथ में डाले जाने के लिए अपेक्षित नहीं है और अध्यक्ष स्वामी द्वारा ऐसा किए जाने के पश्चात् चौदह दिन के भीतर अपेक्षित पाइप का उतना भाग बिछाएगा जो संचार पाइप या पथ में डाले जाने वाला प्रदाय पाइप हो जाए और सभी आवश्यक संयोजन करेगा।

(3) यदि वह स्वामी जिस पर किसी सूचना की उपधारा (2) के अधीन तामील की गई है, उसका अनुपालन करने में असफल रहता है तो अध्यक्ष उस कार्य को स्वयं निष्पादित कर सकेगा जिसके निष्पादन करने की अपेक्षा स्वामी से की गई थी और उस कार्य के निष्पादन में उचित रूप से उपगत व्यय को इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा।

161. रोक काक—(1) अध्यक्ष ऐसे प्रत्येक सर्विस पाइप पर, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् बिछाया जाए, और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व बिछाए गए प्रत्येक सर्विस पाइप पर एक रोक काक लगा सकेगा जो ऐसे बन्द बक्से में या ऐसे आकार के गड्ढे में रखी जाएगी जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, किसी सर्विस पाइप पर लगाई गई प्रत्येक रोक काक ऐसी स्थिति में रखी जाएगी जो अध्यक्ष सर्वाधिक सुविधापूर्ण समझे :

परन्तु—

(क) प्राइवेट परिसर में की रोक काक उस पथ के, जिसमें से सर्विस पाइप उस परिसर में प्रवेश करता है, यथासाध्य निकटतम स्थान पर रखी जाएगी; और

(ख) पथ में की रोक काक उसकी सीमा के यथासाध्य निकटतम रखी जाएगी।

162. मीटर की व्यवस्था करने की अध्यक्ष की शक्ति—(1) अध्यक्ष जल मीटर की व्यवस्था कर सकेगा और उसे नगरपालिक जल संकर्म से सम्बद्ध परिसर में के सर्विस पाइप के साथ जोड़ सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन मीटर की व्यवस्था करने और उस जोड़ने का व्यय नई दिल्ली नगरपालिक निधि में से सदंत्त किया जाएगा।

(3) मीटरों का उपयोग, उनके उपयोग के लिए संदत्त किए जाने वाला भाटक, उनका अनुरक्षण और परीक्षण परिषद् द्वारा इस निमित्त किए गए आदेशों द्वारा विनियमित होगा।

163. मीटरों के ठीक होने की उपधारणा—जब कभी इस अध्याय के अधीन जल का प्रदाय मीटर से होकर किया जाता है, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह उपधारण की जाएगी कि मीटर द्वारा उपदर्शित मात्रा में जल का उपभोग किया गया है।

164. जल के अपव्यय या दुरुपयोग का प्रतिषेध—(1) कोई भी व्यक्ति जिस पर कोई फिटिंग बनाए रखने का दायित्व है, उसे जानबूझकर या उपेक्षा से—

(क) ऐसी बिगड़ी दशा में या मरम्मत की आवश्यकता की स्थिति में नहीं होने देगा या रहने देगा, या उसे नुकसान नहीं उठाने देगा, अथवा

(ख) इस प्रकार से निर्मित या अनुकूलित या प्रयुक्त नहीं होने देगा या नहीं रहने देगा या उसे इस प्रकार नुकसान नहीं उठाने देगा,

जिससे परिषद् द्वारा उसे प्रदाय किए गए जल का अपव्यय, दुरुपयोग या असम्यक् रूप से उपभोग हो या उपभोग से पूर्व संदूषण हो या होने की सम्भावना हो या परिषद् के किसी पाइप या परिषद् के किसी पाइप से जुड़े किसी पाइप में दूषित वायु या किसी अशुद्ध पदार्थ के लौट आने की संभावना हो।

(2) यदि कोई ऐसी जल फिटिंग जिसे कोई व्यक्ति बनाए रखने के दायित्वाधीन है, ऐसी दशा में है या पूर्वोक्त रूप में निर्मित या अनुकूलित की गई है तो अध्यक्ष, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह आवश्यक मरम्मत या परिवर्तन करे और यदि वह व्यक्ति अड़तालीस घंटे के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है तो अध्यक्ष स्वयं उस काम को पूरा कर सकेगा और उसे पूरा करने में उसके द्वारा उचित रूप से उपगत व्यय को ऐसे व्यक्ति से कर की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा।

165. जल के अपव्यय या दुरुपयोग का पता लगाने के लिए परिसरों में प्रवेश करने की शक्ति—(1) अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई नगरपालिक अधिकारी ऐसे किसी परिसर में जिसे परिषद् द्वारा जल प्रदाय किया जाता है, यह परीक्षा करने के लिए कि ऐसे जल का अपव्यय या दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच प्रवेश कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या ऐसे अधिकारी को परिसर में प्रवेश करने से इन्कार नहीं करेगा और न उसके द्वारा परीक्षा किए जाने में बाधा डालेगा।

166. जल फिटिंगों का परीक्षण करने की शक्ति—अध्यक्ष परिषद् द्वारा प्रदाय किए गए जल के संबंध में प्रयुक्त किसी जल फिटिंग का परीक्षण कर सकता है।

167. प्रदाय के प्रदूषित स्रोत से जल को बन्द करने की या ऐसे जल के उपयोग को निर्बन्धित करने की शक्ति—(1) यदि अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसे कुएं, तालाब या प्रदाय के अन्य स्रोत का, जो परिषद् में निहित नहीं है, जल या उससे अभिप्राप्त जल जो घरेलू प्रयोजनों के लिए, या मानव उपभोग के लिए खाद्य या पेय तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है इस प्रकार से प्रदूषित हो गया है या प्रदूषित हो सकता है जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो अध्यक्ष उसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी को, जिसके परिसर में ऐसे प्रदाय का स्रोत अवस्थित है, सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि प्रदाय का वह स्रोत स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बन्द कर दिया जाए या काट दिया जाए या उसका जल केवल कतिपय प्रयोजनों के लिए ही प्रयोग किया जाए या ऐसा आदेश दे सकेगा जो ऐसे जल का उपयोग करने वाले या उससे या उसके साथ तैयार किए गए खाद्य या पेय का उपभोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य को क्षति या खतरे का निवारण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

(2) अध्यक्ष, इस धारा के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व, परिषद् के खर्च पर ऐसे जल का विश्लेषण करा सकेगा।

(3) यदि वह व्यक्ति जिसे इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, उसका पालन करने में असफल रहता है तो अध्यक्ष ऐसे आदेश को प्रभावी करने के लिए जो भी कार्यवाही आवश्यक हो, कर सकेगा, और ऐसा करने में उसके द्वारा उचित रूप से उपगत कोई व्यय व्यतिक्रमी व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

168. जल के पाइपों आदि को ऐसे स्थान पर लगाना जहां जल प्रदूषित हो जाएगा—(1) जल का कोई पाइप किसी नाली में या खुली सरणी में या सफाई गली में या मलकुंड से छह मीटर के भीतर, या किसी ऐसी स्थिति में नहीं बिछाया जाएगा, जहां पाइप को नुकसान पहुंचने या उसके जल के प्रदूषित हो जाने की संभावना है और कोई कुआं या तालाब तथा अध्यक्ष की सहमति के सिवाय कोई हौज, किसी शौचालय या मलकुंड से छह मीटर के भीतर निर्मित नहीं किया जाएगा।

(2) कोई शौचालय या मलकुंड, किसी कुएं, तालाब या जल के पाइप या हौज के छह मीटर के भीतर अथवा किसी ऐसी स्थिति में निर्मित नहीं किया जाएगा जहां पाइप, कुएं, तालाब या हौज को नुकसान पहुंचने या उसके जल के प्रदूषित हो जाने की संभावना है।

169. प्राइवेट जल प्रदाय को काटने या जल को रोकने की शक्ति—(1) अध्यक्ष, उपविधियों में इस निमित्त अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी नगरपालिक जल संकर्म से किसी परिसर या उसके भाग को, जिसे परिषद् द्वारा प्राइवेट जल प्रदाय किया जाता है, जल के प्रदाय को काट सकेगा या उसे रोक सकेगा।

(2) जल प्रदाय को काटने या रोकने का व्यय परिसर के स्वामी या अधिभोगी द्वारा संदत्त किया जाएगा और स्वामी या अधिभोगी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

170. जल प्रदाय के संबंध में अपराध के लिए स्वामियों और अधिभोगियों का संयुक्त और पृथक् दायित्व—(1) यदि नगरपालिक जल संकर्म से जुड़े किसी परिसर पर जल प्रदाय के संबंध में कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किया जाता है तो उक्त परिसर का स्वामी संपत्ति कर के संदाय के लिए प्राथमिक रूप से दायी व्यक्ति और अधिभोगी ऐसे अपराध के लिए संयुक्ततः और पृथक्तः दायी होंगे।

नालियां और मल निकास

171. सार्वजानिक नालियों, आदि का परिषद् में निहित होना—(1) नई दिल्ली स्थित सभी सार्वजानिक नालियां, किसी सार्वजानिक पथ में, उसके किनारे या उसके नीचे की ओर सभी नालियां चाहे वे नई दिल्ली नगरपालिक निधि से या अन्यथा निर्मित्त की गई हों और उनसे अनुलग्न सभी संकर्म सामग्रियां, और चीजें परिषद् में निहित होंगी।

(2) सभी सार्वजनिक और अन्य नालियां जो परिषद् में निहित हैं, इस अधिनियम में इसके पश्चात् नगरपालिका नाली कही गई हैं।

(3) किसी ऐसी नाली या मल संग्रहण संकर्म से अनुलग्न उतनी अवमृदा भी, जितनी उक्त नाली या मल संग्रहण संकर्म को बड़ा करने, गहरा करने या अन्यथा उसकी मरम्मत या अनुरक्षण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, परिषद् में निहित समझी जाएगी।

(4) नगरपालिक निधि में से किसी ऐसे परिसर में या उस पर जो परिषद् का नहीं है,—

(क) चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या इसके पश्चात् ; और

(ख) चाहे वह ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी के उपयोग के लिए है या नहीं,

निर्मित या बनाए गए या लगाए गए जल निकास संकर्म से सम्बन्धित सभी नालियों और संवातन, नाल, पाइप तथा सभी साधित्र और फिटिंगें तब तक परिषद् में निहित होंगे और सदैव से निहित समझे जाएंगे जब तक कि परिषद् ने अन्यथा अवधारित नहीं किया हो या परिषद् किसी समय अन्यथा अवधारित नहीं कर देती।

172. नालियों और मल संग्रहण संकर्मों का नियंत्रण—(1) सभी नगरपालिका नालियां, सभी मल संग्रहण और उनसे अनुलग्न सभी संकर्म, सामग्रियां और चीजें, अध्यक्ष के नियंत्रण में होंगी ।

(2) अध्यक्ष सभी नगरपालिका नालियों और मल संग्रहण संकर्मों को बनाए रखेगा, उनकी मरम्मत करेगा और जब परिषद् द्वारा प्राधिकृत किया जाए तब, उतनी गई नालियां और मल संग्रहण संकर्म निर्मित करेगा जितना प्रभावी रूप से जल निकास या मल संग्रहण के लिए समय-समय पर आवश्यक हों ।

173. कतिपय पदार्थों का नगरपालिका नालियों में न डाला जाना—(1) कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका नाली में या नगरपालिका नाली से जोड़ने वाली किसी नाली में निम्नलिखित पदार्थ नहीं फेंकेगा, गिराएगा या उलटेगा, अर्थात् :—

(क) कोई ऐसा पदार्थ जिससे नाली को नुकसान हो सकता है या उसकी अन्तर्वस्तु के निर्बाध प्रवाह में बाधा पड़ सकती है या उसकी अन्तर्वस्तु की अभिक्रिया और व्ययन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; अथवा

(ख) कोई रसायन, कचरा या स्टीम अपशिष्ट या पैंतालीस डिग्री सेन्टीग्रैड से उच्चतर तापमान वाला कोई द्रव्य जो ऐसा कचरा या स्टीम है या ऐसा द्रव्य है जो गर्म किए जाने पर या तो स्वयं ही या नाली के अन्तर्वस्तु के साथ मिल कर खतरनाक है या न्यूसेंस का कारण है, या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है; अथवा

(ग) कोई खतरनाक पैट्रोलियम ।

(2) इस धारा में "खतरनाक पैट्रोलियम" पद का वही अर्थ है जो पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) में है ।

174. स्वामियों और अधिभोगियों द्वारा नगरपालिका नाली से नाली जोड़ने के लिए आवेदन—(1) उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों में विहित की जाएं, किसी ऐसे परिसर का स्वामी या अधिभोगी जिसमें प्राइवेट नाली है, या नई दिल्ली के भीतर किसी प्राइवेट नाली का स्वामी अपनी नाली को नगरपालिका नालियों से जोड़ने के लिए और उस परिसर से या उस प्राइवेट नाली से दूषित जल और भूतल जल को निस्सारित करने के लिए अध्यक्ष को आवेदन कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को निम्नलिखित का हकदार नहीं बनाएगी, अर्थात् : —

(क) किसी नगरपालिका नाले में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित का निस्सारण करने के लिए—

(i) इस निमित्त बनाई गई उपविधियों के अनुसार, न कि अन्यथा किसी व्यापार परिसर से कोई व्यापार बहि:स्राव; अथवा

(ii) कोई ऐसा द्रव या ऐसा अन्य पदार्थ जिसका नगरपालिका नालियों में निस्सारण इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रतिषिद्ध है; अथवा

(ख) जहां दूषित जल और भूतल जल के लिए पृथक् नगरपालिका नालियों की व्यवस्था है वहां प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित का निस्सारण करने के लिए—

(i) भूतल जल के लिए बनाई गई नाली में दूषित जल; अथवा

(ii) अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, दूषित जल के लिए बनाई गई नाली में भूतल जल; अथवा

(ग) बरसाती जल वाली नाली के साथ सीधे ही अपनी नाली को जोड़ने के लिए ।

(2) जो व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का फायदा उठाने की वांछा करता है, वह अपनी प्रस्थापनाओं की सूचना अध्यक्ष को देगा, और ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात् एक मास के भीतर अध्यक्ष नालियों को इस प्रकार से जोड़ने की अनुज्ञा देने से इंकार कर सकता है यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि नाली के निर्माण का ढंग या नाली की स्थिति ऐसी है कि उसे जोड़ने से जल निकास प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और अध्यक्ष नाली के निर्माण के ढंग और उसकी स्थिति के परीक्षण के प्रयोजन के लिए, यदि आवश्यक हो तो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि उसे निरीक्षण के लिए खोला जाए ।

(3) यदि अध्यक्ष ऐसा ठीक समझे तो वह संकर्म के उतने भाग को जितना नगरपालिका नाली के साथ प्राइवेट नाली को जोड़ने के लिए आवश्यक है और किसी सार्वजनिक पथ में या उसके नीचे है, निर्मित कर सकेगा और ऐसी दशा में अध्यक्ष द्वारा उपगत व्यय, यथास्थिति, परिसर के स्वामी या अधिभोगी द्वारा या प्राइवेट नाली के स्वामी द्वारा संदत्त किया जाएगा और वह स्वामी या अधिभोगी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा ।

175. नाली रहित परिसरों से जल की निकासी—(1) जहां किसी परिसर में अध्यक्ष की राय में प्रभावशील जल निकास का पर्याप्त साधन नहीं है और उक्त परिसर के किसी भाग से तीस मीटर से अनधिक की दूरी पर कोई नगरपालिका नाली या गन्दगी और अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थ के निस्सारण के लिए अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कोई स्थान है, वहां अध्यक्ष लिखित सूचना द्वारा, उक्त परिसर के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह—

(क) ऐसी नगरपालिका नाली में या स्थान में गिरने वाली नाली बनाए;

(ख) ऐसे सभी साधित्रों और फिटिंगों तथा उनसे सम्बन्धित प्रत्येक फिक्सचर की व्यवस्था करे और उन्हें लगाए जो ऐसे परिसर की गन्दगी और अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थ को एकत्रित और ग्रहण करने तथा उसे वहां से प्रवाहित करने के लिए और ऐसी नाली को प्रभावशील ढंग से फ्लश करने के लिए अध्यक्ष को आवश्यक प्रतीत हो;

(ग) किसी ऐसी विद्यमान नाली या अन्य साधित्र या चीज को हटाए जो जल निस्सारण के लिए प्रयुक्त है या प्रयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, जो स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर है;

(घ) खुली नाली के स्थान पर बन्द नाली की व्यवस्था करे या किसी अन्य साधित्र या चीज की, नए रूप से या किसी विद्यमान साधित्र या चीज के स्थान पर, व्यवस्था करे या विद्यमान खुली नाली और साधित्र या चीज के स्थान पर, जो स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर है या हो सकती है, बन्द नाली और ऐसे अन्य साधित्र या चीज की या दोनों की, व्यवस्था करे;

(ङ) ऐसे सभी साधित्र और फिटिंग की व्यवस्था करे और उन्हें लगाए जो अध्यक्ष को भवन के फर्शों और गैलरियों से, तब जब उन्हें धोया जाए, बेकार जल को एकत्रित करने और ग्रहण करने और उन्हें नालियों से होकर अधोगामी पाइपों द्वारा प्रवाहित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो जिससे कि ऐसे बेकार जल को सीधे ही पथ में या परिसर के किसी निम्नतर भाग में गिरने से रोका जा सके;

(च) किसी ऐसी विद्यमान नाली को, जो अनुपयुक्त, अपर्याप्त या त्रुटिपूर्ण है, सुधारने या पुन: रूप देने का कोई कार्य पूरा करे।

(2) जहां किसी ऐसी दशा में, जिसके लिए उपधारा (1) में उपबंध नहीं किया गया है, किसी परिसर की बाबत अध्यक्ष की यह राय है कि उसमें प्रभावशील जल निकास का पर्याप्त साधन नहीं है, वहां वह परिसर के स्वामी से लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह—

(क) ऐसी सूचना में विहित किन्तु परिसर के किसी भाग से तीस मीटर से अनधिक दूरी तक नाली निर्मित करे; अथवा

(ख) ढका हुआ मलकुण्ड या, सिक्तनगर्त तथा ऐसे मलकुंड या, सिक्तनगर्त में गिरने वाली नाली या नालियों निर्मित करे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी नाली के निर्माण के लिए किसी अध्यपेक्षा में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ब्यौरों में से कोई हो सकता है।

176. नए परिसरों का नालियों के बिना न बनाया जाना—(1) नई दिल्ली में कोई परिसर बनाना या पुन: बनाना या ऐसे परिसर का अधिभोग करना तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक—

(क) उसमें ऐसे आकार, सामग्री और वर्णन की तथा ऐसे स्तर पर और ऐसे ढाल वाली नाली का निर्माण नहीं कर दिया जाए जो अध्यक्ष को ऐसे परिसर के प्रभावशील जल निकास के लिए आवश्यक प्रतीत हो;

(ख) ऐसे परिसर में ऐसे साधित्रों और फिटिंगों की व्यवस्था न कर दी गई हो और न लगा दिए गए हों जो उक्त परिसर में से गंदगी और अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थों को एकत्रित या ग्रहण करने और उसे वहां से प्रवाहित करने के लिए तथा उक्त परिसर की नाली और उससे संबद्ध प्रत्येक फिक्सचर को प्रभावशील रूप से फ्लश करने के लिए अध्यक्ष को आवश्यक प्रतीत हो।

(2) इस प्रकार निर्मित नाली परिसर से तीस मीटर से अनधिक दूरी पर स्थित नगरपालिका नाली में गिरेगी। किन्तु यदि उतनी दूरी के भीतर कोई नगरपालिका नाली स्थित नहीं है तो ऐसी नाली उतनी दूरी के भीतर स्थित किसी मलकुण्ड में गिरेगी जो दूरी अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाए।

177. परिसरों के समूह या ब्लाक से संयुक्त संक्रियाओं द्वारा जल निकास करने की शक्ति—(1) यदि अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि परिसरों के किसी समूह या ब्लाक में से जल का निकास पृथक्तः करने की अपेक्षा संयुक्त रूप से करना अधिक मितव्ययितापूर्ण या लाभप्रद हो सकता है, और पर्याप्त आकार की नगरपालिका नाली पहले से ही विद्यमान है या परिसरों के किसी समूह या ब्लाक के किसी भाग के तीस मीटर के भीतर निर्मित होने वाली है तो अध्यक्ष परिसरों के समूह या ब्लाक का जल निकास संयुक्त संक्रियाओं द्वारा करा सकेगा।

(2) परिसरों के किसी समूह या ब्लाक की बाबत उपधारा (1) के अधीन संकर्म को पूरा करने में किया गया व्यय ऐसे परिसरों के स्वामियों द्वारा ऐसे अनुपात में संदत्त किया जाएगा जो अध्यक्ष अवधारित करे और वह उनसे इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

(3) अध्यक्ष ऐसे किसी संकर्म के प्रारंभ होने के पन्द्रह दिन से अन्यून पूर्व प्रत्येक ऐसे स्वामी को—

(क) प्रस्थापित संकर्म के स्वरूप की लिखित सूचना; और

(ख) उसके सम्बन्ध में उपगत किए जाने वाले व्यय का और ऐसे व्ययों का, जो अनुपात उसके द्वारा संदेय है, प्राक्कलन,

देगा।

(4) अध्यक्ष परिसरों के ऐसे समूह के या ब्लाक के स्वामियों से इस धारा के अधीन निष्पादित संकर्म को बनाए रखने की अपेक्षा कर सकेगा।

178. कतिपय दशाओं में प्राइवेट नालियों को बन्द करने या उनका उपयोग सीमित करने की अध्यक्ष की शक्ति—जहां किसी परिसर की नगरपालिका नाली से जोड़ने वाली नाली ऐसे परिसरों से जल के प्रभावशील निकास के लिए पर्याप्त है और अन्यथा आपत्ति रहित है किन्तु अध्यक्ष की राय में नई दिल्ली की साधारण जल निकास प्रणाली के अनुकूल नहीं है तो वह परिसर के स्वामी को संबोधित लिखित सूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि,—

(क) ऐसी नाली को बन्द कर दिया जाए, काम में न लाया जाए या नष्ट कर दिया जाए और उस प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई कार्य पूरा किया जाए; अथवा

(ख) ऐसी नाली का उपयोग उस तारीख से, जो इस निमित्त सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, केवल गन्दगी और प्रदूषित जल के लिए या केवल वर्षा जल और अप्रदूषित अवमृदा जल के लिए किया जाए :

परन्तु—

(i) अध्यक्ष द्वारा कोई नाली खंड (क) के अधीन इस शर्त पर ही बन्द की जा सकती है, रोकी जा सकती है या नष्ट की जा सकती है, अन्यथा नहीं कि वह परिसर से जल निकास के लिए वैसी ही प्रभावशील और किसी नगरपालिका नाली से जुड़ने वाली नाली की व्यवस्था करे, जैसी वह ठीक समझे; और

(ii) परिषद् द्वारा इस प्रकार व्यवस्था की गई किसी नाली के और खंड (क) के अधीन किए गए किसी संकर्म के निर्माण का व्यय नई दिल्ली नगरपालिक निधि में से संदत्त किया जा सकता है।

179. स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा नाली का उपयोग—(1) जहां किन्हीं परिसरों के स्वामी से आवेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा अध्यक्ष की राय है कि परिसरों से नगरपालिका नाली में प्रभावशील जल निकास का एकमात्र या सर्वाधिक सुविधापूर्ण उपाय अन्य व्यक्ति की नाली से होकर ही है वहां अध्यक्ष, लिखित सूचना द्वारा, ऐसी नाली के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करे कि इस धारा के अधीन आदेश क्यों न किया जाए।

(2) जहां विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है या दर्शित किया गया हेतुक अध्यक्ष को अविधिमान्य या अपर्याप्त प्रतीत होता है वहां अध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा या तो परिसर के स्वामी को नाली का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा या उसको उसका संयुक्त स्वामी घोषित कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश में निम्नलिखित की बाबत निदेश अन्तर्विष्ट हो सकते हैं, अर्थात् :—

(क) परिसर के स्वामी द्वारा भाटक या प्रतिकर का संदाय;

(ख) पूर्वोक्त नाली से परिसर को जोड़ने के प्रयोजन के लिए परिसरों के लिए नाली का निर्माण

(ग) सहायकों और कर्मकारों के साथ सभी उचित समयों पर उस भूमि में प्रवेश जिसमें पूर्वोक्त नाली स्थित है;

(घ) पूर्वोक्त नाली को बनाए रखने, उसकी मरम्मत करने, उसे फ्लश करने, साफ करने तथा खाली करने के लिए पक्षकारों के तत्संबंधी उत्तरदायित्व।

180. जल नालियों और वर्षा जल नालियों का पृथक्-पृथक् होना—इस अध्याय में जहां भी यह उपबन्धित है कि किसी परिसर से जल के प्रभावशील निकास के लिए कदम उठाए जाएंगे या उठाए जा सकते हैं वहां अध्यक्ष यह अपेक्षा करने के लिए सक्षम होगा कि गन्दगी और प्रदूषित जल के लिए एक नाली हो और वर्षा जल तथा अप्रदूषित अवमृदा जल के लिए सर्वथा पथृक्-पृथक् नाली हो या वर्षा जल और अप्रदूषित अवमृदा जल, दोनों के लिए एक पृथक् नाली हो और उनमें से प्रत्येक पृथक् नगरपालिका नालियों में या अन्य उपयुक्त स्थानों में गिरती हो।

181. संतोषप्रद जल निकास के लिए कतिपय संकर्मों का निष्पादन करने की स्वामी से अपेक्षा करने की अध्यक्ष की शक्ति—अध्यक्ष किसी परिसर से जल के पर्याप्त निकास के प्रयोजन के लिए लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा, कि—

(क) दो या अधिक भवनों के बीच का कोई प्रांगण, वीथि या रास्ता ऐसे भवनों के स्वामी या स्वामियों द्वारा ऐसी सामग्रियों से और ऐसी रीति से, जो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जाए, पटवा दिया जाए, और

(ख) ऐसे पटाव की उचित मरम्मत की जाती रहे।

मल संग्रह

182. नालियों के गिरने और मल संग्रह के स्थान नियत करना—अध्यक्ष जिस स्थान या जिन स्थानों को उपयुक्त समझता है वहां पर सभी नगरपालिका नालियों या उनमें से किन्हीं को गिरवा सकेगा और ऐसा मल वहां संग्रह करा सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई स्थान, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् परिषद् के अनुमोदन के बिना प्रयोग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि उस तारीख को और उसके पश्चात्, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियत करे, कोई मल किसी जलमार्ग में तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि उसका इस प्रकार अभिक्रियान्वयन न कर लिया जाए कि उससे उस जल की, जिसमें उसे छोड़ा जाता है, शुद्धता और क्वालिटी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ;

प्रकीर्ण

183. अनुज्ञा के बिना किसी जल संकर्म और नालियों से कनैक्शन न दिया जाना—अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए किसी समय ऐसी किसी नाली से, जो धारा 172 में निर्दिष्ट है या किसी जल संकर्म से जिसका निर्माण परिषद् ने किया है या जिसका अनुसरण परिषद् करती है या जो परिषद् में निहित है, कोई कनैक्शन या संयोजन नहीं करेगा या न कराएगा ।

184. नालियों या जल संकर्मों के ऊपर किसी भवन, रेल और प्राइवेट पथ का अनुज्ञा के बिना बनाया या निर्मित न किया जाना—(1) अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी नगरपालिका नाली या किसी जल संकर्म के ऊपर जो परिषद् द्वारा निर्मित या अनुरक्षित है या उसमें निहित हैं, कोई रेल या प्राइवेट पथ निर्मित या बनाया नहीं जाएगा और कोई भवन, दीवार, बाड़ या अन्य संरचना खड़ी नहीं की जाएगी ।

(2) यदि अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्वोक्त रूप में किसी नाली या जल संकर्म के ऊपर कोई रेल या प्राइवेट पथ निर्मित किया जाता है या कोई भवन, दीवार, बाड़ या संरचना खड़ी की जाती है तो अध्यक्ष उसे हटा सकेगा या उसकी बाबत अन्यथा ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने में उपगत व्यय प्राइवेट पथ या भवन, बाड़ या दीवार या अन्य संरचना के, यथास्थिति, स्वामी द्वारा या रेल प्रशासन द्वारा या अपराध करने वाले व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा ।

185. जलवाही सेतुओं, लाइनों, आदि के लिए सम्पत्ति के उपयोग के अधिकार—(1) अध्यक्ष किसी स्थावर सम्पत्ति के ऊपर से, नीचे से, साथ या आर-पार, चाहे वह सम्पत्ति परिषद् की स्थानीय सीमाओं के भीतर है या बाहर उस संपत्ति का अर्जन किए बिना, जलवाही सेतु, नलिका या मुख्य प्रणाल की लाइनें या पाइप या नालियां डाल सकेगा और उनका अनुरक्षण कर सकेगा, तथा किन्हीं जलवाही, सेतुओं, नलिकाओं या मुख्य प्रणाल की लाइनों या पाइपों या नालियों के परीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या हटाने के प्रयोजन के लिए किसी भी समय किसी ऐसी संपत्ति पर प्रवेश कर सकेगा जिसके ऊपर से, नीचे से, साथ या आर-पार कोई जलवाही सेतु, नलिकाएं, या मुख्य प्रणाल की लाइनें या पाइप या नालियों डाली गई हैं :

परन्तु परिषद् को उस संपत्ति में, जिसके ऊपर, नीचे, साथ या आर-पार कोई जलवाही सेतु, नलिका या मुख्य प्रणाल की लाइन या पाइप या नाली डाली गई है, उपयोग के अधिकार से भिन्न कोई अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगा ।

(2) संघ में निहित या केन्द्रीय सरकार या रेल प्रशासन के नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन या किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित किसी संपत्ति के संबंध में उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या रेल प्रशासन या स्थानीय प्राधिकारी की अनुज्ञा से ही और इस निमित्त बनाई गई किन्हीं उपविधियों के अनुसार ही प्रयोक्तव्य होंगी, अन्यथा नहीं :

परन्तु अध्यक्ष ऐसी अनुज्ञा के बिना किसी ऐसे विद्यमान संकर्म में, जिसकी प्रकृति या स्थिति में कोई फेरेफार नहीं किया जाना है, मरम्मत, नवीकरण या संशोधन कर सकेगा, यदि ऐसी मरम्मत, नवीकरण या संशोधन जल प्रदाय, जल निकास या मल संग्रहण को निर्विघ्न रूप से बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक है अथवा वह इस प्रकार का है कि उसमें कोई विलम्ब स्वास्थ्य मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक होगा ।

(3) अध्यक्ष इस धारा द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में जहां तक संभव हों सकें कम से कम नुकसान और असुविधा पहुंचाएगा और यदि कोई नुकसान या असुविधा उसके द्वारा पहुंचाई जाती है तो उसके लिए पूर्ण प्रतिकर देगा ।

186. अन्य व्यक्तियों की भूमि से होकर पाइप और नालियां डालने की परिसर के स्वामी की शक्ति—(1) यदि अध्यक्ष को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी परिसर में जल प्रदाय करने और उससे जल निकास करने का एकमात्र या सर्वाधिक सुविधापूर्ण उपाय अन्य व्यक्ति की स्थावर संपत्ति के ऊपर से, नीचे से, साथ या आर-पार कोई पाइप या नाली डालना या ले जाना ही है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, परिसर के स्वामी को ऐसी स्थावर संपत्ति के ऊपर से, नीचे से, साथ या आर-पार ऐसा पाइप या ऐसी नाली डालने या लगाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व स्थावर संपत्ति के स्वामी को, ऐसे समय के भीतर जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने का कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए, उचित अवसर देगा :

परन्तु यह और कि परिसर का स्वामी उस संपत्ति में जिसके ऊपर से, नीचे से, साथ या आर-पार कोई पाइप या नाली डाली जाती है या लगाई जाती है, उपयोग के अधिकार से भिन्न कोई अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश किए जाने पर, परिसर का स्वामी ऐसी स्थावर सम्पत्ति के ऊपर से, नीचे से, साथ या आर-पार पाइप या नाली डालने या उसकी मरम्मत करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा करने के अपने आशय की युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात्, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अपने सहायकों और कर्मकारों के साथ ऐसी स्थावर सम्पत्ति पर प्रवेश कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन कोई पाइप या नाली डालने या लगाने में स्थावर सम्पत्ति को, जहां तक संभव हो सके, कम से कम नुकसान पहुंचाया जाएगा और परिसर का स्वामी—

(क) पाइप या नाली यथासाध्य न्यूनतम समय में डलवाएगा या लगवाएगा;

(ख) ऐसा पाइप या ऐसी नाली डालने या लगाने के प्रयोजन के लिए खोदी गई, तोड़ी गई या हटाई गई किसी भूमि को अपने खर्चे पर, और यथासाध्य न्यूनतम समय में भरेगा, पूर्वस्थिति में लाएगा और ठीक करेगा;

(ग) स्थावर सम्पत्ति के स्वामी और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा पाइप या नाली के डालने या लगाने के कारण नुकसान हुआ हो, प्रतिकर देगा।

(4) यदि किसी ऐसी स्थावर सम्पत्ति का स्वामी, जिस सम्पत्ति के ऊपर से, नीचे से, साथ या आर-पार कोई पाइप या नाली इस धारा के अधीन उस समय डाली गई या लगाई गई थी जब ऐसी सम्पत्ति पर कोई निर्माण नहीं हुआ था, उस पर कोई भवन बनाने की वांछा करता है तो अध्यक्ष परिसर के स्वामी से लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस पाइप या नाली को ऐसी रीति से, जो उसके द्वारा अनुमोदित की जाए, बन्द कर दे, हटा दे या उसका मार्ग बदल दे और उस स्थावर सम्पत्ति को इस प्रकार भर दे, पूर्वस्थिति में ला दे और ठीक कर दे मानो उस सम्पत्ति के ऊपर से या नीचे से या साथ या आर-पार कोई पाइप या नाली डाली नहीं गई हो या लगाई नहीं गई हो :

परन्तु तब तक कोई भी अध्यपेक्षा नहीं की जाएगी जब तक अध्यक्ष की राय में, प्रस्थापित भवन के निर्माण या निरापद उपभोग के लिए ऐसे पाइप या नाली को बन्द करना, हटाना या उसका मार्ग बदलना आवश्यक या समीचीन न हो।

187. रेल की सतह, आदि को ऊंचा या नीचा करने की अपेक्षा करने की शक्ति—यदि परिषद् किसी रेल लाइन के आर-पार पाइप या नाली डालती या लगाती है या जल प्रदाय या जल निकास से संबंधित कोई अन्य कार्य करती है तो वह, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से और नई दिल्ली नगरपालिक निधि के खर्चे पर, रेल प्रशासन से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह रेल की सतह को ऊंचा या नीचा करे।

188. दायित्वाधीन व्यक्ति को सूचना देने के पश्चात् कार्य का निष्पादन करने की अध्यक्ष की शक्ति—(1) जब किसी व्यक्ति से इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन कोई कार्य निष्पादित करने की अपेक्षा की जाए या वह उसे निष्पादित करने के दायित्वाधीन हो तो अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समय के भीतर जो इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे कार्य को निष्पादित करने का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे कार्य को इस अधिनियम और इस निमित्त बनाई गई किन्हीं उपविधियों के उपबंधों के अनुसार निष्पादित करा सकेगा।

(2) किसी ऐसे कार्य के निष्पादन में अध्यक्ष द्वारा उपगत या उपगत किए जाने के लिए सम्भावित व्यय उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय होगा तथा ऐसे कार्य के अनुसरण या ऐसे कार्य के कारण संभव किन्हीं सुख-सुविधाओं और सुविधाओं का उपभोग किए जाने के संबंध में अध्यक्ष द्वारा उपगत व्यय ऐसी सुख-सुविधाओं का उपभोग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा संदेय होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय उसके लिए दायी व्यक्ति या व्यक्तियों से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

189. नालियों या मलकुंडों के संवातन के लिए शैफ्ट आदि लगाने की अध्यक्ष की शक्ति—अध्यक्ष, किसी भी नाली या मलकुंड के संवातन के प्रयोजन के लिए, चाहे वह परिषद् में निहित हो या नहीं, किसी परिसर या किसी भवन के बाहर या किसी पेड़ के साथ कोई शैफ्ट या ऐसा पाइप खड़ा कर सकेगा या लगा सकेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

190. ऐसी नालियों, आदि की जांच और परीक्षण कराने की अध्यक्ष की शक्ति जिनकी बाबत यह विश्वास है कि वे त्रुटिपूर्ण हैं—(1) जहां अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि कोई प्राइवेट नाली या मलकुंड ऐसी दशा में है जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या वे न्यूसेन्स है या नगरपालिका नाली से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: जुड़ने वाली कोई प्राइवेट नाली इतनी त्रुटिपूर्ण है कि उसमें अवमृदा जल प्रवेश कर सकता है वहां वह उसकी स्थिति की जांच कर सकेगा, और उस प्रयोजन के लिए दबावाधीन जल द्वारा परीक्षण से भिन्न कोई परीक्षण कर सकेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो, जमीन को खुदवा सकेगा।

(2) यदि जांच किए जाने पर कोई नाली या मलकुंड उचित दशा में पाया जाता है तो अध्यक्ष अपने द्वारा खुदवाई गई किसी भूमि को, यथाशीघ्र पूर्व स्थिति में लाएगा और यदि उसके द्वारा कोई नुकसान हुआ है तो उसे पूरा करेगा ।

191. परिषद् द्वारा जल की थोक प्राप्ति और मल का परिदान—(1) परिषद्, केंन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी से जल का थोक प्रदाय प्राप्त करेगी और सभी मल का थोक में उसे परिदान करेगी ।

(2) परिषद् उपधारा (1) में विहित प्राधिकारी से उसे थोक में जल प्रदाय करने और नई दिल्ली क्षेत्र के मल का थोक में परिदान करने के लिए, ऐसे प्रभारों के अधीन रहते हुए, जो उक्त अन्य प्राधिकारी और परिषद् के बीच हुए करार द्वारा अवधारित किए जाएं, उक्त अन्य प्राधिकारी से जल का थोक प्रदाय प्राप्त करने और उसे सभी मल थोक में परिदान करने की हकदार होगी । इस उपधारा में वर्णित करार में इस बात के लिए भी अनुबन्ध किया जाएगा कि परिषद् द्वारा उक्त प्राधिकारी को किए जाने वाले संदाय की बाबत किसी विवाद की दशा में विषय केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम और दोनों पक्षों पर आबद्धकर होगा ।

192. मरम्मत, आदि के लिए सरकारी अभिकरणों का नियोजन—केन्द्रीय सरकार, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह निदेश दे सकेगी कि ऐसा कोई विनिर्दिष्ट संकर्म, मरम्मत, नवीकरण या प्रतिस्थापन जो परिषद् द्वारा या उसकी और से इस अध्याय के अधीन अपने ऊपर लिया जाता है, परिषद् की ओर से केन्द्रीय सरकार द्वारा निष्पादित किया जाए तथा परिषद् उसके प्रभारों का संदाय ऐसी दरों पर और ऐसे निबन्धनों के अधीन रहते हुए करेगी जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से उस सरकार द्वारा निर्मित संकर्मों की दशा में तत्समय लागू हों ।

193. कार्य का अनुज्ञप्त नलसाज द्वारा किया जाना—(1) इस अध्याय में वर्णित कोई संकर्म अनुज्ञप्त नलसाज से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा और कोई व्यक्ति अनुज्ञप्त नलसाज के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे संकर्म के निष्पादन की अनुज्ञा नहीं देगा :

परन्तु, यदि अध्यक्ष की राय में कोई संकर्म तुच्छ प्रकृति का है तो, वह ऐसे कार्य के अनुज्ञप्त नलसाज से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादन के लिए अनुज्ञा लिखित रूप में दे सकेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी संकर्म के निष्पादन के लिए किसी अनुज्ञप्त नलसाज को नियोजित करता है, ऐसी अपेक्षा किए जाने पर, अध्यक्ष को ऐसे नलसाज का नाम भेजेगा ।

(3) यदि कोई संकर्म उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किए जाने से अन्यथा निष्पादित किया जाता है तो ऐसा संकर्म, अध्यक्ष के विवेकानुसार, तुड़वाया जा सकता है और ऐसा करने से परिषद् के उस अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसके अन्तर्गत वह उस व्यक्ति को, जिसकी प्रेरणा पर ऐसा संकर्म निष्पादित किया गया है, इस अधिनियम के अधीन अभियोजित कर सकता है ।

(4) परिषद् अनुज्ञप्त नलसाजों के मार्गदर्शन के लिए उपविधियां बना सकेगी और ऐसी सभी उपविधियों की प्रति परिषद् द्वारा नलसाज को मंजूर की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न की जाएगी ।

(5) परिषद् समय-समय पर ऐसे प्रभार विहित कर सकेगी जो इस अध्याय के अधीन या उसके प्रयोजनों में से किसी के लिए उनके द्वारा कोई कार्य करने के लिए अनुज्ञप्त नलसाजों को संदत्त किए जाएंगे ।

(6) कोई भी अनुज्ञप्त नलसाज, उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए, उस उपधारा के अधीन विहित प्रभारों से अधिक प्रभार न मांगेगा और न लेगा ।

(7) परिषद्—

(क) सभी अनुज्ञप्त नलसाजों पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के लिए;

(ख) उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के निरीक्षण के लिए; और

(ग) अनुज्ञप्त नलसाजों द्वारा किए गए कार्य और उपयोग में लाई गई सामग्री की क्वालिटी, कार्य के निष्पादन में हुए विलम्ब और उसके द्वारा मांगे गए प्रभारों की बाबत परिसर के स्वामी या अधिभोगियों द्वारा किए गए परिवादों की सुनवाई और निपटारे के लिए,

उपबन्ध करने के लिए उपविधियां बनाएगी ।

(8) कोई भी अनुज्ञप्त नलसाज इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधियों में से किसी का उल्लंघन नहीं करेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी संकर्म का असावधानीपूर्वक या उपेक्षापूर्वक निष्पादन नहीं करेगा अथवा खराब सामग्री साधित्र या फिटिंगों का प्रयोग नहीं करेगा ।

(9) यदि कोई अनुज्ञप्त नलसाज उपधारा (8) का उल्लंघन करता है तो, चाहे इस अधिनियम के अधीन उसका अभियोजन किया जाए या नहीं, उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जा सकती है ।

194. कतिपय कार्यों का प्रतिषेध—(1) कोई भी व्यक्ति—

(क) परिषद् या अध्यक्ष के प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किसी संकर्म की लाइन डालने में जानबूझकर बाधा नहीं डालेगा या ऐसे संकर्म की लाइन डालने के प्रयोजन के लिए भूमि में लगाए गए किसी स्तम्भ, खंबे या खूंटी को नहीं उखाड़ेगा या नहीं हटाएगा, या इसी प्रयोजन के लिए बनाए गए किसी संकर्म को विकृत या नष्ट नहीं करेगा; अथवा

(ख) परिषद् के किसी ताले, काक, वाल्व, पाइप, मीटर या अन्य संकर्म या साधित्र को जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक नहीं तोड़ेगा, क्षति नहीं पहुंचाएगा, चालू नहीं करेगा, नहीं खोलेगा, बन्द नहीं करेगा या उसमें अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा; अथवा

(ग) परिषद् के किसी जल संकर्म से बहाव में अवैध रूप से बाधा नहीं डालेगा या उसे फ्लश नहीं करेगा या नहीं निकालेगा या उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं करेगा या उसमें से जल नहीं लेगा; अथवा

(घ) परिषद् के किसी मल संकर्म में से मल के बहाव में अवैध रूप से बाधा नहीं डालेगा या उसे फ्लश नहीं करेगा, नहीं निकालेगा या उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं करेगा या उसे नहीं लेगा अथवा परिषद् द्वारा अनुरक्षित किसी विद्युत पारेषण लाइन को नहीं तोड़ेगा या नुकसान नहीं पहुंचाएगा; अथवा

(ङ) परिषद् के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अध्याय के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा नहीं डालेगा या किसी जल या मल संकर्म की बाबत प्रवेश करने, निरीक्षण करने, परीक्षण करने या जांच करने के लिए उसे आवश्यक साधन देने से इंकार नहीं करेगा या जानबूझकर उपेक्षा नहीं करेगा; अथवा

(च) किसी जल संकर्म में या उस पर स्नान नहीं करेगा या उसमें किसी जीव-जन्तु को नहीं धोएगा या नहीं छोड़ेगा या प्रवेश नहीं कराएगा या किसी जल संकर्म में कोई कूड़ा, रेत या गंदगी नहीं फेंकेगा या उसमें कोई वस्त्र, ऊन या चमड़ा या किसी जीव-जन्तु की खाल नहीं धोएगा या साफ नहीं करेगा या किसी सिंक या नाली या किसी वाष्प इंजन या बायलर के जल को या किसी प्रदूषित जल को किसी जल संकर्म की ओर नहीं मोड़ेगा या लाएगा या ऐसा कोई अन्य कार्य नहीं करेगा जिससे किसी जल संकर्म का जल गंदा हो जाए या उसके गंदे हो जाने की संभावना हो।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) की कोई बात किसी उपभोक्ता को उसके परिसर को जल का प्रदाय करने वाले सर्विस पाइप पर लगी रोक काक को बन्द करने की बाबत वहां लागू नहीं होगी, जहां उसने ऐसे किसी अन्य उपभोक्ता की सहमति अभिप्राप्त कर ली है जिसका जल प्रदाय रोक काक बन्द करने से प्रभावित होगा।

अध्याय 12

विद्युत प्रदाय

195. विद्युत प्रदाय के संबंध में कृत्य—(1) परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अधिकारिता के भीतर नई दिल्ली क्षेत्र के लिए विद्युत प्रदाय की एक दक्षतापूर्ण, समन्वित और मितव्ययितापूर्ण पद्धति अपनाए तथा उस प्रयोजन के लिए समय-समय पर निम्नलिखित कार्रवाई करे, अर्थात् :—

(क) विद्युत के प्रदाय का वर्णन और इसका उपभोक्ताओं को वितरण;

(ख) इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार विद्युत के वितरण के लिए स्कीमों को तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना।

(2) परिषद्, विद्युत प्रदाय के संबंध में अपने कृत्यों के निर्वहन में यावत्साध्य :—

(क) विद्युत के पारेषण और वितरण की सभी मितव्ययितापूर्ण पद्धतियों के प्रयोग को संप्रवर्तित करेगी;

(ख) विद्युत के प्रदाय के विकास को सुनिश्चित करेगी;

(ग) ऐसे क्षेत्रों में जहां विद्युत प्रदाय नहीं किया जाता है ऐसे प्रदाय का विस्तार सुनिश्चित करेगी;

(घ) विद्युत फिटिंगों के प्रदाय की पद्धतियों और किस्मों के मानकीकरण को संप्रवर्तित करेगी;

(ङ) विद्युत प्रदाय के प्रभारों की पद्धतियों के सरलीकरण और मानकीकरण को संप्रवर्तित करेगी।

196. विद्युत प्रदाय के संबंध में अतिरिक्त कृत्य—(1) परिषद् प्रकाश करने, गर्म करने, ठंडा करने के प्रयोजन के लिए या प्रचालक शक्ति के या किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जिसके लिए विद्युत का प्रयोग किया जा सकता है, किसी विद्युत मशीनरी, नियंत्रण गियर, फिटिंग, तार या साधित्र या विद्युत द्वारा प्रचालित किसी औद्योगिक या कृषि मशीनरी के विनिर्माण, क्रय, विक्रय या अवक्रय करार के निष्पादन में अवक्रय पर देने के लिए, तथा ऐसी मशीनरी, नियंत्रण गियर, फिटिंग, तार या साधित्र को लगाने, जोड़ने, मरम्मत करने, बनाए रखने या हटाने के लिए, कार्रवाई कर सकेगी तथा उनके संबंध में ऐसा पारिश्रमिक या भाटक और प्रभार मांग सकेगी या ले सकेगी तथा ऐसे निबंधन और शर्तें रख सकेगी जो वह ठीक समझे।

(2) परिषद् यथा पूर्वोक्त मशीनरी, नियंत्रण गियरों, फिटिंगों, तारों या साधित्रों के संप्रदर्शन, विक्रय या अवक्रय के लिए दुकानें और शोरूम बनाए रख सकेगी, उनके संप्रदर्शन, नुमाइश, और प्रदर्शन का आयोजन कर सकेगी तथा ऐसी मशीनरी, नियंत्रण गियर, फिटिंगों, तारों और साधित्रों के विक्रय या अवक्रय की आनुषंगिक सभी बातें, जिनके अंतर्गत विज्ञापन भी है, तथा विद्युत प्रयोग के संप्रवर्तन और प्रोत्साहन के लिए साधारणतया सभी बातें कर सकेगी ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कृत्यों के संबंध में प्राप्त और व्यय किए गए धन खाते में अलग से दर्शाए जाएंगे ।

197. 1910 के अधिनियम 9 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी की शक्तियां और बाध्यताएं परिषद् को और परिषद् पर होंगी—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् को अपनी अधिकारिता के अधीन नई दिल्ली क्षेत्रों के संबंध में वे सब शक्तियां या उस पर वे सभी बाध्यताएं होंगी जो विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी को हैं, और उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अध्याय को परिषद् की अनुज्ञप्ति समझा जाएगा :

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्यों और बाध्यताओं से संबंधित उस अधिनियम की धारा 3 से धारा 12 तक या उसकी अनुसूची के खण्ड I से खण्ड IX तक में की गई कोई बात परिषद् को लागू नहीं होगी ।

198. निर्माण कार्य और अन्य ऐसे कार्यों पर निर्बन्धन जिनसे विद्युत प्रदाय संकर्मों में हस्तक्षेप होता है—(1) विद्युत प्रदाय के प्रयोजनों के लिए निर्मित या अनुरक्षित किसी संकर्म पर अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के सिवाय कोई भवन, दीवार या अन्य संरचना न तो नए तौर पर खड़ी की जाएगी और न कोई पथ या रेल मार्ग निर्मित किया जाएगा अथवा ऐसी रीति से खड़ा या निर्मित किया जाएगा जिससे ऐसे संकर्म में हस्तक्षेप होता हो ।

(2) अध्यक्ष उपधारा (1) के उल्लंघन में खड़े किए गए किसी भवन, दीवार या अन्य संरचना को या निर्मित किसी पथ या रेल मार्ग को हटवा सकेगा या उसकी बाबत अन्यथा ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह ठीक समझे और उस पर उपगत व्यय उत्तरदायी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा संदत्त किया जाएगा तथा ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा ।

199. अनुज्ञप्तिधारियों के साथ करार करने की परिषद् की शक्ति—(1) परिषद् नई दिल्ली के भीतर या बाहर विद्युत के क्रय और उसके मूल्य की बाबत तथा विक्रय और उसके मूल्य की बाबत अथवा किसी उत्पादन स्टेशन या मुख्य पारेषण लाइन के प्रचालन या नियंत्रण की बाबत कोई करार नई दिल्ली के भीतर किसी अनुज्ञप्तिधारी के साथ कर सकेगी तथा अनुज्ञाप्तिधारी के गठन और शक्तियों को विनियमित करने वाली किसी विधि या किसी अनुज्ञप्ति, संगम ज्ञापन या अन्य लिखित में किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी के लिए ऐसा कोई करार करना और उसे पूरा करना विधिपूर्ण होगा ।

(2) इस धारा के अधीन कोई करार करने में परिषद् किसी अनुज्ञप्तिधारी को कोई असम्यक् अधिमानता नहीं देगी ।

200. विद्युत के प्रदाय के लिए प्रभार—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् विद्युत के प्रदाय के लिए ऐसी दरों पर प्रभार उद्ग्रहीत करेगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाएं ।

201. परिषद् द्वारा विद्युत की थोक प्राप्ति—(1) परिषद् उस प्राधिकारी से, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, विद्युत का थोक प्रदाय प्राप्त करेगी ।

(2) परिषद् केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित उस प्राधिकारी से ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो उक्त अन्य प्राधिकारी और परिषद् के बीच हुई किसी संविदा के माध्यम से अवधारित की जाए, विद्युत का थोक प्रदाय प्राप्त करने की हकदार होगी । इस उपधारा में वर्णित संविदा में ऐसे किसी अनुबन्ध के लिए भी उपबन्ध किया जाएगा कि परिषद् को विद्युत के थोक प्रदाय से संबंधित किसी विषय की बाबत उक्त अन्य प्राधिकारी और परिषद् के बीच किसी विवाद को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका उस पर विनिश्चय अंतिम और दोनों पक्षों पर आबद्धकर होगा ।

अध्याय 13

पथ

पथों का निर्माण, अनुरक्षण और सुधार

202. सार्वजनिक पथों का परिषद् में निहित होना—(1) नई दिल्ली के भीतर सभी पथ जो सार्वजानिक पथ हैं या किसी समय सार्वजनिक पथ हो जाते हैं, और उनकी पटरियां, पत्थर और अन्य सामाग्रियां परिषद् में निहित होंगी :

परन्तु वह सार्वजनिक पथ, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व संघ में निहित था इस उपधारा के आधार पर परिषद् में तब तक निहित नहीं होगा जब तक केन्द्रीय सरकार परिषद् की सहमति से ऐसा निदेश नहीं दे देती ।

(2) परिषद् में निहित सभी सार्वजनिक पथ अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन होंगे और उसके द्वारा उनका अनुरक्षण, नियंत्रण और विनियमन इस निमित्त बनाई गई उपविधियों के अनुसार किया जाएगा ।

203. सार्वजनिक पथों के संबंध में अध्यक्ष के कृत्य—(1) अध्यक्ष परिषद् में निहित सभी सार्वजनिक पथों को समय-समय पर समतल कराएगा, पक्का कराएगा या पटवाएगा, जल प्रवाह योग्य बनाएगा, उनमें फेरफार कराएगा या उनकी मरम्मत कराएगा और वह ऐसे किसी पथ को चौड़ा करा सकेगा, उसका विस्तार करा सकेगा या अन्यथा उसमें सुधार करा सकेगा या उसकी मिट्टी को ऊंचा करवा सकेगा, नीचा करा सकेगा या उसमें फेरफार करा सकेगा या पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए बाड़ और खम्बे लगवा सकेगा और उनकी मरम्मत करा सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष, परिषद् की पूर्व मंजूरी के सिवाय, किसी सार्वजनिक पथ को चौड़ा कराने, उसका विस्तार कराने या उसमें अन्य सुधार कराने का कोई ऐसा कार्य, जिसका कुल खर्च एक लाख रुपए से अधिक है, अपने ऊपर नहीं लेगा।

(2) अध्यक्ष, परिषद् की पूर्व मंजूरी से, किसी सार्वजनिक पथ को पूर्णत: या भागत: स्थायी रूप से बन्द कर सकेगा :

परन्तु परिषद्, ऐसी मंजूरी देने से पूर्व, उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित सूचना द्वारा उन निवासियों को, जिन पर पथ के इस प्रकार बन्द किए जाने का प्रभाव पड़ने की संभावना है, सार्वजानिक पथ को ऐसे बन्द किए जाने के संबंध में सुझाव देने या आक्षेप करने का युक्तियुक्त अवसर देगा और उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर दिए गए सभी सुझावों या किए गए आक्षेपों पर विचार करेगा।

204. स्थायी रूप से बन्द किए गए सार्वजनिक पथों वाली भूमि का व्ययन—जब कभी कोई सार्वजनिक पथ या उसका कोई भाग धारा 203 की उपधारा (2) के अधीन स्थायी रूप से बन्द कर दिया जाता है तब ऐसे पथ या उसके भाग के स्थान का परिषद् में निहित भूमि के रूप में व्ययन किया जा सकता है।

205. सार्वजनिक नए पथ बनाने की शक्ति—अध्यक्ष, परिषद् की मंजूरी से, किसी भी समय,—

(क) नए सार्वजनिक पथ बिछा और बना सकेगा;

(ख) पुल और उपमार्ग निर्मित कर सकेगा;

(ग) किसी विद्यमान सार्वजनिक पथ को मोड़ सकेगा या उसकी दिशा परिवर्तित कर सकेगा; और

(घ) इस बात के होते हुए भी है कि किसी सार्वजनिक पथ के निकट किसी भवन के बनाने की प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है, नई दिल्ली के किसी भाग में किसी पथ या पथों की स्थिति और दिशा निश्चित और अवधारित कर सकता है।

206. सार्वजनिक नए पथों की न्यूनतम चौड़ाई—अध्यक्ष, समय-समय पर, परिषद् की मंजूरी से, विभिन्न वर्गों के नए सार्वजनिक पथों की न्यूनतम चौड़ाई उन पर चलने के लिए संभावित यातायात की प्रकृति के अनुसार और वे पथ, जिनसे वे एक या दोनों छोर पर जुड़ेंगे, वे परिक्षेत्र जहां ऐसे पथ अवस्थित होंगे और उनसे लगे भवनों की ऊंचाइयां तथा ऐसी ही अन्य बातें विनिर्दिष्ट करेगा।

207. कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक पथों के प्रयोग को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने की शक्ति—(1) अध्यक्ष—

(क) इस उद्देश्य से कि जनता को संकट, बाधा या असुविधा न हो या किसी परिक्षेत्र को विसंकुलित या बाधामुक्त या शांत बनाए रखने के लिए, किसी सार्वजनिक पथ या उसके किसी भाग पर से यानीय यातायात प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेगा;

(ख) सभी सार्वजनिक पथों पर या किसी विशिष्ट सार्वजनिक पथ पर ऐसे स्वरूप, बनावट, भार या आकार के या ऐसे भारी या न संभाले जा सकने वाले पदार्थों से लदे यानों के अभिवहन को, जिनसे सड़क मार्गों या उन पर के किसी सन्निर्माण को क्षति पहुंचने की संभाव्यता है, समय, संकर्षण या संचालन के ढंग, सड़क मार्ग की रक्षा के लिए साधित्रों के उपयोग, बत्तियों और सहायकों की संख्या और अन्य साधारण पूर्वावधानियों की शर्तों पर ही तथा ऐसे प्रभारों के संदाय पर ही, जो अध्यक्ष द्वारा साधारणतया या प्रत्येक मामले में विशेष रूप से विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेगा, अन्यथा नहीं; और

(ग) किसी विशिष्ट सार्वजनिक पथ से, अधिक तेज चलने वाले यानीय यातायात का किन्हीं परिसरों तक प्रवेश प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेगा:

परन्तु अध्यक्ष खंड (क) और खंड (ग) के अधीन मामलों में परिषद् की मंजूरी के बिना कार्रवाई नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित प्रतिषेध की सूचनाएं ऐसे सार्वजनिक पथों या उनके भागों के दोनों छोर पर, जिनसे वे संबंधित हैं, या उनके निकट सहजदृश्य स्थानों पर, तब के सिवाय लगाई जाएंगी जब ऐसा प्रतिषेध सभी सार्वजनिक पथों को साधारणत: लागू होता हो।

208. सार्वजनिक पथों तथा सार्वजनिक पार्किंग स्थलों के लिए भूमि और भवनों को अर्जित करने की शक्ति—(1) अध्याय 10 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष,—

(क) किसी सार्वजनिक पथ को खोलने, चौड़ा करने, विस्तार देने या अन्यथा सुधार करने के या किसी नए सार्वजनिक पथ को बनाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी भूमि और ऐसी भूमि पर खड़े किसी भवन को अर्जित कर सकेगा;

(ख) ऐसे पथ की नियमित लाइन या आशयित नियमित लाइन के बाहर ऐसी किसी भूमि या भवन के संबंध में ऐसी सभी भूमि उस पर भवनों के साथ, यदि कोई हो, अर्जित कर सकेगा जिसको अर्जित करना परिषद् समीचीन समझे;

(ग) सार्वजनिक पार्किंग स्थल की व्यवस्था करने या बनाने के प्रयोजन के लिए किसी भूमि को अर्जित कर सकेगा ।

209. पथों पर नियमित लाइन निर्धारित करना—(1) अध्यक्ष किसी सार्वजनिक पथ के एक या दोनों छोर पर एक लाइन, इस निमित्त बनाई गई उपविधियों के अनुसार निर्धारित कर सकेगा और परिषद् के पूर्व अनुमोदन से किसी ऐसी नियमित लाइन को किसी भी समय पुनर्निर्धारित कर सकेगा :

परन्तु परिषद् मंजूरी देने के पूर्व लोक सूचना द्वारा निवासियों को या उन परिसरों को जो ऐसे सार्वजनिक पथों से लगे हुए हैं, सार्वजनिक पथ पर प्रस्थापित पुनर्निर्धारित लाइन के संबंध में सुझाव या आक्षेप करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेगा और उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर प्राप्त होने वाले सभी सुझावों या आक्षेपों पर विचार करेगा :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नई दिल्ली के किसी भाग में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी सार्वजनिक पथ के लिए प्रवर्तित नियमित लाइन इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष द्वारा निर्धारित लाइन समझी जाएगी ।

(2) तत्समय निर्धारित या पुनर्निर्धारित लाइन पथ की नियमित लाइन कही जाएगी ।

(3) कोई व्यक्ति, अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के सिवाय, किसी पथ को नियमित लाइन के भीतर कोई भवन, या उसका कोई भाग या कोई सीमा दीवार या अन्य संरचना, चाहे वह कैसी भी क्यों न हो, निर्मित या पुनर्निर्मित नहीं करेगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष किसी व्यक्ति से सीमा दीवार या उसका भाग निर्मित या पुन: निर्मित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् साठ दिन के भीतर धारा 212 के अनुसार पथ की नियमित लाइन के भीतर भूमि का अर्जन करने के लिए कार्रवाई करने में असफल रहता है तो वह व्यक्ति इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई उप विधियों के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन रहते हुए ऐसी सीमा दीवार या उसका भाग, निर्मित या पुन: निर्मित करने के कार्य में अग्रसर हो सकेगा ।

(4) जब अध्यक्ष किसी पथ की नियमित लाइन के भीतर किसी भवन या किसी सीमा दीवार या अन्य संरचना के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुज्ञा वे देता है तब वह भवन के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वामी को और उसके हित उत्तराधिकारियों को इस बात के लिए आबद्ध करने वाला एक करार निष्पादित करे कि यदि तत्पश्चात् किसी समय अध्यक्ष लिखित सूचना द्वारा, उससे या उसके उत्तराधिकारियों में से किसी से ऐसी अनुज्ञा के अनुसरण में निष्पादित किए गए किसी संकर्म को हटाने की अपेक्षा करता है तो वह प्रतिकर का दावा नहीं करेगा और इस प्रकार हटाने में व्यतिक्रम होने की दशा में यदि हटाने का काम अध्यक्ष द्वारा किया जाता है तो उसके व्यय का संदाय करेगा तथा अध्यक्ष इस प्रयोजन के लिए ऐसे स्वामी से नई दिल्ली नगरपालिक निधि में उतनी राशि का निक्षेप करने की अपेक्षा कर सकेगा जितनी उसके द्वारा अवधारित की जाए ।

(5) अध्यक्ष—

(क) ऐसी विशिष्टियां जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अन्तर्विष्ट करने वाला एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें वे सब सार्वजनिक पथ जिनके संबंध में पथ की नियमित लाइन निर्धारित या पुन: निर्धारित कर दी गई है, उससे संलग्न नक्शों के साथ दर्शाए जाएंगे और उस रजिस्टर में कोई ऐसी अन्य विशिष्टियां भी रहेंगी जो अध्यक्ष आवश्यक समझता है;

(ख) उपधारा (4) के अधीन निष्पादित सभी करारों और उसके अधीन किए गए सभी निक्षेपों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा ।

(6) ऐसे सभी रजिस्टर, ऐसी फीस के संदाय पर जो अध्यक्ष द्वारा परिषद् की मंजूरी से विहित की जाए, किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

(7) उपधारा (4) के अनुसरण में किया गया कोई करार लिखित रूप में होगा, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और वह उस भूमि की बाबत जिससे वह संबंधित है, करार समझा जाएगा । ऐसे करार में अन्तर्विष्ट कोई शर्त उक्त भूमि के स्वामित्व से उपाबद्ध बाध्यता समझी जाएगी और वह ऐसी भूमि के स्वामी के हित के उत्तराधिकारियों पर प्रवर्तनीय होगी ।

210. पथ की नियमित लाइन तक भवनों को पीछे हटाना—(1) यदि सार्वजनिक पथ के साथ लगे हुए भवन का कोई भाग, पथ की नियमित लाइन के भीतर है तो अध्यक्ष जब कभी—

(क) ऐसे भवन की मरम्मत करने, पुनर्निर्मित करने या निर्मित करने की या ऐसे भवन को भूतल से ऊपर आधे से अधिक भाग तक, जो आधा भाग घन मीटर में मापा जाएगा, गिरा देने की; अथवा

(ख) ऐसे भवन के किसी ऐसे भाग की, जो पथ की नियमित लाइन के भीतर है, मरम्मत करने, हटाने, निर्मित करने या पुनर्निर्मित करने या उसमें कोई वृद्धि करने या संरचना संबंधी फेरफार करने की,

प्रस्थापना की जाए, किसी आदेश द्वारा, जो वह ऐसे भवन में वृद्धि करने या उसका पुनर्निर्माण करने, मरम्मत करने या फेरफार करने के संबंध में जारी करे, ऐसे भवन को पथ की नियमित लाइन तक पीछे हटाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) जब सार्वजनिक पथ की नियमित लाइन के भीतर कोई भवन या उसका कोई भाग गिर जाता है या जल जाता है या, चाहे अध्यक्ष के आदेश से अथवा अन्यथा, गिरा दिया जाता है, तब अध्यक्ष पथ की नियमित लाइन के भीतर भूमि के उस भाग को जो उक्त भवन के नीचे था, परिषद् की ओर से तुरन्त कब्जे में ले सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उसे साफ करा सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन अर्जित भूमि सार्वजनिक पथ का भाग समझी जाएगी और परिषद् में निहित होगी।

211. भवन को पथ की नियमित लाइन तक अनिवार्यत: पीछे हटाया जाना—(1) जहां कोई भवन या उसका कोई भाग सार्वजनिक पथ की नियमित लाइन के भीतर है और अध्यक्ष की राय में उस भवन या उसके भाग को पथ की नियमित लाइन तक पीछे हटाना आवश्यक है, तो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्वामी पर तामील की गई सूचना द्वारा स्वामी से, ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा भवन या उसका भाग, जो पथ की नियमित लाइन के भीतर है क्यों नहीं गिरा दिया जाए और नियमित लाइन के भीतर की भूमि को अध्यक्ष द्वारा परिषद् की ओर से क्यों नहीं अर्जित कर लिया जाए।

(2) यदि ऐसा स्वामी, उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित हेतुक दर्शित करने में असफल रहता है तो अध्यक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार स्वामी पर तामील की गई एक अन्य सूचना द्वारा उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि भवन या उसका वह भाग जो पथ की नियमित लाइन के भीतर है उतनी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, गिरा दिया जाए।

(3) यदि भवन का स्वामी ऐसी अवधि के भीतर भवन या उसके उस भाग को, जिसकी बाबत अध्यक्ष ने अपेक्षा की है, गिराने में असफल रहता है तो अध्यक्ष उसे गिरवा सकेगा और ऐसा करने में उपगत सभी व्यय स्वामी द्वारा संदत्त किया जाएगा तथा उससे इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

(4) अध्यक्ष पथ की नियमित लाइन के भीतर की उस भूमि के भाग को, जो उक्त भवन या उसके भाग के नीचे था, परिषद् की ओर से तुरन्त कब्जे में लेगा, और तदुपरि ऐसी भूमि सार्वजनिक पथ का भाग समझी जाएगी और परिषद् में निहित होगी।

212. पथ की नियमित लाइन के भीतर खुली भूमि और चबूतरों, आदि को भूमि का अर्जन—यदि कोई भूमि, चाहे वह खुली हुई हो या घेरी हुई, जो परिषद् में निहित नहीं है और जिस पर कोई भवन नहीं है, सार्वजनिक पथ की नियमित लाइन के भीतर है अथवा ऐसा कोई चबूतरा, बरामदा, सीढ़ी, अहाता, दीवार, बाड़, झाड़ी, या कोई अन्य संरचना जो किसी सार्वजनिक पथ से लगे भवन के बाहर है अथवा ऐसे चबूतरों, बरामदे, सीढ़ी, अहाता, दीवार, बाड़, झाड़ी या अन्य सरंचना का कोई भाग ऐसे पथ की नियमित लाइन के भीतर है तो अध्यक्ष, भूमि या भवन के स्वामी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम सात पूर्व दिनों की सूचना देने के पश्चात् उक्त भूमि और उसे घेरने वाली दीवारों, झाड़ियों या बाड़ को, यदि कोई हो, या उक्त चबूतरे बरामदे, सीढ़ी, अहाता, दीवार, झाड़ी, बाड़ या अन्य संरचना या उसके किसी भाग को, जो सार्वजनिक पथ की नियमित लाइन के भीतर है, परिषद् की ओर से कब्जे में ले सकेगा और यदि आवश्यक हो तो उसे हटा सकेगा तथा तदुपरि इस प्रकार अर्जित भूमि सार्वजनिक पथ का भाग समझी जाएगी और परिषद् में निहित होगी :

परन्तु जहां भूमि या भवन, संघ या राज्य में निहित है वहां अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, उसे कब्जे में नहीं लेगा।

213. पथ की नियमित लाइन के भीतर के भवन और भूमि और उसके भागों का अर्जन करने के पश्चात् उसके शेष भाग का अर्जन—(1) जहां कोई भूमि या भवन भागत: सार्वजनिक पथ की नियमित लाइन के भीतर है और अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि उक्त लाइन के भीतर के भाग के कट जाने के पश्चात् जो भूमि शेष रह जाएगी वह किसी फायदाप्रद उपयोग के लिए उपयुक्त या ठीक नहीं रहेंगी तो वह, स्वामी के अनुरोध पर, उक्त लाइन के भीतर की भूमि के अतिरिक्त ऐसी भूमि को भी अर्जित कर सकेगा और तदुपरि ऐसी अतिरिक्त भूमि सार्वजनिक पथ का भाग समझी जाएगी और परिषद् में निहित होगी।

(2) ऐसी अतिरिक्त भूमि का उपयोग तत्पश्चात् धारा 214 के अधीन भवन को आगे बढ़ाने के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है।

214. भवनों को पथ की नियमित लाइन तक आगे बढ़ाना—अध्यक्ष सार्वजनिक पथ की नियमित लाइन में सुधार करने के प्रयोजन के लिए किसी भवन को, ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, आगे बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकेगा और परिषद् के अनुमोदन से ऐसे भवन के पुनर्निर्माण या किसी नए निर्माण की दशा में, सूचना द्वारा, उसे आगे बढ़ाने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसी दीवार जो किसी परिसर को सार्वजनिक पथ से अलग करती है, भवन समझी जाएगी, और यदि ऐसी दीवार उक्त लाइन के साथ ऐसी सामग्री से निर्मित और ऐसे आकार में निर्मित की जाती है जो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाएं तो यह समझा जाएगा कि भवन को पथ की नियमित लाइन तक बढ़ाने की अनुज्ञा या अध्यपेक्षा का पर्याप्त रूप से अनुपालन कर दिया गया है।

215. भवनों को पीछे हटाने या आगे बढ़ाने, आदि के कतिपय मामलों में प्रतिकर का संदाय किया जाना—(1) किसी सार्वजनिक पथ के लिए धारा 210, धारा 211 और धारा 212 के उपबन्धों के अधीन अर्जित किए गए किसी भवन या भूमि के स्वामी को ऐसे भवन या भूमि के इस प्रकार अर्जित किए जाने के परिणामस्वरूप हुई हानि के लिए और अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी आदेश के परिणामस्वरूप ऐसे स्वामी द्वारा उपगत किसी व्यय के लिए अध्यक्ष ऐसे स्वामी को प्रतिकर संदत्त करेगा :

परन्तु—

(क) इस प्रकार अर्जित भवन या भूमि जिस सम्पत्ति का भाग था, उस सम्पत्ति के शेष भाग के मूल्य में, उस पथ को नियमित लाइन के पीछे हटाने के कारण होने वाली वृद्धि या कमी को ऐसे प्रतिकर की रकम का अवधारण करने में गणना में लिया जाएगा और अनुज्ञात किया जाएगा :

(ख) यदि मूल्य में हुई कोई ऐसी वृद्धि स्वामी द्वारा उठाई गई हानि की रकम से या उपगत व्यय से अधिक है तो अध्यक्ष ऐसे आधिक्य रकम का आधा भाग सुधार प्रभार के रूप में उससे वसूल कर सकेगा ।

(2) यदि अध्यक्ष द्वारा किसी भवन को आगे बढ़ाने के किसी आदेश के परिणामस्वरूप ऐसे भवन के स्वामी को कोई हानि या नुकसान होता है तो अध्यक्ष उसे ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर, इस प्रकार आगे बढ़ाने के कारण उसके मूल्य में हुई किसी वृद्धि को गणना में लेते हुए संदत्त करेगा ।

(3) भवन को आगे बढ़ाने के लिए उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात किसी व्यक्ति के परिसर में जो अतिरिक्त भूमि सम्मिलित की जाएगी, वह यदि परिषद् की है तो भवन को आगे बढ़ाने का अध्यक्ष का आदेश या अनुज्ञा उक्त स्वामी को उक्त भूमि का पर्याप्त हस्तान्तर-पत्र होगा और ऐसे आदेश या अनुज्ञा में स्वामी द्वारा ऐसी अतिरिक्त भूमि के लिए परिषद् की संदत्त की जाने वाली कीमत और हस्तान्तरण के अन्य निबन्धन और शर्तें उपवर्णित की जाएंगी ।

(4) जब अध्यक्ष किसी भवन को आगे बढ़ाने की अपेक्षा करता है तब यदि भवन का स्वामी परिषद् को संदत्त किए जाने के लिए नियत मूल्य से या हस्तान्तरण के निबन्धनों या शर्तों में से किसी से असन्तुष्ट है तो अध्यक्ष स्वामी द्वारा उक्त निबन्धनों और शर्तों के उसे संसूचित किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर किसी भी समय आवेदन करने पर मामले को दिल्ली के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अवधारण के लिए निर्दिष्ट करेगा और उस पर उक्त न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

प्राइवेट पथ

216. भूमि को भवन स्थल के रूप में प्रयोग करने में स्वामी की बाध्यता—यदि किसी भूमि का स्वामी ऐसी भूमि को उस पर भवनों के निर्माण के लिए उपयोग में लाता है, उसका विक्रय करता है, उसे पट्टे पर देता है या उसका अन्यथा व्ययन करता है तो वह उन भू-खण्डों तक पहुंच के लिए, जिनमें उस भूमि को विभाजित किया जाए और उन्हें किसी विद्यमान सार्वजनिक या प्राइवेट पथ से जोड़ने के लिए, पथ या पथों की रूपरेखा तैयार करेगा और उन्हें बनाएगा ।

217. अभिन्यास रेखांक—(1) किसी भूमि को धारा 216 के अधीन उपयोग में लाने, विक्रय करने या उसकी बाबत कोई अन्य संव्यवहार करने के पूर्व, उसका स्वामी अध्यक्ष को निम्नलिखित विशिष्टियां दर्शित करते हुए एक लिखित आवेदन भूमि के अभिन्यास रेखांक के साथ भेजेगा, अर्थात् :—

(क) वे भू-खण्ड जिनमें भूमि को उस पर भवनों का निर्माण करने के लिए विभाजित करने की प्रस्थापना है और वह प्रयोजन या वे प्रयोजन जिसके या जिनके लिए ऐसे भवन उपयोग में लाए जाने हैं;

(ख) किसी पथ, खुली जगह, उद्यान, विनोद स्थल, विद्यालय, बाजार या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी स्थल का आरक्षण या आबंटन;

(ग) पथ या पथों की आशयित सतह, दिशा और चौड़ाई;

(घ) पथ या पथों की नियमित लाइन;

(ङ) पथ या पथों को समतल करने, पाटने, पक्का करने, फ्लैग लगाने, प्रवाह-योग्य बनाने, मल नाली डालने, नाली डालने, सफाई करने और प्रकाश के लिए की जाने वाली व्यवस्था ।

(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई उपविधियों के ऐसे उपबंध जो सार्वजनिक पथों की चौड़ाई और उनसे लगे हुए भवनों की ऊंचाई की बाबत है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट पथों की दशा में लागू होंगे और उस उपधारा में निर्दिष्ट सभी विशिष्टियां परिषद् की मंजूरी के अधीन होंगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् साठ दिन के भीतर परिषद् ऐसे अभिन्यास रेखांक को ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे, अपनी मंजूरी देगी या उसे नामंजूर कर देगी या उसकी बाबत और जानकारी मांगेगी ।

(4) ऐसी मंजूरी निम्नलिखित दशाओं में इंकार कर दी जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि अभिन्यास रेखांक में दर्शित की गई विशिष्टियां किन्हीं ऐसी व्यवस्थाओं से, जो नई दिल्ली के विकास की किसी साधारण स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए की गई है या परिषद् की राय में किए जाने की संभावना है, चाहे वे नई दिल्ली के लिए तैयार की गई महायोजना या आंचलिक विकास योजना में अन्तर्विष्ट है या नहीं, मेल नहीं खाती; अथवा

(ख) यदि उक्त अभिन्यास रेखांक इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई उपविधियों के उपबंधों के अनुरूप नहीं है; अथवा

(ग) यदि रेखांक में प्रस्तावित किसी पथ को इस प्रकार से परिकल्पित नहीं किया गया है कि उसका एक छोर किसी ऐसे पथ से जुड़े जो पहले से खुला हुआ है ।

(5) कोई भी व्यक्ति परिषद् के आदेशों के बिना या उनसे असंगत रूप में किसी भूमि का उपयोग, विक्रय या अन्यथा संव्यवहार नहीं करेगा अथवा किसी नए पथ की रूपरेखा तैयार नहीं करेगा या उसे नहीं बनाएगा और यदि उससे कोई और जानकारी मांगी जाती है तो भूमि के उपयोग, विक्रय या उसके अन्यथा संव्यवहार के लिए या पथ की रूपरेखा तैयार करने या उसे बनाने के लिए कोई कदम तब तक नहीं उठाएगा जब तक कि ऐसी जानकारी की प्राप्ति के पश्चात् आदेश पारित नहीं कर दिए जाते :

परन्तु परिषद् किसी मामले में ऐसा आदेश पारित करने में ऐसी जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात्, जो वह उक्त आवेदन के सम्बन्ध में कार्रवाई करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, साठ दिन से अधिक विलम्ब नहीं करेगा ।

(6) इस धारा में इससे पूर्व निर्दिष्ट अभिन्यास रेखांक किसी वास्तुविद् द्वारा तैयार किया जाएगा ।

218. धारा 217 के उल्लंघन में बनाए गए पथ में फेरफार करना या उसे तोड़ना—(1) यदि कोई व्यक्ति परिषद् के आदेशों के बिना या उससे असंगत रूप में धारा 217 में निर्दिष्ट किसी पथ की रूपरेखा तैयार करता है या उसे बनाता है तो अध्यक्ष ऐसे अपराधी से, चाहे ऐसे अपराधी का अभियोजन इस अधिनियम के अधीन किया जाए या नहीं, सूचना द्वारा—

(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व, अपने द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्ष को भेजे गए एक लिखित कथन द्वारा यह हेतुक दर्शित करे कि ऐसे पथ में अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में फेरफार क्यों नहीं किया जाए या यदि ऐसा फेरफार अव्यवहार्य है तो क्यों न ऐसा पथ तोड़ दिया जाए; अथवा

(ख) यह अपेक्षा कर सकता है कि अपराधी या तो स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अध्यक्ष के समक्ष ऐसे दिन और ऐसे समय और स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, हाजिर हो, और पूर्वोक्त रूप में हेतुक दर्शित करे ।

(2) यदि वह व्यक्ति जिस पर ऐसी सूचना की तामील की जाती है अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में यह हेतुक दर्शित करने में कि ऐसे पथ में फेरफार क्यों नहीं किया जाए या उसे क्यों नहीं तोड़ दिया जाए, असफल रहता है तो अध्यक्ष ऐसे पथ में फेरफार करने या उसे तोड़ने का निदेश देते हुए आदेश पारित कर सकेगा ।

219. कार्य का निष्पादन कराने का आदेश देने या व्यतिक्रम की दशा में स्वयं उसका निष्पादन करने की अध्यक्ष की शक्ति—(1) यदि कोई प्राइवेट पथ या उसका भाग अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में समतल नहीं किया जाता, पाटा नहीं जाता, पक्का नहीं किया जाता, उस पर फर्श नहीं डाला जाता, उसे प्रवाह योग्य नहीं बनाया जाता, उस पर मलनाली नहीं डाली जाती, नालियां नहीं डाली जातीं, उस पर सफाई नहीं रखी जाती या उस पर प्रकाश नहीं किया जाता तो वह ऐसे पथ या उसके भाग के स्वामियों से और ऐसे पथ या उसके भाग के सामने वाली या लगी हुई भूमि या भवनों के स्वामियों से सूचना द्वारा ऐसे कार्य का जो उसकी राय में आवश्यक है, उतने समय के भीतर जो ऐसा सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, निष्पादन करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) यदि ऐसा कार्य सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निष्पादित नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझता है तो, उसे निष्पादित कर सकेगा और उस पर उपगत व्यय उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्वामियों द्वारा ऐसे अनुपात में संदत्त किया जाएगा जो अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाए और इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा ।

220. पथों को सार्वजनिक घोषित करने की अपेक्षा करने का स्वामी का अधिकार—यदि कोई पथ धारा 219 के उपबंधों के अधीन समतल किया गया है, पाटा गया है, पक्का किया गया है, उस पर फर्श डाला गया है, उसे प्रवाह योग्य बनाया गया है, उसमें मलनाली डाली गई है, नालियां डाली गई हैं, उसे साफ किया गया है और उस पर प्रकाश किया गया है तो अध्यक्ष, ऐसे पथ को सार्वजनिक पथ घोषित कर सकेगा, और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट स्वामियों की बहुसंख्या की अध्यपेक्षा पर उसे सार्वजनिक पथ घोषित करेगा तथा तदुपरि वह पथ परिषद् में निहित होगा ।

पथों पर अधिक्रमण

221. पथों पर बाहर की और निकलती हुई संरचना, आदि का प्रतिषेध—(1) धारा 222 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति किसी परिसर के सामने कोई ऐसी संरचना या फिक्सचर खड़ा नहीं करेगा, स्थापित नहीं करेगा, नहीं जोड़गा या नहीं लगाएगा जो—

(क) किसी पथ पर लटकता हो, आगे की ओर निकला हुआ हो, बाहर की ओर निकला हुआ हो या उसका किसी प्रकार से अधिकमण करता हो और उस पर जनता के सुरक्षित और सुविधापूर्ण आवागमन में किसी रीति से बाधा डालती हो, अथवा

(ख) किसी पथ में किसी नाली या खुली जलसरणी पर इस तरह आगे की ओर निकला हो या बाहर की ओर निकला हो या उसका अधिक्रमण करता हो कि ऐसी नाली या जलसरणी के उपयोग में या उचित कार्यकरण में किसी प्रकार की बाधा पड़ती हो या उसके निरीक्षण या सफाई में अड़चन होती हो ।

(2) इस धारा के उल्लंघन में जो संरचना या फिक्सचर उक्त परिसर के सामने निर्मित किया गया, स्थापित किया गया, जोड़ा गया या लगाया गया है उसकी बाबत अध्यक्ष उक्त परिसर के स्वामी या अधिभोगी को सूचना देकर, उसे हटाने की, या ऐसी अन्य कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसका वह निदेश दे ।

(3) यदि उक्त परिसर का अधिभोगी, ऐसी सूचना के अनुसरण में किसी संरचना या फिक्सचर को हटाता है, या उसमें फेरफार करता है तो वह, सिवाय तक के जब ऐसी संरचना या फिक्सचर स्वयं उसके द्वारा निर्मित किया गया हो, स्थापित किया गया हो या लगाया गया हो, सूचना के अनुपालन में उसके द्वारा उपगत सभी उचित व्ययों को, परिसर के स्वामी के खाते डालने का हकदार होगा ।

222. कतिपय मामलों में पथों पर बाहर की ओर निकली संरचनाओं का अनुज्ञात किया जाना—(1) अध्यक्ष ऐसे निबंधनों और ऐसी फीस के संदाय पर जो वह प्रत्येक मामले मे ठीक समझे, किसी पथ के साथ लगे हुए भवन के स्वामी या अधिभोगी को—

(i) ऐसे पथ या उसके किसी भाग के ऊपर आर्केड निर्मित करने के लिए;

(ii) किसी पथ या उसके भाग के ऊपर या आर-पार बरामदा, छज्जा, मेहराव, जोड़ने वाला मार्ग, सायबान, मौसम, फ्रेम, बितान, त्रिपाल या अन्य ऐसी संरचना या चीज, जो किसी मंजिल से बाहर निकली हुई हो, बनाने के लिए,

लिखित अनुज्ञा दे सकेगा :

परंतु अध्यक्ष द्वारा कोई अनुज्ञा किसी ऐसे सार्वजनिक पथ पर, जिसमें किसी आर्केड के सन्निर्माण को परिषद् द्वारा साधारणतया मंजूरी नहीं दी गई है, कोई आकड़े निर्मित करने के लिए नहीं दी जाएगी ।

(2) अध्यक्ष किसी समय सूचना द्वारा किसी भवन के स्वामी या अधिभोगी से किसी विधि के उपबंधों के अनुसार कोई बरामदा, छज्जा, सायबान, मौसम फ्रेम या बनाई गई वैसी ही चीज हटाने के लिए अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा स्वामी या अधिभोगी तद्नुसार कार्रवाई करने के लिए आबद्ध होगा किन्तु वह ऐसे हटाए जाने से कारित हानि के लिए और उस पर उपगत खर्च के लिए प्रतिकर का हकदार होगा ।

223. निचली मंजिल के दरवाजों, आदि का पथ पर बाहर की ओर न खुलना—अध्यक्ष किसी परिसर की निचली मंजिल के स्वामी से, जिस मंजिल का कोई द्वार, फाटक, अर्गला या खिड़की, किसी पथ पर या किसी ऐसी भूमि पर जो पथ के सुधार के लिए अपेक्षित है, ऐसी रीति से बाहर की ओर खुलता या खुलती है जिससे, अध्यक्ष की राय में, ऐसे पथ पर जनता के सुरक्षित और सुविधापूर्ण आवागमन में बाधा पड़ती है, उक्त द्वार, फाटक, अर्गला या खिड़की में ऐसा फेरफार करने की अपेक्षा कर सकेगा जिससे वह बाहर की ओर न खुले ।

224. ऐसी संरचनाओं या फिक्सचरों का प्रतिषेध जिनसे पथ में बाधा होती है—(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त मंजूर की गई अनुज्ञा के सिवाय किसी पथ में या उसके ऊपर या किसी पथ में किसी खुली जलसरणी, नाली, कुंए या तालाब के ऊपर कोई दीवार, बाड़, रेल मार्ग, खंबा, सीढ़ी, बूथ या अन्य संरचना, चाहे वह नियत या चल अथवा स्थायी प्रकृति की हो या अस्थायी, इस प्रकार से निर्मित नहीं करेगा और न स्थापित करेगा जिससे ऐसे पथ, जलसरणी, नाली, कुंए या तालाब के किसी भाग में बाधा पड़ती हो, या जिसका अधिक्रमण होता हो या वह उस पर बाहर की ओर निकलती हो, या उसे अधिभोग से लेती हो ।

(2) इस धारा की कोई बात, किसी ऐसे निर्माण या चीज को लागू न होगी जिसे धारा 229 की उपधारा (1) का खंड (ग) लागू होता है ।

225. पथों में चीजों को जमा करने आदि का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति, अध्यक्ष की अनुज्ञा के सिवाय और ऐसी फीस का संदाय किए बिना, जो प्रत्येक मामले में अध्यक्ष ठीक समझे, किसी पथ पर किसी खुली जलसरणी, नाली या कुंए पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई स्टाल, कुर्सी, बैंच, बक्स, निसेनी, गांठ या अन्य चीज चाहे वह किसी प्रकार की हो, जिससे पथ में बाधा पड़ती हो या उसका अधिकमण होता हो, न रखेगा और न जमा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात भवन निर्माण सामग्री को लागू नहीं होगी ।

226. इस अधिनियम के उल्लंघन में जमा की गई या विक्रय के लिए अभिदर्शित की गई चीज को हटाने की शक्ति—अध्यक्ष—

(क) इस अधिनियम के उल्लंघन में, किसी स्थान में उस पर, उससे या उस तक, रखे गए, जमा किए गए, बाहर की ओर निकाले गए, संलग्न किए गए या छोड़े गए किसी स्टाल, कुर्सी, बैंच, बक्स, निसैनी, गांठ या अन्य चीज को, चाहे वह किसी प्रकार की हो;

(ख) इस अधिनियम के उल्लंघन में किसी सार्वजनिक पथ पर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में विक्रय के लिए फैलाई गई या अभिदर्शित की गई किसी वस्तु को, चाहे वह किसी प्रकार की हो, और ऐसे किसी यान, पैकेज, बक्स या किसी अन्य चीज को जिसमें या जिस पर ऐसी वस्तु रखी है,

बिना किसी सूचना के हटवा सकेगा।

227. जीव-जन्तुओं को बांधने और पशुओं को दुहने का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान में कोई जीव-जन्तु नहीं बांधेगा या नहीं बंधवाएगा या बांधने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी पथ या सार्वजनिक स्थान में किसी गाय या भैंस को न तो दुहेगा, न दुहवाएगा और न दुहे जाने की अनुज्ञा देगा।

(3) यदि किसी पथ में पूर्वोक्त रूप में कोई जीव-जन्तु बांधा जाता है या किसी गाय या भैंस को दुहा जाता हुआ पाया जाता है तो अध्यक्ष या कोई नगरपालिक अधिकारी या कर्मचारी उसे हटा सकता हैं और उसे पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) के उपबन्धों के अधीन परिबद्ध किया जा सकता है और कार्रवाई की जा सकती है।

पथों में या उनके पास संकर्मों के निष्पादन के संबंध में उपबन्ध

228. पथों की मरम्मत के दौरान पूर्वावधानियां—(1) अध्यक्ष परिषद् में निहित किसी सार्वजनिक पथ, या किसी नगरपालिक नाली, या किसी परिसर के निर्माण या मरम्मत के दौरान, जहां तक साध्य हो,—

(क) उस पर बाड़ लगवाएगा और उसकी चौकसी करवाएगा ;

(ख) पार्श्वस्थ भवनों को अड़वाल लगाकर और उनका बचाव करके दुर्घटनाओं की बाबत समुचित पूर्वावधानियां बरतेगा ;

(ग) जिस पथ में ऐसे निर्माण का या मरम्मत का कार्य निष्पादित किया जा रहा है, उसमें या उसके आर-पार ऐसी रोके, जंजीरें या खंबे लगवाएगा जो यानों या जीव-जन्तुओं के आवागमन को रोकने के लिए और संकट को दूर रखने के लिए आवश्यक है।

(2) अध्यक्ष ऐसे पथ, नाली या परिसर को, उनके निर्माण या मरम्मत के दौरान, रात्रि के समय पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त कराएगा या उनकी चौकसी कराएगा।

(3) अध्यक्ष उचित शीघ्रता के साथ उक्त संकर्म को पूरा कराएगा, जमीन को भरवाएगा, पथ, नाली या परिसर की मरम्मत कराएगा और उसके कारण वहां हुए कूड़े को हटवाएगा।

(4) कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन लगाई गई किसी रोक, जंजीर, खंबे या तख्ताबन्दी या शहतीर को अध्यक्ष या अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नहीं हटाएगा या किसी प्रकाश को नहीं हटाएगा या नहीं बुझाएगा।

229. अनुज्ञा के बिना पथों का न खोदा जाना या न तोड़ा जाना और भवन निर्माण सामग्री का पथ पर जमा न किया जाना—(1) अध्यक्ष या किसी नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी से भिन्न कोई व्यक्ति, अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के बिना —

(क) किसी पथ के भागरूप किसी मिट्टी या पटाव को या किसी दीवार, बाड़, खंबे, जंजीर या अन्य सामग्री या चीज को नहीं खोदेगा, नहीं तोड़ेगा, जगह से नहीं हटाएगा, नहीं ले जाएगा या उसमें कोई फरेफार नहीं करेगा या उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा; अथवा

(ख) किसी पथ में कोई भवन निर्माण सामग्री जमा नहीं करेगा ; अथवा

(ग) किसी पथ में किसी कार्य के प्रयोजन के लिए पाड़ या कोई अस्थायी निर्माण नहीं लगाएगा या गहरा बनाने या ईंटें, चूना, कूड़ा या अन्य सामग्री जमा करने के प्रयोजन के लिए अहाते के रूप में कोई खंबे, रोक दण्ड, बोर्ड या अन्य चीजें नहीं लगाएगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा, अध्यक्ष के विवेकानुसार, उस व्यक्ति को, जिसे ऐसी अनुज्ञा मंजूर की गई है, कम से कम चौबीस घंटे की सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी।

(3) अध्यक्ष उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट चीजों में से किसी को, जो किसी पथ में उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना जमा की गई या लगाई है या जो ऐसी अनुज्ञा से जमा की गई या लगाई गई है, उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं हटाई गई है, बिना किसी सूचना के हटवा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिनमें अनुज्ञा के लिए आवेदन, ऐसी फीस के साथ जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त विहित की जाए, किया गया है किन्तु आवेदन की तारीख से सात दिन के भीतर आवेदक को कोई उत्तर नहीं भेजा गया है।

230. इस अध्याय के अधीन हटाई गई चीजों का व्ययन—(1) इस अध्याय के अधीन अध्यक्ष द्वारा हटवाई जाने वाली चीजों में से किसी का भी व्ययन, अध्यक्ष लोक नीलाम द्वारा या ऐसी अन्य रीति से और ऐसे समय के भीतर जो अध्यक्ष ठीक समझे, कर सकेगा, यदि उस चीज का स्वामी उसे वापस लेने के लिए नहीं आता है और उस चीज को हटाने और उसका भंडारकरण करने के प्रभारों का अध्यक्ष को संदाय नहीं करता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विक्रय की गई चीज के हटाने और भंडारकरण और विक्रय के प्रभार उसके विक्रय के आगमों में से संदत्त किए जाएंगे और अतिशेष, यदि कोई हों, विक्रय की गई वस्तु के स्वामी को विक्रय की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसका दावा किए जाने पर, संदत्त किया जाएगा और यदि उक्त अवधि के भीतर कोई दावा नहीं किया जाता है तो नई दिल्ली नगरपालिक निधि में जमा किया जाएगा ।

पथों का नामकरण और संख्यांकन तथा भवनों का संख्यांकन

231. पथों का नामकरण और संख्यांकन—(1) अध्यक्ष,—

(क) परिषद् की मंजूरी से वह नाम या संख्यांक अवधारित कर सकेगा जिससे परिषद् में निहित कोई पथ या सार्वजनिक स्थान जाना जाएगा ;

(ख) ऐसे पथ के प्रत्येक छोर पर या कोने या प्रवेश स्थान पर या उसके समीप किसी भवन, दीवार या स्थान के सहजदृश्य भाग पर या ऐसे पथ के किसी सुविधापूर्ण भाग पर वह नाम या संख्यांक लगवा सकेगा या लिखवा सकेगा, जिससे वह ज्ञात होगा ;

(ग) परिषद् में निहित किसी सार्वजनिक स्थान के नाम को उपयुक्त आकार के बोर्डों पर लगवा सकेगा या लिखवा सकेगा ;

(घ) उस संख्यांक या उपसंख्यांक को अवधारित कर सकेगा जिससे कोई परिसर या ऐसे परिसरों का भाग ज्ञात होगा और ऐसे परिसर के एक ओर या बाह्य द्वार पर या उसके अहाते के किसी स्थान में ऐसे संख्यांक या उपसंख्यांक को लगवा सकेगा ।

(2) कोई व्यक्ति ऐसे किसी नाम या संख्यांक या उपसंख्यांक को नष्ट नहीं करेगा, या नहीं हटाएगा, विकृत या किसी रूप से क्षत या परिवर्तित नहीं करेगा या अध्यक्ष के आदेश से लगाए या लिखवाए जाने से भिन्न कोई नाम या संख्यांक या उपसंख्यांक नहीं लगाएगा या लिखवाएगा ।

खतरनाक स्थानों की मरम्मत या अहाताबन्दी

232. खतरनाक स्थानों की मरम्मत करने या उनकी अहाताबन्दी कराने की कार्रवाई का अध्यक्ष द्वारा किया जाना—(1) यदि अध्यक्ष की राय में कोई स्थान पर्याप्त मरम्मत या बचाव या अहाताबन्दी के अभाव में या उस पर कोई काम चालू रहने के कारण किसी पथ पर के यात्रियों के लिए या उस स्थान के अन्य व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत उक्त स्थान का स्वामी या अधिभोगी भी है जिनकी वहां तक या उसके पड़ोस तक वैध पहुंच है, खतरनाक या असुविधाजनक है तो अध्यक्ष ऐसे स्थान के स्वामी या अधिभोगी से लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसकी मरम्मत करे, बचाव करे या उसकी अहाताबन्दी करे या ऐसी अन्य कार्रवाई करे जो उससे पैदा हुए खतरे या असुविधा के निवारण की दृष्टि से अध्यक्ष को आवश्यक प्रतीत होती है ।

(2) अध्यक्ष ऐसी सूचना देने से पूर्व या किसी ऐसी सूचना की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे अस्थायी उपाय कर सकेगा जो वह उससे उत्पन्न खतरे या असुविधा के निवारण के लिए ठीक समझे ; और ऐसे अस्थायी उपाय करने में अध्यक्ष द्वारा किया गया कोई व्यय उस स्थान के स्वामी या अधिभोगी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा ।

पथों पर प्रकाश

233. प्रकाश के लिए उपाय—अध्यक्ष—

(क) ऐसे सभी सार्वजनिक पथों और सार्वजनिक स्थानों को, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपयुक्त रीति से प्रकाशमान रखने के लिए उपाय करेगा ;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक संख्या में लैम्प, लैम्प पोस्ट और ऐसे अन्य अनुलग्नक उपाप्त करेगा, लगाएगा और बनाए रखेगा ;

(ग) ऐसे लैम्पों को तेल, बिजली से या ऐसे अन्य प्रकाश से, जैसा वह अवधारित करे, प्रकाशित कराएगा ।

234. लैंपों को हटाने, आदि का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति,—

(क) किसी सार्वजनिक पथ या किसी सार्वजनिक स्थान में लगाए गए किसी लैम्प या किसी लैम्प के किसी अनुलग्नक या लैंप पोस्ट या लैंप आयरन को ;

(ख) ऐसे लैंप को जलाने के लिए किसी बिजली के तार को ;

(ग) किसी बिजली के तार या लैंप के ले जाने, लटकाने या सहारा देने वाले किसी पोस्ट, खंबे, दंड, स्टे, स्ट्रट, ब्रेकिट या अन्य प्रयुक्ति को,

विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, न तो ले जाएगा, न जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक तोड़ेगा, न गिरएगा और न नुकसान पहुंचाएगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पथ या किसी सार्वजनिक स्थान में लगाए गए किसी लैम्प के प्रकाश को जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक नहीं बुझाएगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या उपेक्षा से या घटनावश उपधारा (1) में वर्णित चीजों में से किसी को तोड़ता है या नुकसान पहुंचाता है तो वह, ऐसी किसी शास्ति के अतिरिक्त जो उस पर इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जा सकती है, अपने द्वारा ऐसे किए गए नुकसान की मरम्मत का व्यय संदत्त करेगा।

अध्याय 14

भवन निर्माण सम्बन्धी विनियम

235. केन्द्रीय सरकार का साधारण अधीक्षण, आदि—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष इस अध्याय के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन केन्द्रीय सरकार के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन करेगा।

236. परिभाषा—इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो "भवन का निर्माण करना" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(क) किसी स्थल पर, चाहे वहां पर पहले निर्माण हुआ हो या न हुआ हो, नए भवन का निर्माण करना ;

(ख) (i) किसी ऐसे भवन का, जिसकी कुर्सी की सतह से ऊपर की धन अन्तर्वस्तु का आधे से अधिक भाग गिरा दिया गया है, जल गया है या नष्ट हो गया है, पुन: निर्माण करना ; अथवा

(ii) किसी ऐसे भवन का, जिसकी कुर्सी की सतह से ऊपर की बाहरी दीवारों के सतही क्षेत्र का आधे से अधिक भाग गिरा दिया गया है, पुन: निर्माण करना ; अथवा

(iii) किसी ऐसे फ्रेम भवन का, जिसकी बाहरी दीवारों के आधे से अधिक स्तंभों या शहतीरों को गिरा दिया गया है, पुन: निर्माण करना ;

(ग) किसी ऐसे भवन या उसके भाग को, जो मूलत: मानव निवास के लिए निर्मित नहीं किया गया हो या यदि मूलत: इस प्रकार निर्मित किया गया हो किन्तु तत्पश्चात् किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया गया हो, निवास गृह में परिवर्तित करना ;

(घ) मूलत: केवल एक निवास गृह के रूप में निर्मित भवन को एक से अधिक निवास गृहों में परिवर्तित करना ;

(ङ) मूलत: किसी अन्य प्रयोजन के लिए निर्मित किसी स्थान या भवन का धार्मिक उपासना के स्थानों में या पवित्र भवन में संपरिवर्तित करना ;

(च) दीवारों या भवनों के बीच के खुले स्थान के ऊपर छत डालने से या उसे ढकने से जो संरचना बन जाएगी उस संरचना के विस्तार तक उस स्थान पर छत डालना या उसे ढकना ;

(छ) किसी भवन के दो या अधिक वासगृहों को अधिक या कम वासगृहों में परवर्तित करना ;

(ज) ऐसे किसी भवन को स्टाल, दुकान, भांडागार या गोदाम, अस्तबल, कारखाने या गराज में संपरवर्तित करना जो मूलत: उस रूप में प्रयोग के लिए निर्मित नहीं किया गया था या जो ऐसे परिवर्तन से पूर्व ऐसे उपयोग में नहीं लाया गया था ;

(झ) किसी ऐसे भवन को, जिसे उसके मूल्य निर्माण के समय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किन्हीं उपविधियों या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किन्हीं भवन निर्माण संबंधी विनियमों के प्रवर्तन से विधि द्वारा छूट प्राप्त थी, ऐसे भवन में संपरिवर्तित करना जिसका निर्माण यदि मूलत: अपने परिवर्तित रूप में किया गया होता तो ऐसे भवन निर्माण संबंधी विनियमों के अधीन होता ;

(ञ) निवास-गृह के रूप में जिस भवन का उपयोग बन्द कर दिया गया है या जिसे किसी अन्य किसी अन्य प्रयोजनों के लिए काम में लाया गया है उसे निवास-गृह के रूप में परिवर्तित या प्रयुक्त करना।

237. मंजूरी के बिना भवन निर्माण का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति, अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से ही और इस अध्याय के और भवन निर्माण या संकर्मों के निष्पादन की बाबत इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों के उपबंधों के अनुसार ही किसी भवन का निर्माण कराएगा या निर्माण करना प्रारंभ करेगा या धारा 239 में उल्लिखित संकर्मों में से किसी का निष्पादन करेगा ; अन्यथा नहीं।

(2) ऐसे क्षेत्र में, जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के सिवाय, कपड़े, घास की पत्तियों, चटाइयों या अन्य ज्वलनशील पदार्थों की किसी छत, बरामदे, पंडाल या किसी भवन की दीवार या किसी शेड या बाड़ निर्मित या पुनर्निर्मित नहीं किया जाएगा और न किसी वर्ष में निर्मित या पुनर्निमित किसी ऐसी छत, बरामदे, पंडाल, दीवार, शेड या बाड़ को इस निमित्त नए सिरे से प्राप्त की गई अनुज्ञा के सिवाय, किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में प्रतिधारित किया जाएगा।

238. भवन का निर्माण—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो भवन का निर्माण करने का आशय रखता है अध्यक्ष को अपने आशय की लिखित सूचना ऐसे प्ररूप में देते हुए और उसमें ऐसी जानकारी देते हुए जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाए, मंजूरी के लिए आवेदन करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना के साथ ऐसे दस्तावेज और रेखांक होंगे जो इस प्रकार विहित किए जाएं।

239. भवन में परिवर्तन करने या मरम्मत करने के लिए आवेदन—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो निम्नलिखित संकर्म में से कोई संकर्म निष्पादित करने का आशय रखता है, अध्यक्ष को अपने आशय की लिखित सूचना ऐसे प्ररूप में देते हुए और उसमें ऐसी जानकारी देते हुए जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाए, अध्यक्ष को मंजूरी के लिए एक आवेदन करेगा, अर्थात् :—

(क) भवन में कोई परिवर्धन ;

(ख) भवन में ऐसा कोई परिवर्तन या मरम्मत, जिसमें उसकी किसी बाहरी या विभाजक दीवार या किसी ऐसी दीवार को जिस पर भवन की छत सधी हुई है, कुर्सी की सतह से ऊपर ऐसी दीवार के आधे से अधिक भाग को हटाना या उसका पुन: निर्माण करना अन्वर्तलित है, ऐसा आधा भाग वर्गमीटर में नापा जाएगा ;

(ग) किसी फ्रेम भवन में ऐसा परिवर्तन या मरम्मत जिसमें उस भवन की पूर्वोक्त जैसी किसी दीवार में के आधे से अधिक स्तम्भों या खम्भों को हटाना या उनका पुन: निर्माण करना अन्तर्वलित है, या उस भवन की पूर्वोक्त जैसी किसी दीवार की कुर्सी की सतह के ऊपर ऐसी दीवार के आधे से अधिक तक हटाया या उसका पुन: निर्माण करना अन्तर्वलित है, ऐसा आधा भाग वर्गमीटर में नामा जाएगा ;

(घ) भवन में ऐसा कोई परिवर्तन जिससे—

(i) ऐसे भवन के किसी कमरे को उपविभाजित किया जाए जिससे कि वह दो या अधिक पृथक् कमरों में परिवर्तित हो जाए ; अथवा

(ii) ऐसे भवन के किसी मार्ग या रिक्त स्थान को एक या अधिक कमरों में संपरिवर्तित किया जाए ;

(ङ) पथ के साथ लगे किसी भवन के किसी भाग की जो ऐसे पथ की नियमित लाइन के भीतर है, मरम्मत करना, उसे हटाना, निर्मित करना, पुन: निर्मित करना या उसमें कोई परिवर्धन या संचरनात्मक परिवर्तन करना ;

(च) बाहरी दीवार में किसी दरवाजे या खिड़की को स्थायी रूप से बंद करना ;

(छ) मुख्य जीने को हटाना या उसका पुनः निर्माण या उसकी स्थिति में परिवर्तन करना।

(2) ऐसी प्रत्येक सूचना के साथ विहित दस्तावेज और रेखांक होंगे।

240. विधिमान्य सूचना की शर्तें—(1) धारा 238 द्वारा अपेक्षित सूचना देने वाला व्यक्ति उस प्रयोजन को विनिर्दिष्ट करेगा जिसके लिए उस भवन को जिससे ऐसी सूचना संबंधित है, उपयोग में लाने का आशय है और धारा 239 द्वारा अपेक्षित सूचना देने वाला व्यक्ति विनिर्दिष्ट करेगा कि वह प्रयोजन जिसके लिए भवन प्रयोग में लाया जा रहा है, उसमें प्रस्थापित संकर्म के निष्पादन द्वारा कोई परिवर्तन प्रस्थापित है या परिवर्तन होने की संभावना है।

(2) कोई सूचना तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित जानकारी और इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त जानकारी और रेखांक अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में सूचना के साथ नहीं दे दी जाती या दे दिए जाते।

241. भवन निर्माण या संकर्म की मंजूरी या उसे मंजूरी देने से इंकार—(1) यदि भवन के निर्माण से या किसी संकर्म के निष्पादन से इस धारा की उपधारा (2) के किन्हीं उपबंधों का या धारा 245 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है तो अध्यक्ष भवन के निर्माण की या ऐसे संकर्म के निष्पादन की मंजूरी देगा।

(2) किसी भवन या संकर्म की मंजूरी देने से निम्नलिखित आधारों पर इंकार किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) ऐसे भवन या संकर्म से या भवन या संकर्म के लिए किसी स्थल के उपयोग से या स्थल के रेखांक, भूमि के रेखांक, उत्थापन, अनुभाग/प्रभाग या विनिर्देशों में समाविष्ट विशिष्टियों में से किसी से, इस निमित्त बनाई गई किसी उपविधि के या किसी अन्य विधि या ऐसी विधि के अधीन, बनाए गए नियम, उपविधि या आदेश के उपबंधों का उल्लंघन होगा ;

(ख) मंजूरी के लिए सूचना में विशिष्टियां नहीं दी गई हैं, या सूचना उस रीति से तैयार नहीं की गई है जिस रीति से वह, इस निमित्त बनाई गई उपविधियों के अधीन अपेक्षित है ;

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किन्हीं उपविधियों के अधीन, अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी या दस्तावेज सम्यक् रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है ;

(घ) उन मामलों में जो धारा 216 के अधीन आते हैं, अभिन्यास रेखांक धारा 217 के अनुसार मंजूर नहीं किए गए हैं ;

(ङ) भवन या संकर्म से केन्द्रीय सरकार या सरकार की भूमि या परिषद् में निहित भूमि पर अधिक्रमण होगा ;

(च) भवन या संकर्म का स्थल, पथ से या आगे निकले हुए पथ से लगा हुआ नहीं है और ऐसे भवन या संकर्म तक किसी ऐसे पथ से पहुंचने का ऐसे स्थल से संलग्न कोई मार्ग या पगडंडी नहीं है ;

(छ) भूमि, जिस पर ऐसे भवन का निर्माण या पुनः निर्माण प्रस्तावित है, केन्द्रीय सरकार या सरकार में या परिषद् में निहित है और, यथास्थिति, संबंधित सरकार या परिषद् की सहमति प्राप्त नहीं की गई है या यदि ऐसे व्यक्ति और परिषद् या किसी सरकार के बीच भूमि के हक का विवाद है या किसी अन्य कारण से, जिसे व्यक्ति को लिखित में संसूचित किया जाएगा और जिसे ऐसे भवन का निर्माण करने के रूप में उचित और पर्याप्त समझा जाता है ।

(3) अध्यक्ष, सूचना देने वाले व्यक्ति को मंजूरी संसूचित करेगा और जहां वह उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी पर, या धारा 245 के अधीन, मंजूरी देने से इंकार करता है वहां वह ऐसे इंकार के कारणों का संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा और अध्यक्ष सूचना देने वाले व्यक्ति को ऐसे इंकार की संसूचना उसके कारणों सहित देगा ।

(4) पूर्वोक्त मंजूरी या मंजूरी से इंकार ऐसी रीति से संसूचित किया जाएगा जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाए ।

242. भवन या संकर्म के संबंध में कब आगे कार्यवाही की जा सकती है—(1) जहां साठ दिन की अवधि के भीतर या धारा 238 या धारा 239 के अधीन कोई सूचना प्राप्त होने के पश्चात् या कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई है, जो धारा 240 के अधीन अपेक्षित है, प्राप्त होने के पश्चात् धारा 236 के खंड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में तीस दिन के भीतर अध्यक्ष भवन निर्माण या संकर्म की मंजूरी देने से इंकार नहीं करता है अथवा इंकार करने के पश्चात् ऐसा इंकार उस व्यक्ति को संसूचित नहीं करता है जिसने सूचना दी थी तो यह समझा जाएगा कि अध्यक्ष ने भवन निर्माण या संकर्म के लिए मंजूरी दे दी है और तब वह व्यक्ति जिसने सूचना दी है, सूचना में अभिव्यक्त अपने आशय और सूचना से संलग्न दस्तावेजों और रेखांकों के अनुसार भवन निर्माण या संकर्म को प्रारंभ करने और उसके संबंध में आगे कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन की किसी स्कीम से या सार्वजनिक पथ की नियमित लाइन की प्रस्थापना से या किसी पथ के विस्तार, सुधार, चौड़ा, करने या उसमें परिवर्तन करने से प्रस्थापित भवन निर्माण या संकर्म के स्थल पर प्रभाव पड़ने की सम्भाव्यता है तो अध्यक्ष, तीन मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे भवन निर्माण या संकर्म की मंजूरी को रोके रख सकेगा और इस उपधारा में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, साठ दिन की अवधि या तीस दिन की अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रारम्भ समझी जाएगी जिसके लिए मंजूरी रोक ली गई थी ।

(2) जहां किसी भवन निर्माण या संकर्म के लिए अध्यक्ष द्वारा मंजूरी दे दी जाती है या उपधारा (1) के अधीन यह समझा जाता है कि उसके लिए मंजूरी दे दी गई है वहां वह व्यक्ति जिसने सूचना दी है, इस बात के लिए आबद्ध होगा कि वह भवन का निर्माण करने का या संकर्म का निष्पादन ऐसी मंजूरी के अनुसार करे न कि इस प्रकार से करे जिससे इस अधिनियम या किसी अन्य विधि या उसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उपबंधों का उल्लंघन हो ।

(3) यदि कोई व्यक्ति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति उस तारीख से, जिसको भवन निर्माण या संकर्म की मंजूरी दी गई है या मंजूरी दी गई समझी गई है, एक वर्ष के भीतर भवन का निर्माण या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ नहीं करता तो वह, यथास्थिति, धारा 238 के अधीन या धारा 239 के अधीन भवन निर्माण या संकर्म की नई मंजूरी के लिए सूचना देगा और इस धारा के उपबंध ऐसी सूचना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मूल सूचना के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन का निर्माण या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति, अध्यक्ष को भवन का निर्माण करने या संकर्म के निष्पादन करने के प्रारंभ की प्रस्थापित तारीख की सूचना देगा :

परन्तु यदि इस प्रकार अधिसूचित तारीख से सात दिन के भीतर ऐसा प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो सूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह नहीं दी गई है और इस निमित्त नई सूचना आवश्यक होगी ।

243. दुर्व्यपदेशन के अधीन दी गई मंजूरी—यदि कोई भवन निर्माण या संकर्म की मंजूरी के पश्चात्, किसी समय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी मंजूरी धारा 238, धारा 239 और धारा 240 के अधीन दी गई सूचना या जानकारी में अन्तर्विष्ट किसी सारवान् दुर्व्यपदेशन या कपटपूर्ण कथन के परिणामस्वरूप दी गई थी तो वह लिखित आदेश द्वारा, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी मंजूरी को रद्द कर सकेगा और प्रारम्भ किया गया, निर्माण किया गया भवन या निष्पादित किया गया संकर्म, मंजूरी के बिना प्रारम्भ किया गया, निर्माण किया गया या निष्पादित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु अध्यक्ष ऐसा आदेश करने के पूर्व, प्रभावित व्यक्ति को यह हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर प्रदान करेगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाए ।

244. पथ के कोनों पर भवन—अध्यक्ष पथों के कोनों पर निर्माण किए जाने के लिए आशयित किसी भवन को गोलाकार किए जाने की या टेढ़ा बनाए जाने की या ऐसी ऊंचाई और ऐसे विस्तार तक बनाए जाने की, जो वह अवधारित करे, अपेक्षा कर सकेगा तथा कोने पर के स्थल के उतने भाग का अर्जन कर सकेगा जितना वह सार्वजनिक सुविधा या सुख-सुविधा के लिए आवश्यक समझे ।

245. नए पथों के दोनों ओर के भवन निर्माण और संकर्मों के संबंध में उपबंध—(1) अध्यक्ष किसी नए पथ के दोनों ओर किसी भवन का निर्माण किए जाने से तब तक इंकार कर सकता है जब तक कि ऐसा नया पथ समतल नहीं कर दिया जाता और जब तक वह, जहां भी अध्यक्ष की राय में ऐसा व्यवहार्य हो, उसके समाधानप्रद रूप में उसे पक्का नहीं कर दिया जाता या पाट नहीं दिया जाता, उसमें नालियां नहीं बना दी जातीं, वह प्रकाशमय नहीं कर दिया जाता और उसमें जल मुख्य प्रणाल नहीं डाल दिया जाता ।

(2) अध्यक्ष किसी ऐसे भवन का निर्माण किए जाने या किसी ऐसे संकर्म के निष्पादन से इंकार कर सकता है, यदि किसी ऐसे पथ की जिसकी दिशा अध्यक्ष द्वारा अधिकथित की गई है किन्तु जो पथ वस्तुतः निर्मित नहीं हुआ है, यदि यह नियमित लाइन के भीतर आता है या यदि ऐसा भवन या उसका कोई भाग या ऐसा संकर्म इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तैयार की गई किसी भवन निर्माण स्कीम या किसी अन्य स्कीम या योजना के उल्लंघन में है ।

246. भवन निर्माण या संकर्म के पूरा करने की अवधि—अध्यक्ष किसी भवन का निर्माण किए जाने या किसी संकर्म के निष्पादित किए जाने के समय, भवन निर्माण या संकर्म के प्रारम्भ के पश्चात् ऐसी कोई उचित अवधि विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर ऐसा भवन निर्माण या संकर्म पूरा किया जाना है और यदि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा भवन निर्माण या संकर्म पूरा नहीं किया जाता है तो तत्पश्चात् वह इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रीति से अभिप्राप्त नई मंजूरी के बिना चालू नहीं रखा जाएगा और वह तब जबकि अध्यक्ष उसके लिए किए गए आवेदन पर उस अवधि को बढ़ाने की अनुज्ञा नहीं दे देता ।

247. कतिपय मामलों में भवन निर्माण और संकर्मों के तोड़े जाने और रोकने का आदेश और अपील—(1) जहां किसी भवन का निर्माण या किसी संकर्म का निष्पादन धारा 241 में निर्दिष्ट मंजूरी के बिना या उसके विपरीत या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में जिसके अधीन ऐसी मंजूरी दी गई है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई उपविधियों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में प्रारंभ किया गया है या चलाया जा रहा है या पूरा हो गया है वहां अध्यक्ष किसी ऐसी अन्य कार्यवाही के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि इस प्रकार का निर्माण या संकर्म उस व्यक्ति द्वारा जिसकी प्रेरणा पर ऐसा निर्माण या संकर्म प्रारम्भ किया गया है या चलाया जा रहा है या पूरा हो गया है, ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए (वह अवधि आदेश तथा ऐसा आदेश करने के कारणों के संक्षिप्त कथन को उस व्यक्ति का परिदत्त किए जाने की तारीख से पांच दिन से अन्यून और पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होगी) ऐसे निर्माण या संकर्म को तोड़ दिया जाए :

परन्तु तोड़ने का आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को, ऐसी रीति से जो अध्यक्ष ठीक समझे, सूचना की तामील करके यह हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाए :

परन्तु यह और कि जहां निर्माण या संकर्म पूरा नहीं किया गया है वहां अध्यक्ष उसी आदेश द्वारा या पृथक् आदेश द्वारा, चाहे वह प्रथम परन्तुक के अधीन सूचना जारी करते समय किया गया है या किसी अन्य समय उस व्यक्ति को तब तक के लिए निर्माण या संकर्म को रोक देने का निदेश दे सकेगा जब तक वह अवधि समाप्त नहीं हो जाती जिसके भीतर तोड़ने संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील उपधारा (2) के अधीन की जा सकती है ।

(2) अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, अपील अधिकरण में उतनी अवधि के भीतर कर सकेगा जो निर्माण या संकर्म तोड़े जाने से संबंधित आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) जहां तोड़े जाने के आदेश के विरुद्ध उपधारा (2) के अधीन अपील की जाती है वहां अपील अधिकरण धारा 255 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे आदेश का प्रवर्तन ऐसे निबंधनों पर, यदि कोई हों, और ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, रोक सकेगा :

परन्तु जहां तोड़े जाने का आदेश किए जाने के समय किसी भवन का निर्माण या किसी संकर्म का निष्पादन पूरा नहीं हुआ है वहां उसे तोड़े जाने के आदेश के प्रवर्तन को रोकने का कोई आदेश अपील अधिकरण द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपीलार्थी अपील का निपटारा होने तक ऐसा निर्माण या संकर्म के लिए, अग्रसर न होने के लिए, उक्त अधिकरण की राय में, पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दे देता ।

(4) कोई भी न्यायालय इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में कोई कार्रवाई करने या कोई आदेश करने से अध्यक्ष को रोकने के लिए उसके विरुद्ध कोई वाद, आवेदन ग्रहण नहीं करेगा या व्यादेश या अन्य अनुतोष के लिए कोई कार्यवाही का आदेश नहीं देगा ।

(5) धारा 256 के अधीन अपील पर प्रशासक द्वारा किए गए आदेश के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन अपील पर अपील अधिकरण द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश और अपील पर प्रशासक तथा अपील अधिकरण के आदेशों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष द्वारा किया गया तोड़े जाने का आदेश अंतिम और निश्चायक होगा ।

(6) जहां अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए तोड़े जाने के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है या जहां अध्यक्ष द्वारा उसे उपधारा के अधीन किया गया तोड़े जाने का आदेश अपील में किसी परिवर्तन के साथ या परिवर्तन के बिना, अपील अधिकरण और प्रशासक द्वारा पुष्ट कर दिया गया है और ऐसे मामले में, जहां अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील की गई है, वहां वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, यथास्थिति, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी अवधि, यदि कोई है, के भीतर जो अपील अधिकरण या प्रशासक द्वारा अपील में नियत की गई है, उसका अनुपालन करेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अध्यक्ष उस निर्माण या संकर्म को, जिसके संबंध में आदेश किया गया है, तुड़वा सकेगा और इस प्रकार उसे तोड़े जाने का व्यय ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

248. कतिपय मामलों में भवन निर्माण या संकर्म को रोकने का आदेश—(1) जहां किसी भवन का निर्माण या किसी संकर्म का निष्पादन धारा 241 में निर्दिष्ट मंजूरी के बिना या उसके प्रतिकूल या जिस शर्त के अधीन ऐसी मंजूरी दी गई है उसके उल्लंघन में या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई उपविधियों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में प्रारंभ किया गया है या किया जा रहा है (किन्तु वह पूरा नहीं हुआ है) वहां अध्यक्ष, ऐसी अन्य किसी कार्रवाई के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, आदेश द्वारा उस व्यक्ति से जिसकी प्रेरणा पर भवन का निर्माण या संकर्म प्रारम्भ किया गया है, या किया जा रहा है, उसे तत्क्षण रोक देने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) यदि अध्यक्ष द्वारा धारा 247 या इस धारा की उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश का, जिसमें किसी भवन का निर्माण या संकर्म का निष्पादन रोकने का निदेश दिया गया है, अनुपालन नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष किसी पुलिस अधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह परिसर से ऐसे व्यक्ति और उसके सभी सहायकों और कर्मकारों को ऐसे समय के भीतर जो उस अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया जाए, हटा दे या किसी भवन के निर्माण या किसी कार्य के निष्पादन में प्रयोग की गई निर्माण सामग्री, औजार, मशीनरी, पाङ या अन्य चीजों को अभिगृहीत कर ले और ऐसा पुलिस अधिकारी उस अध्यपेक्षा का तद्नुसार अनुपालन करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष द्वारा अभिगृहीत कराई जाने वाली चीजों में से किसी का उसके द्वारा धारा 230 में विनिर्दिष्ट रीति से व्ययन किया जाएगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन अध्यपेक्षा का अनुपालन हो जाने के पश्चात् यदि अध्यक्ष ठीक समझे तो वह किसी पुलिस अधिकारी या परिषद् के किसी नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी को परिसर की निगरानी यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से करने के लिए, लिखित आदेश द्वारा, तैयार कर सकेगा कि भवन का निर्माण या संकर्म का निष्पादन जारी नहीं रखा जा रहा है।

(5) जहां कोई पुलिस अधिकारी या कोई नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी परिसर की निगरानी करने के लिए उपधारा (4) के अधीन तैनात किया गया है वहां ऐसे तैनात किए जाने का खर्च उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा जिसकी प्रेरणा पर ऐसा निर्माण या निष्पादन जारी रखा गया है या जिसे उपधारा (1) के अधीन सूचना दी गई थी, और वह ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

249. संकर्म का परिवर्तन करने की अपेक्षा करने की अध्यक्ष की शक्ति—(1) अध्यक्ष किसी भवन के निर्माण या किसी संकर्म के निष्पादन के दौरान किसी समय या उसके पूरा हो जाने के पश्चात् किसी समय सात दिन से अन्यून की लिखित सूचना द्वारा उस बात को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके संबंध में ऐसा निर्माण या निष्पादन धारा 241 में निर्दिष्ट मंजूरी के बिना किया गया है या प्रतिकूल है या मंजूरी की ऐसी किसी शर्त के या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में है और उस व्यक्ति से जिसने धारा 238 या धारा 239 के अधीन सूचना दी थी या ऐसे भवन का संकर्म के स्वामी से या तो—

(क) भवन या संकर्म को उक्त मंजूरी, शर्त या उपबंधों के अनुरूप करने के उद्देश्य से उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट परिवर्तन करने की, अथवा

(ख) सूचना में कथित अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करने की कि ऐसा परिवर्तन क्यों न किया जाए,

अपेक्षा कर सकेगा।

(2) यदि व्यक्ति या स्वामी यथापूर्वोक्त हेतुक दर्शित नहीं करता है तो वह सूचना में विनिर्दिष्ट परिवर्तन करने के लिए आबद्ध होगा।

(3) यदि व्यक्ति या स्वामी यथापूर्वोक्त हेतुक दर्शित करता है तो अध्यक्ष उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना को आदेश द्वारा या तो रद्द करेगा या उसे ऐसे उपान्तरणों के अधीन पुष्ट करेगा जो वह ठीक समझे।

250. अप्राधिकृत सन्निर्माणों को सीलबन्द करने की शक्ति—(1) अध्यक्ष के लिए धारा 247 के अधीन तोड़ देने या धारा 247 अथवा धारा 248 के अधीन किसी भवन का निर्माण किए जाने या किसी संकर्म के निष्पादन को रोकने का आदेश करने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए या ऐसे परिनिर्माण या संकर्म की प्रकृति और विस्तार के बारे में किसी विवाद का निवारण करने के लिए ऐसे परिनिर्माण या संकर्म या ऐसे परिसर को, जिसमें ऐसा परिनिर्माण या संकर्म नियमों द्वारा विहित रीति से किया जा रहा है, या पूरा कर दिया गया है, सीलबन्द करने का निदेश देने वाला आदेश करे।

(2) जहां कोई परिनिर्माण या संकर्म या कोई ऐसा परिसर जिसमें कोई परिनिर्माण या संकर्म निष्पादित किया जा रहा है, सीलबन्द किया जाता है वहां अध्यक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे परिनिर्माण या संकर्म को तोड़ देने के प्रयोजन के लिए, ऐसी सील के हटाए जाने का आदेश कर सकेगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति, —

(क) उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष द्वारा किए गए आदेश के अधीन ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील में अपील अधिकरण या प्रशासक के किसी आदेश के अधीन,

ही ऐसी सील को हटाएगा, अन्यथा नहीं ।

251. पूरा होने का प्रमाणपत्र—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो परिषद् के पास रजिस्ट्रीकृत वास्तुकार या वास्तुकार या किसी इंजीनियर या अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति को भवन का डिजाइन तैयार करने या उसका निर्माण करने या संकर्म के निष्पादन के लिए नियोजित करता है, भवन का निर्माण किए जाने या संकर्म का निष्पादन पूरा हो जाने के पश्चात् एक मास के भीतर ऐसे पूरा होने की लिखित सूचना इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र के साथ अध्यक्ष को देगा या भेजेगा या दिलवाएगा या भिजवाएगा और ऐसे भवन या संकर्म के निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं अध्यक्ष को देगा ।

(2) अध्यक्ष जब तक इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों के अनुसार इस निमित्त अनुज्ञा प्रदान नहीं कर देता तब तक कोई व्यक्ति किसी ऐसे भवन का अधिभोग नहीं करेगा या ऐसे किसी संकर्म द्वारा किए गए किसी भवन निर्माण या उसके भाग का प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष, ऐसे पूरा होने की सूचना की प्राप्ति के पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने से अपने इंकार करने की संसूचना देने में असफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि ऐसी अनुज्ञा प्रदान कर दी गई है ।

252. भवनों के उपयोग पर निर्बंधन—कोई व्यक्ति, अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के बिना या ऐसी अनुज्ञा की शर्तों, यदि कोई हों, के अनुरूप से अन्यथा, —

(क) ऐसे भवन के किसी भाग को, जो मूलतः मानव-निवास के लिए प्रयुक्त या उक्त प्रयोजन के लिए निर्मित या प्राधिकृत नहीं था या इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाई गई उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार निष्पादित किसी संकर्म द्वारा कोई परिवर्तन किए जाने से पूर्व उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता था, मानव-निवास के लिए प्रयोग नहीं करेगा और न करने की अनुज्ञा देगा ;

(ख) किसी भूमि या भवन के प्रयोग में परिवर्तन नहीं करेगा या परिवर्तन नहीं करने देगा ;

(ग) एक प्रकार के वासगृह को दूसरे प्रकार के वासगृह में परिवर्तन नहीं करेगा या परिवर्तित नहीं करने देगा ।

253. अपील अधिकरण—(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 247 या धारा 254 के अधीन की गई अपील का विनिश्चय करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक अपील अधिकरणों का गठन करेगी, जिनके मुख्यालय दिल्ली या नई दिल्ली में होंगे ।

(2) एक अपील अधिकरण एक व्यक्ति से गठित होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(3) कोई व्यक्ति किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है या उसने कम से कम दस वर्ष तक भारत में कोई न्यायिक पद धारण नहीं किया है ।

(4) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा ठीक समझे तो वह एक या अधिक व्यक्तियों को, जिनके पास ऐसी अपीलों में अन्तर्वलित विषयों का विशेष ज्ञान या अनुभव हो, अपील अधिकरण को, उसके समक्ष की कार्यवाहियों में सलाह देने के लिए असेसरों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी किन्तु असेसरों की सलाह अपील अधिकरण पर आबद्धकर नहीं होगी ।

(5) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन राज्यक्षेत्रीय सीमाओं को परिनिश्चित करेगी, जिनके भीतर कोई अपील अधिकरण अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा, और जहां विभिन्न अपील अधिकारियों की एक ही राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अधिकारिता है, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिकरणों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य के वितरण और आबंटन के लिए भी उपबंध करेगी ।

(6) प्रत्येक अपील अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, एक रजिस्ट्रार और ऐसे अन्य कर्मचारी, सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं, होंगे :

परन्तु रजिस्ट्रार और कर्मचारियों को नियमों के अनुसार ऐसे सभी या कितने ही अधिकरणों के लिए संयुक्ततः नियोजित किया जा सकता है ।

254. इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए कतिपय आदेशों या सूचनाओं के विरुद्ध अपीलें—(1) इस अधिनियम के अधीन किए गए निम्नलिखित आदेशों या जारी की गई निम्नलिखित सूचनाओं में से किसी द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या सूचना के विरुद्ध अपील अधिकरण को कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 217 के अधीन अभिन्यास रेखांक को मंजूरी देने वाला या नामंजूर करने वाला आदेश ;

(ख) धारा 218 के अधीन किसी पथ में परिवर्तन करने या उसे तोड़ देने का निदेश देने वाला आदेश ;

(ग) धारा 219 की उपधारा (1) के अधीन सूचना ;

(घ) धारा 221 की उपधारा (2) के अधीन सूचना ;

(ङ) अध्याय 13 के अधीन हटाई गई या धारा 248 के अधीन अभिगृहीत की गई चीजों के व्ययन का निदेश देने वाला आदेश या इस प्रकार व्ययन की गई चीजों के विक्रय आगमों के अतिशेष के लिए ऐसे व्यक्ति के दावे को नामंजूर करने वाला आदेश ;

(च) धारा 241 के अधीन किसी भवन के निर्माण या किसी संकर्म के निष्पादन को मंजूरी देने वाला या मंजूरी देने से इंकार करने वाला आदेश ;

(छ) धारा 242 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन मंजूरी विधारित करने वाला आदेश ;

(ज) धारा 243 के अधीन मंजूरी रद्द करने वाला आदेश ;

(झ) धारा 244 के अधीन परिनिर्मित किए जाने के लिए आशयित किसी भवन के गोलाकार किए जाने या टेढ़ा बनाए जाने या उसकी ऊंचाई कम की जाने की अपेक्षा करने वाला या किसी स्थल के किसी भाग का अर्जन करने के लिए आदेश ;

(ञ) धारा 245 के अधीन किसी भवन का निर्माण किए जाने से या किसी संकर्म के निष्पादन से इंकार करने वाला आदेश ;

(ट) धारा 248 के अधीन किसी परिनिर्माण या संकर्म के रोके जाने की अपेक्षा करने वाला आदेश ;

(ठ) धारा 249 के अधीन किसी भवन या संकर्म में परिवर्तन करने की अपेक्षा करने वाला आदेश ;

(ड) धारा 250 के अधीन अप्राधिकृत सन्निर्माणों के सीलबंद किए जाने का निदेश देने वाला आदेश ;

(ढ) धारा 251 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला आदेश ;

(ण) धारा 252 के अधीन अनुज्ञा देने या उससे इंकार करने वाला आदेश ;

(त) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन योजनाबद्ध विकास से, जो नियमों द्वारा विहित किया जाए, संबंध रखने वाला या उससे उद्भूत होने वाला ऐसा ही कोई अन्य आदेश या सूचना ।

(2) इस धारा के अधीन कोई अपील उस आदेश या सूचना की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तारीख से तीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी :

परन्तु अपील अधिकरण तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था ।

(3) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी और उसके साथ उस आदेश या सूचना की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रति और वह फीस होगी, जो नियमों द्वारा विहित की जाए ।

255. अपील अधिकरण की प्रक्रिया—(1) अपील अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुने जाने के अवसर देने के पश्चात्, उस पर उस आदेश या सूचना की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करने वाले, उसे उपांतरित करने वाले या बातिल करने वाले ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, या मामले को उस प्राधिकारी या अधिकारी को, जिसके आदेश या सूचना के विरुद्ध अपील फाइल की गई है, अतिरिक्त साक्ष्य, यदि आवश्यक हो, लेने के पश्चात् नए आदेश या सूचना के लिए या ऐसी अन्य कार्रवाई के लिए, जो अपील अधिकरण विनिर्दिष्ट करे प्रतिनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(2) अपील अधिकरण अपने द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति अपील के पक्षकारों को भेजेगा ।

(3) कोई भी अपील अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश या सूचना के संबंध में अपने समक्ष लम्बित अपील में, परिषद् के विरुद्ध या अपनी पदीय हैसियत में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध, कोई अन्तरिम आदेश (चाहे वह व्यादेश के रूप में हो या रोक के रूप में) तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उस मामले में परिषद् को या उसके अधिकारी या सेवक को सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया जाता है :

परन्तु अपील अधिकरण यथापूर्वोक्त अवसर दिए बिना आपवादिक अध्युपाय के रूप में ऐसा अन्तरिम आदेश कर सकेगा, यदि उसका अपने द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाता है कि अपील फाइल करने वाले व्यक्ति को कोई ऐसी हानि होने से रोकने के लिए, जिसका धन के रूप में यथायोग्य प्रतिकर नहीं दिया जा सकता, ऐसा करना आवश्यक है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक अन्तरिम आदेश, यदि उसे पहले ही बातिल नहीं कर दिया जाता है तो, ऐसा उस तारीख से, जिसको वह किया गया है, चौदह दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जाएगा, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति के पूर्व अपील अधिकरण, परिषद् या उसके अधिकारी या सेवक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश की पुष्टि नहीं कर देता है या उसे उपांतरित नहीं कर देता है ।

(4) उन नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, अपील अधिकरण के समक्ष किसी अपील में नुकसानी और उसका तथा उससे आनुषंगिक खर्च अपील अधिकरण के स्वविवेकानुसार अधिनिर्णीत किया जाएगा, और उसको यह अवधारित करने की पूर्ण शक्ति होगी कि ऐसी नुकसानी या खर्चों का किसके द्वारा और किसको तथा किस सीमा तक और किन शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए संदाय किया जाना है और वह अपील का निपटारा करने वाले अपने आदेश में पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक निदेश देगा ।

(5) इस धारा के अधीन किया गया अपील अधिकरण का कोई आदेश उस व्यक्ति के आवेदन पर, जिसके पक्ष में आदेश किया गया है, निष्पादित किया जा सकता है या निष्पादित कराया जा सकता है ।

(6) किसी अपील को सुनने में और उसका विनिश्चय करने में या किसी आदेश के निष्पादन में, अपील अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो नियमों द्वारा विहित की जाए ।

(7) प्रत्येक अपील अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उनकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ; और

(च) कोई अन्य विषय या जो नियमों द्वारा विहित किया जाए, और किसी अपील के सुनने या उसका विनिश्चय करने में या अपने आदेश के निष्पादन के संबंध में, अपील अधिकरण की प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी, और प्रत्येक अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

256. अपील अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील—(1) अपील, अपील अधिकरण के ऐसे आदेश के विरुद्ध, जो धारा 247 या धारा 254 के अधीन किसी अपील में इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश या सूचना को पुष्ट, उपांतरित या बातिल करते हुए किया गया है, प्रशासक को की जाएगी ।

(2) धारा 254 की उपधारा (2) और उपधारा (3) और धारा 255 और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन कोई अपील फाइल करने और उसका निपटारा करने को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उन धाराओं के अधीन कोई अपील फाइल करने और उसका निपटारा करने को लागू होते हैं ।

(3) इस धारा के अधीन किसी अपील पर प्रशासक का आदेश और केवल ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, धारा 254 के अधीन अपील अधिकरण का आदेश और प्रशासक के अथवा किसी अपील अधिकरण के ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, उस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आदेश या सूचना अंतिम होगी ।

257. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, कोई भी न्यायालय धारा 247 या धारा 254 के अधीन अपीलीय किसी आदेश या सूचना के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण नहीं करेगा और ऐसा कोई आदेश या सूचना को उन धाराओं के अधीन अपील प्रस्तुत करने से अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 247 या धारा 254 के अधीन अपीलीय किसी आदेश या सूचना की बाबत इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी न्यायालय में लम्बित प्रत्येक वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में उस न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाती रहेगी और उसका निपटारा किया जाता रहेगा मानो उक्त धारा प्रवृत्त न की गई हो ।

258. खतरनाक भवनों का हटाया जाना—(1) यदि किसी समय अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि कोई भवन भग्नावस्था में है या उसके गिरने की सम्भाव्यता है या वह ऐसे भवन या ऐसे भवन के आस-पास किसी अन्य भवन या स्थान के अधिभोगी, उसमें आश्रय लेने वाले या वहां से गुजरने वाले किसी व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार से खतरनाक है तो अध्यक्ष ऐसे भवन के स्वामी या अधिभोगी से लिखित आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए, ऐसे भवन को तोड़े, सुरक्षित करे या उसकी मरम्मत करे या एक या अधिक बातें करे जिससे कि उससे खतरे के सभी कारणों का निवारण हो जाए ।

(2) यदि अध्यक्ष ठीक समझता है तो वह उक्त आदेश द्वारा ऐसे स्वामी या अधिभोगी से वहां से गुजरने वाले और अन्य व्यक्तियों के बचाव के लिए उचित और पर्याप्त आड़ या बाड़ और, जहां कहीं व्यवहार्य हो वहां, एक सुविधाजनक प्लेटफार्म और रेलिंग, जो ऐसी आड़ या बाड़ के बाहर यात्रियों के लिए एक पैदल मार्ग का काम दे, या तो तत्क्षण या उस भवन को तोड़ने, सुरक्षित करने या उसकी मरम्मत करने के लिए कार्यवाही करने से पूर्व ही लगाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) यदि अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि जो भवन भग्नावस्था में है या जिसके गिरने की सम्भाव्यता है उससे खतरा आसन्न है तो वह उपरोक्त आदेश देने से पूर्व उक्त भवन पर बाड़ लगा सकेगा, उसे तोड़ सकेगा, सुरक्षित कर सकेगा, या उसकी मरम्मत कर सकेगा, या ऐसे उपाय कर सकेगा जो खतरे के निवारण के लिए आवश्यक हो ।

(4) यदि भवन का स्वामी या अधिभोगी आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो अध्यक्ष भवन के सम्बन्ध में ऐसे उपाय करेगा जिससे खतरे के सभी कारणों का निवारण हो जाए ।

(5) किसी भवन के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन अध्यक्ष द्वारा किए गए सभी व्यय उसके स्वामी या अधिभोगी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे ।

259. कतिपय परिस्थितियों में भवनों को खाली कर देने के लिए आदेश देने की शक्ति—(1) अध्यक्ष, लिखित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि वह भवन जो उसकी राय में खतरनाक दशा में है या जिसमें आग लग जाने की दशा में बाहर निकलने के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था नहीं की गई है या जिसका अधिभाग धारा 251 के उल्लंघन में किया गया है, तत्क्षण, या ऐसी अवधि के भीतर, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, खाली कर दिया जाए :

परन्तु अध्यक्ष ऐसा आदेश देते समय उसके कारणों का एक संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के अनुसरण में, उस भवन को खाली करने में असफल रहता है तो अध्यक्ष किसी पुलिस अधिकारी को निदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को उस भवन से हटा दे और पुलिस अधिकारी ऐसे निदेश का तद्नुसार अनुपालन करेगा ।

(3) अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर जिसने आदेश के अनुसरण में भवन खाली किया है या जिसे उसमें से हटाया गया है, उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिए आदेश प्रवृत्त था, उस व्यक्ति को, उस समय विद्यमान परिस्थितियों में जहां तक सम्भव है, उस भवन में बहाल करेगा ।

260. उपविधियां बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उपविधियां, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी :

परन्तु पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (1911 का पंजाब अधिनियम 3) की धारा 189 की उपधारा (3) के अधीन नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा बनाई गई और ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी उपविधियां इस धारा के उपबंधों के अधीन बनाई गई समझी जाएंगी और ऐसे प्रवर्तन के पश्चात् उसी प्रकार प्रवृत्त और प्रभावी बनी रहेंगी जब तक कि इस धारा के उपबंधों के अधीन उनका संशोधन, उनमें फेरफार, उनका विखंडन या अधिक्रमण नहीं कर दिया जाता है ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी उपविधियों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) विभिन्न क्षेत्रों के लिए भवनों के लिए स्थलों के उपयोग का विनियमन या निर्बन्धन ;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में भवनों का विनियमन या निर्बन्धन ;

(ग) किसी भवन के निर्माण या किसी संकर्म के निष्पादन की सूचना का प्ररूप और उसके संबंध में फीस ;

(घ) ऐसी सूचना के साथ पेश किए जाने वाले रेखांक और दस्तावेज तथा दी जाने वाली जानकारी और अतिरिक्त जानकारी ;

(ङ) नींव की सतह और चौड़ाई, सबसे निचली मंजिल की सतह और संरचना का स्थायित्व ;

(च) भवनों का निर्माण और भवन निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री ;

(छ) भवनों की ऊंचाई, चाहे वह स्वतंत्र रूप से निश्चित की जाए अथवा पथों की चौड़ाई या विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षा के अनुसार ;

(ज) भवनों की मंजिलों की संख्या और ऊंचाई और उनके कमरों की ऊंचाई और मानव निवास के लिए आशयित कमरों का आकार ;

(झ) बाहर और भीतर खुले स्थानों की व्यवस्था तथा प्रकाश और संवातन के समुचित साधन ;

(ञ) आग लगने की दशा में बाहर निकलने के साधनों, अग्नि बचाव मार्गों और जल ऊपर चढ़ाने की युक्तियों की व्यवस्था ;

(ट) घरेलू कचरे को हटाने के लिए प्रवेश के अनुषंगी साधनों की व्यवस्था ;

(ठ) बाहरी और मध्यवर्ती दीवारों, छतों और फर्शों के निर्माण के लिए सामग्री और निर्माण की पद्धतियां ;

(ड) अंगीठियों, धुआं निकालने के मार्गों, चिमनियों, सीढ़ियों, शौचालयों, नालियों और मलकुण्डों के निर्माण की स्थिति, सामग्री और पद्धतियां ;

(ढ) लिफ्टों की व्यवस्था ;

(ण) प्रांगण में खड़ंजा लगाना ;

(त) भवनों में ज्वलनशील सामग्री के प्रयोग पर निर्बन्धन ;

(थ) कतिपय स्थलों पर नींव के निर्माण पर निर्बन्धन ;

(द) अवमृदा से पैदा होने वाली आर्द्रता से भवनों के बचाव के लिए किए जाने वाले उपाय ;

(ध) भवनों के संबंध में मानवीय उपभोग के लिए जल के प्रदाय के लिए कुएं, टैंक और हौज तथा पम्प ;

(न) कुओं की दशा में, कुओं के आकार, उनकी हाताबंदी करने की रीति और यदि कुआं पेय जल के प्रयोजन के लिए आशयित है तो वे उपाय जो जल के प्रदूषित होने का निवारण करने के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे ;

(प) भवनों का पर्यवेक्षण ;

(फ) पथ की नियमित लाइन से गैरेजों और दुकानों को पीछे स्थापित करना ;

(ब) संवहनीय संरचनाओं का निर्माण और ऐसे निर्माणों के लिए अनुज्ञा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपविधियों का प्रारूप अध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो उसे राजपत्र में प्रकाशित कराएगा जिसमें ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे ।

(4) अध्यक्ष उपविधि-प्रारूप के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर उपविधि-प्रारूप को अपनी सिफारिशों तथा जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों के साथ केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के अधीन बनाई गई उपविधियों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

अध्याय 15

स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य

सफाई और स्वच्छता

261. पथों की दैनिक सफाई और कूड़े तथा गंदगी हटाने के लिए व्यवस्था—(1) सभी पथों और परिसरों की पर्याप्त झाड़बुहार और सफाई सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष, —

(क) सभी पथों की दैनिक सफाई कराने और वहां से कूड़ा-करकट हटाने के लिए ; और

(ख) कूड़े, गंदगी और अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थों के अस्थायी रूप से जमा करने के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अध्यक्ष द्वारा व्यवस्थित या नियत किए गए कूड़ेदानों और संग्रह स्थानों से उनकी अन्तर्वस्तु को और सभी स्थानों से वहां जमा की गई सामग्री को हटाने के लिए व्यवस्था करेगा ।

(2) अध्यक्ष, लोक सूचना द्वारा, उस समय के बारे में जिस पर, और उस रीति के बारे में जिससे, तथा उन शर्तों के बारे में जिनके अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई पदार्थ किसी पथ से हटाए जा सकते या वहां जमा किए जा सकते हैं या अन्यथा उनका व्ययन किया जा सकता है, निदेश जारी कर सकेगा ।

262. कूड़ा, आदि का परिषद् की सम्पत्ति होना—धारा 263 के अधीन व्यवस्थित या नियत किए गए सार्वजनिक कूड़ेदानों, संग्रह स्थानों और स्थानों में जमा किए गए सभी पदार्थ और धारा 261 तथा धारा 265 के अनुसरण में नगरपालिक कर्मचारियों या ठेकेदारों द्वारा संग्रह किए गए सभी पदार्थ, परिषद् की सम्पत्ति होंगे ।

263. कूड़ा, आदि के लिए कूड़ेदानों, संग्रह स्थानों और स्थानों की व्यवस्था करना या नियत करना—(1) अध्यक्ष—

(क) कूड़ा, गंदगी और प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थों को अस्थायी रूप से जमा करने के लिए और उनके अन्तिम रूप से व्ययन के लिए उचित और सुविधाजनक स्थलों पर सार्वजनिक कूड़ेदान, संग्रह स्थान या स्थान व्यवस्थित या नियत करेगा ;

(ख) कूड़े के अस्थायी रूप से जमा करने के लिए डस्टबिनों की व्यवस्था करेगा ;

(ग) कूड़े और घृणोत्पादक पदार्थों को हटाने के लिए यानों या अन्य उपयुक्त साधनों की व्यवस्था करेगा ; और

(घ) गंदगी और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थों को हटाने के लिए बंद यानों या पात्रों की व्यवस्था करेगा ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट पदार्थों में से किसी के अस्थायी रूप से जमा किए जाने या अन्तिम रूप से व्ययन के लिए विभिन्न कूड़ेदान, संग्रह स्थान या स्थान व्यवस्थित या नियत किए जा सकेंगे ।

(3) अध्यक्ष, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कूड़ेदानों, संग्रह स्थानों, डस्टबिनों, यानों और पात्रों को न्यूसेंन्स का स्रोत होने से निवारित करने की समुचित व्यवस्था करेगा ।

264. कूड़े, आदि के संग्रह और जमा करने का स्वामियों और अधिभोगियों का कर्तव्य—सभी परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का यह कर्तव्य होगा कि वे :—

(क) परिसरों में झाड़ू लगवाएं और उन्हें साफ कराएं ;

(ख) अपने-अपने परिसरों से सभी गन्दगी, कूड़ा और अन्य प्रदूषित और घृणोत्पादक पदार्थ संग्रह कराएं और ऐसे समय पर, जो अध्यक्ष लोक सूचना द्वारा विहित करे, धारा 263 के अधीन व्यवस्थित या नियत सार्वजनिक कूड़ेदानों, संग्रह स्थानों या स्थानों पर उन्हें अस्थायी रूप से जमा करने के लिए या उनका अंतिम रूप से व्ययन के लिए जमा कराएं ;

(ग) ऐसे परिसरों की सभी गन्दगी, कूड़ा और अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थों को कूड़ेदानों में संग्रह करने के लिए अध्यक्ष द्वारा विहित प्रकार के कूड़ेदानों की और विहित रीति से व्यवस्था करें तथा ऐसे कूड़ेदानों को अच्छी दशा में और मरम्मत करा कर रखें ।

265. गन्दगी और प्रदूषित पदार्थों का संग्रहण और हटाया जाना—(1) नई दिल्ली के किसी भाग में स्थित ऐसे प्रत्येक परिसर के, जिसमें नगरपालिक नाली से नाली द्वारा जोड़ा गया कोई शौचालय या मूत्रालय नहीं है, स्वामी और अधिभोगी का यह कर्तव्य होगी कि वह ऐसे परिसर पर एकत्रित सभी गन्दगी और प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थों का संग्रहण कराए और उसे ऐसे समयों पर, ऐसे यानों या पात्रों में, ऐसे मार्ग से होकर और ऐसी पूर्वाधानियों से, जो अध्यक्ष लोक सूचना द्वारा विहित करे, धारा 263 के अधीन इस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित निकटतम कूड़ेदान या संग्रह स्थान तक पहुंचाए ।

(2) अध्यक्ष के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी सभी गन्दगी और प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थों को, नई दिल्ली के किसी भाग में स्थित सभी परिसरों से ऐसे शौचालयों, मूत्रालयों और मलकुंडों से, जो किसी नगरपालिक नाली के साथ किसी नाली से जुड़े हुए नहीं हैं, नित्य संग्रह करने, हटाने और व्ययन करने के लिए उपाय करें या कराएं ।

(3) नई दिल्ली के ऐसे भाग में, और किन्हीं ऐसे परिसरों में, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, जिनमें नगरपालिक नाली से जुड़े हुए शौचालय या मूत्रालय हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जो अध्यक्ष द्वारा या उसकी ओर से नियोजित नहीं हैं, अध्यक्ष की लिखित सूचना के सिवाय, यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह सफाई कर्मचारियों के कर्तव्यों में से किसी का निर्वहन करे ।

266. कारखाने, कर्मशाला, आदि के रूप में प्रयुक्त परिसरों पर एकत्रित कूड़े, आदि का हटाया जाना—यदि अध्यक्ष यह ठीक समझता है तो वह, —

(क) किसी ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी से, जो किसी विनिर्माण, व्यापार या कारबार को चलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या कारखाने, कर्मशाला, व्यापार परिसर या बाजार के रूप में या किसी ऐसे रूप में प्रयोग में लाया जाता है जिससे वहां कूड़ा, गन्दगी और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थ बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा स्वामी या अधिभोगी ऐसे परिसर पर एकत्रित कूड़े, गन्दगी और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थ का संग्रहण करे और उसे ऐसे समयों पर और ऐसी गाड़ियों या कूड़ेदानों में तथा ऐसे मार्ग से होकर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, धारा 263 के अधीन व्यवस्थित या नियत किसी संग्रहण स्थान या स्थान तक पहुंचाए, अथवा

(ख) ऐसे स्वामी या अधिभोगी को अपने इस आशय की सूचना देने के पश्चात् ऐसे परिसरों में एकत्रित सभी कूड़ा, गन्दगी और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थ हटवा सकता है, और उक्त स्वामी या अधिभोगी पर ऐसे हटाने के कार्य के

लिए ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा, जो परिषद् की मंजूरी से, खंड (क) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

267. कूड़ा, आदि एकत्रित करने का प्रतिषेध—(1) किसी परिसर का स्वामी या अधिभोगी कोई कूड़ा, गन्दगी या अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थ ऐसे परिसर या उसमें के किसी स्थान पर चौबीस घंटे से अधिक समय तक या अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कूड़ेदानों से भिन्न किसी स्थान में नहीं रखेगा या रखने देगा या ऐसे कूड़े, गन्दगी और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थ को ऐसे कूड़ेदान से हटाने के लिए, या उसे साफ करने के लिए, तथा ऐसे कूड़े, गन्दगी और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थ को अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट रीति से व्ययनित करने के लिए उचित साधनों का उपयोग करने में उपेक्षा नहीं करेगा अथवा परिसरों में या उनके किसी शौचालय या मूत्रालय का निर्माण, मरम्मत, पटाव या सफाई कराने के लिए अध्यक्ष की किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में चूक नहीं करेगा ।

(2) कोई स्वामी या अधिभोगी किसी सिंक, नाली, शौचालय या मूत्रालय के जल को या किसी कूड़े, गन्दगी और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थ को किसी पथ पर या उसकी ओर या किसी पथ में की या उसके किनारे में की किसी नाली में ऐसी रीति के सिवाय जो ऐसे किसी जल, कूड़े, गन्दगी या अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थ से उत्पन्न किसी परिवर्जनीय न्यूसेंस से निवारण करे, जाने, फेंके जाने या रखे जाने नहीं देगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति, निम्नलिखित को जमा करने और हटाने के लिए इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन इस संबंध में सम्यक् व्यवस्था कर दिए जाने के पश्चात् —

(क) किसी पथ में या किसी पथ के किनारे किसी भवन के बरामदे या किसी अधिभोग रहित खाली भूमि पर या किसी जलसरणी के किनारे पर कोई कूड़ा, गन्दगी और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थ जमा नहीं करेगा ; अथवा

(ख) किसी ऐसे डस्टबिन या किसी यान में कोई गन्दगी या अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थ जमा नहीं करेगा जो उनको हटाने के लिए आशयित नहीं है ; अथवा

(ग) कूड़े और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थों को हटाने के लिए आशयित किसी यान या पात्र में कूड़ा जमा नहीं करेगा ।

268. वायु प्रदूषक के संबंध में प्रतिषेध—किसी परिसर का कोई स्वामी या अधिभोगी उन मानकों से अधिक, जो वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (छ) में अधिकथित है, किसी वायु प्रदूषक का उत्सर्जन न तो अनुज्ञात करेगा और न अनुज्ञात करवाएगा ।

269. परिसरों की झाड़बुहार और सफाई कराने की अध्यक्ष की शक्ति—यदि किन्हीं परिसरों में उचित और नियमित रूप से झाड़बुहार और सफाई नहीं की जाती है या वे गंदगी और अस्वास्थ्यकर दशा में है तो अध्यक्ष उनकी झाड़बुहार और सफाई करा सकेगा और उसके व्यय, यथास्थिति, स्वामी या अधिभोगी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा ।

270. सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, आदि—(1) अध्यक्ष उचित और सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था करेगा और उनका अनुरक्षण करेगा ।

(2) ऐसे सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण इस प्रकार से किया जाएगा जिससे उनमें पुरुषों और महिलाओं के लिए पृथक् कक्ष की व्यवस्था रहे और न्यूसेंस न हो और उनमें सभी आवश्यक सफाई स्थापनों की व्यवस्था की जाएगी तथा उनकी नियमित रूप से सफाई की जाएगी और उन्हें उचित दशा में रखा जाएगा ।

शौचालय और मूत्रालय

271. शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण—(1) अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा से ही और उन निबंधनों के अनुसार ही जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई उपविधियों के ऐसे निबन्धनों से असंगत नहीं है जो अध्यक्ष विहित करे, किसी परिसर के लिए कोई शौचालय या मूत्रालय निर्मित करना विधिपूर्ण होगा, अन्यथा नहीं ।

(2) ऐसे निबंधन विहित करने में अध्यक्ष ऐसे मामले में यह अवधारित कर सकेगा कि—

(क) परिसरों से गन्दगी हटाने के लिए कमाने की प्रणाली या फ्लश की प्रणाली अपनाई जाएगी या भागतः कमाने की प्रणाली और भागतः फ्लश की प्रणाली अपनाई जाएगी ; और

(ख) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय का स्थल कैसा होगा या स्थिति कैसी होगी ।

(3) यदि किसी परिसर पर पूर्वगामी उपबंधों के उल्लंघन में किसी शौचालय या मूत्रालय का निर्माण किया जाता है या अध्यक्ष, ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी को कम से कम दस दिन की सूचना देकर, ऐसे शौचालय या मूत्रालय में फेरफार करा सकेगा या उसका पुनः निर्माण करा सकेगा, उसे बन्द कर सकेगा या उसे तोड़ सकेगा तथा ऐसा करने में अध्यक्ष द्वारा उपगत व्यय स्वामी या अधिभोगी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा ।

272. नए भवनों में शौचालय और मूत्रालय, आदि—(1) किसी भवन का निर्माण या ऐसे भवन के संबंध में किसी संकर्म का निष्पादन तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक प्रत्येक मंजिल पर ऐसी शौचालय-सुविधा और मूत्रालय-सुविधा की तथा स्नान के लिए या कपड़े और बर्तन धोने के लिए ऐसी सुविधा को, जैसी कि अध्यक्ष द्वारा विहित की जाए, व्यवस्था नहीं कर दी जाती ।

(2) किसी ऐसी सुविधा को विहित करने में अध्यक्ष प्रत्येक मामले में यह अवधारित कर सकेगा कि :—

(क) ऐसे भवन के लिए केवल फ्लश की प्रणाली अपनाई जाएगी ;

(ख) प्रत्येक शौचालय, मूत्रालय, स्नान या शौचालय के स्थान का स्थल कैसा होगा या स्थिति कैसी होगी और प्रत्येक मंजिल पर उनकी संख्या और उनका सही आंतरिक आकार कैसा होगा ।

(3) फ्लैट प्रणाली से पृथक् वास गृहों वाला निवास स्थान बनाना तब तक विधिपूर्ण नहीं होगा जब तक ऐसे स्थान की पहली मंजिल में या उसी परिसर के किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर सेवकों के लिए कम से कम एक शौचालय और एक स्नान या धुलाई के स्थान की व्यवस्था नहीं कर दी जाती ।

(4) इस धारा में "भवन का निर्माण करना" पद का वही अर्थ है जो धारा 236 में है ।

273. श्रमिकों, आदि के लिए शौचालय और मूत्रालय—बीस से अधिक की संख्या में कर्मकारों, श्रमिकों या अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों में से महिलाओं और पुरुषों के पृथक् प्रयोग के लिए अध्यक्ष द्वारा सूचना में यथा अपेक्षित वर्णन के और संख्या में, ऐसे समय के भीतर, जो सूचना में नियत किया जाए, शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था करेगा और उनका अनुरक्षण करेगा और उन्हें साफ और उचित दशा में रखेगा ।

274. बाजारों, आदि के लिए शौचालय और मूत्रालयों की व्यवस्था—अध्यक्ष किसी बाजार, गाड़ी स्टैंड, पशु शैड, नाट्यशाला, रेल स्टेशन और लोक समागम के अन्य स्थानों के स्वामी या प्रबंधक से सूचना के द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए महिलाओं और पुरुषों के पृथक् प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट ऐसे वर्णन के और ऐसी संख्या में और ऐसी स्थिति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था करे और उनका अनुरक्षण करे और उन्हें साफ और उचित दशा में रखे ।

275. प्राइवेट शौचालयों के बारे में अन्य उपबंध—अध्यक्ष, लिखित सूचना द्वारा, —

(क) किसी प्राइवेट शौचालय या मूत्रालय के स्वामी से या अन्य व्यक्ति से, जिसका उस पर नियंत्रण है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसका सार्वजनिक उपयोग न होने दे ; अथवा

(ख) ऐसे प्राइवेट शौचालय या मूत्रालय के, जो अध्यक्ष की राय में न्यूसेंस हैं, स्वामी से या ऐसे व्यक्ति से जिसका उस पर नियंत्रण है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस शौचालय या मूत्रालय को हटा दिया जाए, अथवा

(ग) किसी भूमि या भवन पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति से, चाहे वह उसका स्वामी हो या पट्टेदार हो या अधिभोगी हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह—

(i) उस भूमि या भवन के लिए व्यवस्था किए गए किसी शौचालय में पर्याप्त छत, दीवार या बाड़ लगाकर ऐसी आड़ कर दे कि वहां से गुजरने वाले या आस-पास रहने वाले व्यक्तियों को वे नजर न आएं, अथवा

(ii) उस भूमि या भवन के किसी शौचालय या मूत्रालय को ऐसी रीति से जो अध्यक्ष सूचना में विहित करे, साफ रखे ; अथवा

(घ) जहां मानव-निवास के लिए आशयित या प्रयुक्त किसी परिसर में शौचालय या मूत्रालय सुविधा नहीं है या उसमें शौचालय या मूत्रालय सुविधा अपर्याप्त है, वहां ऐसे परिसरों के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी या ऐसी अतिरिक्त शौचालय या मूत्रालय सुविधा की व्यवस्था करे जो अध्यक्ष विहित करे और यदि आवश्यक हो तो इस निमित बनाई गई उपविधियों के अनुसार ऐसे परिसर के किसी भाग को खाली करवाकर और तुड़वाकर ऐसी व्यवस्था करे ।

अति भिड़े भवनों और मानव-निवास के अयोग्य भवनों का हटाया जाना

276. अति भिड़े भवनों का हटाया जाना—(1) जहां अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि भवनों का कोई ब्लाक उन भवनों के एक दूसरे से अत्यन्त भिड़े होने के कारण या पथों के तंग होने या अति निकट होने या उस त्रुटिपूर्ण योजना के कारण या पर्याप्त जलनिस्सारण और संवातन के अभाव के कारण या भवन की सफाई करने की अव्यवहारिकता के कारण या अन्य वैसे ही कारणों से अस्वास्थ्यकर दशा में है वहां वह उस ब्लाक का निरीक्षण अपने द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से कराएगा जो ब्लाक की स्वच्छता संबंधी दशा के बारे में उसे लिखित रूप में रिपोर्ट देगा ।

(2) यदि ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अध्यक्ष यह समझता है कि ब्लाक की स्वच्छता संबंधी दशा में भवनों के या आस-पास के निवासियों को रोग की जोखिम होने की या अन्यथा लोक स्वास्थ्य को खतरा होने की संभाव्यता है तो वह परिषद् के पूर्व अनुमोदन से उन भवनों को चुनेगा जो उसकी राय में ब्लाक की अस्वास्थ्यकर दशा को दूर करने के उद्देश्य से पूर्णतः या भागतः हटा दिए जाने चाहिए

और वह तदुपरि ऐसे भवनों के स्वामियों से, लिखित सूचना द्वारा, ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, भवनों को हटाने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु सूचना जारी करने से पूर्व स्वामियों को यह हेतुक दर्शित करने का उचित अवसर दिया जाएगा कि भवन क्यों न हटाए जाएं :

परन्तु यह और कि इस प्रकार हटाए गए किन्हीं ऐसे भवनों के स्वामियों का जो उचित प्राधिकार के अधीन बनाए गए हों, परिषद् प्रतिकर देगा ।

(3) यदि किसी भवन के स्वामी को भवन हटाने की अपेक्षा करते हुए उपधारा (2) के अधीन दी गई सूचना का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष सूचना में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात् उस भवन को हटा सकेगा या हटवा सकेगा जिसे हटाने की अपेक्षा सूचना में की गई है और उसे हटाने का व्यय भवन के स्वामी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा ।

277. मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त भवन में सुधार करने की अपेक्षा करने की अध्यक्ष की शक्ति—(1) जहां अध्यक्ष का, उस जानकारी के आधार पर, जो उसके पास है, यह समाधान हो जाता है कि कोई भवन किसी कारण से मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त है वहां वह, सिवाय तब जब उसकी राय में वह भवन युक्तियुक्त व्यय करने पर ठीक किए जाने के योग्य नहीं है, भवन के स्वामी पर यह अपेक्षा करते हुए एक सूचना तामील कर सकेगा कि सूचना में, विनिर्दिष्ट समय के भीतर, जो तीस दिन से कम नहीं होगी, सूचना में विनिर्दिष्ट सुधार से संकर्म निष्पादित किए जाएं । सूचना में यह अधिकथित होगा कि उसकी राय में ऐसे संकर्मों से भवन मानव निवास के उपयुक्त हो जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन सूचना की तामील स्वामी पर करने के अतिरिक्त अध्यक्ष सूचना की एक प्रति किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील कर सकेगा जिसका उस भवन में चाहे पट्टेदार के रूप में या बंधकदार या किसी अन्य रूप में, कोई हित है ।

(3) यह अवधारित करने में कि कोई भवन युक्तियुक्त व्यय पर मानव-निवास के योग्य बनाया जा सकता है या नहीं, उसे इस प्रकार योग्य बनाने के लिए आवश्यक संकर्मों का प्राक्कलित खर्च और जब ऐसे संकर्म पूरे हो जाएं तब उस भवन का प्राक्कलित मूल्य ध्यान में रखा जाएगा ।

278. सुधार के संकर्मों की अपेक्षा करने वाली सूचना का प्रवर्तन—यदि धारा 277 के अधीन सूचना का, जिसमें भवन के स्वामी से सुधार के संकर्म निष्पादित करने की अपेक्षा की गई है, अनुपालन नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष, सूचना में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात्, ऐसी सूचना में किए जाने के लिए अपेक्षित संकर्मों को निष्पादित कर सकेगा या करवा सकेगा और उसके संबंध में उपगत व्यय इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा ।

279. मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों को तोड़ने का आदेश देने की अध्यक्ष की शक्ति—(1) जहां अध्यक्ष का, ऐसी जानकारी के आधार पर, जो उसके पास है, यह समाधान हो जाता है कि कोई भवन मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त है और युक्तियुक्त व्यय करने पर ठीक किए जाने के योग्य नहीं है वहां वह उस भवन के स्वामी पर और उस भवन में, चाहे पट्टेदार के रूप में या बन्धकदार अथवा किसी अन्य रूप में कोई हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर, सूचना की तामील करेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह हेतुक दर्शित करे कि भवन को तोड़ने का आदेश क्यों नहीं दिया जाए ।

(2) यदि उन व्यक्तियों में से कोई, जिस पर उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है, उस सूचना के अनुसरण में अध्यक्ष के समक्ष सूचना की तामील की गई है, उस सूचना के अनुसरण में अध्यक्ष के समक्ष हाजिर होता है और उसे वचन देता है कि वह अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उस भवन के सम्बन्ध में ऐसे सुधार के संकर्म निष्पादित करेगा जिनसे अध्यक्ष की राय में भवन मानव-निवास के योग्य हो जाएगा अथवा यह वचन देता है कि भवन को मानव-निवास के लिए तब तक प्रयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक अध्यक्ष का यह समाधान नहीं हो जाता कि वह उस प्रयोजन के योग्य बना दिया गया है और अध्यक्ष ऐसे वचन को रद्द नहीं कर देता तब तक अध्यक्ष भवन को तोड़ने का आदेश नहीं देगा ।

(3) यदि ऐसा कोई वचन, जो उपधारा (2) में उल्लिखित है, नहीं दिया जाता या किसी ऐसे मामले में जहां ऐसा कोई वचन दिया गया है, सुधार का कोई संकर्म, जिसकी बाबत वचन दिया गया है, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता या वचन के निबन्धनों का उल्लंघन करते हुए भवन का किसी समय प्रयोग किया जाता है तो अध्यक्ष तुरन्त भवन को तोड़ने का आदेश देगा और उस आदेश में यह अपेक्षा की जाएगी कि भवन को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो आदेश की तारीख से तीस दिन से कम नहीं होगी, खाली कर दिया जाए और भवन को उस अवधि की समाप्ति के पश्चात् छह सप्ताह के भीतर तोड़ दिया जाएगा ।

(4) जहां भवन को तोड़ने का आदेश इस धारा के अधीन किया जाए वहां भवन का स्वामी या उसमें हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति आदेश में उस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भवन को तोड़ देगा और यदि भवन उस समय के भीतर तोड़ा नहीं जाता है तो अध्यक्ष उस भवन को तोड़ देगा या तुड़वाएगा और उसकी सामग्री का विक्रय कर देगा ।

(5) यदि अध्यक्ष द्वारा उपधारा (4) के अधीन उपगत कोई व्यय भवन की सामग्री के विक्रय के आगमों से पूरा नहीं होता है तो वह भवन के स्वामी से या भवन में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा ।

(6) धारा 277 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह अवधारण करने में कि कोई भवन मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त है या नहीं, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उसकी दशा को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) मरम्मत ;

(ख) स्थायित्व ;

(ग) सीलन से बचाव ;

(घ) प्राकृतिक प्रकाश और वायु ;

(ङ) जल प्रदाय ;

(च) जल निस्सारण और स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाएं ;

(छ) भोजन के भण्डारकरण, तैयार करने और पकाने के लिए सुविधाएं और कूड़े, गन्दगी और अन्य प्रदूषित पदार्थों के व्ययन के लिए सुविधाएं,

और भवन को पूर्वोक्त रूप से केवल तभी अनुपयुक्त समझा जाएगा जब वह उक्त विषयों में से एक या अधिक में उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है कि वह उस दशा में अधिभोग के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त नहीं है ।

(7) धारा 277, धारा 278 और इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी भवन के सम्बन्ध में "सुधार के संकर्म" के अन्तर्गत निम्नलिखित संकर्मों में से कोई एक या अधिक है, अर्थात् :—

(क) आवश्यक मरम्मत ;

(ख) संरचनात्मक परिवर्तन ;

(ग) प्रकाश के लिए पाइन्ट और जल टोंटियों की व्यवस्था ;

(घ) खुली या पटावदार नालियों का निर्माण ;

(ङ) शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था ;

(च) अतिरिक्त या उन्नत फिक्सचर और फिटिंगों की व्यवस्था ;

(छ) आंगन खोलना या उसमें पटाव करना ;

(ज) कूड़े, गन्दगी और अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थों को हटाना ।

(झ) कोई अन्य संकर्म, जो अध्यक्ष की राय में ऊपर विनिर्दिष्ट संकर्मों में से किसी के निष्पादन के लिए आवश्यक है, जिनके अन्तर्गत किसी भवन या उसके किसी भाग को तोड़ा जाना भी है ।

(8) धारा 276, धारा 277, धारा 278 और इस धारा के उपबंध किसी क्षेत्र में, जिसे गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956 (1956 का 96) के अधीन गन्दी बस्ती क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, किसी भवन के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

280. अस्वच्छ झोपड़ियां और शैड—जहां अध्यक्ष का, किसी ऐसी जानकारी के आधार पर, जो उसके पास है, यह समाधान हो जाता है कि निवास-गृह या अस्तबल या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी झोपड़ी या शैड की बाबत यह संभाव्यता है कि बिना कुर्सी के होने के कारण या अपर्याप्त ऊंचाई की कुर्सी पर निर्मित होने के कारण या जल निकास के उचित साधनों के बिना या उसकी झाड़बुहार या सफाई की अव्यवहारिकता के कारण या जिस रीति से वह या अन्य झोपड़ियां या शैड अतिभिड़े हुए थे उसके कारण उनके निवासियों या आस-पास के निवासियों को रोग का जोखिम हो सकता है या उससे, किसी कारण से लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होने की संभाव्यता है तो अध्यक्ष लिखित सूचना द्वारा ऐसी झोंपड़ी या शैड के स्वामी या अधिभोगी से या उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी से, जिस पर झोंपड़ी या शैड स्थित है, उतने समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, झोंपड़ी या शैड को हटाने या उनमें परिवर्तन करने या ऐसे सुधार करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझता है ।

धोबियों द्वारा की जाने वाली धुलाई का विनियमन

281. धोबियों द्वारा की जाने वाली धुलाई का प्रतिषेध—(1) अध्यक्ष, लोक सूचना द्वारा, यह प्रतिषेध कर सकेगा कि धोबी अपनी आजीविका चलाने के लिए कपड़ों की धुलाई ऐसे स्थानों पर ही करेगा जो वह इस प्रयोजन के लिए नियत करे, अन्यथा नहीं ।

(2) जब कोई ऐसा प्रतिषेध कर दिया जाए तब कोई व्यक्ति, जिसकी आजीविका धोबी की है, ऐसे प्रतिषेध के उल्लंघन के सिवाय अपने लिए या वैयक्तिक और कुटुम्ब की सेवा के लिए या अवक्रय के लिए अथवा अवक्रेता के परिसर के भीतर ही, उपधारा (1) के अधीन नियत किए गए स्थान से भिन्न किसी स्थान पर कपड़े नहीं धोएगा ।

संचारी रोगों का निवारण

282. संचारी रोग की जानकारी देने की बाध्यता—जो कोई व्यक्ति, चाहे चिकित्सा व्यवसायी के रूप में या अन्यथा ऐसे किसी व्यक्ति का भारसाधक है, या उपचार कर रहा है, जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह किसी संचारी रोग से पीड़ित है, अथवा किसी भवन का स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी जिसके बारे में वह जानता है कि उसमें कोई व्यक्ति इस प्रकार पीड़ित है, ऐसे रोग के विद्यमान होने के बारे में जानकारी उक्त प्रयोजन के लिए अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अधिकारी को तुरन्त देगा।

283. संचारी रोग से पीड़ित रोगियों को हटाकर अस्पताल पहुंचाया जाना—(1) यदि किसी संचारी रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति की बाबत यह ज्ञात होता है कि—

(क) उसके पास निवास करने के लिए या आवास के लिए उचित स्थान नहीं है, अथवा

(ख) वह ऐसे कमरे या गृह में रह रहा है जिसका न तो वह स्वामी है, न उसके लिए भाटक संदत्त करता है और न ही वह किसी ऐसे व्यक्ति के जो उसका स्वामी है या उसके लिए भाटक देता है, अतिथि या नातेदार के रूप में उसका अधिभोग कर रहा है, अथवा

(ग) वह किसी सराय, धर्मशाला, होटल, बोर्डिंग हाउस, होस्टल, अतिथि-गृह, वास, क्लब में रह रहा है ; अथवा

(घ) वह ऐसे परिसर में निवास कर रहा है जो दो या अधिक कुटुम्बों के सदस्यों के अधिभोग में है,

तो अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर, जो जनरल ड्यूटी चिकित्सा आफिसर की पंक्ति से अवर नहीं है, रोगी को हटा कर किसी अस्पताल में या ऐसे स्थान पर पहुंचा सकेगा जहां ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्ति चिकित्सा उपचार के लिए रखे जाते हैं तथा वह उसे इस प्रकार से हटाने के लिए आवश्यक कोई भी बात कर सकेगा।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी अपेक्षा करे तो परिषद् उस सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रकार और आकार का संक्रामक रोग अस्पताल बनाएगी।

284. भवनों और वस्तुओं का विसंक्रामण—जहां अध्यक्ष की यह राय है कि किसी भवन या भवन के किसी भाग की अथवा ऐसे भवन या उसके भाग में की किन्हीं वस्तुओं की, जिनके संक्रामित होने की संभावना है, सफाई और विसंक्रामण करने से या ऐसे किसी भवन या भवन के किसी भाग के फर्श का नवीकरण करने से और उसकी दीवारों के प्लास्टर के नवीकरण से किसी संचारी रोग का फैलना निवारित होगा, या रुक जाएगा तो वह ऐसे भवन के स्वामी या अधिभोगी से, लिखित सूचना द्वारा, उक्त भवन, उसके भाग या उसकी वस्तुओं की सफाई और विसंक्रामण की अथवा उक्त फर्श के नवीकरण की और यदि आवश्यक है तो उसके प्लास्टर का नवीकरण, उतने समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, करने की भी अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु जहां अध्यक्ष की राय में ऐसा स्वामी या अधिभोगी गरीबी के कारण या किसी अन्य कारण से किसी अध्यपेक्षा को प्रभावी रूप से पूरा करने में असमर्थ है तो अध्यक्ष, यथास्थिति, भवन, उसके भाग या वस्तुओं की सफाई और विसंक्रामण अथवा फर्श का, और आवश्यक हो तो प्लास्टर का भी, नवीकरण नई दिल्ली नगरपालिक निधि के व्यय पर कर सकेगा।

285. संक्रामक झोपड़ी या शैड का नष्ट किया जाना—(1) जहां किसी झोपड़ी या शैड की बाबत अध्यक्ष की यह राय है कि किसी संचारी रोग के फैलने का निवारण करने के लिए उसका नष्ट किया जाना आवश्यक है, वहां वह, लिखित सूचना द्वारा, स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस झोपड़ी या शैड की और उसकी सामग्रियों को उतने समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, नष्ट कर दिया जाए।

(2) जहां अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि किसी संचारी रोग को फैलने से निवारण करने के प्रयोजन के लिए किसी झोपड़ी या शैड को नष्ट करना तत्काल आवश्यक है तो वह झोपड़ी या शैड के स्वामी या अधिभोगी को उसे तत्काल नष्ट करने का आदेश दे सकेगा या स्वामी या अधिभोगी को छह घंटे से अन्यून की सूचना देने के पश्चात् उसे स्वयं नष्ट करा सकेगा।

(3) अध्यक्ष किसी ऐसे मामले में, जिसमें यह ठीक समझता है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऐसी झोपड़ी या शैड के नष्ट किए जाने से सारवान् हानि उठानी पड़ी है, प्रतिकर संदत्त कर सकता है, किन्तु इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के किसी प्रयोग के कारण हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर का कोई दावा अध्यक्ष की अनुज्ञा से ही होगा, अन्यथा नहीं।

286. विसंक्रामण के साधन—(1) अध्यक्ष, —

(क) ऐसे प्रवहण, कपड़े, बिछौने और अन्य वस्तुओं के, जिनके संक्रामित होने की आशंका है, विसंक्रमण के लिए समुचित स्थानों की तथा आवश्यक परिचारकों और साधित्रों की व्यवस्था करेगा ;

(ख) विसंक्रामण के लिए लाए गए प्रवहण, कपड़े और अन्य वस्तुओं का विसंक्रामण या तो मुफ्त कराएगा या ऐसे प्रभारों के संदत्त किए जाने पर कराएगा जो वह नियत करे।

(2) अध्यक्ष उन स्थानों को अधिसूचित कर सकेगा जहां पहनने, बिछाने की वस्तुएं और प्रवहण या अन्य वस्तुएं, जिसके संक्रमित होने की आशंका है, धोई जाएंगी और यदि वह ऐसा करता है तो कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी स्थान में, जो इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया गया है, ऐसी चीज को पहले ही विसंक्रामित किए बिना नहीं धोएगा।

(3) अध्यक्ष ऐसे किसी कपड़े, बिछौने या अन्य वस्तु के नष्ट किए जाने का निदेश दे सकता है जिनके बारे में यह संभाव्यता है कि वे संक्रामित रही है और ऐसे नष्ट की गई किसी वस्तु के लिए वह उतना प्रतिकर दे सकेगा जितना वह ठीक समझे।

287. संचारी रोग या महामारी के प्रादुर्भाव की दशा में विशेष उपाय—(1) उस दशा में जिसमें नई दिल्ली या उसके किसी भाग में उसके निवासियों में किसी संचारी रोग का, या वहां के किन्हीं जीव-जन्तुओं में किसी महामारी का, प्रादुर्भाव हो गया है या होने का खतरा है यदि अध्यक्ष यह समझता है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्ध और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्ध उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है तो वह परिषद् की पूर्व मंजूरी से, —

(क) ऐसे विशेष उपाय कर सकेगा, और

(ख) लोक सूचना द्वारा सर्वसाधारण या सर्वसाधारण के किसी वर्ग या भाग द्वारा अनुपालन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा,

जो वह उस रोग के प्रादुर्भाव का या फैलने का निवारण करने के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु जहां अध्यक्ष की राय में तुरन्त उपाय करना आवश्यक है वहां वह यथापूर्वोक्त मंजूरी के बिना कार्रवाई कर सकेगा और यदि वह ऐसा करता है तो वह उस कार्रवाई की रिपोर्ट परिषद् को तत्काल देगा।

(2) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश को भंग नहीं करेगा और यदि वह ऐसा करेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के अधीन अपराध किया है।

288. संक्रमित कपड़े का धोबी या लांड्री को न भेजा जाना—(1) कोई व्यक्ति ऐसे किसी कपड़े या अन्य वस्तु को, जिसकी बाबत वह जानता है कि उसके संचारी रोग से संक्रमित होने की आशंका है, धोए जाने के प्रयोजन के लिए किसी धोबी को या किसी लांड्री को या ऐसे स्थान को, जो धोबियों द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए अलग रखा गया है, अथवा किसी अन्य स्थान को उसे साफ किए जाने के प्रयोजन के लिए, तब तक नहीं भेजेगा या नहीं ले जाएगा जब तक वह कपड़ा या वस्तु इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या उसके समाधानप्रद रूप से विसंक्रामित नहीं कर दी जाती।

(2) उस भवन का अधिभोगी, जिसमें कोई व्यक्ति संचारी रोग से पीड़ित है, यदि अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो, उसे ऐसे किसी धोबी का या ऐसी किसी लांड्री या अन्य स्थान का पता देगा जिसे या जहां उस भवन से कपड़े और अन्य वस्तुएं उस रोग के जारी रहने के दौरान धोए जाने या साफ किए जाने के प्रयोजन के लिए भेजे गए हैं या भेजे जाएंगे।

289. लोक प्रवहण का संदूषण और विसंक्रामण—(1) जो कोई, —

(क) उस समय जब वह संचारी रोग से पीड़ित है ; लोक प्रवहण का प्रयोग करता है, अथवा

(ख) उस व्यक्ति को ले जाने के लिए जो किसी संचारी रोग से पीड़ित है, लोक प्रवहण का प्रयोग करता है, अथवा

(ग) उस व्यक्ति के शव को ले जाने के लिए, जिसकी मृत्यु किसी ऐसे रोग से हुई है, किसी लोक प्रवहण का प्रयोग करता है,

वह उन अन्य व्यक्तियों को जो उस प्रवहण का प्रयोग कर रहे हैं या तत्पश्चात् कर सकते हैं, ऐसे रोग के संचार के प्रति उचित पूर्वावधानियां बरतने के लिए तथा उस प्रवहण के स्वामी, चालक या भारसाधक व्यक्ति को ऐसे प्रयोग को अधिसूचित करने के लिए, बाध्य होगा तथा उस प्रवहण का संख्यांक और इस प्रकार अधिसूचित किए गए व्यक्ति का नाम अध्यक्ष को अविलम्ब रिपोर्ट करने के लिए भी बाध्य होगा।

(2) जहां किसी संचारी रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को, या ऐसे किसी व्यक्ति के शव को, जिसकी मृत्यु संचारी रोग से हुई है, ऐसे किसी लोक प्रवहण में पहले ले जाया गया है जो मामूली तौर पर नई दिल्ली या उसके किसी भाग में चलता है, वहां उसका चालक उस तथ्य की रिपोर्ट अध्यक्ष को तत्काल देगा और वह उस प्रवहण का विसंक्रामण तत्काल कराएगा यदि वह पहले ही विसंक्रामित नहीं कर दिया गया है।

(3) ऐसा कोई भी प्रवहण तब तक पुनः उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने इस कथन वाला प्रमाणपत्र नहीं दे दिया है कि वह संक्रामण के जोखिम के बिना उपयोग में लाया जा सकता है।

(4) जो कोई भी अध्यक्ष को इस धारा के अधीन अपेक्षित रिपोर्ट करने में असफल रहेगा वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा।

290. प्रवहण के चालक का संचारी रोग से पीड़ित व्यक्तियों को ले जाने के लिए बाध्य न होना—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, लोक प्रवहण का कोई स्वामी, चालक या भारसाधक व्यक्ति संचारी रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति के शव को जिसकी मृत्यु ऐसे रोग से हुई है, नई दिल्ली में या उसके सामीप्य के किसी स्थान में ऐसे प्रवहण में उस दशा के

सिवाय और तब के सिवाय वहन करने के लिए और वहन करने की अनुज्ञा देने के लिए बाध्य नहीं होगा जिस दशा में और जब कि ऐसा व्यक्ति उस हानि और व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त धनराशि संदत्त करता है या निविदत्त करता है जो मामूली तौर पर उस प्रवहण का विसंक्रामण करने में उपगत होगी।

291. भवनों को भाटक पर देने से पूर्व उनका विसंक्रामण—(1) जहां कोई ऐसा भवन या भवन का कोई भाग भाड़े पर दिया जाना है जिसमें कोई व्यक्ति ठीक पूर्ववर्ती छह सप्ताह के भीतर संचारी रोग से पीड़ित रहा है वहां उस भवन या उसके भाग को भाड़े पर देने वाला व्यक्ति उसे भाड़े पर देने से पूर्व उसमें की ऐसी सभी चीजों सहित जिनमें संक्रमण बने रहने की सम्भाव्यता है, उसका विसंक्रामण ऐसी रीति से करेगा जो अध्यक्ष साधारण या विशेष सूचना द्वारा निदिष्ट करे।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी होस्टल, निवासगृह, धर्मशाला, सराय, बोर्डिंग हाउस, अतिथि गृह, होटल या क्लब को चलाने वाले व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि जिस किसी को वहां अतिथि के रूप में रखा जाता है वह उसे उस भवन का वह भाग भाटक पर देता है जिसमें ऐसे व्यक्ति को निवास करने की अनुज्ञा दी जाती है।

292. संक्रमित वस्तुओं का विसंक्रामण किए बिना व्ययन—कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु या चीज, जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उसका किसी संचारी रोग से संदूषण होने की आशंका है और जिसको नई दिल्ली या उसके किसी भाग में प्रयुक्त किए जाने या ले जाने की संभाव्यता है, पहले उसका विसंक्रामण किए बिना किसी अन्य व्यक्ति को न तो देगा, न उधार देगा, न विक्रय करेगा, न पारेषित करेगा और न अन्यथा व्ययन करेगा।

293. संक्रामित व्यक्तियों द्वारा भोजन, आदि बनाने या विक्रय करने या कपड़े धोने का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति तब जब वह किसी संचारी रोग से पीड़ित है या ऐसी परिस्थितियों में जिनमें यह संभाव्यता है कि वह ऐसा रोग फैला देगा—

(क) मानव उपयोग के लिए कोई खाद्य या पेय पदार्थ या कोई औषध या औषध या वैयक्तिक प्रयोग या पहनने के लिए कपड़े या बिछौने की कोई वस्तु नहीं बनाएगा, नहीं ले जाएगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा, या बनाने, ले जाने या विक्रय के लिए प्रस्थापित करने के कारबार में कोई भाग नहीं लेगा ; अथवा

(ख) कपड़ों को धोने या ले जाने के कारबार में कोई भाग नहीं लेगा।

294. खाद्य या पेय के विक्रय को निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति—जब नई दिल्ली या उसके किसी भाग में किसी संचारी रोग का प्रादुर्भाव हो जाने या होने का खतरा हो तब अध्यक्ष, लोक सूचना द्वारा, मानव उपभोग के लिए किसी ऐसे खाद्य या पेय के विक्रय या तैयारी की, जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, या उसमें इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी जीव-जन्तु के वर्णन के किसी मांस के विक्रय को, ऐसी रीति से निर्बन्धित या ऐसी अवधि के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगा जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

295. कुओं और तालाबों, आदि पर नियंत्रण—(1) यदि अध्यक्ष की राय है कि किसी कुएं, तालाब या अन्य स्थान का जल, यदि पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो उससे किसी रोग के पैदा होने या फैलने की संभाव्यता है तो वह—

(क) लोक सूचना द्वारा, ऐसे जल को पीने के लिए ले जाने या प्रयोग करने का प्रतिषेध कर सकेगा ; अथवा

(ख) लिखित सूचना द्वारा, ऐसे कुएं, तालाब या स्थान के स्वामी या उन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह जनता को जल तक पहुंचने या उसका प्रयोग करने से निवारित करने के लिए ऐसे कदम उठाए जो सूचना में निर्दिष्ट किए जाएं ; अथवा

(ग) ऐसे अन्य कदम उठा सकता है जो वह किसी ऐसे रोग के प्रादुर्भाव या फैलने को रोकने के लिए समीचीन समझता है।

(2) अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी नई दिल्ली या उसके किसी भाग में किसी संचारी रोग के होने या प्रादुर्भाव का खतरा हो जाने की स्थिति में बिना किसी सूचना के और किसी भी समय किसी कुएं, तालाब या अन्य स्थान का, जिसमें से पीने के प्रयोजनों के लिए जल लिया जाता है या लिए जाने की संभाव्यता है, निरीक्षण और विसंक्रामण कर सकेगा और आगे ऐसे कदम उठा सकेगा जो वह जल की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए या पीने के प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग को निवारित करने के लिए ठीक समझे।

296. संचारी रोग से पीड़ित व्यक्तियों का कर्तव्य—कोई व्यक्ति—

(क) यह जानते हुए कि वह किसी संचारी रोग से पीड़ित है किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान में अपनी उपस्थिति या आचरण से अन्य व्यक्तियों को संक्रामण की जोखिम में नहीं डालेगा ;

(ख) उस व्यक्ति की देख-रेख करते हुए, जिसके बारे में वह जानता है कि वह संचारी रोग से पीड़ित है, उस व्यक्ति को यथापूर्वोक्त किसी पथ या स्थान में उसकी उपस्थिति या आचरण से अन्य व्यक्तियों को संक्रमण की जोखिम में न डलवाएगा और न डालने देगा ;

(ग) ऐसे किसी पदार्थ को, जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे उच्छिन्न रहा है कि उसमें संचारी रोग का संक्रमण हो जाए और जिसका उचित रूप से विसंक्रमण नहीं हुआ है, डस्टबिन में या कूड़ा जमा करने के अन्य पात्र में न रखेगा और न रखने देगा ;

(घ) ऐसे किसी पदार्थ को जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे उच्छिन्न रहा है कि उसमें संचारी रोग का संक्रमण हो जाए और जिसका उचित रूप से विसंक्रामण नहीं हुआ है, किसी शौचालय या मूत्रालय में नहीं फेंकेगा और न फेंकने देगा।

297. किसी संचारी रोग से मृत्यु होने पर संक्रमित शवों का क्रियाकर्म किया जाना—जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु संचारी रोग से हुई है वहां अध्यक्ष लिखित सूचना द्वारा—

(क) शव के भारसाधक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह शव को शवगृह ले जाए, और वहां तत्पश्चात् विधि के अनुसार उसका क्रियाकर्म किया जाए ; या

(ख) उस स्थान से, जहां पर मृत्यु हुई है, शवों को जलाए जाने, दफनाए जाने या शवगृह को ले जाने के प्रयोजन के सिवाय, हटाने का प्रतिषेध कर सकता है।

आवश्यक सेवाओं के बारे में विशेष शर्तें

298. नगरपालिक सेवा में नियोजित सफाईवालों और कतिपय अन्य वर्ग के व्यक्तियों की सेवा की शर्तें—(1) कोई भी व्यक्ति, जो परिषद् द्वारा नियोजित सफाईवाला है, उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करने वाली किसी संविदा के अभाव में और युक्तियुक्त कारण के बिना, अध्यक्ष को एक मास की सूचना दिए बिना, अपने नियोजन का त्याग नहीं करेगा या अपने कर्तव्य से स्वयं को अनुपस्थित नहीं करेगा या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करेगा या युक्तियुक्त कारण के बिना उनके पालन से इंकार नहीं करेगा।

(2) परिषद् संकल्प द्वारा निर्दिष्ट कर सकेगी कि ऐसी तारीख को या से, जो संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाए, इस धारा के उपबन्ध परिषद् द्वारा नियोजित किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के उन व्यक्तियों को लागू होंगे जिनके कृत्यों का लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा से घनिष्ठ संबंध है।

299. घरेलू झाड़बुहार करने के लिए नियोजित सफाईवालों की सेवा की शर्तें—कोई भी सफाईवाला जो किसी भवन की घरेलू झाड़बुहार करने के लिए नियोजित है, ऐसी घरेलू झाड़बुहार करना युक्तियुक्त कारण के बिना या अपने नियोजक को चौदह दिन की सूचना दिए बिना बन्द नहीं करेगा।

श्मशान और कब्रिस्तान

300. श्मशानों और कब्रिस्तानों के बारे में जानकारी मांगने की शक्ति—अध्यक्ष किसी श्मशान या कब्रिस्तान के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति से, लिखित सूचना द्वारा, ऐसे श्मशान या कब्रिस्तान की दशा, प्रबन्ध या स्थिति के बारे में ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

301. नए श्मशान या कब्रिस्तान का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञा—(1) कोई स्थान जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व श्मशान या कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है, अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के बिना उस रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसी अनुज्ञा किन्हीं ऐसी शर्तों के अधीन मंजूर की जा सकती हैं जिन्हें अध्यक्ष आस-पास में निवास करने वाले किन्हीं व्यक्तियों को किसी प्रकार के क्षोभ या उनके स्वास्थ्य को किसी खतरे के निवारण के प्रयोजन के लिए अधिरोपित करना ठीक समझता है।

302. श्मशानों और कब्रिस्तानों को बन्द करने की अपेक्षा करने की शक्ति—(1) जहां स्थानीय जांच करने या कराने के पश्चात् अध्यक्ष की यह राय है कि कोई श्मशान या कब्रिस्तान आस-पास में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए क्लेशकर या उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो गया है वहां वह, परिषद् की पूर्व मंजूरी से, ऐसे श्मशान या कब्रिस्तान के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति से, लिखित सूचना द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसको ऐसी तारीख से, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, बन्द कर दे।

(2) जिस श्मशान या कब्रिस्तान के बारे में इस धारा के अधीन सूचना जारी की गई हैं, उसमें किसी शव का दाहकर्म नहीं किया जाएगा या उसे दफनाया नहीं जाएगा।

303. शवों को हटाना—अध्यक्ष, लोक सूचना द्वारा, ऐसे मार्ग विहित कर सकेगा जिससे होकर ही शवों को श्मशान या कब्रिस्तान ले जाया जा सकता है।

मृत जीव-जन्तुओं का व्ययन

304. मृत जीव-जन्तुओं का व्ययन—जब कभी किसी व्यक्ति के प्रभाराधीन कोई जीव-जन्तु मर जाए तब उसका भारसाधक व्यक्ति चौबीस घंटे के भीतर या तो—

(क) उसे मृत जीव-जन्तुओं के शवों का अंतिम व्ययन करने के लिए धारा 263 के अधीन व्यवस्थित या नियत स्थान को ले जाएगा, अथवा

(ख) उसकी मृत्यु की सूचना अध्यक्ष को देगा जो तदुपरि जीव-जन्तु के शव का व्ययन ऐसी फीस पर जो परिषद् द्वारा विहित की जाए, कराएगा।

अध्याय 16

जन्म-मरण संबंधी आंकड़े

305. मुख्य रजिस्ट्रार आदि की नियुक्ति—(1) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसे निदेशों, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार दे, के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष द्वारा राजपत्र में विनिर्दिष्ट अधिकारी नई दिल्ली के लिए मुख्य जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार होगा और वह नई दिल्ली में होने वाले सभी जन्म और मृत्यु का एक रजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखेगा जो उपविधियों द्वारा विहित किया जाए।

(2) अध्यक्ष इस अध्याय के प्रयोजन के लिए नई दिल्ली के लिए एक अपर मुख्य रजिस्ट्रार और उतने व्यक्तियों को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा जितने वह आवश्यक समझे और वे क्षेत्र निर्धारित करेगा जो ऐसे रजिस्ट्रारों में से प्रत्येक के भारसाधन में होंगे।

306. रजिस्ट्रार के कर्तव्य—रजिस्ट्रार अपने भारसाधन में के क्षेत्र के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म या मृत्यु की जानकारी रखेगा और ऐसी प्रत्येक घटना के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र और बिना किसी फीस या पुरस्कार के प्रत्येक जन्म या मृत्यु के बारे में ऐसी विशिष्टियां अभिनिश्चित करेगा और रजिस्टर में दर्ज करेगा जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाएं।

307. जन्म और मृत्यु की जानकारी—(1) नई दिल्ली में जन्मे प्रत्येक बालक के पिता या माता का और पिता या माता के अभाव में बालक के, उसी परिसर में रहने वाले किसी नातेदार का, और ऐसे नातेदार के अभाव में उस बालक के भारसाधक व्यक्ति का, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे जन्म के पश्चात् आठ दिन के भीतर संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार की अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऐसी विशिष्टियों से युक्त जानकारी दे जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाएं।

(2) नई दिल्ली में मरने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उपस्थित या उसकी अन्तिम बीमारी के दौरान परिचर्या करने वाले उसके निकटतम नातेदार का और ऐसे नातेदार के अभाव में मृत्यु के समय उपस्थित या परिचर्या करने वाले किसी व्यक्ति का और उस परिसर के अधिभोगी का जिसे वहां ऐसी मृत्यु होने की जानकारी है, और ऐसे व्यक्ति या अधिभोगी के अभाव में ऐसे परिसर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का और अन्त्येष्टि प्रबन्धक या मृतक के शव का क्रियाकर्म कराने वाले अन्य व्यक्ति का, यह कर्तव्य होगा कि वह, जिस क्षेत्र के भीतर मृत्यु हुई है उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार की, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऐसी विशिष्टियों से युक्त जानकारी दे, जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाएं।

(3) यदि कोई जन्म या मृत्यु अस्पताल में होती है तो, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में वर्णित व्यक्तियों में से कोई उस उपधारा द्वारा अपेक्षित जानकारी देने के लिए आबद्ध नहीं होगा किन्तु अस्पताल के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी विशिष्टियों से युक्त सूचना, जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित की जाएं, अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को जन्म या मृत्यु के पश्चात् चौबीस घंटे के भीतर भेजे।

अध्याय 17

सार्वजनिक सुरक्षा और न्यूसेंसों का निवारण

न्यूसेंस

308. न्यूसेंसों का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति—

(क) किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान में—

(i) मलमूत्र नहीं करेगा ; अथवा

(ii) सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर स्थिति में मांस नहीं ले जाएगा ; अथवा

(iii) जीव-जन्तु नहीं बांधेगा, या गाड़ियां इकट्ठी नहीं करेगा ; अथवा

(iv) तब जब वह कूड़ा, गन्दगी या अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थ हटाने में लगा हो उसके किसी भाग को जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक बिखरने या गिरने नहीं देगा या उसका ऐसा कोई भाग जो ऐसे पथ या स्थान में बिखरे या गिर जाए उसे झाड़ू से साफ करने में या अन्यथा प्रभावी रूप से हटाने में उपेक्षा नहीं करेगा ; अथवा

(v) किसी भवन, स्मारक, खम्बे, दीवार, बाड़, वृक्ष या अन्य चीज पर कोई इश्तिहार, सूचना या अन्य दस्तावेज को समुचित प्राधिकार के बिना नहीं लगाएगा ; अथवा

(vi) किसी भवन, स्मारक, खम्बे, दीवार, बाड़, वृक्ष या अन्य चीज को समुचित प्राधिकार के बिना विरूपित नहीं करेगा, न उस पर लिखेगा और न उसे अन्यथा चिह्नित करेगा ; अथवा

(vii) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन लगाई गई या प्रदर्शित की गई किसी सूचना या अन्य दस्तावेज को समुचित प्राधिकार के बिना नहीं हटाएगा, नष्ट नहीं करेगा, विरूपित नहीं करेगा और न अन्यथा मिटाएगा ; अथवा

(viii) किसी ऐसे पथ के पटाव, नाली, बरसाती पानी की नाली, पत्थर या अन्य सामग्री को या किसी ऐसे पथ या स्थान में परिषद् द्वारा अनुरक्षित किसी लैम्प, ब्रैकट, दिशा सूचक स्तम्भ, बम्बे या पानी के पाइप को समुचित प्राधिकार के बिना उसे उसके स्थान से नहीं हटाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या अन्यथा उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा या सार्वजनिक बत्ती को नहीं बुझाएगा ; अन्यथा

(ix) कूड़ा, गन्दगी या अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थ को ऐसे समय पर, जिस समय उसका ले जाना अध्यक्ष द्वारा लोक सूचना द्वारा प्रतिषिद्ध है, या ऐसे ढंग की गाड़ी या पात्र में, जो अध्यक्ष द्वारा उस प्रयोजन के लिए अनुमोदित नहीं है, नहीं ले जाएगा या उसका प्रयोग करते समय उसे बन्द करने में चूक नहीं करेगा ; अथवा

(ख) कूड़ा, गन्दगी या अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थ को अध्यक्ष द्वारा, लोक सूचना द्वारा, उस निमित्त किए गए किसी प्रतिषेध के उल्लंघन में, किसी मार्ग से नहीं ले जाएगा ; अथवा

(ग) मिट्टी या किसी प्रकार की सामग्री या कोई कूड़ा, गन्दगी या प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थ किसी ऐसे स्थान में, जो उस प्रयोजन के लिए आशयित नहीं है, किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान में या बेकार या खाली भूमि में, जो परिषद् के प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन है, जमा नहीं करेगा या नहीं कराएगा या जमा नहीं करने देगा ; अथवा

(घ) ऐसे किसी स्थान में कोई कब्र नहीं खोदेगा या कोई शव नहीं जलाएगा या दफनाएगा जो स्थान उस प्रयोजन के लिए अलग नहीं रखा गया है ; अथवा

(ङ) ऐसे समय या स्थान में ढोल या घंटा-घड़ियाल नहीं बजाएगा या हार्न या तुरही नहीं बजाएगा या कोई बर्तन नहीं पीटेगा, या कोई झांझमंजीरा या अन्य बाजा नहीं बजाएगा, या गाना-बजाना नहीं करेगा जिस समय या जिस स्थान में ऐसा करना अध्यक्ष द्वारा लोक या विशेष सूचना द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है ; अथवा

(च) गाने, चीखने या चिल्लाहट से या मानव ध्वनि के वर्धन या पुनरुत्पादन के लिए किसी यन्त्र का, जैसे मेगाफोन या लाउडस्पीकर, प्रयोग करके सार्वजनिक शांति या व्यवस्था को भंग नहीं करेगा ; अथवा

(छ) किसी जीव-जन्तु को ऐसे खुला नहीं छोड़ेगा कि किसी व्यक्ति को क्षति, खतरा, त्रास या क्षोभ हो या उपेक्षापूर्वक किसी जीव-जन्तु को ऐसा नहीं करने देगा ; अथवा

(ज) अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के बिना और ऐसी रीति से अन्यथा ; जो वह प्राधिकृत करे, विष्ठा, गोबर, खाद, कूड़े या किसी अन्य पदार्थ को, जिसमें से दुर्गन्ध निकलती है, जमा नहीं करेगा या प्रयोग नहीं करेगा ; अथवा

(झ) किसी ऐसे स्थान को, जो उस प्रयोजन के लिए आशयित नहीं है, शौचालय या मूत्रालय के रूप में प्रयोग नहीं करेगा और न प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति बारह वर्ष से कम आयु वाले प्रत्येक बालक को, जो उसके भारसाधन में है, किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान में मलमूत्र करने से रोकने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करेगा ।

(3) किसी जीव-जन्तु का स्वामी या रखवाला उसे सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान में रखवाले के बिना घूमने नहीं देगा ।

(4) पूर्वोक्त रूप से घूमता हुआ पाया गया कोई जीव-जन्तु परिषद् के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कांजी हाउस को ले जाया जा सकता है ।

(5) सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान में घूमते हुए पाया गया सुअर परिषद् के इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा मारा जा सकता है ।

309. न्यूसेंस को हटाने या उपशमित करने की अपेक्षा करने की अध्यक्ष की शक्ति—जहां अध्यक्ष की यह राय है कि किसी भूमि या भवन में कोई न्यूसेंस है वहां वह उस व्यक्ति से, जिसके कार्य, व्यतिक्रम या अप्रतिरोध के कारण ऐसी न्यूसेंस उत्पन्न होती हैं या जारी रहती है या भूमि या भवन के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी सोया इन व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति से, लिखित सूचना द्वारा, ऐसे उपाय ऐसी रीति से करके और ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस न्यूसेंस को हटाने या उपशमित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

कुत्ते

310. कुत्तों का रजिस्ट्रीकरण और नियन्त्रण—(1) परिषद्, इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा, —

(क) यह अपेक्षा कर सकेगी कि नई दिल्ली के भीतर रखे जाने वाले सभी कुत्तों का रजिस्ट्रीकरण अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा किया जाए ;

(ख) यह अपेक्षा कर सकेगी कि प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत कुत्ते के गले में एक पट्टा हो जिसके साथ रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा दिया गया धातु का एक टोकन लगा हो, तथा टोकन दिए जाने के लिए संदेय फीस नियत कर सकेगी ;

(ग) यह अपेक्षा कर सकेगा कि जिस कुत्ते का रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है या जिस पर ऐसा टोकन नहीं लगा हुआ है यदि वह किसी सार्वजनिक स्थान में पाया जाए तो उसे उस प्रयोजन के लिए अलग रखे गए स्थान में निरुद्ध रखा जाए ; और

(घ) ऐसे निरुद्ध रखने के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस नियत कर सकेगी और यह उपबन्ध कर सकेगी कि ऐसा कुत्ता मार दिया जाएगा अथवा अन्यथा व्ययनित कर दिया जाएगा, जिस पर किसी का दावा नहीं है और जिसकी बाबत फीस एक सप्ताह के भीतर संदत्त नहीं की जाती है ।

(2) अध्यक्ष—

(क) ऐसे किसी कुत्ते या अन्य जीव-जन्तु को, जो अलर्क से पीड़ित है या जिसके बारे में युक्तियुक्त सन्देह है कि वह अलर्क से पीड़ित है या जिसे किसी ऐसे कुत्ते या अन्य जीव-जन्तु ने काट लिया है, जो अलर्क से पीड़ित है या जिसके बारे में सन्देह है कि वह अलर्क से पीड़ित है, मरवा सकेगा या उतनी अवधि के लिए जितनी वह निर्दिष्ट करे परिरुद्ध करा सकेगा ;

(ख) लोक सूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उस तारीख के पश्चात्, जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, वे कुत्ते जिन्हें पट्टे नहीं लगे हैं या जिन पर ऐसे कोई पहचान चिह्न नहीं हैं जिनसे यह प्रकट हो जाए कि वे किसी की प्राइवेट सम्पत्ति है, तथा जो पथों पर घूमते हुए पाए जाते हैं या जो अपने स्वामियों के, यदि कोई हों, गृहों के अहातों के बाहर पाए जाते हैं, मारे जा सकते हैं और उनको तद्नुसार मरवा सकता है ।

(3) इस धारा के अधीन मार दिए गए या अन्यथा व्ययनित किए गए किसी कुत्ते या अन्य जीव-जन्तु के सम्बन्ध में कोई नुकसानी संदेय नहीं होगी ।

(4) किसी कुत्ते का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति किसी ऐसी अवस्था में, जिसमें—

(क) वह जानता है कि यह सम्भाव्यता है कि उसका कुत्ता किसी व्यक्ति को क्षुब्ध या त्रस्त कर सकता है, अथवा

(ख) अध्यक्ष ने अलर्क फैले होने के दौरान लोक सूचना द्वारा यह निदेश दिया है कि मुखबन्ध और जंजीरों के बिना कुत्तों को खुला नहीं घूमने दिया जाए,

मुखबन्ध के बिना या जंजीर बांधे बिना उसे किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान में खुला नहीं घूमने देगा ।

(5) कोई व्यक्ति—

(क) अपने या अपने भारसाधन के अधीन किसी हिंस्र कुत्ते को मुखबन्द किए बिना खुला नहीं घूमने देगा ; अथवा

(ख) किसी कुत्ते या अन्य जीव-जन्तु को किसी व्यक्ति पर आक्रमण करने, उसे परेशान करने या अभित्रस्त करने के लिए पीछे नहीं लगाएगा और न ललकारेगा ; अथवा

(ग) यह जानते हुए या, यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि उसके या उसके भारसाधन के अधीन किसी कुत्ते या जीव-जन्तु को किसी ऐसे जीव-जन्तु ने काट लिया है जो अलर्क से पीड़ित है या जिसके बारे में युक्तियुक्त सन्देह है कि वह अलर्क से पीड़ित है, उस तथ्य की अविलम्ब इत्तिला अध्यक्ष को देने में चूक नहीं करेगा या उपेक्षा नहीं करेगा, या ऐसी इत्तिला नहीं देगा जो मिथ्या है ।

अग्नि, आदि का निवारण

311. ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाना या उनका संग्रह करना—अध्यक्ष, लोक सूचना द्वारा, किसी स्थान में जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लकड़ी, सूखी घास, फूस या अन्य ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाने और उनका संग्रह करने या चटाइयां या फूस की झोंपड़ियां रखने या आग जलाने का ऐसी दशा में प्रतिषेध कर सकेगा जिसमें जीवन या सम्पत्ति को खतरा होने का निवारण करने के लिए ऐसा प्रतिषेध उसे आवश्यक प्रतीत होता है ।

312. खुली बत्तियों की देखभाल—कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पथ या अन्य सार्वजनिक स्थान में के किसी भवन में या उसके निकट कोई खुली बत्ती ऐसी रीति से नहीं रखेगा कि आग लगने का खतरा पैदा हो जाए :

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी उत्सव या सार्वजनिक या प्राइवेट मनोरंजन के अवसर पर रोशनी करने के प्रयोजनों के लिए बत्तियों का प्रयोग प्रतिषिद्ध करती है ।

313. आतिशबाजी, अग्न्यायुध, आदि का छोड़ा जाना—कोई भी व्यक्ति ऐसी रीति से कोई अग्न्यायुध या आतिशबाजी या हवाई कण्डील नहीं छोड़ेगा या ऐसी रीति से कोई खेल नहीं खेलेगा कि आस-पास से गुजरने वाले या वहां निवास करने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों को खतरा या सम्पत्ति को क्षति होने की जोखिम हो या ऐसी सम्भाव्यता हो ।

314. भवनों, कुओं, आदि को सुरक्षित किए जाने की अपेक्षा करने की शक्ति—जहां अध्यक्ष की राय में कोई भवन या दीवार या उससे संलग्न कोई चीज या कोई कुंआ, तालाब, जलाशय, कुंड, गढा या उत्खात या कोई किनारा या वृक्ष जर्जर हालत में है और पर्याप्त मरम्मत, संरक्षण या घेरे के अभाव में न्यूसेंस है या आस-पास से गुजरने वाले या वहां निवास करने वाले या काम करने वाले व्यक्तियों के लिए खतरनाक है वहां अध्यक्ष उसके स्वामी या भागिक स्वामी से या स्वामी या भागिक स्वामी होने का दावा करने वाले

व्यक्ति से या उनके न होने की दशा में उसके अधिभोगी से, लिखित सूचना द्वारा, उसे हटाने की अपेक्षा कर सकेगा या उससे ऐसी रीति से जो वह आवश्यक समझे, उसकी मरम्मत करने, संरक्षण करने या उसमें घेरा लगाने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि अध्यक्ष की यह राय है कि खतरा आसन्न है तो वह तत्क्षण ऐसे उपाय करेगा जो वह उसे रोकने के लिए आवश्यक समझता है।

315. अनुचित प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बेकार भूमि में घेरा लगाना—अध्यक्ष, लिखित सूचना द्वारा, किसी भूमि या भवन के स्वामी या भागिक स्वामी से या स्वामी या भागिक स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति से या ऐसी किसी भूमि के पट्टेदार से या पट्टेदार होने का दावा करने वाले व्यक्ति से, जो प्रयोग में न होने या विवादग्रस्त स्वामित्व के कारण, या अन्य कारण से खाली पड़ी है, और बेकार तथा विच्छृंखल व्यक्तियों का या ऐसे व्यक्तियों का जिनके जीवन-निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं है या जो समाधानप्रद रूप में स्वयं के बारे में लेखा-जोखा नहीं दे सकते, अड्डा बन गया है या जिसे जुआ खेलने या अनैतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है या जो अन्यथा न्यूसेंस है या उसका ऐसा हो जाने की सम्भावना है यह अपेक्षा कर सकेगा कि उसे उतने समय के भीतर, जितना सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सुरक्षित करे और उसमें घेरा लगाए।

अध्यक्ष 18

बाजार, व्यापार और व्यवसाय

बाजारों का अनुरक्षण और विनियमन

316. नगरपालिका बाजारों की व्यवस्था—(1) अध्यक्ष जब उसे परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, उतनी संख्या में नगरपालिका बाजारों और वधशालाओं का, जितनी वह ठीक समझे, उन व्यक्तियों के उपयोग के लिए, जो बाजारों या वधशाला में व्यापार या कारबार करते हैं या आते-जाते हैं, स्टालों, दुकानों, शेडों, बाड़ों तथा अन्य भवनों और सुविधाओं सहित तथा ऐसे बाजारों, भवनों और स्थानों पर, वहां विक्रय किए जाने वाले मालों की तोल या माप के लिए मशीनें, बाट, तराजू और माप की व्यवस्था कर सकेगा और उनका अनुरक्षण कर सकेगा।

(2) नगरपालिका बाजार और वधशाला अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन होंगी जो किसी भी समय, लोक सूचना द्वारा, किसी नगरपालिका बाजार, वधशाला या उसके किसी भाग को बन्द कर सकेगा।

317. नगरपालिका बाजारों और वधशाला को उपयोग—(1) कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका बाजार में किसी जीव-जन्तु या वस्तु का अध्यक्ष की साधारण या विशेष लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय नहीं करेगा या विक्रय करने के लिए अभिदर्शित नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्रय के लिए अभिदर्शित कोई जीव-जन्तु या वस्तु, अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत परिषद् के किसी अधिकारी या कर्मचारी के आदेश द्वारा या उसके अधीन, बाजार से संक्षेपतः हटाई जा सकती है।

318. प्राइवेट बाजार—(1) नगरपालिका बाजार से भिन्न कोई स्थान, परिषद् द्वारा ऐसे स्थान को बाजार के रूप में अनुज्ञप्त कर दिए जाने पर ही बाजार के रूप में उपयोग में लाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) नगरपालिका वधशाला से भिन्न किसी स्थान का वधशाला के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह—

(i) किसी धार्मिक त्यौहार या समारोह के अवसर पर ऐसी शर्तों के अधीन (जिनका अननुपालन इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है) जो अध्यक्ष इस निमित्त सार्वजनिक या विशेष सूचना द्वारा अधिरोपित करे, किसी स्थान में किसी जीव-जन्तु के वध को निर्बन्धित करती है, या

(ii) अध्यक्ष को परिषद् की मंजूरी से धार्मिक रूढ़ि के अनुसार जीव-जन्तु के वध के लिए किसी स्थान की पृथक् रूप से व्यवस्था करने से रोकती है।

319. प्राइवेट बाजार के लिए अनुज्ञप्ति दिए जाने की शर्तें—(1) अध्यक्ष प्राइवेट बाजार खोलने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने के लिए ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा जो परिषद् इस निमित्त विहित करे और ऐसी अनुज्ञप्ति ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दे सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई किन्हीं उपविधियों से संगत हों।

(2) जब परिषद् अनुज्ञप्ति देने से इंकार करेगा तो वह ऐसे इंकार के कारणों का एक संक्षिप्त कथन लेखबद्ध करेगा।

(3) अध्यक्ष प्राइवेट बाजार की बाबत किसी अनुज्ञप्ति को, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, निलंबित या उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा।

(4) जिस प्राइवेट बाजार की अनुज्ञप्ति पूर्वोक्त रूप से निलम्बित या रद्द कर दी गई है वह निलम्बन या रद्दकरण के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से बन्द कर दिया जाएगा।

320. अनुज्ञप्ति, आदि के बिना बाजार खुला रखने का प्रतिषेध—(1) कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी बाजार को, जिसकी बाबत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उसके लिए ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना, अथवा तब जब उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित है या रद्द कर दी गई है, सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला नहीं रखेगा।

(2) यदि प्राइवेट बाजार खोलने की अनुज्ञप्ति मंजूर या अस्वीकृत या निलम्बित या रद्द कर दी जाती है तो अध्यक्ष ऐसी मंजूरी, अस्वीकृति, निलंबन या रद्दकरण की सूचना ऐसी एक या अधिक भाषाओं में जो वह आवश्यक समझे, उस स्थान के, जिससे सूचना संबंधित है, प्रवेश के स्थान पर या उसके निकट किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवाएगा।

321. अननुज्ञप्त बाजारों के उपयोग का प्रतिषेध—कोई भी व्यक्ति यह जानते हुए कि ऐसा कोई बाजार, जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, ऐसी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किए बिना, जनता के लिए खोला गया है अथवा उसके लिए दी गई अनुज्ञप्ति तत्समय निलम्बित या रद्द कर दी गई है, ऐसे बाजार में कोई जीव-जन्तु या वस्तु विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए अभिदर्शित नहीं करेगा।

322. बाजार के निकट कारबार और व्यापार का प्रतिषेध—(1) किसी नगरपालिका बाजार या अनुज्ञप्त प्राइवेट बाजार से सौ मीटर की दूरी के भीतर कोई जीव-जन्तु या वस्तु अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विक्रय नहीं की जाएगी या विक्रय के लिए अभिदर्शित नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्रय के लिए अभिदर्शित कोई जीव-जन्तु या वस्तु, अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी या कर्मचारी के आदेश द्वारा या उसके अधीन संक्षेपतः हटाई जा सकती है।

323. तहबाजारी, भाटक और फीस का उद्ग्रहण—(1) अध्यक्ष, परिषद् के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित के लिए—

(क) ऐसी तहबाजारी, भाटक और फीस भारित कर सकेगा, जो उसके द्वारा इस निमित्त समय-समय पर नियत की जाए—

(i) किसी नगरपालिका बाजार या नगरपालिका वधशाला में किसी स्टाल, दुकान, स्टैंड, शेड या बाड़े के अधिभोग या उपयोग के लिए ;

(ii) किसी नगरपालिका बाजार में वस्तुओं को विक्रय के लिए अभिदर्शित करने के अधिकार के लिए ;

(iii) किसी नगरपालिका बाजार में व्यवस्थित मशीनों, बाटों, तराजुओं और मापों का प्रयोग करने के लिए ; और

(iv) किसी नगरपालिका वधशाला में जीव-जन्तुओं का वध करने के अधिकार और वध के लिए तैयार करने से पूर्व जीव-जन्तुओं को खिलाने-पिलाने के लिए ; या

(ख) पूर्वोक्त रूप में प्रभार्य तहबाजारी, भाटक और फीस या उसके किसी भाग का संग्रह करने के लिए उतनी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, ठेका दे सकेगा ; या

(ग) नगरपालिका बाजार या नगरपालिका वधशाला में उतनी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे, किसी स्टाल, दुकान, शैड या बाड़े के अधिभोग या उपयोग के विशेषाधिकार को सार्वजनिक नीलामी करा सकेगा या उसका प्राइवेट विक्रय द्वारा व्ययन कर सकेगा।

(2) नई दिल्ली में किसी नगरपालिका बाजार में प्रभार्य तहबाजारी और फीस की, यदि कोई हो, सारणी की और ऐसी भाषा या भाषाओं में, जो अध्यक्ष निर्दिष्ट करे, मुद्रित ऐसे बाजार के उपयोग को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों की एक प्रति बाजार में किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी।

324. उपद्रवियों, आदि को बाजार से निष्कासित कर देने की शक्ति—अध्यक्ष किसी खतरनाक रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को जो उस बाजार में किसी ऐसी वस्तु का विक्रय करता है या उसे विक्रय के लिए अभिदर्शित करता है अथवा जो वहां विक्रय के लिए अभिदर्शित किसी वस्तु का उसे क्रय किए बिना लेन-देन करता है, वहां प्रवेश करने से रोक सकेगा, तथा उपद्रव करने वाले किसी व्यक्ति को वहां से निष्कासित कर सकेगा।

325. बूचड़ों, मछुआरों और कुक्कुट विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति—(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष से प्राप्त अनुज्ञप्ति के बिना या उससे असंगत रूप में बूचड़, मछुआरे, कुक्कुट विक्रेता या मानव उपभोग के लिए आशयित मांस के आयातकर्ता का व्यापार नहीं करेगा या मानव उपभोग के लिए आशयित मांस, मछली या कुक्कुट के विक्रय के लिए किसी स्थान का प्रयोग नहीं करेगा :

परन्तु परिरक्षित मांस या मछली के, जो वायुरोधी या अवातकृत सीलबंद पात्रों में रखी गई हों, विक्रय वा विक्रय के लिए भंडारकरण के लिए प्रयोग किए जाने के लिए किसी स्थान के लिए कोई अनुज्ञप्ति नहीं होगी।

(2) अध्यक्ष, आदेश द्वारा और पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण संबंधी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा या आदेश द्वारा ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इंकार कर सकेगा।

(3) ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति वर्ष में अंत में, जिसके लिए वह मंजूर की गई है या ऐसी पूर्वतर तारीख पर जो अध्यक्ष, विशेष कारणों से, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट करे, अवसित हो जाएगी।

(4) यदि इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी स्थान का उपयोग मांस, मछली या कुक्कुट के विक्रय के लिए किया जाता है तो अध्यक्ष ऐसे साधनों से, जो वह आवश्यक समझे, उसके उपयोग को रोक सकेगा ।

(5) (i) यदि अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मानव उपभोग के लिए आशयित किसी जीव-जन्तु का वध किसी ऐसे स्थान में या ऐसी रीति से जो इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं है, किया जा रहा है या किसी ऐसे जीव-जन्तु के मांस का विक्रय या विक्रय के लिए अभिदर्शन किया जा रहा है तो वह दिन या रात किसी भी समय बिना किसी सूचना के अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी उपविधि का वहां उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसे स्थान का निरीक्षण कर सकेगा और किसी ऐसे जीव-जन्तु या ऐसे जीव-जन्तु के शव या वहां पाए गए मांस को अभिगृहीत कर सकेगा ।

(ii) अध्यक्ष, इस उपधारा के खंड (1) के अधीन अभिगृहीत किसी जीव-जन्तु या किसी जीव-जन्तु के शव या किसी मांस को हटा सकेगा और नीलाम द्वारा विक्रय कर सकेगा, या उसका अन्यथा व्ययन कर सकेगा ।

(iii) यदि ऐसे अभिग्रहण के एक मास के भीतर जीव-जन्तु के शव या मांस का स्वामी हाजिर होने और अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में अपना दावा साबित करने में असफल रहता है या यदि स्वामी को ऐसे जीव-जन्तु, शव या मांस के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो इस उपधारा के खंड (1) के अधीन किसी विक्रय के आगम परिषद् में निहित हो जाएंगे ।

(iv) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी ऐसे स्थान में या रीति से, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं है, किसी जीव-जन्तु का वध कर रहा है या उसके मांस का विक्रय कर रहा है या उसे विक्रय के लिए अभिदर्शित कर रहा है, कोई भी पुलिस अधिकारी बिना किसी वारन्ट के गिरफ्तार कर सकेगा ।

(v) ऐसे किसी प्रवेश या ऐसा प्रवेश करने के लिए आवश्यक किसी बल के प्रयोग द्वारा आवश्यकतः कारित किसी नुकसान के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकर का दावा नहीं होगा ।

व्यापार और उपजीविकाएं

326. अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना कारखाने, आदि का स्थापित न किया जाना—(1) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी परिसर में कोई कारखाना, कर्मशाला या व्यापार परिसर स्थापित नहीं करेगा या किसी ऐसे कारखाने, कर्मशाला या व्यापार परिसर में कोई सारवान् परिवर्तन, परिवर्धन या विस्तार नहीं करेगा जिसमें वाष्प, विद्युत, जल या अन्य यांत्रिक शक्ति का काम में लाया जाना आशयित है ।

(2) यदि अध्यक्ष की यह राय है कि प्रस्थापित स्थिति में किसी कारखाने ; कर्मशाला या व्यापार परिसर को स्थापित करना, उसमें परिवर्तन, परिवर्धन करना या उसका विस्तार करना उसके आस-पास आबादी की सघनता के कारण आपत्तिजनक होगा अथवा आस-पास के निवासियों के लिए न्यूसेंस होगा तो वह ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा ।

327. अनुज्ञप्ति के बिना परिसरों का कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग न किया जाना—(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबंधनों से असंगत रूप में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी परिसर का प्रयोग नहीं करेगा या उसके प्रयोग की अनुज्ञा नहीं देगा, अर्थात् :—

(क) नवीं अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से कोई प्रयोजन ;

(ख) कोई ऐसा प्रयोजन, जो अध्यक्ष की राय में जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक है या न्यूसेंस पैदा कर सकता है ;

(ग) घोड़ों, पशुओं या अन्य चौपायों या पक्षियों के परिवहन, विक्रय या अवक्रय के लिए अथवा उनके उत्पाद का विक्रय करने के लिए रखा जाना ;

(घ) नवीं अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं में से किसी के घरेलू उपयोग के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए भंडारकरण :

परन्तु परिषद् यह घोषणा कर सकेगी कि ऐसे परिसर खंड (घ) के प्रवर्तन से छूट प्राप्त होंगे जिनमें विक्रय के लिए भंडार की गई वस्तुओं की कुल मात्रा ऐसी मात्रा से अधिक नहीं है जो किन्हीं ऐसी वस्तुओं के संबंध में उपविधियों द्वारा विहित की जाए ।

(2) मिलों या लोह सामग्री के यार्डों के रूप में या वैसे ही प्रयोजनों के लिए परिसर का प्रयोग करने के लिए इस धारा के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों को विहित करने में अध्यक्ष जब भी ठीक समझे तब अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे परिसरों के भीतर लादने और उतारने के प्रयोजनों के लिए गाड़ियों के लिए स्थान या रास्ते की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) परिषद् उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्त परिसरों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों का मापमान नियत करेगा :

परन्तु कोई ऐसी फीस पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगी ।

328. कतिपय जीव-जन्तुओं का अभिग्रहण—(1) यदि धारा 327 के उपबंधों के उल्लंघन में कोई घोड़े, पशु या अन्य चौपाए या पक्षी किसी परिसर में रखे जाते हैं या किसी पथ या सार्वजनिक स्थान पर या परिषद् की किसी भूमि पर खुले छोड़े हुए और घूमते हुए या बंधे हुए पाये जाते हैं तो अध्यक्ष या उसके द्वारा सशक्त कोई अधिकारी उनका अभिग्रहण कर सकेगा, और उन्हें परिबद्ध कर सकेगा या ऐसे स्थान को ले जा सकेगा जो सरकार या परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किया जाए और ऐसे जीव-जन्तुओं या पक्षियों के अभिग्रहण का और उन्हें परिबद्ध करने या हटाने का तथा उन्हें खिलाने और पिलाने का खर्च ऐसे जीव-जन्तुओं या पक्षियों का नीलाम द्वारा विक्रय करके वसूलीय होगा :

परन्तु ऐसे जीव-जन्तु या पक्षी पर दावा करने वाला कोई व्यक्ति, उनके अभिग्रहण के सात दिन के भीतर उन्हें, अध्यक्ष द्वारा उनका अभिग्रहण करने, उन्हें परिबद्ध करने या हटाने तथा उन्हें खिलाने और पिलाने पर उपगत सभी व्ययों का संदाय करके और धारा 327 के उपबंधों के अधीन उन जीव-जन्तुओं और पक्षियों को रखने की अनुज्ञप्ति को प्रस्तुत करके, उन्हें छुड़ा सकेगा ।

(2) जब कभी अध्यक्ष की यह राय है कि धारा 327 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए किसी परिसर का प्रयोग करने से न्यूसेंस हो रहा है और ऐसे न्यूसेंस को तुरन्त रोका जाना चाहिए तो अध्यक्ष परिसर के स्वामी या अधिभोगी को ऐसे न्यूसेंस को उतने समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, रोकने का आदेश दे सकेगा तथा ऐसे आदेश का अनुपालन करने में स्वामी या अधिभोगी के असफल रहने की दशा में अध्यक्ष स्वयं, या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा ऐसे प्रयोग को रुकवा सकेगा ।

(3) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह व्यक्ति भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय होगा जिसके द्वारा या जिसकी प्रेरणा पर घोड़े, पशु या अन्य चौपाए या पक्षी इस प्रकार रखे जाते हैं, खुले छोड़े जाते हैं या बांधे जाते हैं ।

329. धारा 327 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में परिसरों के प्रयोग को रोकने की अध्यक्ष की शक्ति—(1) अध्यक्ष यह घोषणा करने के अपने आशय की लोक सूचना दे सकेगा कि उस सूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी परिसर का प्रयोग धारा 327 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे किन्हीं प्रयोजनों के लिए नहीं करेगा जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) किसी ऐसी घोषणा के प्रति आक्षेप ऐसी सूचना के प्रकाशन से एक मास की अवधि के पश्चात् ग्रहण नहीं किए जाएंगे ।

(3) अध्यक्ष उक्त अवधि के भीतर प्राप्त सभी आक्षेपों पर, सूचना से प्रभावित किसी व्यक्ति को ऐसे विचार के दौरान सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विचार करेगा, और तदुपरि उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित सूचना के अनुसार कोई घोषणा ऐसे उपांतरों के साथ, यदि कोई हों, करेगा जो वह ठीक समझे, किन्तु उससे उसके प्रवर्तन में और विस्तार नहीं होगा ।

(4) ऐसी प्रत्येक घोषणा राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति से, जो अध्यक्ष अवधारित करे, प्रकाशित की जाएगी तथा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

(5) कोई व्यक्ति, उपधारा (4) के अधीन प्रकाशित किसी घोषणा में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र में किसी परिसर का प्रयोग धारा 327 में निर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी ऐसे प्रयोजन के लिए नहीं करेगा जो घोषणा में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा अध्यक्ष को किसी ऐसे परिसर के प्रयोग को ऐसे साधनों से रोकने की शक्ति होगी जो वह आवश्यक समझे ।

330. वस्तुओं आदि को फेरी लगाकर विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्ति—कोई व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों से असंगत रूप में, —

(क) किसी स्थान में किसी भी वस्तु को, चाहे वह मानव उपभोग के लिए है या नहीं, फेरी लगा कर विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए अभिदर्शित नहीं करेगा ;

(ख) किसी स्थान में किसी हस्तशिल्प में, या जनता की सेवा करने और सुविधा के लिए, अपने कौशल का प्रयोग अभिलाभ के प्रयोजनों के लिए या जीविका उपार्जित करने के लिए नहीं करेगा ।

331. भोजनालयों, आदि का अध्यक्ष से अनुज्ञप्ति लिए बिना प्रयोग न किया जाना—(1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबंधनों से असंगत रूप में कोई भोजनालय, वासा, होटल, बोर्डिंग हाऊस, चाय की दुकान, काफी हाऊस, काफे, रेस्तरां, जलपानगृह या ऐसा कोई स्थान जहां जनता को विश्राम के लिए या किसी खाद्य या पेय का उपयोग करने के लिए प्रवेश करने दिया जाता है, अथवा कोई स्थान जहां खाद्य का विक्रय किया जाता है या खाद्य विक्रय के लिए तैयार किया जाता है, नहीं चलाएगा ।

(2) यदि अध्यक्ष की यह राय है कि अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले परिसर ऐसी अनुज्ञप्ति की शर्तों या इस निमित्त बनाई गई किसी उपविधि के उपबन्धों के अनुरूप नहीं रखे जाते हैं, तो वह उपधारा (1) के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति को किसी भी समय रद्द या निलम्बित कर सकेगा, चाहे अनुज्ञप्तिधारी को इस अधिनियम के अधीन अभियोजित किया जाता है या नहीं ।

332. थिएटर, सर्कसों और सार्वजनिक विनोद के स्थानों को अनुज्ञप्त करना और उनका नियंत्रण—कोई व्यक्ति अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों से असंगत रूप में कोई थिएटर, सर्कस, सिनेमा घर, नाच घर या सार्वजनिक विश्राम, मनोरंजन या विनोद का अन्य वैसा ही स्थान प्रारम्भ नहीं करेगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे स्थान में प्राइवेट कार्यक्रमों को लागू नहीं होगी ।

333. अनुज्ञप्तियों के उल्लंघन में प्रयुक्त परिसरों का प्रयोग रोकने की अध्यक्ष की शक्ति—(1) यदि अध्यक्ष की यह राय है कि कोई भोजनालय, वासा, होटल, बोर्डिंग हाऊस, चाय-घर, काफी हाऊस, काफे, रेस्तरां, जलपानगृह या अन्य स्थान जहां जनता को विश्राम के लिए या खाद्य या पेय का उपभोग करने के लिए प्रवेश करने दिया जाता है या जहां खाद्य का विक्रय किया जाता है या उसे विक्रय के लिए तैयार किया जाता है या कोई थिएटर, सर्कस, सिनेमा घर, नाच घर या सार्वजनिक विश्राम, मनोरंजन या विनोद का अन्य स्थान अनुज्ञप्ति के बिना या उसके संबंध में मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों से असंगत रूप में प्रारंभ किया गया है तो वह ऐसे परिसर का किसी ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसे साधनों से रोक सकता है जो वह आवश्यक समझे ।

अध्याय 19

सुधार

334. सुधार स्कीम—जहां अध्यक्ष का, ऐसी जानकारी के आधार पर, जो उसके पास हैं, किसी क्षेत्र के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि :—

(क) उस क्षेत्र के भवन मरम्मत न होने या स्वच्छता की त्रुटियों के कारण, मानव-निवास के लिए अयोग्य है या कुव्यवस्था के कारण या पथों के संकीर्ण होने या कुव्यवस्थित होने के कारण या प्रकाश, वायु, संवातन या उचित सुविधाओं का अभाव होने के कारण उस क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या क्षतिकर है ; और

(ख) उस क्षेत्र की दशा ठीक करने की सर्वाधिक समाधानप्रद पद्धति यह है कि उस क्षेत्र के पथों और भवनों को एक सुधार स्कीम के अनुसार पुनः व्यवस्थित और पुनर्निर्मित किया जाए,

वहां वह उस क्षेत्र के सम्बन्ध में एक सुधार स्कीम इस निमित्त बनाई गई उपविधियों के अनुसार बना सकेगा ।

335. सुधार स्कीम में उपबन्धित किए जाने वाले विषय—(1) सुधार स्कीम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) स्कीम के निष्पादन के लिए आवश्यक या उससे प्रभावित किसी सम्पत्ति का करार द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन अर्जन ;

(ख) स्कीम में समाविष्ट किसी भूमि का पुनः अभिन्यास ;

(ग) स्कीम में समाविष्ट सम्पत्ति के स्वामियों के स्थलों का पुनः वितरण ;

(घ) मानव-निवास के अयोग्य भवनों के भागों का बन्द किया जाना या तोड़ा जाना ;

(ङ) बाधा डालने वाले भवनों या उनके भागों का तोड़ा जाना ;

(च) भवनों का निर्माण और पुनर्निर्माण ;

(छ) पथों का निर्माण और उनमें फेरफार ;

(ज) जल प्रदाय पथों को प्रकाशमान करना, विद्युत प्रदाय, जल निस्सारण और अन्य सुविधाएं ;

(झ) स्कीम में समाविष्ट किसी क्षेत्र के फायदे के लिए खुले स्थानों की व्यवस्था ;

(ञ) स्कीम में समाविष्ट क्षेत्र के लिए अपेक्षित स्वच्छता सम्बन्धी प्रबंध ;

(ट) निवासियों के किसी वर्ग के लिए आवास सुविधा की व्यवस्था ;

(ठ) संचार सुविधाओं की व्यवस्था ;

(ड) स्कीम में समाविष्ट किसी सम्पत्ति का विक्रय, भाटक पर दिया जाना या विनिमय ;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसके लिए उस क्षेत्र के सुधार की दृष्टि से जिससे स्कीम सम्बन्धित है व्यवस्था करना अध्यक्ष की राय में समीचीन है ।

(2) जहां किसी भूमि के बारे में सुधार स्कीम में यह अभिहित किया गया है कि वह अर्जन का विषय है या वह खुले स्थान के रूप में रखे जाने के लिए स्कीम द्वारा अपेक्षित है वहां यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 336 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम मंजूर की जाने की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति पर वह भूमि, अध्यक्ष द्वारा अर्जित नहीं की जाती है तो भूमि का स्वामी भूमि में उसके हित का इस प्रकार से अर्जन किए जाने की अपेक्षा करने वाली एक सूचना अध्यक्ष पर तामील कर सकेगा ।

(3) यदि अध्यक्ष सूचना की प्राप्ति से छह मास की अवधि के भीतर भूमि का अर्जन करने में असफल रहता है तो सुधार स्कीम उक्त छह मास की समाप्ति के पश्चात् इस प्रकार प्रभावी होगी मानो वह भूमि अध्यक्ष द्वारा अर्जन का विषय होने के लिए अभिहित नहीं की गई हो या खुले स्थान के रूप में रखे जाने के लिए अपेक्षित नहीं हो ।

336. सुधार स्कीम का परिषद् को अनुमोदन के लिए और केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना—(1) अध्यक्ष प्रत्येक सुधार स्कीम को, उसके तैयार किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, परिषद् को अनुमोदन के लिए पेश करेगा और परिषद् उस स्कीम को उपांतरणों के बिना या ऐसे उपांतरणों सहित जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगा या अध्यक्ष को ऐसे निदेश देते हुए स्कीम को अस्वीकृत कर सकेगा कि वह ऐसे निदेशों के अनुसार एक नई स्कीम तैयार कराए।

(2) उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा अनुमोदित कोई सुधार स्कीम तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक वह केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर नहीं कर दी जाती।

337. पुनर्वास स्कीम—अध्यक्ष किसी क्षेत्र के लिए इस अध्याय के अधीन सुधार स्कीम तैयार करते समय, उन व्यक्तियों के लिए, जिनका ऐसी सुधार स्कीम के निष्पादन से विस्थापित होना सम्भाव्य है, आवास सुविधा की व्यवस्था करने के लिए जैसे और जितने भवन वह आवश्यक समझे वैसे और उतने भवनों के निर्माण, अनुरक्षण और प्रबन्ध के लिए भी एक स्कीम (जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् पुनर्वास स्कीम कहा गया है) तैयार कर सकेगा।

338. सुधार स्कीम और पुनर्वास स्कीम महायोजना और क्षेत्रीय विकास-योजना के अनुरूप होंगी—इस अध्याय के अधीन तैयार की गई कोई सुधार स्कीम या पुनर्वास स्कीम तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक ऐसी स्कीम दिल्ली महायोजना या नई दिल्ली या उसके किसी भाग के लिए क्षेत्रीय विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

अध्याय 20

शक्तियां, प्रक्रिया, अपराध और शास्तियां

अनुज्ञप्तियां और लिखित अनुज्ञाएं

339. अनुज्ञप्तियों और लिखित अनुज्ञाओं पर हस्ताक्षर ; उनकी शर्तें ; अस्तित्वावधि ; उनका निलंबन ; प्रतिसंहरण ; आदि—(1) जब कभी इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि में यह उपबंध किया जाता है कि किसी प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा मंजूर की जा सकती है तब ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा पर अध्यक्ष या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई उपविधियों के अधीन उन्हें मंजूर करने के लिए सशक्त अधिकारी, या अध्यक्ष अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी हस्ताक्षर करेगा तथा ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा में, किसी ऐसे अन्य विषय के अतिरिक्त जिसका इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के किसी उपबंध के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, निम्नलिखित बातें विनिर्दिष्ट की जाएंगी—

(क) उसकी मंजूरी की तारीख ;

(ख) वह प्रयोजन और अवधि (यदि कोई है) जिसके लिए उसे मंजूर किया गया है ;

(ग) ऐसे निबंधन या शर्तें, यदि कोई हों, जिनके अधीन उसे मंजूर किया गया है ;

(घ) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे वह मंजूर की गई है ; और

(ङ) अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के लिए संदत्त फीस, यदि कोई है।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के लिए ऐसी दर से, जो अध्यक्ष द्वारा परिषद् की मंजूरी से समय-समय पर नियत की जाए, फीस प्रभारित की जा सकती है और ऐसी फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेय होंगी जिसे अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा मंजूर की जाती है।

(3) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधीन मंजूर की गई कोई अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा या उस अधिकारी द्वारा, जिसने उसे मंजूर किया है, किसी भी समय निलंबित या प्रतिसंहृत की जा सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्राप्तिकर्ता ने उसे मिथ्या व्यपदेशन या कपट द्वारा अभिप्राप्त किया था या यदि प्राप्तिकर्ता ने उसके निर्बन्धनों या शर्तों में से किसी का अतिलंघन या अपवंचन किया है या यदि प्राप्तिकर्ता इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उपबंधों में से किसी का, जो किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसके लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा मंजूर की गई है, उल्लंघन करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है :

परन्तु—

(क) निलम्बन या प्रतिसंहरण का कोई आदेश करने से पूर्व अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के प्राप्तिकर्ता को यह हेतुक दर्शित करने का कि वह निलम्बित या प्रतिसंहृत क्यों न की जाए, उचित अवसर दिया जाएगा ;

(ख) ऐसे प्रत्येक आदेश में अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के निलम्बन या प्रतिसंहरण के कारणों का एक संक्षिप्त कथन होगा।

(4) जब कोई ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा निलंबित या प्रतिसंहृत की जाती है या जब वह अवधि समाप्त हो जाती है जिसके लिए वह मंजूर की गई थी तब उसके प्राप्तिकर्ता के बारे में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के सभी प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि प्राप्तिकर्ता के पास अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा उस समय तक नहीं है जब तक कि अनुज्ञप्ति

या लिखित अनुज्ञा के निलम्बन या प्रतिसंहरण का आदेश विखंडित नहीं कर दिया जाता या जब तक कि अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा का नवीकरण नहीं कर दिया जाता।

(5) इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा का प्रत्येक प्राप्तिकर्ता, ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा के प्रवर्तित रहने के दौरान, यदि अध्यक्ष या वह प्राधिकारी जिसने वह मंजूर की है उसे पेश करने की अपेक्षा करता है तो ऐसी अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा को सभी युक्तियुक्त समयों पर पेश करेगा।

प्रवेश और निरीक्षण

340. प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्तियां—अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, या उपविधियों के किसी उपबंध द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त सशक्त कोई नगरपालिका अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी, सहायकों और कर्मकारों सहित या उनके बिना, किसी भूमि या भवन में या उस पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उस भूमि या भवन पर या उसके संबंध में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या किसी उपविधि के उपबंधों का उल्लंघन हो रहा है या हुआ है ;

(ख) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं या नहीं जिनमें अध्यक्ष या उस निमित्त प्राधिकृत या सशक्त किसी नगरपालिक अधिकारी या कर्मचारी को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या किसी उपविधि के अधीन कोई कार्रवाई करने या किसी संकर्म को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए या उससे ऐसी अपेक्षा की जाए ;

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित कोई कार्रवाई करने या कोई संकर्म निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए ;

(घ) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकृत या अपेक्षित या इस अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए आवश्यक जांच, निरीक्षण, परीक्षा, पैमाइश, मूल्यांकन या सर्वेक्षण करने के लिए ;

(ङ) साधारणतया इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों विनियमों या किसी उपविधि के अधीन परिषद् द्वारा कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के प्रयोजन के लिए।

341. किसी संकर्म से सम्बन्धित भूमि से लगी हुई भूमि में प्रवेश करने की शक्ति—(1) अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों के किसी उपबंध द्वारा या उनके अधीन इस निमित्त सशक्त कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकृत किसी संकर्म के पचास मीटर के भीतर किसी भूमि पर सहायकों और कर्मकारों सहित या उनके बिना, उस भूमि पर मिट्टी, बजरी, पत्थर या अन्य सामग्री जमा करने के प्रयोजन के लिए या ऐसे संकर्म तक पहुंचने के लिए या ऐसे संकर्म के निष्पादन से संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकेगा।

(2) इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी भूमि पर प्रवेश करने से पूर्व, प्रवेश का प्रयोजन अधिकथित करेगा और यदि भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो, भूमि के उतने भाग के चारों ओर बाड़ लगा देगा जितना ऐसे प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

(3) इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति, इस धारा द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करने में यथाशक्य कम से कम नुकसान पहुंचाएगा, और ऐसे किसी नुकसान के लिए, चाहे वह अस्थायी है अथवा स्थायी, ऐसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी को, या दोनों को, इस निमित्त बनाई गई उपविधियों के अनुसार परिषद् द्वारा प्रतिकर संदेय होगा।

342. भवनों में बलपूर्वक प्रवेश करना—(1) अध्यक्ष, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए या इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों के किसी उपबंध द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति के लिए किसी स्थान में प्रवेश करना, और किसी द्वार, फाटक या अन्य रोध को खोलना या खुलवाना विधिपूर्ण होगा, यदि :—

(क) वह ऐसे प्रवेश के प्रयोजन के लिए उसका खोला जाना आवश्यक समझता है ; और

(ख) स्वामी या अधिभोगी अनुपस्थित है या उपस्थित होने पर भी ऐसे द्वार, फाटक या रोध को खोलने से इन्कार करता है।

(2) किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करने या किसी ऐसे द्वार, फाटक या अन्य रोध को खोलने या खुलवाने से पूर्व अध्यक्ष या इस निमित्त प्राधिकृत या सशक्त व्यक्ति उस परिक्षेत्र के, जहां वह स्थान जिसमें प्रवेश करना है, स्थित है, दो या अधिक सम्मानित निवासियों से यह अपेक्षा करेगा कि वे प्रवेश करने या खोलने के साक्षी रहें और उन्हें या उनमें से किसी एक को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश दे सकेगा।

343. प्रवेश करने का समय—इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत कोई प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

344. सहमति का मामूली तौर पर अभिप्राप्त किया जाना—इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी भूमि या भवन पर उसके अधिभोगी की सहमति के बिना, या यदि कोई अधिभोगी नहीं है तो उसके स्वामी की सहमति के बिना प्रवेश नहीं किया जाएगा और ऐसा प्रवेश, यथास्थिति उक्त स्वामी या अधिभोगी को ऐसा प्रवेश करने के आशय की कम से कम चौबीस घंटे की लिखित सूचना दिए बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु यदि वह स्थान, जिसका निरीक्षण किया जाना है, कोई कारखाना या कर्मशाला या व्यापार परिसर या धारा 327 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए प्रयुक्त स्थान या अस्तबल या पशु शैड या शौचालय या मूत्रालय या निर्माणाधीन संकर्म है या यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि उस स्थान में मानवीय उपभोग के लिए आशयित किसी जीव-जन्तु का वध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उल्लंघन में किया जा रहा है या नहीं, कोई ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी ।

345. सामाजिक या धार्मिक प्रथाओं का ध्यान रखा जाना—जब मानव निवास के रूप में प्रयुक्त किसी स्थान में इस अधिनियम के अधीन प्रवेश किया जाता है तब प्रवेश किए जाने वाले स्थान के अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों और प्रथाओं का सम्यक् ध्यान रखा जाएगा और यदि कोई कक्ष वास्तव में किसी महिला के अधिभोग में है तो उसमें तब तक प्रवेश नहीं किया जाएगा या बलपूर्वक खोलकर घुसा नहीं जाएगा जब तक उसे यह सूचित नहीं कर दिया जाता कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतन्त्र है और जब तक उसे हट जाने के लिए हर युक्तियुक्त सुविधा प्रदाय नहीं कर दी जाती ।

346. संकर्म के निष्पादन में बाधा डालने या दिक करने का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत या सशक्त किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ परिषद् ने विधिपूर्वक संविदा की है, उसके कर्तव्य के या किसी बात के निष्पादन में, जिसे करने के लिए, यथास्थिति, इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों के उपबंधों में से किसी के आधार पर या उसके परिणामस्वरूप अथवा अपनी संविदा को पूरा करने के लिए प्राधिकृत या सशक्त या अपेक्षित है, बाधा नहीं डालेगा या दिक नहीं करेगा ।

लोक सूचनाएं और विज्ञापन

347. लोक सूचनाओं की जानकारी कराने की रीति—इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों के अधीन दी गई प्रत्येक लोक सूचना लिखित रूप में अध्यक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी तथा उस परिक्षेत्र में जो उससे प्रभावित होगा, उक्त परिक्षेत्र के भीतर सहजदृश्य सार्वजनिक स्थानों में उसकी प्रतियां लगाकर या डोंडी पिटवाकर या स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन द्वारा प्रकाशित कराकर या इन साधनों में से दो या अधिक साधनों द्वारा तथा किसी अन्य साधन द्वारा, जो अध्यक्ष ठीक समझे, उसकी जानकारी व्यापक रूप से कराई जाएगी ।

348. वे समाचारपत्र जिनमें विज्ञापन या सूचनाएं प्रकाशित की जानी हैं—जब कभी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि द्वारा यह उपबन्धित किया जाता है कि सूचना स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन द्वारा दी जाएगी, या कोई अधिसूचना या जानकारी स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित की जाएगी तो ऐसी सूचना, अधिसूचना या जानकारी, यदि साध्य हो तो, कम से कम तीन समाचारपत्रों में ऐसी भाषाओं में जो परिषद् समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रकाशित की जाएगी :

परन्तु यदि परिषद् कोई नगरपालिक पत्रिका प्रकाशित करती है तो उस पत्रिका में प्रकाशन उस भाषा के समाचारपत्र में प्रकाशन समझा जाएगा जिस भाषा में उक्त पत्रिका प्रकाशित होती है ।

साक्ष्य

349. अध्यक्ष की सहमति, आदि का सबूत—जब कभी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन किसी बात का किया जाना, या किसी बात को करने का लोप, या किसी बात की विधिमान्यता अध्यक्ष या किसी नगरपालिक अधिकारी के अनुमोदन, उसकी मंजूरी, सम्मति, सहमति, घोषणा, राय या समाधान पर निर्भर करती है तब अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा ऐसा अनुमोदन, मंजूरी, सम्मति, सहमति, घोषणा, राय या समाधान का संसूचित किया जाना या दिया जाना तात्पर्यित है, उस बात का पर्याप्त साक्ष्य होगी ।

सूचनाएं, आदि

350. सूचनाओं, आदि में युक्तियुक्त समय का नियत किया जाना—जहां इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन जारी की गई या दी गई किसी सूचना, बिल, आदि आदेश या अध्यपेक्षा से यह अपेक्षित है कि कोई बात की जाए किन्तु जिसके किए जाने के लिए कोई समय इस अधिनियम या उक्त नियम, विनियम या उपविधि में नियत नहीं किया जाता है, वहां ऐसी सूचना, बिल, आदेश या अध्यपेक्षा में उसके किए जाने के लिए युक्तियुक्त समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

351. सूचनाओं, आदि पर हस्ताक्षर स्टाम्पित किए जा सकेंगे—(1) ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति, लिखित अनुज्ञा, सूचना, बिल, समन या अन्य दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा अध्यक्ष या किसी नगरपालिक अधिकारी के हस्ताक्षर होना अपेक्षित है, यदि उस पर, यथास्थिति, अध्यक्ष या अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुलिपि स्टाम्पित है, तो यह समझा जाएगा कि वह समुचित रूप से हस्ताक्षरित है ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, धारा 46 के अधीन नई दिल्ली नगरपालिक निधि पर लिखे गए चैक पर लागू नहीं समझी जाएगी ।

352. सूचनाएं, आदि कौन तामील या जारी करेगा—अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत नगरपालिक अधिकारियों या अन्य नगरपालिक कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा वे सभी सूचनाएं, बिल, समन या अन्य दस्तावेजें तामील की जाएंगी या जारी किए जाएंगे, जिनकी बाबत इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा यह अपेक्षित है कि उनकी तामील किसी व्यक्ति पर की जाए या उसको जारी किया जाए ।

353. सूचनाओं, आदि की तामील—(1) ऐसी प्रत्येक सूचना, बिल, समन, आदेश, अध्यपेक्षा या अन्य दस्तावेज जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा, परिषद् द्वारा या अध्यक्ष या किसी नगरपालिक अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से, किसी व्यक्ति पर तामील के लिए या जारी किए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत है, उसके बारे में इस अधिनियम या ऐसे नियम, विनियम या उपविधि में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, यह समझा जाएगा कि उसे सम्यक्तः तामील कर दिया गया है, यदि—

(क) वह व्यक्ति जिस पर तामील किया जाना है, कम्पनी है और दस्तावेज कम्पनी के सचिव को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय या कारबार के स्थान के पते पर सम्बोधित है और वह—

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया है ; अथवा

(ii) कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय या कारबार के स्थान पर परिदत्त किया गया है ;

(ख) वह व्यक्ति, जिस पर तामील किया जाना है, भागीदारी फर्म है, यदि दस्तावेज भागीदारी फर्म के कारबार के प्रधान स्थान के पते पर, उसके उस नाम या अभिनाम से संबोधित है, जिससे उसका कारबार चलाया जाता है और वह—

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया है ; अथवा

(ii) कारबार के उक्त स्थान पर परिदत्त किया गया है ;

(ग) वह व्यक्ति, जिस पर तामील किया जाता है, लोक निकाय या निगम, सोसाइटी या अन्य निकाय है, यदि दस्तावेज उस निकाय, निगम या सोसाइटी के प्रधान कार्यालय के पते पर उसके सचिव, कोषाध्यक्ष या अन्य मुख्य अधिकारी को सम्बोधित है और वह—

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया है ; अथवा

(ii) उस कार्यालय पर परिदत्त किया गया है ;

(घ) किसी अन्य मामले में, यदि दस्तावेज उस व्यक्ति को सम्बोधित है जिस पर तामील किया जाना है और वह—

(i) उसे दिया गया या निविदत्त किया गया है, अथवा ;

(ii) यदि ऐसा व्यक्ति पाया नहीं जा सकता, और यदि उसका निवास या कारबार का अन्तिम ज्ञात स्थान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के भीतर है तो, वह उनके किसी सहजदृश्य भाग पर लगा दिया गया है, या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य को दिया गया है या निविदत्त किया गया है या उस भूमि या भवन के, यदि कोई हो, जिससे वह दस्तावेज सम्बद्ध है, किसी सहजदृश्य भाग पर लगा दिया गया है, अथवा

(iii) उस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया है ।

(2) कोई दस्तावेज जो किसी भूमि या भवन के स्वामी या अधिभोगी पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत है, उस भूमि या भवन के, यथास्थिति, "स्वामी" या "अधिभोगी" को (उस भूमि या भवन के नाम से) उस पर कोई और अतिरिक्त नाम या वर्णन दिए बिना, सम्बोधित किया जा सकता है और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसका सम्यक् तामील हो गया है, यदि—

(क) इस प्रकार सम्बोधित दस्तावेज उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसार भेजा या परिदत्त किया गया है ; अथवा

(ख) इस प्रकार सम्बोधित दस्तावेज या उसकी इस प्रकार संबोधित एक प्रति उस भूमि या भवन में किसी व्यक्ति को परिदत्त की गई है या जहां उस भूमि पर या भवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे वह परिदत्त की जा सकती है वहां उस भूमि या भवन के किसी सहजदृश्य भाग पर लगा दी गई है ।

(3) जहां किसी दस्तावेज की तामील इस धारा के अनुसार किसी भागीदारी फर्म पर की जाती है वहां उस दस्तावेज के बारे में यह समझा जाएगा कि प्रत्येक भागीदार पर उसकी तामील हो गई है ।

(4) किसी परिसर के स्वामी पर किसी दस्तावेज की तामील की जा सके इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष उस परिसर के अधिभोगी से, लिखित सूचना द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने स्वामी का नाम और पता बताए ।

(5) जहां वह व्यक्ति, जिस पर किसी दस्तावेज की तामील की जानी है, अवयस्क है वहां उसके संरक्षक या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य पर की गई उसकी तामील अवयस्क पर की गई तामील समझी जाएगी।

(6) धारा 351 और धारा 352 तथा इस धारा की कोई बात, किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी समन को लागू नहीं होगी।

(7) सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।

354. कर के लिए बिलों या मांग की सूचना की मामूली डाक द्वारा तामील—धारा 352 और धारा 353 में किसी बात के होते हुए भी, किसी कर के लिए बिल या मांग की सूचना की तामील डाक प्रमाणपत्र के अधीन भेजे गए धारा 353 में विनिर्दिष्ट समुचित व्यक्ति को सम्बोधित पत्र सहित जिसका महसूल पहले ही दे दिया गया है, उसे मामूली डाक द्वारा उसके निवास या कारबार के अन्तिम ज्ञात स्थान पर भेज कर की जा सकती हैं और इस प्रकार भेजे गए प्रत्येक बिल या सूचना की तामील को साबित करने के लिए यह साबित करना पर्याप्त होगा कि पत्र उचित रूप से सम्बोधित था और डाक प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा भेजा गया था।

355. सूचना, आदि के अनुपालन न करने की दशा में शक्तियां—किसी व्यक्ति से किसी संकर्म को निष्पादित करने या कोई कार्य करने की अपेक्षा करते हुए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन यदि कोई सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा जारी की जाती हैं और वह उसके निबन्धनों का अनुपालन नहीं करता है तो चाहे व्यतिक्रमी ऐसे व्यतिक्रम के लिए दंडनीय हैं या नहीं या उसके लिए वह अभियोजित या किसी दंड से दंडादिष्ट किया गया हैं या नहीं, उस प्राधिकारी या अधिकारी के लिए, जिसकी प्रेरणा पर सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा जारी की गई है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे व्यक्ति की लिखित सूचना देने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई करे या ऐसे कदम उठाए जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने या निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित कार्य या संकर्म को पूरा करने के लिए आवश्यक है और उस मद्धे उपगत सभी व्यय, मांग पर, अध्यक्ष को संदेय होंगे और यदि ऐसी मांग के पश्चात् दस दिन के भीतर वह संदत्त नहीं किया जाता है तो वह इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

व्ययों की वसूली

356. स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में संदाय करने का अधिभोगी का दायित्व—(1) यदि कोई सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा किसी व्यक्ति को उस सम्पत्ति के संबंध में जारी की जाती है जिसका वह स्वामी है तो जिस प्राधिकारी या अधिकारी की प्रेरणा पर ऐसी सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा जारी की गई है वह ऐसी संपत्ति या उसके किसी भाग के अधिभोगी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी सम्पत्ति के संबंध में जो भाटक उसके द्वारा संदेय है उसे वह, उस रकम तक जो स्वामी से धारा 355 के अधीन वसूलीय है, जब वह शोध्य हो, स्वामी को संदत्त करने के बजाय उक्त प्राधिकारी या अधिकारी को संदत्त करे :

परन्तु यदि अधिभोगी अपने द्वारा संदेय भाटक की सही रकम को या जिस व्यक्ति को वह संदेय है उसके नाम या पते को प्रकट करने से इंकार करता है तो वह अधिकारी धारा 355 के अधीन वसूलीय संपूर्ण रकम अधिभोगी से इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूल कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वामी के बजाय अधिभोगी से वसूल की गई रकम, स्वामी और अधिभोगी के बीच किसी प्रतिकूल करार के अभाव में, स्वामी को संदत्त की गई रकम समझी जाएगी।

357. स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में अधिभोगी द्वारा संकर्म का निष्पादन और व्ययों की भाटक में से कटौती—जब कभी किसी भूमि या भवन का स्वामी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन अपेक्षित किसी संकर्म का निष्पादन करने में असफल रहता है तब ऐसी भूमि या भवन का अधिभोगी, यदि कोई हो, अध्यक्ष के अनुमोदन से उक्त संकर्म का निष्पादन कर सकेगा और वह संकर्म के निष्पादन में अपने द्वारा उपगत युक्तियुक्त व्यय को, स्वामी और अधिभोगी के बीच किसी प्रतिकूल करार के अधीन रहते हुए, स्वामी से वसूल करने का हकदार होगा और स्वामी को अपने द्वारा संदेय भाटक में से उस रकम की कटौती कर सकेगा।

358. अभिकर्ताओं और न्यासियों को अनुतोष—(1) जहां कोई व्यक्ति इस कारण से कि वह किसी स्थावर सम्पत्ति का भाटक, रिसीवर, अभिकर्ता या न्यासी के रूप से प्राप्त करता है या इस कारण से कि यदि सम्पत्ति किसी अभिधारी को पट्टे पर दी जाती तो उसका रिसीवर, अभिकर्ता या न्यासी या कोई ऐसा व्यक्ति होने के कारण उसका भाटक प्राप्त करता, सम्पत्ति के स्वामी पर अधिरोपित ऐसी किसी बाध्यता का उन्मोचन जिसके उन्मोचन के लिए धन अपेक्षित है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधीन करने के लिए बाध्य है वहां वह उस बाध्यता का उन्मोचन करने के लिए केवल तब बाध्य होगा जब स्वामी की उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियां उसके हाथ में हों, या होतीं किन्तु यह तब जबकि उसने स्वयं कोई अनुचित कार्य या व्यतिक्रम न किया होता।

(2) कोई रिसीवर, अभिकर्ता या न्यासी उपधारा (1) के अधीन अनुतोष का हकदार है इस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा।

(3) जहां कोई रिसीवर, अभिकर्ता या न्यासी इस धारा के अधीन अनुतोष के अपने अधिकार का दावा करता है वहां अध्यक्ष, लिखित सूचना द्वारा, उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वामी के निमित्त, या उसके प्रयोग के लिए जो धन सर्वप्रथम उसके हाथ में आए उसका उपयोग अपनी पूर्वोक्त बाध्यता का उन्मोचन करने में करे और यदि वह सूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस बाध्यता का उन्मोधन करने के लिए स्वयं दायी है।

प्रतिकर का संदाय

359. प्रतिकर के लिए साधारण शक्ति—ऐसे किसी मामले में, जिसके लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि में अन्यथा उपबन्धित नहीं है, अध्यक्ष, परिषद् के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे किसी व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय कर सकेगा जिसे अध्यक्ष में या किसी नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी में इस अधिनियम या किसी उपविधि द्वारा निहित शक्तियों में से किसी के प्रयोग के कारण नुकसान होता है।

360. अपराधियों द्वारा किए गए नुकसान के लिए प्रतिकर उनके द्वारा संदत्त किया जाएगा—(1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के विरुद्ध अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, उक्त अपराध के लिए किसी दंड से दंडादिष्ट होने पर भी, परिषद् की सम्पत्ति को उक्त अपराध के कारण होने वाले किसी नुकसान के लिए ऐसा प्रतिकर संदत्त करने के दायित्वाधीन होगा जो अध्यक्ष युक्तियुक्त समझता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम के बारे में कोई विवाद होने की दशा में ऐसी रकम उस मजिस्ट्रेट को आवेदन किए जाने पर जिसके समक्ष उक्त व्यक्ति अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था, उसके द्वारा अवधारित की जाएगी और इस प्रकार अवधारित प्रतिकर की रकम का संदाय न किए जाने की दशा में वह उक्त मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन ऐसे वसूल की जाएगी मानो वह उसके लिए दायी व्यक्ति पर मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो।

विवाद की दशा में व्ययों या प्रतिकर की वसूली

361. कतिपय मामलों में जिला न्यायधीश के न्यायालय को निर्देश—(1) जब अध्यक्ष धारा 355 में निर्दिष्ट किन्हीं व्ययों के संदाय की मांग करता है, तब यदि उसकी मांग करने के उसके अधिकार या मांग की रकम की बाबत, ऐसी मांग की तारीख के पश्चात् दस दिन के भीतर विवाद किया जाता है, तो अध्यक्ष, मामले को, —

(क) यदि ऐसी मांग धारा 221, धारा 229, धारा 247, धारा 248 और धारा 249 के अधीन किसी सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का पालन न किए जाने की दशा में किए जाने या निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित किसी कार्य या संकर्म के पूरा किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही या उपाय करने में उपगत व्ययों से संबंधित है, तो अपील अधिकरण को ;

(ख) किसी अन्य दशा में, दिल्ली के जिला न्यायाधीश के न्यायालय को अवधारण के लिए निर्दिष्ट करेगा।

(2) अध्यक्ष अपने द्वारा दावाकृत राशि की वसूली के लिए आगे की कार्यवाहियां तब तक के लिए आस्थगित कर देगा जब तक ऐसे किसी निर्देश पर विनिश्चय नहीं हो जाता और विनिश्चय के पश्चात् केवल ऐसी राशि की यदि कोई हो, तो विनिश्चय द्वारा शोध्य घोषित की जाती है, वसूली के लिए धारा 355 में निर्दिष्ट रीति से कार्यवाही करेगा।

362. अन्य मामलों में जिला न्यायाधीश के न्यायालय को आवेदन—(1) जहां ऐसे मामले में, जिसके लिए धारा 361 द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है, परिषद् या अध्यक्ष या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि द्वारा कोई व्यय या प्रतिकर संदत्त करने की अपेक्षा की जाती है वहां विवाद होने की दशा में उस रकम का, जो इस प्रकार संदेय है और यदि आवश्यक हो तो उसके भाग का, अवधारण, दिल्ली के जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किया जाएगा यदि इस प्रयोजन के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जब ऐसा व्यय या प्रतिकर प्रथम बार दावा योग्य हुआ है, एक वर्ष के भीतर किसी समय किया जाता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अनुसार अभिनिश्चित किसी व्यय या प्रतिकर की रकम का संदाय उसके लिए दायी व्यक्ति मांग पर नहीं करता है तो वह ऐसे वसूलीय होगी मानो वह जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारण किए गए किसी मूल वाद में उसके द्वारा पारित डिक्री के अधीन शोध्य रकम हो।

(3) किन्हीं व्ययों या प्रतिकर की, जिसकी देय रकम को इसमें इसके पूर्व उपबंधित के अनुसार अभिनिश्चित कर लिया गया है, वसूली के लिए पूर्वोक्त रीति से कार्यवाही के बजाय या ऐसी कार्यवाही किए जाने के पश्चात् असफल होने या आंशिक रूप से सफल होने की दशा में, यथास्थिति, देय राशि या देय राशि का अतिशेष उसके लिए दायी व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में वाद लाकर वसूल किया जा सकता है।

कतिपय शोध्य रकमों की वसूली

363. कतिपय शोध्य रकमों की वसूली का ढंग—ऐसे किसी मामले में, जिसके लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि में अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित नहीं है, ऐसी कोई राशि, जो इस अधिनियम या किसी ऐसी उपविधि के अधीन किन्हीं प्रभारों, खर्चों, व्ययों, फीसों, रेटों या भाटक मद्धे या किसी अन्य मद्धे परिषद् को शोध्य है, उस व्यक्ति से, जिससे ऐसी राशि शोध्य है, इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय हो सकती है :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही, उस तारीख से, जिसको ऐसी राशि शोध्य हुई है, तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रारम्भ नहीं की जाएगी।

अधिभोगी द्वारा स्वामी को बाधा डालना

364. अधिभोगी द्वारा बाधा डाले जाने की दशा में जिला न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन करने का स्वामी का अधिकार—(1) यदि किसी भूमि या भवन के स्वामी को—

(क) धारा 221, धारा 229, धारा 247, धारा 248, धारा 249 या धारा 252 या उसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उपबंधों का या ऐसे किसी उपबंध के अधीन जारी की गई किसी सूचना या आदेश का अनुपालन करने से उसके अधिभोगी द्वारा निवारित किया जाता है तो वह अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ; और

(ख) किसी अन्य उपबंध के या उसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के या ऐसे उपबंध के अधीन जारी की गई किसी सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने से उसके अधिभोगी द्वारा निवारित किया जाता है तो वह दिल्ली के जिला न्यायाधीश के न्यायालय को आवेदन कर सकता है और जहां ऐसा आवेदन उस समय के भीतर किया जाता है जो ऐसे उपबंध या सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा के अनुपालन के लिए नियत किया गया है वहां स्वामी उस उपबंध या सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन इस प्रकार नियत समय के भीतर करने में अपनी असफलता के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा।

(2) यथास्थिति, अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, उस भूमि या भवन के अधिभोगी से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकेगा कि वह उक्त उपबन्ध या सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने के लिए स्वामी को सभी युक्तियुक्त सुविधाएं दे, और यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निदेश भी दे सकेगा कि ऐसे आवेदन और आदेश के खर्चे अधिभोगी द्वारा संदत्त किए जाएं।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से आठ दिन के पश्चात्, अधिभोगी प्रयोजन के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, स्वामी को देगा और यदि वह ऐसा करने से निरन्तर इंकार करता है तो स्वामी ऐसा इंकार किए जाते रहने के दौरान ऐसे दायित्व से उन्मोचित रहेगा जो उक्त उपबन्ध या सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में उसकी असफलता के कारण अन्यथा उपगत हुआ है।

जिला न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां

365. जिला न्यायाधीश के न्यायालय की साधारण शक्तियां और प्रक्रिया—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधीन दिल्ली के जिला न्यायाधीश के न्यायालय को किए गए आवेदनों, अपीलों या निदेशों को निपटाने में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में वादों के संबंध में उपबन्धित प्रक्रिया का वहां तक अनुसरण किया जाएगा जहां तक वह लागू की जा सकती है।

366. जिला न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में फीस—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वह फीस विहित कर सकेगी जो :—

(क) दिल्ली के जिला न्यायाधीश के न्यायालय को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधीन किए गए किसी आवेदन, अपील या निर्देश के लिए संदत्त की जाएगी ; और

(ख) उस न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम या ऐसी उपविधि के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कोई समन या अन्य आदेशिका जारी करने के लिए संदत्त की जाएगी :

परन्तु ऐसे मामलों में जिनमें दावे या विषयवस्तु का मूल्य धन में प्राक्कलित किए जाने योग्य है, खंड (क) के अधीन विहित कोई फीस, यदि कोई हो, उस फीस से अधिक नहीं होगी जो न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के उपबन्धों के अधीन उतनी ही रकम वाले दावे या विषयवस्तु के मामलों में तत्समय उद्ग्रहणीय है।

(2) सरकार वैसी ही अधिसूचना द्वारा यह अवधारित कर सकेगी कि उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विहित फीस, यदि कोई हो, कि व्यक्ति द्वारा संदेय होगी।

(3) कोई आवेदन, अपील या निर्देश जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक उसके लिए उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन विहित फीस, यदि कोई हो, संदत्त नहीं कर दी जाती :

परन्तु न्यायालय, ऐसे किसी मामले में, जिसमें ऐसा करना वह ठीक समझता है, इस धारा के अधीन विहित फीस का संदाय न किए जाने पर या आंशिक संदाय किए जाने पर—

(i) किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किया गया कोई आवेदन, अपील या निर्देश ग्रहण कर सकेगा ; और

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आदेशिका जारी कर सकेगा।

367. सुनवाई के पूर्व समझौता होने पर आधी फीस का प्रतिसंदाय—जब कभी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के अधिन किए गए किसी आवेदन, अपील या निर्देश का समझौता सुनवाई के पूर्व पक्षकारों के बीच करार द्वारा हो जाता है तब उस समय तक दी गई सभी फीसों की आधी रकम न्यायालय द्वारा उन पक्षकारों को प्रतिसंदत्त कर दी जाएगी जिन्होंने उनका संदाय किया था।

368. कतिपय शक्तियों का प्रत्यायोजन करने और नियम बनाने की जिला न्यायाधीश के न्यायालय की शक्ति—दिल्ली के जिला न्यायाधीश का न्यायालय—

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन आवेदन, अपील और निर्देश ग्रहण करने और ऐसे आवेदनों, अपीलों और निर्देशो की सुनवाई और उनका अवधारण करने की शक्ति को अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय को या तो साधारणतया या विशिष्टतया प्रत्यायोजित कर सकेगा ;

(ख) इस अधिनियम द्वारा न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित किसी विषय या उपबन्ध करने के लिए, जिसके लिए इस अधिनियम में विनिर्दिष्टत: उपबन्ध नहीं किया गया है, सरकार के अनुमोदन से ऐसे नियम बना सकेगा जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि से असंगत न हों ।

अपराध और शास्तियां

369. कतिपय अपराधों के लिए दंड—(1) जो कोई—

(क) दसवीं अनुसूची की सारणी के प्रथम स्तम्भ में वर्णित इस अधिनियम की धाराओं, उपधाराओं, खंडों, परन्तुकों में से किसी उपबन्ध का या उसके अन्य उपबंधों का उल्लंघन करेगा ; अथवा

(ख) उक्त धाराओं, उपधाराओं, खंडों, परन्तुकों या अन्य उपबंधों में से किसी के अधीन उसे विधिपूर्वक दिए गए किसी आदेश या निदेश का या उससे विधिपूर्वक की गई किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहेगा,

वह—

(i) जुर्माने से, जो उतनी रकम तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि उतनी हो सकेगी जो उक्त सारणी के तृतीय स्तम्भ में इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए या दोनों से ; और

(ii) जहां कि उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम उल्लंघन या असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, उस सारणी के चतुर्थ स्तम्भ में विनिर्दिष्ट रकम तक का हो सकेगा,

दण्डनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई, ऐसे पथ के संबंध में, जो सार्वजनिक पथ है, धारा 221 की उपधारा (1) या धारा 224 की उपधारा (1) या धारा 225 की उपधारा (1) या धारा 229 की उपधारा (1) या धारा 244 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी सदस्य के बारे में जो जानबूझकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिषद् के साथ की गई किसी संविदा में या परिषद् के लिए किए गए किसी कार्य में कोई शेयर या हित अर्जित करता है, यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 168 के अधीन दंण्डनीय बनाया गया अपराध किया है ।

370. साधारण शास्ति—जो कोई किसी ऐसे मामले में, जिसमें इस अधिनियम द्वारा कोई शास्ति स्पष्टत: उपबन्धित नहीं की गई है, इसके किसी उपबन्ध के अधीन जारी की गई किसी सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अन्यथा उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, और जहां असफलता या उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके दौरान ऐसी असफलता या उल्लंघन जारी रहता है, बीस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

371. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) जहां उस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां तक अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से इस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

372. कतिपय अपराधों का संज्ञेय होना—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)—

(क) धारा 217 की उपधारा (5) या धारा 237 या धारा 238 की उपधारा (1) या धारा 239 की उपधारा (1) या धारा 247 या धारा 248 या धारा 249 या धारा 252 के अधीन किसी अपराध को ;

(ख) किसी ऐसे पथ के संबंध में, जो सार्वजनिक पथ है, धारा 221 की उपधारा (1) या धारा 224 की उपधारा (1) या धारा 225 की उपधारा (1) या धारा 229 की उपधारा (1) या धारा 244 के अधीन अपराध को उसी प्रकार लागू होगी, मानो वह—

(i) ऐसे अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए; और

(ii) (1) उस संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट मामलों से भिन्न सभी मामलों के प्रयोजनों के लिए ; और

(2) परिषद् के ऐसे अधिकारी के, जो सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो जिसे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाए, परिवाद पर या उससे प्राप्त इत्तिला पर न कि अन्यथा, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से भिन्न सभी मामलों के प्रयोजनों के लिए,

संज्ञेय अपराध है :

परन्तु किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन का कोई अपराध, जिसके अधीन किसी भवन के परिनिर्मित किए जाने या किसी संकर्म के निष्पादन के लिए मंजूरी दी गई थी, संज्ञेय नहीं होगा यदि ऐसे उल्लंघन का संबंध अध्यक्ष द्वारा मंजूर किए गए ऐसे परिनिर्माण या निष्पादन के किसी रेखांक से किसी विचलन से है, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए भवनों में संबंधित उपविधियों के अधीन किसी रकम के संदाय पर शमनीय है।

373. अभियोजन—इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी न्यायालय—

(क) धारा 217 की उपधारा (5) या धारा 237 या धारा 238 की उपधारा (1) या धारा 239 की उपधारा (1) या धारा 247 या धारा 248 या धारा 249 या धारा 252 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने के लिए, परिषद् के ऐसे अधिकारी के, जो सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाए, परिवाद पर या उससे प्राप्त इत्तिला पर ही अग्रसर होगा, अन्यथा नहीं ;

(ख) धारा 221 की उपधारा (1) या धारा 224 की उपधारा (1) या धारा 225 की उपधारा (1) या धारा 229 की उपधारा (1) या धारा 244 के अधीन किसी अपराध का तब विचारण करने के लिए, यदि कोई ऐसा अपराध किसी ऐसे पथ के संबंध में किया गया था जो सार्वजनिक पथ है, परिषद् के ऐसे अधिकारी के, जो सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाए, परिवाद पर या उससे प्राप्त इत्तिला पर ही अग्रसर होगा, अन्यथा नहीं ;

(ग) खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों से भिन्न अपराध का विचारण करने के लिए, अध्यक्ष या इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के परिवाद पर या उससे प्राप्त इत्तिला पर ही अग्रसर होगा, अन्यथा नहीं।

374. अपराध का शमन—(1) अध्यक्ष या इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति कार्यवाही संस्थित होने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन दण्डनीय बनाए गए किसी अपराध का शमन कर सकेगा :

परन्तु परिषद् अथवा अध्यक्ष द्वारा या उसकी ओर से जारी की गई सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का पालन करने में असफलता से होने वाला कोई अपराध तब तक शमनीय नहीं होगा जब तक कि उसका अनुपालन वहां तक नहीं कर दिया जाता है, जहां तक करना संभाव्य है।

(2) जहां अपराध का शमन कर दिया गया है वहां अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा और इस प्रकार शमन किए गए अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी।

मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाहियां

375. नगरपालिक मजिस्ट्रेट—(1) सरकार इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के विरुद्ध अपराधों के विचारण के लिए एक या अधिक महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी तथा वह समय और स्थान विहित कर सकेगी जब और जहां ऐसा या ऐसे मजिस्ट्रेट कामकाज निपटाने के लिए बैठेंगे।

(2) ऐसे मजिस्ट्रेट नगरपालिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और यथापूर्वोक्त अपराधों का विचारण करने के अतिरिक्त इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि में उपबन्धित मजिस्ट्रेट की सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग और सभी अन्य कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) ऐसे मजिस्ट्रेटों और उनके कर्मचारिवृन्द के सदस्यों को ऐसा वेतन, पेंशन, छुट्टी और अन्य भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं ।

(4) परिषद् नई दिल्ली नगरपालिक निधि में से सरकार को ऐसे वेतन, छुट्टी और अन्य भत्तों की रकम का उक्त मजिस्ट्रेट के स्थापन के संबंध में अन्य सभी आनुषंगिक व्ययों सहित संदाय करेगी जो उपधारा (3) के अधीन नियत किए गए हों ।

(5) प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता सम्पूर्ण नई दिल्ली पर होगी ।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए सभी नगरपालिक मजिस्ट्रेटों को उक्त संहिता की धारा 16 के अधीन नियुक्त किया गया मजिस्ट्रेट समझा जाएगा ।

(7) इस धारा की किसी बात की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह इसके अधीन नियुक्त किसी मजिस्ट्रेट को किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण करने से रोकती है ।

376. अपराधों का संज्ञान—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के विरुद्ध सभी अपराध, चाहे वे नई दिल्ली की सीमाओं के भीतर किए गए हैं या बाहर किए गए हैं, नगरपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञेय होंगे और ऐसे मजिस्ट्रेट के बारे में, केवल इस कारण कि वह किसी नगरपालिक कर या रेट के संदाय के लिए दायी है या वह नई दिल्ली नगरपालिक निधि से फायदा प्राप्त कर रहा है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे अपराध का अथवा किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन, जो इस अधिनियम द्वारा निरसित की गई है या इसके अधीन प्रभावी नहीं रही है, किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए असमर्थ है ।

377. अभियोजन के लिए परिसीमा काल—कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए तब तक दण्ड का दायी नहीं होगा जब तक ऐसे अपराध का परिवाद किसी नगरपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष निम्नलिखित के पश्चात् छह मास के भीतर नहीं किया जाता—

(क) उस अपराध के किए जाने की तारीख से, अथवा

(ख) ऐसे अपराध के किए जाने या उसके विद्यमान होने की परिवादी को प्रथम बार सूचित किए जाने की तारीख से ।

378. हाजिर होने के लिए समन किए जाने पर हाजिर न होने वाले अभियुक्त की गैर-हाजिरी में मामलों की सुनवाई करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति—यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के विरुद्ध किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए समन किया जाता है और वह समन में उल्लिखित समय और स्थान पर, अथवा किसी ऐसी तारीख पर जिसको मामले की सुनवाई स्थगित की गई है, हाजिर होने में असफल रहता है तो मजिस्ट्रेट उसकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और उसका अवधारण कर सकेगा, यदि—

(क) समन की तामील उसके समाधानप्रद रूप से साबित कर दी जाती है ; और

(ख) ऐसे व्यक्ति की गैर-हाजिरी के लिए कोई पर्याप्त हेतुक नहीं दर्शित किया जाता है ।

379. न्युसेंसों से संबंधित परिवाद—अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत काई नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी या कोई ऐसा व्यक्ति, जो नई दिल्ली में निवास करता है या नई दिल्ली में किसी सम्पत्ति का स्वामी है किसी न्यूसेंस के विद्यमान होने का परिवाद नगरपालिक मजिस्ट्रेट को कर सकेगा ।

380. न्यूसेंसों से संबंधित परिवादों की बाबत मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—(1) धारा 379 के अधीन परिवाद के प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा, न्यूसेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को या उस भूमि या भवन के स्वामी को जिस पर न्यूसेंस हुआ है, ऐसे न्यूसेंस के उपशमन, निवारण, हटाने या उपचार के लिए ऐसे उपाय जो ऐसे मजिस्ट्रेट को साध्य और युक्तियुक्त प्रतीत हों तथा उन्हें ऐसी अवधि के भीतर जो इस बाबत आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, करने के लिए निदेश दे सकेगा । तथा अध्यक्ष को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के उपबंधों में से किसी को प्रवृत्त करने के लिए निदेश दे सकेगा ।

(2) मजिस्ट्रेट, न्यूसेंस के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्ति को यह और निर्देश दे सकेगा कि वह परिवादी की उक्त परिवाद के और उससे संबंधित ऐसे युक्तियुक्त खर्चे जो वह अवधारित करे, जिसके अन्तर्गत ऐसे परिवाद के अभियोजन में परिवादी के समय की बरबादी के लिए प्रतिकर भी है, संदत्त करे ।

(3) जहां मजिस्ट्रेट की राय में न्यूसेंस निवारण करने के लिए तुरन्त कारवाई करना आवश्यक है वहां वह उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित जांच से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा और तत्क्षण ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।

(4) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश द्वारा कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है तो अध्यक्ष उक्त अवधि समाप्त होने पर, आदेश में निर्दिष्ट कार्रवाई करने या न्यूसेंस के उपशमन, निवारण, हटाए जाने या उपचार के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, अग्रसर हो सकेगा तथा उस संबंध में उपगत सभी व्यय उस व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है, इस अधिनियम के अधीन कर की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

पुलिस अधिकारियों को शक्तियां और कर्तव्य

381. अपराधियों की गिरफ्तारी—(1) कोई भी पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो उसकी दृष्टि में इस अधिनियम के विरुद्धया उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के विरुद्ध कोई अपराध करता है, यदि—

(क) ऐसे व्यक्ति का नाम और पता उसे ज्ञात नहीं है ; और

(ख) ऐसा व्यक्ति, पूछे जाने पर अपना नाम और पता बताने से इंकार करता है या ऐसा नाम और पता बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है।

(2) इस प्रकार गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति उसका सही नाम और पता अभिनिश्चित कर लिए जाने के पश्चात् या गिरफ्तारी के समय से चौबीस घण्टे से दीर्घतर अवधि के लिए जिसमें से वह समय छोड़ दिया जाएगा जो गिरफ्तारी के स्थान से किसी निकटतम मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा करने के लिए आवश्यक है, ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

382. पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य—सभी पुलिस अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के विरुद्ध कोई अपराध करने या अपराध करने के प्रयत्न की इत्तिला तुरन्त अध्यक्ष को दें तथा सभी नगरपालिक अधिकारियों और अन्य नगरपालिक कर्मचारियों की सहायता उनके द्वारा उनके विधिपूर्ण प्राधिकार का प्रयोग किए जाने में करें।

विधिक कार्यवाहियां

383. विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने आदि और विधिक सलाह अभिप्राप्त करने की शक्ति—अध्यक्ष—

(क) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर—

(i) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के विरुद्ध किसी अपराध का, अथवा

(ii) परिषद् की किसी सम्पत्ति या हित को, या इस अधिनियम के सम्यक् प्रशासन को प्रभावित करने वाले, या जिससे उनके प्रभावित होने की संभाव्यता पर, ऐसे किसी अपराध का, अथवा

(iii) कोई भी न्यूसेंस करने का,

आरोप है, कार्यवाही कर सकेगा या ऐसी कार्यवाही को प्रत्याहित कर सकेगा ;

(ख) आनुपतिक मूल्य या किसी कर या रेट के निर्धारण के विरुद्ध किसी अपील का प्रतिवाद कर सकेगा या उसमें समझौता कर सकेगा ;

(ग) धारा 360, धारा 361, और धारा 362 के अधीन परिषद् को शोध्य के रूप में दावा किए गए व्ययों या प्रतिकरों की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकेगा या उसे प्रत्याहित कर सकेगा, उसमें समझौता कर सकेगा ;

(घ) किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक हजार रुपए से अधिक राशि के किसी दावे को प्रत्याहित कर सकेगा या उसका समझौता कर सकेगा ;

(ङ) परिषद् के विरुद्ध या अध्यक्ष या किसी नगरपालिक अधिकारी या नगरपालिक कर्मचारी के विरुद्ध, उनमें से किसी के द्वारा पदीय हैसियत में किसी बाबत, जो की गई या किए जाने का लोप किया गया, के सम्बन्ध में किए गए किसी वाद या की गई किसी अन्य विधिक कार्यवाही का प्रतिवाद कर सकेगा ;

(च) परिषद् के अनुमोदन से, पूर्वोक्त रूप में किसी बात, जो की गई या जिसके किए जाने का लोप किया गया, के संबंध में परिषद् के विरुद्ध या अध्यक्ष या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किए गए किसी दावे या किसी वाद या की गई अन्य विधिक कार्यवाही को स्वीकार कर सकेगा या उसमें समझौता कर सकेगा ;

(छ) अध्यक्ष द्वारा या परिषद् की ओर से किसी व्यक्ति के साथ की गई किसी संविदा के अधीन संदेय शास्ति के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी दावे को प्रत्याहृत कर सकेगा या उसमें समझौता कर सकेगा ;

(ज) कोई दावा या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित और अभियोजित कर सकेगा, या परिषद् के अनुमोदन से, परिषद् या अध्यक्ष के नाम में पांच सौ रुपए से अनधिक किसी राशि के लिए संस्थित किसी वाद या किए गए किसी दावे को प्रत्याहृत कर सकेगा या उसमें समझौता कर सकेगा ;

(झ) पूर्वगामी खंडों में उल्लिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए या किसी नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी में निहित या उस पर अधिरोपित किसी शक्ति या कर्तव्य का विधिपूर्ण प्रयोग का निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी विधिक सलाह और सहायता अभिप्राप्त कर सकेगा जिसे अभिप्राप्त करना वह समय-समय पर आवश्यक या समीचीन समझे या जिसे अभिप्राप्त करने की अपेक्षा परिषद् द्वारा उससे की जाती है ।

384. परिषद् आदि की कार्रवाई के लिए संरक्षण—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अभियोजन परिषद् या किसी नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी या अध्यक्ष या नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी के आदेश या निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध ग्रहण नहीं करेगा ।

385. वादों की सूचना का दिया जाना—(1) ऐसे किसी कार्य के लिए, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के अनुसरण में किया गया है या जिसका उनके अधीन किया जाना तात्पर्यित है, कोई भी वाद, परिषद् या अध्यक्ष या किसी नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी अथवा अध्यक्ष या किसी नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी के आदेश या निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक नगरपालिका कार्यालय में उसकी लिखित सूचना परिदत्त किए जाने के पश्चात् दो मास का अवसान नहीं हो जाता और ऐसे अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति की दशा में, जब तक उसकी लिखित सूचना उसे उसके कार्यालय में या निवास-स्थान पर परिदत्त नहीं कर दी जाती और जब तक किसी ऐसी सूचना में वाद हेतुक, मांगे गए अनुतोष के स्वरूप, दावा किए गए प्रतिकर की रकम और वाद लाने का आशय रखने वाले वादी का नाम और निवास-स्थान सपष्टत: दिया नहीं जाता और जब तक कि वादपत्र में यह कथन नहीं है कि ऐसी सूचना इस प्रकार छोड़ दी गई है या परिदत्त कर दी गई है ।

(2) ऐसा कोई वाद, जो उपधारा (1) में वर्णित है, जब तक कि स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए या उस पर के हक की घोषणा के लिए वाद के रूप में न हो, उस तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् संस्थित नहीं किया जाएगा जिसको वाद-हेतुक उत्पन्न हुआ है ।

(3) उपधारा (1) की कोई बात ऐसे किसी वाद को लागू नहीं समझी जाएगी जिसमें एकमात्र दावाकृत अनुतोष ऐसा व्यादेश है जिसका उद्देश्य सूचना के दिए जाने से अथवा वाद का संस्थित किया जाना मुल्तवी किए जाने से विफल हो जाएगा ।

अध्याय 21

नियम, विनियम और उपविधियां

386. नियमों के बारे में अनुपूरक उपबन्ध—(1) ऐसे किसी भी नियम में, जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाने के लिए सशक्त है, यह उपबन्ध किया जा सकेगा कि उसका कोई उल्लंघन जूर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 260 के अधीन बनाई गई उपविधियां बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएंगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या उन उपविधियों में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वे ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होंगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या वे उपविधियां नहीं बनाया जाना/बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् यह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएंगी । किन्तु नियम या उपविधियों के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

387. विनियमों के बारे में अनुपूरक उपबन्ध—(1) ऐसा कोई विनियम, जो परिषद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया जा सकता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की स्थापना से एक वर्ष के भीतर बनाया जा सकता है और ऐसे बनाए गए विनियम को परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवर्तित या विखंडित कर सकती है ।

(2) परिषद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया किसी विनियम का तब तक प्रभाव नहीं होगा जब तक वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता और राजपत्र में प्रकाशित नहीं कर दिया जाता ।

388. उपविधियां बनाने की शक्ति—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् किन्हीं ऐसी उपविधियों के अतिरिक्त जिन्हें बनाने के लिए वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध द्वारा सशक्त है, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए उपविधियां बना सकती हैं, अर्थात् :—

क—कराधान से संबंधित उपविधियां

(1) अध्यक्ष द्वारा कर पुस्तकों और रजिस्टरों का रखा जाना और वे विशिष्टियां जो ऐसी पुस्तकों और रजिस्टरों में अन्तर्विष्ट होनी चाहिएं ;

(2) ऐसी पुस्तकों और रजिस्टरों का निरीक्षण और उनकी प्रतियां और उनमें से उद्धरण अभिप्राप्त करना तथा उसके लिए प्रभार्य फीस, यदि कोई हो ;

(3) परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित करों की दरों का प्रकाशन ;

(4) करों के संदाय के लिए दायी व्यक्तियों से अध्यक्ष द्वारा जानकारी और विवरणियों की अध्यपेक्षा करना ;

(5) जिस यान या जीव-जन्तु के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर संदेय है, उसके स्वामी या कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष को दी जाने वाली सूचना ;

(6) किसी ऐसे यान के चालक द्वारा पहने जाने वाला बिल्ला और ऐसे यान पर नम्बर प्लेट का संप्रदर्शन ;

(7) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के संदाय के लिए दायी व्यक्तियों द्वारा विवरणियों का पेश किया जाना ;

(8) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त दिल्ली के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन परिषद् को संदेय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का संग्रहण, परिषद् को ऐसे शुल्क का कालिक संदाय और ऐसे रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा उसके संबंध में पृथक् लेखाओं का रखा जाना ;

(9) इस अधिनियम के अधीन करों के उदग्रहण, निर्धारण, संग्रह प्रतिदाय या परिहार से संबंधित कोई अन्य विषय ।

ख—जल प्रदाय, जल निकास और मल व्ययन से संबंधित उपविधियां

(1) जल प्रदाय के लिए, चाहे वह घरेलू प्रयोजनों के लिए हो या नहीं, अथवा आनुग्रहिक उपयोग के लिए जल संकर्मों को बन्द करने तथा कारबार के प्रयोजन के लिए जल का विक्रय और प्रयोग करने का प्रतिषेध करने की अध्यक्ष की शक्ति ;

(2) नगरपालिक जल संकर्म से किसी परिसर को जल प्रदाय के लिए प्रदाय पाइपों का कनेक्शन करना ;

(3) नगरपालिक जल संकर्मों से कनेक्शन करना और कनेक्शनों का नवीकरण करना ;

(4) प्राइवेट कनेक्शनों का भारसाधन ग्रहण करने की अध्यक्ष की शक्ति ;

(5) कनेक्शनों की स्थिति में परिवर्तन करने की अध्यक्ष की शक्ति ;

(6) अधिभोगियों को प्रदाय किए गए जल का सम्यापूर्ण वितरण ;

(7) किसी नगरपालिक जल संकर्म के साथ कोई कनेक्शन या संयोजन करने के प्रोयजन के लिए पाइपों और फिटिंगों का आकार, सामग्री, क्वालिटी, वर्णन और स्थिति तथा पाइपों और फिटिंगों का स्टांपित किया जाना और स्टांपित करने के लिए फीस ;

(8) ऐसे पाइप, हौज और फिटिंग का, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन परीक्षा किए जाने पर इतने त्रुटिपूर्ण पाए जाते है कि उनकी प्रभावी रूप से मरम्मत नहीं की जा सकती, आकार, सामग्री, क्वालिटी और वर्णन ;

(9) जल का प्रदाय माप द्वारा किए जाने की दशा में मीटरों की व्यवस्था और निरीक्षण ;

(10) जल के कपटपूर्ण और अप्राधिकृत, प्रयोग का प्रतिषेध और मीटरों के संबंध में कपट का प्रतिषेध ;

(11) पाइपों, हौजों और अन्य जल संकर्मों का अनुरक्षण ;

(12) घृणोत्पादक या बाधाकारी पदार्थ, प्रदूषित जल या अन्य प्रदूषित और घृणाजनक पदार्थ का सीवरों में स्राव या जमा किए जाने का विनियमन या प्रतिषेध ;

(13) नालियों, संवातन शेफ्टों, पाइपों, शौचालयों, मूत्रालयों, मलकुण्डों और अन्य जलनिकास संकर्मों के निर्माण, परिवर्तन, अनुरक्षण, परिरक्षण, सफाई और मरम्मत का किसी भी रीति से ऐसे, विनियमन जिसके लिए इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है ;

(14) नालियों की सफाई ;

(15) अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना नालियों के ऊपर भवन बनाने का प्रतिषेध ;

(16) प्राइवेट नालियों का नगरपालिक नालियों के साथ कनेक्शन करना ;

(17) मल कुण्डों की अवस्थिति और निर्माण ;

(18) मलकुण्डों का ढका जाना और संवातन ;

(19) दिन की वह अवधि या अवधियां जिनके दौरान किसी व्यापार परिसर से व्यापार बहि:स्राव नगरपालिका नालियों में डाला जा सकता है;

(20) व्यापार बहि:स्राव में से सभी संघनन जल का अलग किया जाना ;

(21) इससे पूर्व कि कोई व्यापार बहि:स्राव नगरपालिक नाली में गिरे उसमें से ऐसे संघटकों का दूर किया जाना जो परिषद् की राय में अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलने पर, जिसके साथ उसके मिलने की तब संभाव्यता है, जब वह नगरपालिक नाली से हो कर गुजरे, और जो उन नालियों को नुकसान पहुंचा सकता हैं या उन्हें अवरुद्ध कर सकता है या उन नालियों में से मल की अभिक्रिया या व्ययन को विशेष रूप से कठिन या व्ययपूर्ण बना सकता है ;

(22) व्यापार बहि:स्राव की बह अधिकतम मात्रा जो किसी व्यापार परिसर में से किसी एक दिन में नगरपालिक नालियों में बिना किसी सहमति या अनुज्ञा के डाली जा सकती है और वह अधिकतम दर जिससे किसी व्यापार परिसर में नगरपालिक नाली में व्यापार बहि:स्राव ऐसी सहमति या अनुज्ञा के बिना डाला जा सकता है ।

(23) नगरपालिक नाली में डालने के समय किसी व्यापार बहि:स्राव के ताप का विनियमन और इस प्रकार डाले जाने के समय व्यापार बहि:स्राव को निष्प्रभावी रखना (अर्थात् वह न तो अम्लीय हो और न क्षारीय) ;

(24) नगरपालिक नालियों में व्यापार बहि:स्राव डाले जाने और उसके व्ययन के लिए व्यापार परिसरों के अधिभोगियों द्वारा परिषद् को संदत्त किए जाने वाले प्रभार ;

(25) ऐसे निरिक्षण चेम्बरों या मेन हालों की व्यवस्था और अनुरक्षण जहां से होकर कोई व्यक्ति उस वस्तु का तुरन्त नमूना ले सकता है जो व्यापार परिसरों में से नगरपालिक नालियों में बहाई जा रही है ;

(26) ऐसे मीटरों की व्यवस्था और अनुरक्षण जो किसी व्यापार परिसर से नगरपालिक नाली में डाले जा रहे किसी व्यापार बहि:स्राव के परिमाण को मापने के लिए अपेक्षित है तथा ऐसे मीटरों का परीक्षण ।

ग—विद्युत प्रदाय से संबंधित उपविधियां

(1) विद्युत प्रदाय के संबंध में संचालन और प्रबन्ध से संबंधित सभी विषय ;

(2) नई दिल्ली में विद्युत उपकेन्द्रों के लिए उपबंध ।

घ—पथों से संबंधित उपविधियां

(1) किसी संकर्म के चालू रहने के दौरान पथों का बन्द किया जाना और ऐसे संकर्म के चालू रहने के दौरान आनुकल्पिक मार्ग ;

(2) त्यौहारों के दौरान अस्थायी प्रकार के पथों का बनाया जाना ;

(3) पथों से लगे भवनों के निर्माण या मरम्मत के दौरान ऐसे भवनों पर पाड़ लगाना ;

(4) किसी प्राइवेट व्यष्टि को किसी सार्वजनिक पथ को खोदने या तोड़ने की जब अनुज्ञा मंजूर की जाए तब बरती जाने वाली पूर्वावधानियां और पथ को पुन: उसकी मूल दशा में लाने के लिए संदत्त की जाने वाली फीस ;

(5) वस्तुओं के विक्रय के लिए या कोई आजीविका चलाने के लिए या कोई बूथ या स्टाल लगाने के लिए खोमचों वालों या फेरी वालों या किसी व्यक्ति द्वारा किसी पथ या स्थान के प्रयोग या अधिभोग के लिए अनुज्ञा, उसका विनियमन या प्रतिषेध तथा ऐसे अधिभोग के लिए प्रभार्य फीस ;

(6) पथों के निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण, नामकरण, संख्यांकन करने और उन्हें प्रकाशयुक्त रखने से संबंधित कोई अन्य विषय जिसके लिए उपबन्ध करना आवश्यक है या किया जाना चाहिए ।

ङ—स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य से संबंधित उपविधियां

(1) शौचालयों और मूत्रालयों की स्थिति ;

(2) शौचालयों और भवनों या विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त स्थानों के बीच हवा के लिए स्थान की व्यवस्था ;

(3) भवनों की सफेदी करना ;

(4) जीव-जन्तुओं या जीव-जन्तुओं के किसी वर्ग को रखने या झुंड में रखने का विनियमन या प्रतिषेध ताकि लोक स्वास्थ्य के लिए खतरे का निवारण हो सके ;

(5) नई दिल्ली की सीमाओं के भीतर भटकने वाले स्वामीविहीन जीव-जन्तुओं का अभिग्रहण और कांजी हाउस का विनियमन और नियंत्रण ;

(6) सार्वजनिक स्नान और धुलाई के स्थानों का नियत किया जाना और उनके प्रयोग का विनियमन ;

(7) खतरनाक बीमारियों के प्रसार की रोकथाम ;

(8) किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित जीव-जन्तुओं को या जिन जीव-जन्तुओं के बारे में युक्तियुक्त रूप से यह सन्देह है कि वे उक्त रोग से पीड़ित हैं, नई दिल्ली के किसी भाग से अलग करना या हटाना या पृथक् करना या नष्ट करना ;

(9) सार्वजनिक जल प्रदाय के स्त्रोतों और साधनों तथा जल वितरण के साधित्रों का पर्यवेक्षण, विनियमन, संरक्षण और क्षति, संदूषण या अतिचार से उनका बचाव ;

(10) अनिवार्य रूप से वेक्सीन का टीका और इनोकुलेशन लगाना ;

(11) शवों का उचित प्रकार के क्रियाकर्म, शवों के क्रियाकर्म के लिए श्मशानों और कब्रिस्तानों तथा अन्य स्थानों का विनियमन और प्रबन्ध जहां ऐसे स्थानों की व्यवस्था और अनुरक्षण नई दिल्ली नगरपालिक निधि के व्यय पर की जाती है वहां ऐसे स्थानों के प्रयोग के लिए प्रभार्य फीस ;

(12) नए बनाए गए भवनों में सफाई वालों के लिए वास-स्थान की व्यवस्था जिसमें दस या अधिक शौचालय अपेक्षित हों ।

च—जन्म मरण के आंकड़ों से संबंधित उपविधियां

(1) अध्याय 16 के अधीन मुख्य रजिस्ट्रार, अपर मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं विहित करना ;

(2) जन्म और मृत्यु तथा विवाहों का रजिस्ट्रीकरण करना और जनगणना कराना ।

छ—लोक सुरक्षा और न्यूसेन्सों के निवारण से संबंधित उपविधियां

स्वच्छता या रोगों के निवारण या लोक स्वास्थ्य के प्रोन्नयन अथवा सुविधा के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे कार्य का विनियमन या प्रतिषेध जो न्यूसेंस उत्पन्न करता है या जिससे न्यूसेंस उत्पन्न होने की संभाव्यता है तथा जिसके विनियमन या प्रतिषेध के लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई उपबन्ध नहीं किया गया है ।

ज—बाजारों, वधशालाओं, व्यापारियों और उपजीविकाओं से संबंधित उपविधियां

(1) वे दिन और समय जिनके दौरान बाजार या वधशाला प्रयोग के लिए खुला रखा जा सकता है ;

(2) बाजारों और वधशालाओं की डिजाइन, संवातन और जल निकास तथा उनके निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों का विनियमन ;

(3) बाजारों और वधशालाओं तथा उनसे संलग्न भूमियों और भवनों का साफ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाना, वहां से गंदगी, कूड़े और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदार्थ का हटाया जाना और वहां शुद्ध जल का प्रदाय तथा उन बजारों और वधशालाओं का प्रयोग करने वाले तथा वहां आने-जाने वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था ;

(4) बाजार के भवनों और बाजार के स्थानों में जनसाधारण के सुविधापूर्ण उपयोग के लिए स्टालों के बीच में पर्याप्त चौड़ाई वाले मार्गों की व्यवस्था करना तथा ऐसे मार्गों का अधिक्रमण निवारित करना ;

(5) बाजार के भवनों और बाजार के स्थानों में विभिन्न वर्गों की वस्तुओं के लिए पृथक् क्षेत्र निश्चित करना ;

(6) ऐसे जीव-जन्तुओं की समुचित अभिरक्षा और देख-रेख जिन्हें रखने के लिए धारा 327 के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है ;

(7) नई दिल्ली के भीतर जीव-जन्तुओं और मांस के आयात का विनियमन ;

(8) नई दिल्ली के भीतर परिसरों का अस्तबलों या गौशालाओं या भेड़ों, बकरियों या भैंसों के रखने के लिए स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक बनाना तथा ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए संदेय फीस और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकती है, उससे इन्कार किया जा सकता है ; उसे निलंबित या प्रतिसंहृत किया जा सकता है ;

(9) सरायों, होटलों, गैस्ट हाउसों, डाक बंगलों, बासाओं, बोर्डिंग हाउसों, भवनों, किराए के रिहायशी घरों, आवासीय क्लबों, रेस्तराओं, भोजनालयों, कैफों, रिफ्रेशमेंट रूमों और सार्वजनिक मनोविनोद, मनोरंजन या विश्राम के स्थानों का विनियमन ;

(10) ऐसे स्थानों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण जहां खतरनाक या घृणोत्पादक व्यापार चलाए जाते हैं जिससे कि वहां सफाई रखी जा सके अथवा उनसे उत्पन्न होने वाले या उत्पन्न होने के लिए संभावित क्षतिकारक, घृणोत्पादक या खतरनाक प्रभावों को अत्यन्त कम किया जा सके ;

(11) इश्तहारों और विज्ञापनों के लगाए जाने का, तथा नामपट्टों, साइन-बोर्डों, विज्ञापन पट्टों और साइन पोस्टरों की स्थिति, आकार, रंग या शैली का विनियमन ;

(12) वस्तुओं के विक्रय की पद्धति का नियतन, अर्थात् ऐसा विक्रय माप से होगा या तोल से या प्रति वस्तु के अनुसार होगा या किसी अन्य पद्धति से ;

(13) कारखाना, कर्मशाला या व्यापार परिसर स्थापित करने की अनुज्ञा देने की बाबत प्रक्रिया ;

(14) कारखानों, कर्मशालाओं और व्यापार परिसरों में धुंए का विनियमन ;

(15) कारखानों, कर्मशालाओं और व्यापार परिसरों में स्वच्छता संबंधी दशाओं का विनियमन ;

(16) किसी कारखाने, कर्मशाला या व्यापार परिसर में माप, संपीड़ित वायु, विद्युत या अन्य यांत्रिक साधन से बजाई जाने वाली सीटी बिगुल, साइरन या हार्न के प्रयोग का विनियमन ;

(17) बाजार के भवन, बाजार के स्थान, या किसी कारखाने, कर्मशाला या व्यापार परिसर में न्यूसेंस का निवारण ।

झ—सुधार से संबंधित उपविधियां

(1) किसी सूधार स्कीम या पुनर्वास स्कीम का रूप और विषय-वस्तु ;

(2) ऐसी स्कीमों को तैयार करने, पेश करने, अनुमोदित करने और मंजूर करने के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(3) किसी स्कीम को तैयार करने, अनुमोदित करने या मंजूर करने से पूर्व की जा सकने वाली स्थानीय जांच और अन्य सुनवाइयां ;

(4) सुधार स्कीम या पुनर्वास स्कीम के अनुमोदन और मंजूरी के पश्चात् उसमें परिवर्तन करना ।

ञ—प्रकीर्ण विषयों से संबंधित उपविधियां

(1) वे परिस्थितियां जिनमें और वह रीति जिससे नई दिल्ली में भूमि या भवन के स्वामियों से, जो नई दिल्ली से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित हैं या जो नई दिल्ली के निवासी नहीं हैं, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किन्हीं उपविधियों के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए, नई दिल्ली के भीतर या निकट निवास करने वाले व्यक्तियों को अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने की अपेक्षा की जा सकती है ;

(2) स्कूलों का अनुसरण और साधारणतया शिक्षा का उन्नयन ;

(3) नगरपालिका औषधालयों का विनियमन और नियंत्रण ;

(4) निम्नलिखित के लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक बनाना, अर्थात् :—

(क) अवक्रय के लिए रखी गई या चलाई जा रही या वस्तुओं की फेरी लगाने के लिए प्रयुक्त ऐसी भाड़ा गाड़ियों, साइकिल रिक्शाओं, ठेलों और रेहड़ियों के स्वत्वधारियों या चालकों के लिए ;

(ख) माल के प्रवहण के लिए भार ढोने वालों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए ;

(5) तीसरी अनुसूची के प्रयोजन के लिए सिनेमा, थियेटरों का वर्गीकरण ;

(6) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियां द्वारा विहित या विहित किए जा सकने वाले कोई अन्य विषय अथवा ऐसे विषय जिनके संबंध में इस अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है या पर्याप्त उपबन्ध नहीं है और जिसके लिए परिषद् की राय में नई दिल्ली सरकार के दक्ष नगरपालिक शासन के लिए ऐसा उपबन्ध आवश्यक है ।

(2) कोई उपविधि, जो उपधारा (1) के अधीन बनाई जा सकती है केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की स्थापना के एक वर्ष के भीतर बनाई जा सकेगी और इस प्रकार बनाई गई उपविधि या परिषद् द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में परिवर्तन किया जा सकेगा या उसे विखंडित किया जा सकेगा ।

389. विनियमों और उपविधियों का संसद् के समक्ष रखा जाना—केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक विनियम को धारा 388 के अधीन बनाई गई प्रत्येक उपविधि को, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम या उपविधि में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम या उपविधि नहीं बनाया जाना/बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी । किन्तु विनियम या उपविधि के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

390. उपविधियों के भंग के लिए शास्ति—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी उपविधि में यह उपबन्ध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन—

(क) जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा ; और

(ख) जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा और जहां उल्लंघन जारी रखता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, बीस रुपए तक का हो सकेगा ; अथवा

(ग) जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए बीस रुपए तक का हो सकेगा जिसके दौरान, अध्यक्ष से या उस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी नगरपालिक अधिकारी से, ऐसी सूचना की, जिसमें उपविधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसा उल्लंघन करना बन्द कर दे, प्राप्ति के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहता है ;

दंडनीय होगा :

परन्तु सड़क परिवहन सेवाओं से संबंधित किसी उपविधि का उल्लंघन कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पन्द्रह सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय हो सकता है।

(2) ऐसी किसी उपविधि में यह भी उपबन्ध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी रिष्टि का, यदि कोई हो, जो ऐसे उल्लंघन के कारण हुई है, वहां तक उपचार करे जहां तक ऐसा करने की उसकी शक्ति है।

391. उपविधियों के बारे में अनुपूरक उपबन्ध—(1) उपविधियां बनाने की जो कोई शक्ति इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त है वह इन शर्तों के अधीन प्रदान की गई है कि उपविधियां पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाई जाएंगी और जहां ऐसी उपविधियां परिषद् द्वारा बनाई जाती हैं वहां वे तब तक प्रभावी नहीं होंगी जब तक कि वे सरकार द्वारा अनुमोदित और राजपत्र में प्रकाशित न कर दी गई हों।

(2) सरकार किसी उपविधि को अनुमोदित करते समय उसमें कोई ऐसा परिवर्तन कर सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत होता है।

(3) सरकार, अपने आशय के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् किसी ऐसी उपविधि को रद्द कर सकेगी जिसे उसने अनुमोदित कर दिया है, और तब वह उपविधि प्रभावहीन हो जाएगी।

392. निरीक्षण और क्रय के लिए उपविधियां का उपलभ्य रहना—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई सभी उपविधियों की एक प्रति नगरपालिका कार्यालय में रखी जाएगी और कार्यालय के समय के दौरान नई दिल्ली के किसी निवासी द्वारा मुफ्त निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

(2) ऐसी सभी उपविधियों की प्रतियां नगरपालिका कार्यालय में रखी जाएंगी और क्रेता के विकल्प पर या तो एकल प्रति या संग्रह के रूप में, लागत कीमत पर, जनता को विक्रय की जाएंगी।

अध्याय 22

नियंत्रण

393. सरकार द्वारा दस्तावेजें पेश करने की अपेक्षा करना—केन्द्रीय सरकार किसी भी समय अध्यक्ष से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह—

(क) अपने कब्जे या नियंत्रण में के किसी अभिलेख पत्र, व्यवहार, योजना या अन्य दस्तावेज को पेश करें ;

(ख) परिषद् की कार्यवाहियों, कर्तव्यों या सकर्मों से संबंधित कोई विवरणी, योजना, प्राक्कलन, विवरण, लेखा या आंकड़े प्रस्तुत करे ;

(ग) कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करे या अभिप्राप्त करे और प्रस्तुत करे।

394. निरीक्षण—केन्द्रीय सरकार उस सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को किसी नगरपालिका विभाग या कार्यालय का या किसी ऐसी सेवा या संकर्म का, जो परिषद् ने अपने ऊपर लिया है, या परिषद् की किसी सम्पत्ति का निरीक्षण या परीक्षा करने और उस पर रिपोर्ट करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगी और परिषद् अध्यक्ष और सभी नगरपालिक अधिकारी और अन्य नगरपालिक कर्मचारी इस बात के लिए बाध्य होंगे कि वे इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति की पहुंच परिषद् के परिसरों और सम्पतियों तक तथा ऐसे सभी अभिलेखों, लेखाओं और अन्य दस्तावेजों तक, जिनका निरीक्षण करना वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, सभी युक्तियुक्त समयों पर होने दें।

395. केन्द्रीय सरकार द्वारा निषेध—यदि कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 393 या धारा 394 के अधीन अभिप्राप्त किसी जानकारी या रिपोर्ट पर या अन्यथा केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि—

(क) परिषद् द्वारा इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया गया है या उसका पालन अपूर्ण, अपर्याप्त या अनुपयुक्त रीति से किया गया है, अथवा

(ख) ऐसे किसी कर्तव्य के पालन के लिए समुचित वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई है, तो वह परिषद् को यह निदेश दे सकेगी कि वह उतनी अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, उसके समाधानप्रद रूप में, यथास्थिति, कर्तव्य के उचित पालन के लिए इन्तजाम करे या उसके समाधानप्रद रूप में कर्तव्य के पालन के लिए वित्तीय व्यवस्था करे और परिषद् ऐसे निदेश का अनुपालन करेगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसे आदेश का निष्पादन आवश्यक नहीं है तो वह इस धारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व परिषद् को यह हेतुक दर्शित करने का अवसर देगी कि ऐसा निदेश क्यों नहीं किया जाए।

396. धारा 395 के अधीन निदेश के प्रवर्तन के लिए उपबंध करने की शक्ति—यदि धारा 395 के अधीन किए गए निदेश द्वारा नियत की गई अवधि के भीतर ऐसी कोई कार्रवाई जिसे करने के लिए उस धारा के अधीन निदेश किया गया है, सम्यक् रूप से नहीं की गई है तो केन्द्रीय सरकार ऐसी कार्रवाई करने के लिए प्रबन्ध कर सकेगी और यह निदेश दे सकेगी कि उसके संबंध में सभी व्यय नई दिल्ली नगरपालिक निधि में से चुकाए जाएंगे ।

397. प्राथमिक विद्यालयों आदि के संबंध में निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार परिषद् में निहित या नई दिल्ली नगरपालिक निधि में से संदत्त अनुदानों से पूर्णत: या भागत: पोषित प्राथमिक विद्यालयों के विषयों, पाठ्यक्रमों, पाठ्य पुस्तकों, अध्यापन के स्तरों और रीतियों के संबंध में तथा ऐसे अन्य विषयों के संबंध में ऐसे सभी निदेश परिषद् को दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे तथा परिषद् ऐसे सभी निदेशों का अनुपालन करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी के लिए किसी ऐसे विद्यालय का निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा, तथा ऐसे अधिकारी को निरीक्षण की बाबत सभी युक्तियुक्त सुविधाएं दी जाएंगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अधिकारी द्वारा दी गई निरीक्षण की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् परिषद् को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे और परिषद् ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

398. परिषद् का विघटन—(1) यदि परिषद्, केन्द्रीय सरकार की राय में,—

(क) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम नहीं है या उनका अनुपालन करने में बार-बार व्यतिक्रम करती है या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है ; या

(ख) जनता को और साधारणतया नगरपालिक प्रशासन के संबंध में दक्ष सेवा प्रदान करने में असफल रहती है ; या

(ग) खंड (क) और खंड (ख) से संबंधित विषयों की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् को दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में बार-बार व्यतिक्रम करती है,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, उसके लिए कारणों का विवरण सहित, प्रकाशित आदेश द्वारा, परिषद् को विघटित कर सकेगी :

परन्तु परिषद् को उसके विघटन के पूर्व सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा ।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन आदेश द्वारा परिषद् विघटित कर दी जाती है तो, —

(क) सभी सदस्य विघटन की तारीख को ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद रिक्त कर देगे ;

(ख) परिषद् के विघटन की अवधि के दौरान, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन परिषद् को प्रदत्त सभी शक्तियों और उस पर अधिरोपित सभी कर्तव्यों का ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार उस निमित्त नियुक्त करे, प्रयोग और अनुपालन किया जाएगा ; और

(ग) परिषद् में निहित सभी संपत्ति, जब तक कि उनका पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी ।

(3) इस धारा के अधीन किए गए विघटन का आदेश उसके लिए कारणों के विवरण सहित किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

अध्याय 23

प्रकीर्ण

399. केन्द्रीय सरकार द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा अथवा अध्यक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होगी ।

400. अध्यक्ष के कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति—अध्यक्ष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त कोई शक्ति या उस पर अधिरोपित कोई कर्तव्य, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकती है या उसका अनुपालन किया जा सकता है ।

401. सूचनाओं और अन्य दस्तावेजों की विधिमान्यता—इस अधिनियम के अधीन जारी की गई कोई भी सूचना, आदेश, अध्यपेक्षा, अनुज्ञप्ति, लिखित अनुज्ञा या कोई अन्य दस्तावेज केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि उसके प्ररूप में कोई त्रुटि है ।

402. दस्तावेजों या प्रविष्टियों की साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता—किसी रसीद, आवेदन, योजना, सूचना, आदेश या अन्य दस्तावेज की अथवा किसी रजिस्टर में की, जो परिषद् या अध्यक्ष के कब्जे में है, किसी प्रविष्टि की प्रति, उस दशा में जिसमें कि वह उसके वैध धारक या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित की जाती है, उस दस्तावेज या प्रविष्टि के विद्यमान होने के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी और उसमें अभिलिखित विषयों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में प्रत्येक ऐसे मामले में और उस दशा में तथा उस सीमा तक ग्रहण की जाएगी जिसमें तथा जिस तक मूल दस्तावेज या प्रविष्टि पेश की गई होती तथा वह ऐसी बातों और संव्यवहारों को साबित करने के लिए ग्राह्य होती ।

403. नगरपालिक अधिकारी या कर्मचारी का साक्ष्य—कोई भी नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी ऐसी किसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें परिषद् पक्षकार नहीं है, ऐसा कोई रजिस्टर या दस्तावेज पेश करने के लिए, जिसकी अन्तर्वस्तुएं उनकी प्रमाणित प्रति द्वारा धारा 402 के अधीन साबित की जा सकती हैं, अथवा जिसमें अभिलिखित किसी विषय या संव्यवहार को साबित करने के लिए न्यायालय के ऐसे आदेश द्वारा ही जो विशेष हेतुक के लिए किया गया है, साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए अपेक्षित किए जाने के सिवाय अपेक्षित नहीं होगा ।

404. किसी नगरपालिक प्राधिकारी को बाधा पहुंचाने का प्रतिषेध—कोई भी व्यक्ति परिषद् या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी सदस्य या परिषद् द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके साथ अध्यक्ष ने परिषद् की ओर से संविदा की है, उनके कर्तव्य के अनुपालन में या कोई ऐसी बात करने में जिसे करने के लिए वे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या उपविधि के किसी उपबंध के आधार पर या उसके परिणामस्वरूप सशक्त है या उनसे अपेक्षित है, बाधा नहीं डालेगा या उन्हें परेशान नहीं करेगा ।

405. चिह्न को हटाने का प्रतिषेध—कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि के अधीन प्राधिकृत किसी संकर्म के निष्पादन के आनुषंगिक किसी सतह या दिशा को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए लगाए गए किसी चिह्न को नहीं हटाएगा ।

406. सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति, इस निमित्त प्राधिकार के बिना, परिषद् या अध्यक्ष या किसी नगरपालिक अधिकारी या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट नगरपालिक कर्मचारी के आदेश द्वारा या उसके अधीन प्रदर्शित किसी सूचना को नहीं हटाएगा, नष्ट नहीं करेगा, विरूपित नहीं करेगा या अन्यथा नहीं मिटाएगा ।

407. सार्वजनिक स्थान या सामग्री की बाबत अप्राधिकृत कार्य करने का प्रतिषेध—कोई व्यक्ति, इस निमित्त प्राधिकार के बिना, परिषद् में निहित किसी भूमि से, उसमें या उस पर से मिट्टी, बालू या अन्य सामग्री नहीं हटाएगा या कोई पदार्थ जमा नहीं करेगा या कोई अधिकमण नहीं करेगा या उन्हें किसी प्रकार से बाधित नहीं करेगा ।

408. नई दिल्ली नगरपालिक निधि या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अध्यक्ष, आदि का दायित्व—(1) प्रत्येक सदस्य, अध्यक्ष और प्रत्येक नगरपालिक अधिकारी तथा अन्य नगरपालिक कर्मचारी परिषद् के स्वामित्वाधीन या उसमें निहित किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए दायी होगा यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार का प्रत्यक्ष परिणाम है तथा प्रतिकर के लिए वाद केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से परिषद् द्वारा या सरकार द्वारा उसके विरुद्ध संस्थित किया जा सकता है ।

(2) ऐसा प्रत्येक वाद उस तारीख के पश्चात्, जिसको वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, तीन वर्ष के भीतर संस्थित किया जाएगा ।

409. सदस्यों और नगरपालिक अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना—प्रत्येक सदस्य, अध्यक्ष और प्रत्येक नगरपालिक अधिकारी और अन्य नगरपालिक कर्मचारी को भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक

समझा जाएगा, तथा उस संहिता की धारा 161 में "वैध पारिश्रमिक" की परिभाषा में, इस धारा के प्रयोजन के लिए "सरकार" शब्द परिषद् सम्मिलित समझा जाएगा ।

410. वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट—(1) परिषद् प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात् यथाशीघ्र किन्तु ऐसी तारीख के पश्चात् नहीं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियत की जाए, उसके पूर्ववर्ती वर्ष में नई दिल्ली के नगरपालिक शासन की बाबत ब्यौरेवार रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, उस सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(2) अध्यक्ष ऐसी रिपोर्ट तैयार करेगा और परिषद् उस पर विचार करेगी और उस पर अपने संकल्प सहित, यदि कोई हो, उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगी ।

(3) रिपोर्ट की प्रतियां नगरपालिका कार्यालय में विक्रय के लिए रखी जाएंगी ;

411. अन्य विधियों की अवहेलना न किया जाना—इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह परिषद् या अध्यक्ष या किसी नगरपालिक अधिकारी या अन्य नगरपालिक कर्मचारी को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना करने का प्राधिकार देती है ।

412. कर, आदि का संदाय करने से राजनयिक और कौंसलीय मिशनों को छूट—केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय किसी कर, रेट, फीस या अन्य प्रभार के संदाय से विदेशी राज्य के किसी राजनयिक या कौंसलीय मिशन को या किसी कामनवैल्थ देश के उच्च आयोग को या ऐसे मिशन या उच्च आयोग के किसी पदधारी को छूट दे सकेगी ।

413. निर्देशों का अर्थान्वयन—परिषद् की स्थापना के पश्चात् किसी अधिनियमिति, नियम, उपविधि, आदेश, स्कीम, अधिसूचना या विधि का प्रभाव रखने वाली किसी अन्य लिखत में नई दिल्ली नगरपालिक समिति के प्रति किसी निर्देश का, जब तक कि संदर्भ या विषय से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह परिषद् के प्रति निर्देश है ।

414. परिषद् द्वारा अभिकरण के आधार पर कार्य का हाथ में लेना—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परिषद् और किसी अन्य प्राधिकारी, निकाय या व्यक्ति के बीच करार द्वारा अवधारित की जाएं, किसी कार्य को, जो उसके कृत्यों से संबंधित नहीं है, अभिकरण के आधार पर कार्यान्वित कर सकेगी ।

415. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम द्वारा निरसित विधियों में से किसी के उपबन्धों से संक्रमण के संबंध में या इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा जो अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, ऐसा कोई भी कार्य कर सकेगी, जो उसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है :

परन्तु ऐसा कोई आदेश परिषद् की स्थापना की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

416. निरसन और व्यावृत्तियां—(1) परिषद् की स्थापना की तारीख से ही, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (1911 का पंजाब अधिनियम 3) जैसे कि वह नई दिल्ली को लागू है, नई दिल्ली में प्रभावहीन हो जाएगा ।

(2) इस धारा की उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी,—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन की गई कोई नियुक्ति, जारी की गई कोई अधिसूचना, आदेश, स्कीम, नियम, प्ररूप सूचना या उपविधि और मंजूर की गई कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा, जो परिषद् की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, वहां तक प्रवृत्त बनी रहेगी जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत नहीं है और तब तब इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई, जारी की गई या मंजूर की गई समझी जाएगी जब तक कि वह उक्त उपबन्धों के अधीन की गई किसी नियुक्ति, जारी की गई किसी अधिसूचना, आदेश, स्कीम, प्ररूप, सूचना या किसी उपविधि या मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दी जाती ;

(ख) परिषद् की स्थापना के पूर्व नई दिल्ली नगरपालिक समिति द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत सभी ऋणों, बाध्यताओं और दायित्वों, की गई संविदाओं और की जाने के लिए बचनबद्ध सभी विषयों और बातों की बाबत यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत किए गए हैं, की गई हैं या उन्हें करने का वचन दिया गया है ;

(ग) नई दिल्ली नगरपालिक समिति द्वारा किए गए सभी बजट, प्राक्कलन, निर्धारण, मूल्यांकन, माप या विभाजन, वहां तक प्रवृत्त बने रहेंगे जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं और तब तक इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किए गए समझे जाएंगे जब तक वे परिषद् द्वारा उक्त उपबन्धों के अधीन किए गए किसी बजट प्राक्कलन, निर्धारण मूल्यांकन, माप या विभाजन द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दिए जाते ;

(घ) सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां तथा उनमें किसी भी प्रकृति और प्रकार के सभी हित, जो परिषद् की स्थापना से ठीक पूर्व नई दिल्ली नगरपालिक समिति में निहित थे और जो नई दिल्ली नगरपालिक समिति द्वारा प्रयुक्त, उपभुक्त हैं या उसके कब्जाधीन हैं, किसी भी वर्णन के सभी अधिकारों सहित, परिषद् में निहित हो जाएंगे ;

(ङ) परिषद् की स्थापना के ठीक पूर्व नई दिल्ली नगरपालिक समिति को शोध्य सभी रेट, कर, फीस, भाटक और अन्य धनराशियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे परिषद् को शोध्य हैं ;

(च) सभी रेट, कर, फीस, भाटक, भाड़े और अन्य प्रभार तब तक उसी दर पर उद्गृहीत किए जाते रहेंगे जिस पर वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व नई दिल्ली नगरपालिक समिति द्वारा उद्गृहीत किए जा रहे थे, जब तक परिषद् द्वारा उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर दिया जाता ;

(छ) नई दिल्ली नगरपालिक समिति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या संस्थित किए जा सकने वाले सभी वाद, अभियोजन और अन्य विधिक कार्यवाहियां, परिषद् द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रह सकेंगे या संस्थित किए जा सकेंगे ।

417. इस अधिनियम के प्रारंभ से परिषद् द्वारा बजट के अंगीकार किए जाने तक परिषद् के संबंध में व्यय—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ और इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन परिषद् की स्थापना के बीच की अवधि के दौरान कोई व्यय उपगत होता है तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और इस प्रकार उपगत व्यय की रकम ऐसी स्थापना पर उस सरकार द्वारा नई दिल्ली नगरपालिक निधि में से वसूलीय होगी ।

(2) यदि परिषद् की स्थापना और परिषद् द्वारा प्रथम बजट के अंगीकार किए जाने के बीच की अवधि की बाबत उस वर्ष के लिए मंजूर बजट प्राक्कलनों द्वारा प्राधिकृत व्यय से अधिक व्यय, नई दिल्ली नगरपालिक निधि में से करना आवश्यक हो जाता है तो परिषद् उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शाते हुए एक अनुपूरक विवरण अंगीकार करेगी ।

(3) परिषद् द्वारा अंगीकृत अनुपूरक विवरण में दर्शित व्यय की प्रत्येक मद धारा 47 के अर्थान्तर्गत किसी चालू बजट अनुदान के अन्तर्गत आने वाला व्यय समझा जाएगा ।

(4) अनुपूरक विवरण इस प्रकार तैयार, प्रस्तुत और अंगीकार किया जाएगा और उसमें उन विषयों के लिए उपबंध किया जाएगा जो परिषद् द्वारा अवधारित किया जाए ।

418. अस्थायी उपबंध—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक हो तो, किसी व्यक्ति को, जिसे विशेष अधिकारी कहा जाएगा, उस दिन तक, जिसको इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् परिषद् की प्रथम बैठक की जाती है, परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

419. 1994 के अध्यादेश 8 का निरसन—(1) नई दिल्ली नगरपालिक परिषद् अध्यादेश, 1994 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

पहली अनुसूची

[धारा 2 (27) देखिए]

नई दिल्ली की सीमांए

वह क्षेत्र जो निम्नलिखित द्वारा सीमाबद्ध है :—

पूसा रोड और अपर रिज रोड के संगम से पूर्व की ओर नई लिंक रोड और पंचकुंइयां रोड के किनारे-किनारे उसके पुरानी गुड़गांव रोड के संगम तक ; वहां से उत्तर-पूर्व की ओर पुरानी गुडगांव रोड और चैम्सफोर्ड रोड के किनारे-किनारे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक; वहां से दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर रेल लाइन के किनारे-किनारे उसके तिलक ब्रिज के संगम तक; वहां से दक्षिण की ओर मथुरा रोड के किनारे-किनारे उसके लोधी-रोड के संगम तक; वहां से दक्षिण की ओर लोधी रोड के किनारे-किनारे उसके लोधी कालोनी को जाने वाली पहली सड़क के संगम तक ; वहां से दक्षिण की और लोधी कालोनी को जाने वाली पहली सड़क के किनारे-किनारे उसके रिंग रेल के संगम तक ; वहां से पश्चिम की ओर रेल लाइन के किनारे-किनारे उसके कुतब रोड के संगम तक ; वहां से दक्षिण की ओर कुतब रोड के किनारे-किनारे उसके कौशक नाला के संगम तक ; वहां से पूर्व की ओर कौशक नाले के किनारे-किनारे उसके निगम की सीमा के संगम तक ; वहां से दक्षिण की ओर और तब पश्चिम की ओर निगम की सीमा के किनारे-किनारे और मेडिकल एन्क्लेव की दक्षिणी सीमा के किनारे-किनारे ग्वालियर पाटरीज के निकट उसके रिंग रोड के संगम तक ; वहां से उत्तर-पश्चिम की ओर रिंग रोड के किनारे-किनारे उसके किचनर रोड के संगम तक ; वहां से उत्तर की ओर अपर रिंज रोड के किनारे-किनारे उस स्थान तक जहां से सीमा आरम्भ होती है ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 82 देखिए)

यानों और जीव-जन्तुओं पर उद्ग्रहणीय करों की दरें

		प्रति वर्ष कर की अधिकतम रकम	
		उन यानों के लिए जिनमें वायुयुक्त टायर हैं	उन यानों के लिए जिनमें वायुयुक्त टायर नहीं हैं
		रुपए	रुपए
1.	ऊंटों, घोडों, टट्टुओं, खच्चरों, गधों, बैलों या भैंसों द्वारा खीचे जाने वाले चार पहियों वाले प्रति यान पर—		
	(क) मजूरी गाड़ियां	12	24
	(ख) इस वर्ग के अन्य यान	32	48
2.	ऊंटों, घोड़ों, टट्टुओं, खच्चरों, गधों, बैलों या भैसों द्वारा खींचे जाने वाले दो पहियों वाले प्रति यान पर—		
	(क) मजूरी गाड़ियां	8	16
	(ख) इस वर्ग के अन्य यान	16	24
3.	ऊंटों, घोड़ों, टट्टुओं, खच्चरों, गधों, बैलों या भैसों या मशीनरी से अन्यथा खींचे जाने वाले या चलने वाले प्रति यान पर—	8	12
			प्रति वर्ष कर की अधिकतम रकम
4.	प्रति साइकिल रिक्शा पर		6
5.	प्रति बाइसिकिल पर		3
6.	प्रति ऊंट पर		10
7.	12 हाथ या अधिक ऊंचाई वाले प्रति घोड़े, टट्टू या खच्चर पर . . .		20
8.	12 हाथ से कम ऊंचाई वाले प्रति घोड़े, टट्टू या खच्चर पर		10
9.	ढुलाई या भारवाहन के प्रयोजनों के लिए रखे गए प्रति बैल या भैंसे पर . .		8
10.	ढुलाई या भारवाहन के प्रयोजनों के लिए या सवारी के लिए रखे गए प्रति गधे पर .		6
11.	प्रति सूअर पर		4
12.	प्रति कुत्ते पर		5
13.	दूध दुहने के लिए रखी गई प्रति भैंस पर		50
14.	दूध दुहने के लिए रखी गई प्रति गाय पर		30

तीसरी अनुसूची

(धारा 86 देखिए)

थिएटर कर

	मनोरंजन की किस्म	कर की अधिकतम रकम
1.	वर्ग 1 का सिनेमा थिएटर	10 रु॰ प्रति प्रदर्शन
2.	वर्ग 2 का सिनेमा थिएटर	7 रु॰ प्रति प्रदर्शन
3.	नाटक, कन्सर्ट, सर्कस, विविध मनोरंजन या तमाशा	7 रु॰ प्रति प्रदर्शन
4.	कार्नीवाल या फेट	10 रु॰ प्रति दिन
5.	कोई अन्य मनोरंजन	7 रु॰ प्रति प्रदर्शन या यदि कोई पृथक् प्रदर्शन न हो तो 7 रु॰ प्रति दिन।

स्पष्टीकरण—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए वर्ग 1 के सिनेमा थिएटरों और वर्ग 2 के सिनेमा थिएटरों से वे थिएटर अभिप्रेत हैं जो इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा क्रमश: वर्ग 1 के सिनेमा थिएटरों और वर्ग 2 के सिनेमा थिएटरों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

चौथी अनुसूची

[धारा 88(1) देखिए]

समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर

क्रम संख्यांक	विशिष्टियां	कर की अधिकतम वार्षिक रकम
		रुपए
1.	भूमि, भवन, दीवार विज्ञापन पट्ट, फ्रेम, खम्भे, संरचनाओं, आदि पर लगे अदीपित विज्ञापन—	
	(क) 10 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	18
	(ख) 10 वर्ग फीट से अधिक और 25 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	30
	(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 25 वर्ग फीट या उससे कम जगह के लिए	30
2.	बैलों, घोड़ों या अन्य जीव-जन्तुओं, मनुष्यों, साइकिलों या किसी अन्य युक्ति द्वारा खीचे गए यानों पर ले जाए जाने वाले या किसी यान या ट्रामकार पर ले जाए जाने वाले अदीपित विज्ञापन—	
	(क) 50 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	120
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग फीट या उससे कम जगह के लिए	120
3.	यानों पर ले जाए जाने वाले दीपित विज्ञापन बोर्ड—	
	(क) 50 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	240
	(ख) प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग फीट या उससे कम जगह के लिए	240
4.	जुड़े बोर्डों के बीच से उठाकर पुरुषों द्वारा ले जाए जाने वाले अदीपित विज्ञापन बोर्ड—	
	(क) 10 वर्ग फीट से अनधिक के प्रत्येक बोर्ड के लिए	24
	(ख) 10 वर्ग फीट से अधिक के और 25 वर्ग फीट तक के प्रत्येक बोर्ड के लिए	48
	(ग) क्षेत्रफल में प्रत्येक अतिरिक्त 10 वर्ग फीट या उससे कम के लिए	24
5.	जुड़े बोर्डों के बीच से उठाकर पुरुषों द्वारा ले जाए जाने वाले दीपित विज्ञापन बोर्ड—	
	(क) 10 वर्ग फीट से अनधिक के प्रत्येक बोर्ड के लिए	48
	(ख) 10 वर्ग फीट से अधिक और 25 वर्ग फीट तक के प्रत्येक बोर्ड के लिए	96
	(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 10 वर्ग फीट या उससे कम के लिए	48
6.	भूमि, भवन दीवार या विज्ञापन पट्ट, फ्रेम, खम्भे, संरचनाओं, आदि पर लगे दीपित विज्ञापन—	
	(क) 2 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	24
	(ख) 2 वर्ग फीट से अधिक और 5 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	48
	(ग) 5 वर्ग फीट से अधिक और 25 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	60
	(घ) प्रत्येक अतिरिक्त 25 वर्ग फीट या उससे कम के लिए	60
7.	सिनेमा घरों में और अन्य सार्वजनिक स्थानों में लैंटर्न स्लाइडों या समरूप युक्तियों द्वारा पर्दे पर प्रदर्शित विज्ञापन—	
	(क) 5 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	96
	(ख) 5 वर्ग फीट से अधिक और 25 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	120
	(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 25 वर्ग फीट या उससे कम के लिए	120

क्रम संख्यांक	विशिष्टियां	कर की अधिकतम वार्षिक रकम
		रुपए
8.	पथों के आर-पार लटकाए गए अदीपित विज्ञापन—	
	(क) 10 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	18
	(ख) 10 वर्ग फीट से अधिक और 25 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	30
	(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 25 वर्ग फीट या उससे कम के लिए	30
	ध्यान दें—मद 8 के लिए कर उस जगह पर अध्यक्ष द्वारा अवधारित मान के अनुसार प्रभार्य कर के अतिरिक्त होगा।	
9.	खाली अदीपित विज्ञापन पट्ट जिन पर विज्ञापक का नाम या "किराए पर देने के लिए" घोषणा लगी है—	
	(क) 10 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	5
	(ख) 10 वर्ग फीट से अधिक और 25 वर्ग फीट तक की जगह के लिए	15
	(ग) प्रत्येक अतिरिक्त 25 वर्ग फीट या उससे कम के लिए	15
10.	नीलामकर्ताओं को प्रत्येक नीलामी द्वारा विक्रय के लिए उचित आकार के अधिक से अधिक दो विज्ञापन बोर्ड, उस पारिसर में लगे विज्ञापन बोर्डों से भिन्न जहां नीलामी होती है, लगाने की अनुज्ञा के लिए जिनमें से एक स्थानीय क्षेत्र के किसी प्रमुख स्थान पर और दूसरा नगरपालिक लैम्प पोस्ट पर लगाया जाएगा।	200 जिसमें नगरपालिक लैम्प पोस्ट पर बोर्ड को प्रदर्शित करने का भाटक सम्मिलित है।

पांचवी अनुसूची

[धारा 95 (1) देखिए]

भवन निर्माण के आवेदनों पर कर

क्रम संख्यांक	क्षेत्र	पहली मंजिल के लिए	दूसरी मंजिल या उसके ऊपर अन्य मंजिल के लिए
		रुपए	रुपए प्रति मंजिल
1.	100 वर्ग गज तक के भूमि क्षेत्र के लिए	20	40
2.	100 वर्ग गज से अधिक किन्तु 250 वर्ग गज से अनधिक भूमि क्षेत्र के लिए	60	120
3.	250 वर्ग गज से अधिक किन्तु 500 वर्ग गज से अनधिक भूमि क्षेत्र के लिए	150	300
4.	500 वर्ग गज से अधिक किन्तु 1,000 वर्ग गज से अनधिक भूमि क्षेत्र के लिए	300	600
5.	1,000 वर्ग गज से अधिक भूमि क्षेत्र के लिए	600	1500

ध्यान दें 1—कर के लिए निर्धारण और परिकलन के प्रयोजनों के लिए भूमि क्षेत्र से उस भाग का क्षेत्रफल अभिप्रेत है जिस पर निर्माण करना प्रस्थापित है जिसके अंतर्गत भीतरी प्रांगण भी है।

ध्यान दें 2—उपरोक्त अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, जहां तहखाना (बैसमेंट) बनाया जाता है वहां, उसे पहली मंजिल माना जाएगा, तहखाने के ऊपर की पहली मंजिल को दूसरी मंजिल माना जाएगा और आगे इसी प्रकार से माना जाएगा।

ध्यान दें 3—धारा 282 के उपबन्धों के अधीन मंजूर किए गए समझे गए आवेदन के मामले में कर उसी रीति से संदेय हो जाएगा जो वह उन मामलों में संदेय हो जाता है जिसमें आवदेन मंजूर किया जाता है।

ध्यान दें 4—यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है तो शोध्य कर का 5 प्रतिशत रख लिया जाएगा और अतिशेष आवेदक को अध्यक्ष के आदेशों के अधीन वापस कर दिया जाएगा।

छठी अनुसूची

[धारा 100(1) देखिए]

मांग की सूचना

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....

निवास स्थान.....

आपको सूचना दी जाती है कि तारीख.....को प्रारम्भ होने वाली और तारीख..... को समाप्त होने वाली.....की अवधि के लिए.....के अधीन उद्ग्रहणीय.....रु० की राशि, जो.....द्वारा .....(यहां उस सम्पत्ति, उपजीविका, परिस्थिति या चीज का वर्णन कीजिए जिस मद्धे राशि संदेय है) मद्धे शोध्य है, अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् आपसे उसकी मांग करता है और यदि इस सूचना की तामील से तीस दिन के भीतर उक्त राशि अध्यक्ष को संदत्त नहीं की जाती है या संदाय न करने के लिए पर्याप्त हेतुक अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में दर्शित नहीं किया जाता है तो खर्चों सहित उसकी वसूली के लिए करस्थम् या कुर्की का वारंट जारी कर दिया जाएगा।

आज तारीख.....को हस्ताक्षरित।

(हस्ता०)

अध्यक्ष,

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

सातवीं अनुसूची

[धारा 102(1) देखिए]

वारंट का प्ररूप

(यहां उस अधिकारी का नाम भरिए जिस पर वारंट के निष्पादन का भार सौंपा गया है)

श्री .....क ख.....निवासी.....ने तारीख.....को प्रारम्भ होने वाली और तारीख.....को समाप्त होने वाली.....की अवधि के लिए.....(यहां दायित्व का वर्णन कीजिए) मद्धे शोध्य.....रुपए की राशि का, जो.....के अधीन उद्ग्रहणीय है, संदाय नहीं किया है और उसका संदाय न करने का कोई समाधानप्रद हेतुक दर्शित नहीं किया है ;

और उसके लिए मांग की सूचना की उस पर तामील होने की तारीख से तीस दिन बीत गए हैं ;

अत: आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि आप नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 और उसके अधीन बनाई गई उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए.....रुपए की उक्त राशि के लगभग बराबर मूल्य वाली श्री.....क.....ख.....की जंगम/स्थावर सम्पत्ति (जो नीचे वर्णित है) का करस्थम् को कुर्क कर लें और इस वारंट के अधीन आपके द्वारा अभिगृहीत कुर्क सम्पत्ति सम्बन्धी सब विशिष्टियां इस वारंट के साथ मेरे समक्ष तुरन्त प्रमाणित करें।

आज तारीख.....को हस्ताक्षरित।

(हस्ता०)

अध्यक्ष,

स्थावर संपत्ति का वर्णन

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

आठवीं अनुसूची

[धारा 103(2) देखिए]

करस्थम् सम्पत्ति की तालिका और विक्रय की सूचना का प्ररूप

सेवा में,

श्री/श्रीमती.....

निवास स्थान.....

आपको यह सूचना दी जाती है कि इससे उपाबद्ध तालिका में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मैंने आज तारीख.....को प्रारम्भ होने वाली और तारीख.....को समाप्त होने वाली अवधि के लिए पार्श्व में उल्लिखित दायित्व * (यहां दायित्व * का वर्णन करें) मद्धे शोध्य और मांग की सूचना की तामील के लिए शोध्य.....रुपयों की धनराशि के लिए अभिगृहीत कर ली है और यदि आप इस सूचना की तामील की तारीख से दस दिन के भीतर उक्त रकम का, वसूली के खर्चों सहित, अध्यक्ष को संदाय नहीं करेंगे तो उक्त सम्पत्ति सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय कर दी जाएगी।

आज तारीख.....हस्ताक्षरित।

(वारंट निष्पादित करने
वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

तालिका

* यहां अभिगृहीत सम्पति की विशिष्टियां दीजिए।

नवीं अनुसूची

[धारा 327(1) देखिए]

भाग 1

वे प्रयोजन जिनके लिए परिसरों का उपयोग अनुज्ञप्ति के बिना नहीं किया जा सकता ।

निम्नलिखित व्यापारों या उनसे सम्बद्ध संक्रियाओं में से किसी को चलाना :—

1. बेकिंग ।
2. चलचित फिल्मों की शूटिंग करना ।
3. चलचित्र फिल्मों की किसी भी प्रक्रिया से अभिक्रिया ।
4. लाल मिर्च या मसाले या अनाज या बीजों की यांत्रिक साधनों से पिसाई ।
5. वस्त्र, सूत या चमड़े की नील में या अन्य रंगों में रंगाई या उनकी छपाई ।
6. वस्त्र या सूत विरंजन ।
7. भोजनालय या आहारशाला स्थापन चलाना ।
8. अनाज भूनना ।
9. मूंगफली के बीज, इमली के बीज या कोई अन्य बीज भूनना ।
10. बाल काटने का सैलून या नाई की दुकान चलाना ।
11. कच्ची या सुखाई हुई खाल या चमड़ा कमाना, दबाना या पैक करना ।
12. लाउंड्री की दुकान चलाना ।
13. यांत्रिक साधनों से चमड़े की वस्तुओं का विनिर्माण ।
14. लीथो मुद्रणालय चलाना ।
15. बासा चलाना ।
16. धातु की ढलाई ।
17. बहुमूल्य धातुओं को परिष्कृत करना या कशीदा में से उनको पुन: निकालना ।
18. मुद्रणालय चलाना ।
19. पहले से भोजनालय के रूप में अनुज्ञात परिसरों में के सिवाय मिठाई की दुकान चलाना ।
20. निम्नलिखित व्यापार या कारबार या ऐसे व्यापार से सम्बद्ध कोई संक्रिया चलाना या करना—

    (i) आटोकार या आटो साइकिल की सर्विस या मरम्मत ।

    (ii) लोहारगीरी ।

    (iii) कसेरागीरी ।

    (iv) इलैकट्रोप्लेटिंग ।

    (v) कांच प्रवणन ।

    (vi) कांच कटाई ।

    (vii) कांच पालिश ।

    (viii) सुनारगीरी ।

    (ix) संगमरमर की कटाई, घिसाई, छंटाई या पालिश ।

    (x) धातु (लौह या अलौह या एंटीमनी (किन्तु पूर्व धातु को छोड़कर) का काटना या हथौड़े से पीटकर, ड्रिल करके, दबाकर, रदा करके, पालिश करके, तपाकर या अन्य किसी भी प्रक्रिया से धातु की अभिक्रिया या धातु के भागों की जुड़ाई ।)

(xi) फोटोग्राफी स्टूडियो ।

(xii) रेडियो (वायरलैस रिसीविंग सैट) का विक्रय, मरम्मत, सर्विस या विनिर्माण ।

(xiii) चांदी का काम करना ।

(xiv) शक्ति की सहायता से सूत, रेशम, कृत्रिम रेशम या जूट या ऊन की कताई या बुनाई ।

(xv) पत्थर की घिसाई, कटाई, छंटाई, या पालिश ।

(xvi) यांत्रिक या विद्युत शक्ति से काष्ठ या लकड़ी की चिराई या कटाई ।

(xvii) टीनसाजी ।

(xviii) धोबी का काम ।

(xix) विद्युत, गैस या किसी भी प्रक्रिया से धातु की वेल्डिंग ।

21. निम्नलिखित वस्तुओं में से किसी का किसी भी प्रक्रिया से विनिर्माण, भूनना, पैक करना, दाबना, सफाई, मार्जन, उबालना, पिघलना, पीसना या तैयार करना—

(i) वातित जल ।

(ii) बैकेलाइट का सामान ।

(iii) बीड़ियां (देशी सिगरेट), स्नफ, सिगारें या सिगरेटें ।

(iv) विटुमेन ।

(v) विस्फोटक चूर्ण ।

(vi) अस्थियां ।

(vii) हाथ से तैयार होने वाली ईंटें या टाइलें ।

(viii) यांत्रिक शक्ति से तैयार होने वाली ईंटें या टाइलें ।

(ix) ब्रुश ।

(x) मोमबत्तियां ।

(xi) तांत ।

(xii) सैल्यूलायड या सैल्यूलायड का सामान ।

(xiii) सीमेंट कंक्रीट की डिजाइनें या प्रतिमान ।

(xiv) लकड़ी का कोयला ।

(xv) रासायनिक पदार्थ ।

(xvi) किसी व्यापार के सम्बन्ध में दिखाए जाने वाले चलचित्र ।

(xvii) प्रसाधन सामग्री या टायलेट का सामान ।

(xviii) रूई, रूई की छांटन, गूदड़, सूती धागा, रेशम, रेशमी धागा, रद्दी सूत सहित रेशम, कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशम की रद्दी, कृत्रिम रेशम का सूत, ऊन या ऊन की छांटन या रद्दी ।

(xix) बिनौले ।

(xx) डामर ।

(xxi) डाइनामाइट ।

(xxii) वसा ।

(xxiii) आतिशबाजी ।

(xxiv) सन (फ्लैक्स)

(xxv) मुद्रण, लेखन, मुद्रांकन, आदि के लिए स्याही ।

(xxvi) मैस ।

(xxvii) घी ।

(xxviii) कांच या कांच की वस्तुएं ।

(xxix) बारूद ।

(xxx) भांग ।

(xxxi) बर्फ (जिसके अन्तर्गत ड्राई आइस भी है) ।

(xxxii) कीटनाशी या विसंक्रामक पदार्थ ।

(xxxiii) चर्म वस्त्र या रेक्सीन वस्त्र या बरसाती ।

(xxxiv) चूना ।

(xxxv) अलसी तेल ।

(xxxvi) जलाने के लिए दियासलाइयां (बंगाल माचिसों सहित) ।

(xxxvii) गद्दे और तकिए ।

(xxxviii) मांसोच्छिष्ट ।

(xxxix) मोमजामा ।

(xl) पैट्रोलियम से भिन्न तेल (यांत्रिक शक्ति से या हाथ से या बैल या किसी अन्य पशु द्वारा चलाई गई घानी से निकाला गया) ।

(xli) भेषजीय या चिकित्सीय उत्पाद ।

(xlii) रबड़ या रबड़ का सामान ।

(xliii) पेन्ट ।

(xliv) कागज या गत्ता ।

(xlv) खालों में से परिष्कृत वस्तुएं ।

(xlvi) रील ।

(xlvii) प्लास्टिक का सामान ।

(xlviii) हाथ से बने मिट्टी के बर्तन ।

(xlix) हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों से भिन्न यांत्रिक या किसी अन्य शक्ति से बने मिट्टी के बर्तन ।

(l) स्वच्छता सामान या चीनी मिट्टी के सामान (सैनीटरी या चाइना वेयर) ।

(li) साबुन ।

(lii) चीनी ।

(liii) मिष्ठान और कन्फैक्शनरी का सामान ।

(liv) चर्बी ।

(lv) विराल ।

(lvi) वार्निश ।

(lvii) लकड़ी का फर्नीचर, बक्से, बैरल, खोके या लकड़ी या प्लाईवुड या चन्दन की अन्य वस्तुएं ।

भाग 2

वे वस्तुएं जिनका किसी परिसर में भण्डारकरण अनुज्ञप्ति के बिना नहीं किया जा सकता

1. हींग ।

2. भस्म ।

3. बांस ।

4. बीड़ी के पत्ते ।

5. विस्फोटक चूर्ण ।

6. रक्त ।

7. अस्थियां, बोनमील या अस्थिचूर्ण ।

8. कपूर ।

9. कार्बाइड आफ कैल्शियम ।

10. गत्ता ।

11. सैल्यूलायड या सैल्यूलायड का सामान ।

12. लकड़ी का कोयला ।

13. तरल रासायनिक पदार्थ ।

14. अतरल रासायनिक पदार्थ ।

15. मिर्चें ।

16. क्लोरेट मिक्सचर ।

17. अज्वलनशील या ऐसीटेट या सैफ्टी वेस वाली चलचित्र फिल्में ।

18. बंधी, गांठों या बोरों में कपड़ा ।

19. सूत, ऊन, रेशम, कृत्रिम रेशम, आदि का कपड़ा या वस्त्र ।

20. कोयला ।

21. नारियल के रेशे ।

22. कोक ।

23. कम्पाउंड गैस, जैसे आक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन-डाईआक्साइड गैस, सल्फरडाई-आक्साइड गैस, क्लोरिन गैस, एसीटिलीन गैस, आदि ।

24. खोपरा ।

25. कपास, जिसके अन्तर्गत कहोक, शल्य सूत और रेशम सूत भी है ।

26. रूई की छांटन या रद्दी या सूत की छांटन या रद्दी ।

27. बिनौले ।

28. डैटीनेटर ।

29. सूखे पत्ते ।

30. डाइनामाइट ।

31. विस्फोटक पेंट, जैसे नाइट्रोसेलूलोसी पेंट, लाख का पेंट, इनेमल पेंट, आदि ।

32. वसा ।

33. नमदा (फैल्ट) ।

34. मनिपक्ष (पंख) ।

35. ईंधन ।

36. आतिशबाजी ।

37. मछली (सुखाई हुई)

38. फ्लैक्स ।

39. फल्मिनेट ।

40. फल्मिनेटी पारा ।

41. फल्मिनेटी रजत ।

42. जिलेटीन ।

43. गैलिग्नाइट ।

44. घास ।

45. पलीता (गन काटन)

46. बारूद ।

47. बोरे ।

48. बाल ।

49. सूखी घास या चारा ।

50. भांग ।

51. टाट का कपड़ा (बोरे का कपड़ा) ।

52. खालें (सुखाई हुई) ।

53. खालें (कच्ची) ।

54. खुर ।

55. सींग ।

56. धूप या इसास ।

57. पटसन (जूट) ।

58. लकड़ी के खोके, बक्से, पीपे, फर्नीचर या कोई अन्य वस्तु ।

59. प्रलाक्ष ।

60. चमड़ा ।

61. चलाने के लिए दियासलाइयां (बंगाल माचिसों सहित) ।

62. मैथीलेटिड स्पिरिट, डिनेचर्ड स्पिरिट या फ्रेंच पालिश ।

63. नाइट्रो सेलूलोस ।

64. नाइट्रो कम्पाउंड ।

65. नाइट्रो ग्लिसरीन ।

66. नाइट्रो मिक्सचर ।

67. मांसोच्छिष्ट ।

68. पैट्रोलियम से भिन्न तेल ।

69. तिलहन, जिसके अन्तर्गत बादाम भी है किन्तु बिनौले नहीं हैं ।

70. पुराना कागज या रद्दी कागज, जिसके अन्तर्गत पुराने समाचारपत्र, नियतकालिक पत्रिका, पत्रिकाएं, आदि हैं ।

71. पैक करने का सामान (कागज की कतरनें, भूसा, बुरादा, आदि) ।

72. पेंट ।

73. पुराने कागज से भिन्न, बंधी गांठों में या खुला या रिमों में कागज ।

74. पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित खतरनाक पैट्रोलियम से भिन्न पैट्रोलियम ।

75. फासफोरस ।

76. प्लास्टिक या प्लास्टिक का सामान ।

77. प्लाईवुड ।

78. चिथड़े, जिसके अंतर्गत कपड़े, टाट के कपड़े, बोरों के कपड़े, रेशम, कृत्रिम रेशम या ऊनी कपड़े के छोटे-छोटे टुकड़े या कतरनें भी हैं ।

79. रोजिन या डामर उत्तर जो राल के नाम से भी ज्ञात है ।

80. सेफ्टी फ्यूज, फौग, सिग्नल, कारतूस, आदि ।

81. शोरा ।

82. चन्दन की लकड़ी ।

83. रेशम अपशिष्ट या रेशमी सूत अपशिष्ट, कृत्रिम रेशम अपशिष्ट या कृत्रिम रेशमी सूत अपशिष्ट ।

84. बांस केबड़ा (सीसल) तन्तु ।

85. चर्म (कच्चा या सुखाया हुआ) ।

86. भूसा ।

87. गन्धक ।

88. चर्बी ।

89. विराल, राल, डामर या विटूमन ।

90. तिरपाल ।

91. बिरलक ।

92. प्रकाष्ठ ।

93. तारपीन ।

94. वार्निश ।

95. ऊन (कच्चा) ।

96. सूत की रद्दी से भिन्न सूत ।

दसवीं अनुसूची

[धारा 369(1) देखिए]

शास्तियां

स्पष्टीकरण—निम्नलिखित सारणी के द्वितीय स्तम्भ में "विषय" शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टियां उन अपराधों की, जो प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित उपबंधों में विहित हैं, परिभाषाओं के रूप में या उन उपबंधों की संक्षिप्तियों के रूप में आशयित नहीं हैं। वे केवल उनके विषय के प्रति निर्देश के रूप में दी गई हैं :—

सारणी

धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 74, उपधारा (1) और उपधारा (2)	भूमि या भवन के अन्तरण या न्यागमन की सूचना देने में असफलता	50	—
धारा 74, उपधारा (3)	अन्तरण की लिखत पेश करने में असफलता	50	—
धारा 75	नया भवन, आदि बनाने की सूचना देने में असफलता	50	—
धारा 76	भवन तोड़ने या हटाने की सूचना देने में असफलता	50	—
धारा 77	जानकारी, आदि देने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता	50	—
धारा 81, उपधारा (2)	मूल्यांककों को जानबूझकर विलंब कराना या बाधित करना	50	—
धारा 89	अनुज्ञा के बिना विज्ञापन का प्रतिषेध	200	5
धारा 114	खाली भूमि या भवन की सूचना देने में असफलता	50	5
धारा 119, उपधारा (2)	अध्यक्ष के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	50	—
धारा 122	दायित्व प्रकट करने में असफलता	100	—
धारा 148	घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रदाय किए गए जल का गैर घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग	100	5
धारा 152, उपधारा (1)	जल प्रदाय लेने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	200	20
धारा 153	जल प्रदाय की व्यवस्था किए बिना नए परिसरों को अधिभोग में लेने का प्रतिषेध	200	20
धारा 164	जल का दुर्व्यय या दुरुपयोग	50	—
धारा 165	प्रवेश, आदि से इंकार	100	—
धारा 168, उपधारा (1)	जल के पाइपों, आदि का ऐसी स्थिति में लगाया जाना जहां उन्हें क्षति पहुंच सकती है, या उनका जल प्रदूषित हो सकता है	100	10
धारा 168, उपधारा (2)	शौचालयों, आदि का ऐसी स्थिति में निर्माण करना जहां पाइपों को क्षति पहुंच सकती है या उनका जल प्रदूषित हो सकता है	100	—

धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 173	नगरपालिका नाली की या नगरपालिका नाली में गिरने वाली नाली की अन्तर्वस्तु के निर्बाध प्रवाह को नुकसान पहुंचाना या उसमें बाधा डालना	50	—
धारा 174, उपधारा (2)	प्राइवेट नाली को नगरपालिका नाली के साथ सूचना के बिना न मिलाना	50	—
धारा 175	जल निस्सारण रहित परिसरों में जल निकास के लिए व्यवस्था करने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	100	25
धारा 176	नाली के बिना नए परिसर बनाना	1000	—
धारा 177	परिसरों के किसी समूह या ब्लाक के लिए जल निकास संकर्म के बनाए रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	50	5
धारा 178	कतिपय दशाओं में प्राइवेट नाली को बन्द कर देने या उसका उपयोग सीमित करने के निदेश का अनुपालन न करना	50	5
धारा 179	किसी नाली के स्वामी से भिन्न व्यक्ति द्वारा उसके प्रयोग के बारे में अध्यक्ष के आदेशों का अनुपालन न करना	50	—
धारा 180	मलवाही और वर्षा जलवाही नालियों को रखने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	50	—
धारा 181	प्रांगण, आदि को पाटने को अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	50	—
धारा 183	लिखित अनुज्ञा के बिना नगरपालिका जल या नालियों से कनैक्शन	200	50
धारा 186, उपधारा (4)	किसी पाइप या नाली को बन्द करने, हटाने या उसकी दिशा बदलने की अध्यपेक्षा का अनुपालन न करना	50	5
धारा 193, उपधारा (1)	अनुज्ञप्त नलसाज से भिन्न व्यक्ति द्वारा संकर्म का निष्पादन	200	—
धारा 193, उपधारा (2)	नियोजित किए गए अनुज्ञप्त नलसाज का नाम देने की अपेक्षा किए जाने पर नाम न देना	100	—
धारा 193, उपधारा (6)	अनुज्ञप्त नलसाजों द्वारा विहित प्रभारों से अधिक प्रभार न मांगा जाना	100	—
धारा 193, उपधारा (8)	अनुज्ञप्त नलसाज उपविधियों का उल्लंघन नहीं करेंगे या संकर्मों का निष्पादन, आदि असावधानी से या उपेक्षापूर्वक नहीं करेंगे	100	—
धारा 194	जल या मलवाही संकर्मों के संबंध में जानबूझकर या उपेक्षापूर्वक किए गए कार्यों का प्रतिषेध	100	—
धारा 209, उपधारा (3)	पथ की नियमित लाइन के बाहर निकले भवन का अनुज्ञा के बिना निर्माण	1000	10
धारा 211	भवनों को पथ की नियमित लाइन तक पीछे हटाने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता	200	50

धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 214	भवनों को पथ की नियमित लाईन तक आगे बढ़ाने की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता	200	10
धारा 217, उपधारा (5)	परिषद् के आदेशों के अनुपालन से अन्यथा किसी भूमि का उपयोग करना, विक्रय करना या उसके बारे में अन्यथा संव्यवहार करना या प्राइवेट पथ की रूपरेखा तैयार करना	कठोर कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा।	—
धारा 218, उपधारा (1) खंड (क) और खंड (ख)	पथ के फेरफार के लिए हेतुक दर्शित करने की या अध्यक्ष के समक्ष हाजिर होने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	5
धारा 219, उपधारा (1)	प्राइवेट पथ या उससे लगी हुई भूमि या भवन के स्वामी से ऐसे पथ को समतल करने, आदि की अध्यपेक्षा के अनुपालन में उसकी असफलता	100	10
धारा 221, उपधारा (1)	पथों, आदि पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं का प्रतिषेध	200	—
धारा 221, उपधारा (2)	पथों पर बाहर की ओर निकलती हुई संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	200	—
धारा 222, उपधारा (2)	ऐसे बरामदे, छज्जे, आदि को, जो धारा 221 (1) के उल्लंघन में बनाए गए हैं, हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	200	—
धारा 223	निचली मंजिल के दरवाजों, आदि में ऐसे फरेफार करने की कि वे बाहर की ओर न खुलें, अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 224, उपधारा (1)	ऐसी संरचनाओं या फिक्सचरों का निर्माण, आदि जो पथों में बाधा डालते हैं	200	10
धारा 225	पथों में वस्तुओं को जमा करना, आदि	100	—
धारा 227, उपधारा (1) और उपधारा (2)	सार्वजनिक पथों में जीव-जन्तुओं को बांधना और पशुओं को दुहना	100	5
धारा 228, उपधारा (4)	रोक या तख्ताबंदी, आदि को विधिविरुद्धतया हटाना या प्रकाश को हटाना या बुझाना	50	—
धारा 229, उपधारा (1)	अनुज्ञा के बिना पथों को खोदना या तोड़ना और उन पर अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण सामग्री जमा करना	200	10
धारा 231, उपधारा (2)	पथ का नाम और गृह संख्यांक नष्ट या विरूपित, आदि न करना	50	—
धारा 232, उपधारा (1)	खतरनाक स्थान की मरम्मत करने, बचाव करने या हाताबंदी करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	100	25
धारा 234, उपधारा (1)	लैपों को हटाना, आदि	100	—
धारा 234, उपधारा (2)	सार्वजनिक पथों, आदि के प्रकाश को जानबूझकर और उपेक्षापूर्वक बुझाना	50	—

धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 237, उपधारा (1)	अध्यक्ष की मंजूरी के बिना भवन का निर्माण करना	सादा कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माना, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	
धारा 237, उपधारा (2)	ज्वलनशील सामग्री का अनुज्ञा के बिना उपयोग	100	
धारा 238, उपधारा (1)	भवन का निर्माण करने के आशय की सूचना देने में असफलता	सादा कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	—
धारा 239, उपधारा (1)	भवनों में परिवर्धन, आदि करने के आशय की सूचना देने में असफलता	सादा कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	—
धारा 242, उपधारा (4)	सूचना, आदि के बिना संकर्म का प्रारंभ	10,000	500
धारा 244	पथों के कोनों पर भवनों को गोलाकार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	100	5
धारा 245, उपधारा (1)	नए पथों को समतल किए बिना, भवनों का निर्माण किया जाना	1,000	—
धारा 245, उपधारा (2)	पथ की नियमित लाइन के भीतर या किसी स्कीम या योजना के उल्लंघन में भवन का निर्माण या संकर्मों का निष्पादन	1,000	—
धारा 247	मंजूरी के बिना निर्माण किए गए भवनों को तोड़ने में असफलता या आदेश का उल्लंघन करके भवन का निर्माण	सादा कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	
धारा 248	मंजूरी की शर्तों, आदि के उल्लंघन में भवन का निर्माण	सादा कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	
धारा 249	परिवर्तन करने में असफलता	सादा कारावास जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माना, जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	
धारा 251, उपधारा (1) और उपधारा (2)	पूरा होने के प्रमाणपत्रों के उपबंध का अनुपालन न करना, अनुज्ञा के बिना अधिभोग या प्रयोग, आदि	200	10

धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 252	भवनों के प्रयोग पर निर्बंधनों का अनुपालन न करना	सादा कारावास, जो छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों	
धारा 258, उपधारा (1) और उपधारा (2)	भवन या गिरने वाली संरचनाओं को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	500	20
धारा 259, उपधारा (1)	खतरनाक दशा, आदि में भवनों को खाली करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	200	—
धारा 264	कूड़े, आदि के संग्रहण, हटाने और जमा करने के लिए व्यवस्था करने और कूड़ेदानों की व्यवस्था करने में असफलता	50	—
धारा 265, उपधारा (1)	गन्दगी और प्रदूषित पदार्थ को संगृहीत करने और हटाने में असफलता	50	—
धारा 265, उपधारा (3)	कतिपय मामलों में सफाई करने वाले के कर्तव्यों का अनुज्ञा के बिना किसी व्यक्ति द्वारा निर्वहन न किया जाना	25	—
धारा 266	बाजार, आदि के रूप में प्रयुक्त परिसरों से कूड़ा, आदि हटाने के लिए अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	100	—
धारा 267, उपधारा (1)	कूड़ा और गन्दगी चौबीस घंटों से अधिक समय तक रखना, आदि	50	10
धारा 267, उपधारा (2)	गन्दगी को पथ पर जाने देना	50	—
धारा 267, उपधारा (3)	कूड़ा या गन्दगी, आदि का पथ, आदि में जमा किया जाना	50	—
धारा 271, उपधारा (1)	शौचालय और मूत्रालय अनुज्ञा के बिना या विहित निबन्धनों का उल्लंघन करके नहीं निर्मित किए जाएंगे	200	—
धारा 272, उपधारा (1)	नवनिर्मित या पुनर्निर्मित भवनों में शौचालय, मूत्रालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता	500	—
धारा 272, उपधारा (3)	पृथक् वासगृहों वाले निवास स्थानों में पहली मंजिल पर सेवकों के लिए शौचालय, स्नान करने या धोने की व्यवस्था करने में असफलता	500	—
धारा 273	बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त परिसरों में शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने में असफलता	100	20
धारा 274	बाजार, पशु शैड, गाड़ी स्टैंड, आदि के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने और उन्हें साफ और उचित दशा में रखने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	100	20
धारा 275, खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ)	शौचालय या मूत्रालय के लिए स्थान, आदि संबंधी उपबंध का पालन करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	100	10

धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 276, उपधारा (2)	अति भिड़े भवनों को हटाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	1000	—
धारा 277	मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों के सुधार करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	1000	—
धारा 279, उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4)	मानव-निवास के लिए अनुपयुक्त भवनों को तोड़ने के आदेश के अनुपालन में असफलता	1000	—
धारा 280	अस्वच्छ झोपड़ियों और शैड़ों, आदि को हटाने की अध्यक्ष की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	100	15
धारा 281, उपधारा (1)	धोबी द्वारा धुलाई की बाबत प्रतिषेध	25	—
धारा 282	संचारी रोग की जानकारी देने में असफलता	100	—
धारा 284	भवनों या वस्तुओं की सफाई करने और उनके विसंक्रामण की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 285	संक्रामित झोंपड़ियों या शैड़ों को नष्ट करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 286	किसी ऐसे स्थान में, जो अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित नहीं है, कपड़ों, विस्तरों, आदि की धुलाई	25	—
धारा 288, उपधारा (1)	संक्रामित कपड़े धोबी को या लांड्री को भेजना	25	—
धारा 288, उपधारा (2)	जिस धोबी या लांड़ी को कपड़े भेजे गए हैं उसका पता देने असफलता	25	—
धारा 289, उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3)	संचारी रोग, आदि से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक प्रवहणों का उपयोग	50	—
धारा 291	भवनों को भाटक पर देने से पूर्व उनका विसंक्रामण करने में असफलता	100	—
धारा 292	संक्रामित वस्तुओं का विसंक्रामण किए बिना व्ययन	50	—
धारा 293	संक्रामित व्यक्तियों द्वारा, भोजन बनाना या विक्रय करना, आदि या कपड़े धोना	50	—
धारा 294	अध्यक्ष द्वारा लगाए गए निर्बन्धन या प्रतिषेध के उल्लंघन में खाद्य या पेय का विक्रय	50	—
धारा 295	अध्यक्ष के प्रतिषेध के उल्लंघन में कुओं और तालाबों से जल ले जाना और उसका प्रयोग	50	—
धारा 296	किसी संचारी रोग, आदि से पीड़ित व्यक्ति की उपस्थिति या आचरण से व्यक्तियों को संक्रमण की जोखिम में डालना	100	—
धारा 297	संक्रमित शवों को इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में हटाना	50	—

धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 298, उपधारा (1) और उपधारा (2)	सूचना के बिना सफाई वालों, आदि की कर्तव्य से अनुपस्थिति	कारावास जो एक मास तक का हो सकेगा	—
धारा 299	घरों की सफाई करने के लिए नियोजित सफाई वाले सूचना के बिना काम बन्द नहीं करेंगे	10	—
धारा 300	श्मशान या कब्रिस्तानों के भारसाधक व्यक्तियों द्वारा जानकारी देने में असफलता	50	—
धारा 301	नए श्मशान या कब्रिस्तानों का अनुज्ञा के बिना प्रयोग	50	—
धारा 302, उपधारा (1)	श्मशान या कब्रिस्तान बन्द करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 302, उपधारा (2)	किसी श्मशान या कब्रिस्तान को बन्द करने के पश्चात् उसमें शवों का दाहकर्म या दफनाया जाना	50	—
धारा 303	विहित मार्गों से भिन्न मार्गों से शवों को ले जाना	25	—
धारा 304, खंड (ख)	मृत पशुओं के शवों को हटाने की सूचना देने में असफलता	10	—
धारा 307, उपधारा (1) और उपधारा (2)	जन्म और मृत्यु की इत्तिला देने में असफलता	50	—
धारा 308, उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3)	न्यूसेन्स करना	50	—
धारा 309	न्यूसेन्स हटाने या उपशमन के लिए अध्यादेश के अनुपालन में असफलता	500	25
धारा 310, उपधारा (4)	कुत्तों को जंजीर से बांधे बिना पथ में खुला घूमने देना	50	—
धारा 310, उपधारा (5)	हिंस्त्र कुत्ते को मुखबन्ध, आदि लगाए बिना खुला घूमने देना	100	—
धारा 311	प्रतिषेध के उल्लंघन में ज्वलनशील सामग्री का ढेर लगाना	50	—
धारा 312	खुली बत्ती रखना	50	—
धारा 313	ऐसी आतिशबाजी, अग्न्यायुध आदि छोड़ना जिनसे खतरा उत्पन्न होना सम्भाव्य है	50	—
धारा 314	भवनों, कुओं, आदि को सुरक्षित करने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 315	अनुचित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि में घेरा लगाने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 317, उपधारा (1)	नगरपालिका बाजारों में अनुज्ञा के बिना विक्रय करना	200	—
धारा 318, उपधारा (1) और उपधारा (2)	स्थानों का प्राइवेट बाजारों के रूप में अनुज्ञप्ति के बिना प्रयोग करना और नगरपालिका वधशाला से भिन्न किसी स्थान का वधशाला के रूप में प्रयोग करना	500	25

धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 318, उपधारा (2), परन्तुक (क)	अध्यक्ष द्वारा अधिरोपित शर्तों का अननुपालन	50	—
धारा 320	अनुज्ञप्ति, आदि के बिना बाजार चलाना	2,000	—
धारा 321	अनुज्ञप्ति बाजार में विक्रय करना	50	—
धारा 322	बाजार के निकट कारबार या व्यापार चलाना	50	—
धारा 324	बाजारों के भारसाधक व्यक्ति को बाजार से कोढ़ियों और उपद्रवियों को निष्कासित करने में असफलता	50	—
धारा 325	अनुज्ञप्ति, आदि के बिना बूचड़ों, मछियारों या कुक्कुट विक्रेताओं द्वारा व्यापार करना	100	10
धारा 326	अनुज्ञा के बिना कारखाने, आदि की स्थापना	5,000	50
धारा 327	अनुज्ञप्ति के बिना कतिपय वस्तुएं नहीं रखी जाएंगी और कतिपय व्यापार और संक्रियाएं नहीं चलाई जाएंगी	1,000	100
धारा 328, उपधारा (3)	जीव-जन्तुओं, आदि का रखा जाना, परित्याग किया जाना या बांधा जाना	100	—
धारा 329, उपधारा (5)	घोषणा के उल्लंघन में परिसरों का प्रयोग	500	—
धारा 330	अनुज्ञप्ति, आदि के बिना वस्तुओं का फेरी लगाकर विक्रय करना	100	—
धारा 331	अनुज्ञप्ति के बिना या उससे प्रतिकूल रूप में बासा, भोजनालय या चाय की दुकानें आदि चलाना	100	—
धारा 332	अनुज्ञप्ति के बिना या उसके निबन्धनों के प्रतिकूल थिएटर, सर्कस या अन्य सार्वजनिक विनोद स्थान खुला रखना	500	50
धारा 339, उपधारा (5)	अनुज्ञप्ति या लिखित अनुज्ञा पेश करने में असफलता	50	5
धारा 340	अध्यक्ष को या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रवेश, आदि की उसकी शक्तियों का प्रयोग करने से निवारित करना	50	—
धारा 341	अध्यक्ष को या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को किसी लगी हुई भूमि पर प्रवेश करने की उसकी शक्ति का प्रयोग करने से निवारित करना	50	—
धारा 346	संकर्म के निष्पादन में बाधा डालना या दिक करना	200	—
धारा 353, उपधारा (4)	परिसरों के स्वामियों का नाम और पता बताने की अध्यपेक्षा के अनुपालन में असफलता	50	—
धारा 364, उपधारा (3)	जिला न्यायाधीश द्वारा आदेश के जारी करने से आठ दिन के पश्चात् भूमि या भवन के अधिभोगी द्वारा उसके स्वामी को अधिनियम, आदि के उपबन्धों का अनुपालन करने की सुविधाएं देने में असफलता	200	50
धारा 404	अध्यक्ष या किसी सदस्य, आदि को बाधा पहुंचाना	200	—

धारा, उपधारा खंड या परन्तुक	विषय	जुर्माना या कारावास जो अधिरोपित किया जा सकता है	दैनिक जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है
		रुपए	रुपए
धारा 405	तल, आदि उपदर्शित करने के लिए लगाया गया कोई चिह्न हटाना	100	—
धारा 406	परिषद् अध्यक्ष, आदि के आदेश द्वारा या उसके अधीन प्रदर्शित सूचना को हटाना, आदि	50	—
धारा 407	परिषद् में निहित किसी भूमि से मिट्टी, बालू या अन्य सामग्री विधिविरुद्धतया हटाना या कोई पदार्थ विधिविरुद्धतया जमा करना या कोई अधिक्रमण करना	50	—